विकसित भारत अभियान
1947 TO 2047

150 वर्षों का स्मरणोत्सव
वन्दे मातरम्

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

https://socialjustice.gov.in

वार्षिक रिपोर्ट
2025 – 26

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

विषय – सूचि

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	**परिचय**	7
1.1	विजन	9
1.2	अधिदेश और मिशन	9
1.3	नीतियां और कार्यक्रम	11
1.4	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की संगठनात्मक संरचना	12
1.5	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्य	12
1.6	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से सुसंगत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत	12
1.7	अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान	14
1.8	संविधान की सातवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों में प्रविष्टियों की तुलना में विभाग को आबंटित विषय	15
1.9	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत एजेंसियां	16
2	**प्रमुख आयोजन**	17
3	**योजनाएं और संगठन**	17
3.1	अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	46
3.2	अनुसूचित जातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	51
3.3	श्रेयस-एससी: अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	55
3.4	श्रेयस-एससी: अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	58
3.5	श्रेयस-एससी: अनुसूचित जातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा	60
3.6	श्रेयस-एससी: अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और पीएम-केयर्स चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग	62
3.7	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)	65
3.8	अनुसूचित जाति के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी)	68
3.9	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (पीसीआर पीओए) के प्रवर्तन के लिए तंत्र को सुदृढ़ करना	72
3.10	अनुसूचित जातियों के लिए लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)	76

3.11	राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)	81
3.12	अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड	88
3.13	प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम दक्ष)	93
3.14	अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)	99
3.15	ड्रग्स की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)	103
3.16	स्माइल (भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्ति)	108
3.17	स्माइल (ट्रांसजेंडर)	111
3.18	पीएम यशस्वी: अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और विमुक्त, घुमंतू जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	115
3.19	पीएम यशस्वी: अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और विमुक्त, घुमंतू जनजातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	116
3.20	पीएम यशस्वी: अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और विमुक्त, घुमंतू जनजातियों के लिए टॉप क्लास स्कूली शिक्षा	117
3.21	पीएम यशस्वी: अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और विमुक्त, घुमंतू जनजातियों के लिए टॉप क्लास कॉलेज शिक्षा	119
3.22	पीएम यशस्वी: अन्य पिछड़े वर्गों के बालक और बालिकाओं हेतु छात्रावास	121
3.23	श्रेयस-ओबीसी: अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	123
3.24	श्रेयस-ओबीसी: अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी	125
3.25	विश्वास योजना (वंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता)	126
3.26	पीएम केयर्स	128
3.27	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	130
3.28	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	131
3.29	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	136
3.30	विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय विकास और कल्याण बोर्ड	138
3.31	डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान	141
3.32	डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक	146
3.33	राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान	150
3.34	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	155
3.35	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	160
3.36	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	163
3.37	बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान	170

3.38	सूचना, अनुवीक्षण, मूल्यांकन और सामाजिक लेखापरीक्षा	172
3.39	एनजीओ अनुदानों को प्रोसेस करने के लिए ई-अनुदान ऑनलाइन पोर्टल	177
4	**सभी योजनाओं और गैर-योजनाओं के अंतर्गत निधिगत वस्तुस्थिति**	179
5	**संलग्नक**	185
5.1	राज्यवार निधियां जारी करना	187
5.2	विभाग के संदर्भ में कार्य आबंटन नियम	227
5.3	प्रमुख संक्षिप्ताक्षर और परिभाषाएं	229
5.4	स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान किए गए सहायता अनुदान पर विवरण	240

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का सगठनात्मक चार्ट

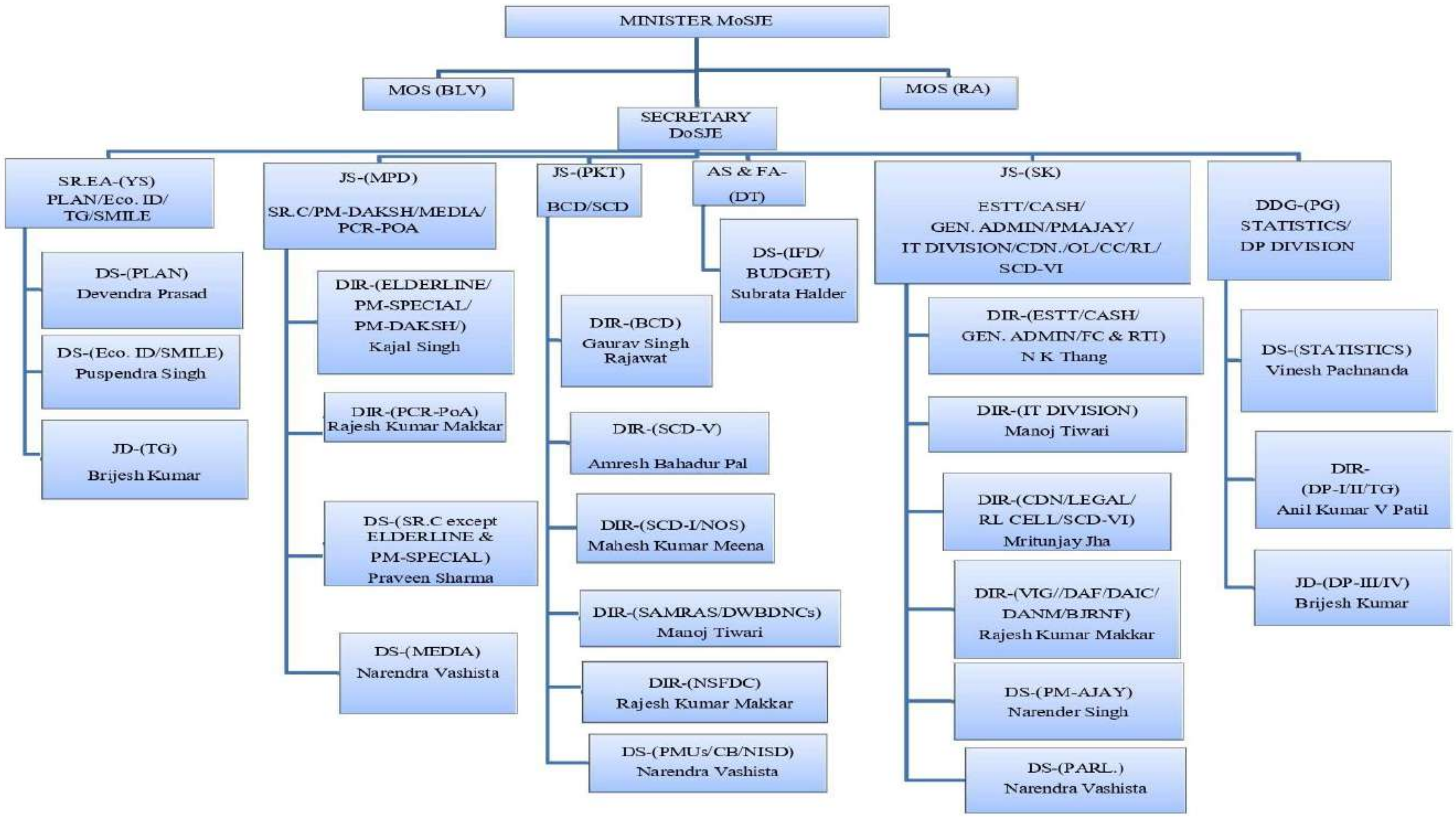

परिचय

परिचय

1.1 विजन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का दृष्टिकोण एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना है जिसमें समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लक्षित समूहों के लोग अपनी प्रगति और विकास के लिए पर्याप्त सहयोग एवं समर्थन के साथ उत्पादक, निरापद और सम्मानजनक जीवन जी सकें। इसका उद्देश्य शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास और जहां भी आवश्यक हो, पुनर्वास के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने लक्षित समूहों को मदद पहुंचाना और उन्हें सशक्त बनाना है।

1.2 अधिदेश और मिशन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का अधिदेश समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों, जिसमें (i) अनुसूचित जाति (एससी), (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), (iii) वरिष्ठ नागरिक, (iv) शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के पीड़ित व्यक्ति, (v) ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, (vi) भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्ति, (vii) विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां (डीएनटी), (viii) मैनुअल स्कैवेंजर्स, (ix) सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिक, (x) कचरा बीनने वाले, (xi) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और (xii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), शामिल हैं, का सशक्तिकरण करना है।

बॉक्स 1.1

(परिभाषा)

- *"अनुसूचित जातियों" से ऐसी जातियां, मूलवंश अथवा जनजातियां, अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों, जनजातियों के भाग अथवा उनके समूह अभिप्रेत हैं जो जातियां, मूलवंश अथवा जनजातियां संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियां समझी जाती हैं। [अनुच्छेद 366 का खंड (24)]*
- *"पिछड़ा वर्ग" - सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं जो इस संविधान के प्रयोजन हेतु अनुच्छेद 342क के तहत पिछड़े वर्ग समझे जाते हैं। (भारत के संविधान का अनुच्छेद 366, खंड 266)*
- *"वरिष्ठ नागरिक" से अभिप्राय भारत के उस नागरिक से है जिसने 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। (माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2)*
- *"नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के पीड़ित" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो मद्यपान, स्वापक ड्रग्स, मनःप्रभावी पदार्थ अथवा अन्य व्यसनीय पदार्थों (तम्बाकू को छोड़कर) अर्थात फार्मास्युटिकल ड्रग्स आदि का व्यसनी/आश्रित हो और इसमें सामान्य तौर पर ऐसे व्यक्तियों के नजदीकी पारिवारिक सदस्य भी शामिल होते हैं।*

- *"उभयलिंगी व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका लिंग उससे उसके जन्म के समय उसे नियत लिंग से मेल नहीं खाता है और इसके अंतर्गत उभय-पुरुष अथवा उभय-स्त्री (चाहे ऐसे व्यक्ति ने लिंग पुन:निर्धारण शल्यक्रिया अथवा हार्मोन चिकित्सा अथवा लेजर चिकित्सा अथवा ऐसी अन्य चिकित्सा से करवाया हो अथवा नहीं करवाया हो), अंत:लिंगीय भिन्नताओं वाले व्यक्ति, समलैंगिक और किन्नर, हिजड़ा, अरावाणी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं [उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 2]*
- *सीवर और सेप्टिक टैंक कामगार (एसएसडब्ल्यू): मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट, 2013 के अनुसार सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे सफाई कर्मचारियों को सीवर और सेप्टिक टैंक कामगार के रूप में पहचाना जाएगा।*
- *विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां: ये सबसे उपेक्षित, लाभवंचित और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं। उनमें से अधिकतर लोग पीढ़ियों से दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं; और अभी भी अनिश्चित और निराशाजनक भविष्य के साथ जीवन जी रहे हैं। विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां किसी कारण से हमारे विकासात्मक ढांचे में शामिल होने से रह गईं और इस तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उलट मदद नहीं पा सकीं।*
- *"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" (ईडब्ल्यूएस) से अभिप्राय ऐसे वर्गों से है जो पारिवारिक आय और आर्थिक रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों के अन्य सूचकों के आधार पर समय-समय पर राज्य द्वारा अधिसूचित किए जाएं। (अनुच्छेद 15(6), भारत का संविधान) इस प्रयोजन के लिए, वह व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है और जिसके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम है, उसे आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में अभिचिह्नित किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए परिवार में उस व्यक्ति को शामिल किया जाएगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे। आय में सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से प्राप्त आय शामिल की जाएगी और यह आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की आय होगी। इसके अतिरिक्त, वह व्यक्ति जिसका परिवार निम्नलिखित में से कोई एक परिसम्पत्ति का स्वामी हो, उसे ईडब्ल्यूएस के रूप में अभिचिह्नित किए जाने से वर्जित किया जाएगा:-*

  i. 5 एकड़ और इससे अधिक की कृषि योग्य भूमि;
  ii. 1000 वर्ग फुट एवं इससे अधिक का रिहायशी फ्लैट;
  iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 गज एवं इससे अधिक का रिहायशी प्लॉट।
  iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं से इतर क्षेत्रों में 200 गज एवं इससे अधिक का रिहायशी प्लॉट।

1.3 नीतियां और कार्यक्रम

यह विभाग अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रयासरत है जिसमें लक्षित समूहों के सदस्यों की प्रगति एवं विकास के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की जाती है। कुछ लक्षित समूहों की अनुमानित जनसंख्या का विवरण बॉक्स 1.2 में देखा जा सकता है।

विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

i. अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी), तथा विमुक्त और घुमंतू जनजातियां (डीएनटी) का शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण;

ii. वरिष्ठ नागरिकों की उनके भरण-पोषण, कल्याण, सुरक्षा, हेल्थकेयर, और उत्पादक एवं स्वावलंबी जीवनयापन में सहायता;

iii. मद्यपान तथा नशीले पदार्थो (ड्रग्स) के दुरुपयोग की रोकथाम और उपचार;

iv. भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों, ट्रांसजेंडरों आदि जैसे लाभवंचित व्यक्तियों का पुनर्वास।

बॉक्स 1.2

(मुख्य लक्षित समूहों की जनसंख्या)

मुख्य लक्षित समूहों की जनसंख्या (अधिकांशत: जनगणना 2011 के अनुसार) नीचे दी गई है:

अनुसूचित जातियां : 20.14 करोड़ (16.6%) जनगणना 2011 के अनुसार

अन्य पिछड़े वर्ग:

वर्ष 1931 से जातिगत जनगणना नहीं की गई है। मण्डल आयोग ने अनुमान लगाया था कि अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 52% जबकि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) (2009-10) ने 66वें दौर में अनुमान लगाया था कि अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 41.7% है।

वरिष्ठ नागरिक : 10.38 करोड़ (8.57%)

नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के पीड़ित व्यक्ति : नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के विस्तार एवं पैटर्न पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 6.50 करोड़ व्यक्ति नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के शिकार हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति : 4,87,803 (2011 के दौरान 'अन्य' की जनसंख्या)

विभाग के संदर्भ में कार्य नियमों का आवंटन संलग्नक-2 पर दिया गया है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

श्री रामदास आठवले
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री बी.एल. वर्मा
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

1.4 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की संगठनात्मक संरचना:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का संगठनात्मक चार्ट 'विषय-सूची' पृष्ठ के बाद देखा जा सकता है।

1.5 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्य

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अपने उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विधान, नीतियों और दिशा-निर्देशों को तैयार करने/उन्हें अद्यतन करने का कार्य करता है। यह विभाग विभिन्न मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है जिनमें (i) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, (ii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, (iii) माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007, (iv) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 और (v) उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 शामिल हैं। विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999 का भी संचालन किया जाता है।

1.6 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए सुसंगत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

संविधान के भाग-IV में कतिपय "राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत" निर्धारित किए हैं जो यद्यपि किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी "देश के शासन के लिए आवश्यक हैं" और यह राज्य का कर्तव्य होगा “कि वह कानून बनाने में उन्हें लागू करें”। (बाक्स 1.3)

बॉक्स 1.3

(राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत)

संविधान के भाग-IV के अनुच्छेद 38, 41, 46 और 47 ("राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत") सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्य के लिए विशेष रूप से सुसंगत हैं और नीचे उन्हें उद्घृत किया गया है:

अनुच्छेद 38: राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

“राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित कर, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।”

“राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के मध्य बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।”

अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

“राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।"

अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि

"राज्य, जनता के कमजोर वर्गों के विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।"

अनुच्छेद *47:* पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य

“राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर

1.7 अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक उपबंध

i. संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है, और "अस्पृश्यता" से उत्पन्न होने वाली कोई भी निर्योग्यता कानून के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित करता है।

ii. अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के गठन का उपबंध किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया है कि आयोग संविधान, कतिपय विधि, अथवा सरकार के आदेश में "अनुसूचित जातियों" के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण तथा अनुवीक्षण करेगा और "ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करेगा"। इसके अतिरिक्त, इस अनुच्छेद के खण्ड (9) के अनुसार "अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर संघ तथा प्रत्येक राज्य सरकार आयोग से परामर्श करेगी"।

iii. अनुच्छेद 338 ("राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग") के प्रयोजन के लिए, "अनुसूचित जातियों के संदर्भ में यह माना जाएगा कि इसमें आंग्ल-भारतीय समुदाय भी शामिल हैं।"

iv. संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न निकायों के चुनावों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है:

अनुच्छेद	विषय
330	लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण
332	राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण
243घ	पंचायतों में सीटों का आरक्षण
243ण	नगरपालिकाओं में सीटों का आरक्षण

v. अनुच्छेद 338ख में, अन्य बातों के साथ-साथ, "संविधान के तहत अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी कानून के तहत अथवा सरकार के किसी आदेश के तहत सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करने और उनका अनुवीक्षण करने तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए" राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का गठन करने का उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस अनुच्छेद के खंड (9) के अनुसार, "संघ तथा प्रत्येक राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगी"।

vi. संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करने से संबंधित है। इस प्रकार नियुक्त आयोग उसे भेजे गए सभी मामलों की जांच करेगा और पाए गए तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा तथा उन्हें सुविचारित सिफारिशें करेगा।

vii. अनुच्छेद 15 और 16 शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में और सार्वजनिक रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को भी संभव बनाता है।

viii. संविधान का अनुच्छेद 15(6) और 16(6) केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में, और सार्वजनिक

रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को संभव करता है।

ix. अनुच्छेद 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और लोक सहायता पाने के अधिकार" का उपबंध किया गया है।

x. अनुच्छेद 47 में यह उपबंध किया गया है कि यह "राज्य का कर्तव्य होगा कि वह पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करे और, अन्य बातों के साथ साथ, स्वास्थ्य के लिए हानिकर मादक पदार्थों के उपभोग पर अंकुश लगाए।

xi. अनुच्छेद 342क में राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की अधिसूचना का उपबंध किया गया है और ऐसी सूची में से जातियों, समुदायों को सम्मिलित करने अथवा अपवर्जित करने की प्रक्रिया विहित की गई है।

xii. अनुच्छेद 366(26ग) में कहा गया है कि ‘’सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों” से अभिप्राय ऐसे पिछड़े वर्गों से है जिन्हें केन्द्र सरकार अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342क के अंतर्गत समझा गया है।

1.8 संविधान की सातवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में प्रविष्टियों के संबंध में विभाग को आवंटित विषय

संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां समाविष्ट हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों में विषयों की अनुसूचियां (यद्यपि सम्पूर्ण नहीं) समाविष्ट हैं जिनके बारे में शक्तियां और उत्तरदायित्व और संबंधित राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं को न्यागत की जा सकती हैं। तीनों अनुसूचियों में निम्नलिखित प्रविष्टियां, जो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षः सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से जुड़ी हैं, बाक्स 1.4 में देखी जा सकती हैः

बाक्स *1.4*

सूची I - संघ सूची	सूची II - राज्य सूची	सूची III - समवर्ती सूची	गरीबी उपशमन कार्यक्रम
सातवीं अनुसूची (*संदर्भः अनुच्छेद* 246)			
59. अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय *97. कोई अन्य विषय जो सूची II या सूची III में प्रगणित नहीं है, और जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कर शामिल है जो उन*	6. *लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय* 8. *मादक लिकर अर्थात् लिकर का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और विक्रय* 9. *निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों*	15. *आहिंडन (आवारगर्द); घुमन्तू और प्रवासी जनजातियां।* 19. *ड्रग्स और जहर, अफीम के संबंध में सूची-I की प्रविष्टि 59 के प्रावधानों के अधीन। 20. आर्थिक और*	*ग्यारहवीं अनुसूची* (*संदर्भः अनुच्छेद* 243छ) 17.*शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।* 18. *तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा* 19. *प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा* 23. *स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं।* 24. *परिवार कल्याण* 25. *महिला और बाल विकास*

सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं है।	*की सहायता*	*सामाजिक आयोजन।* 23. *सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; रोजगार और बेरोजगारी*	26. *समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत दिव्यांग एवं मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।* 27. *दुर्बल वर्गों का और विशेष रूप से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण* *बारहवीं अनुसूची (संदर्भः अनुच्छेद 243ब)* 3. *आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु योजना* 6. *लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन* 9. *समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा* 10. *मलिन बस्ती में सुधार और प्रोन्नयन* 11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन

1.9 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत एजेंसियां

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत दो सांविधिक राष्ट्रीय आयोग, एक गैर-सांविधिक आयोग, एक विकास बोर्ड, दो फाउंडेशन और तीन वित्त और विकास निगम और एक संस्थान है। जो नीचे दिए गए हैं:

आयोग:

I. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
II. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
III. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग
IV. विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी)

प्रतिष्ठान:

I. डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
II. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान

निगम:

I. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)
II. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)
III. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

संस्थान:

I. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी)

*****

प्रमुख आयोजन
2025 - 26

वर्ष 2025-26 की मुख्य विशेषताएं

- माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने समाज कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन करने और नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कार्यनीति बनाने के लिए 7-8 अप्रैल, 2025 को देहरादून में द्वि-दिवसीय चिंतन शिविर (राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन) का उद्घाटन किया।
- 14 अप्रैल 2025 को संसद भवन के प्रांगण डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की जयंती का उत्सव आयोजित किया गया।
- 14 अप्रैल, 2025 को माननीय न्यायमूर्ति बी.आर. गवई द्वारा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जयंती स्मृति व्याख्यान दिया गया।
- एनएसएफडीसी ने 14.04.2025 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर संसद मार्ग पर आवंटित स्टॉल पर लक्षित/लाभवंचित समूह के कल्याण के लिए अपनी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री बी.एल. वर्मा की अध्यक्षता में 29.04.2025 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में डीएपीएससी के तहत निधि आवंटित करने वाले दायित्व-प्राप्त मंत्रालयों/विभागों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
- भारत के माननीय राष्ट्रपति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और ब्रह्माकुमारी संगठन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद, 02.05.2025 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित "एजिंग विद डिग्निटी" नामक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया और पांच वरिष्ठ नागरिक गृहों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।
- माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने 05.05.2025 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में और 16.05.2025 को बरेली में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने के निमित्त 'नमस्ते योजना' पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
- माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता और माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम की सह-अध्यक्षता में दिनांक 23.05.2025 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अस्पृश्यता और अत्याचारों के अपराधों पर अंकुश लगाने के तौर-तरीकों को तैयार करने और पीसीआर अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कारगर समन्वय के निमित्त गठित समिति की 28वीं बैठक डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- विभाग और इसके सभी प्रतिभागी संगठनों/संस्थानों द्वारा 21.06.2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग सत्र में भाग लिया।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 26 जून, 2025 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 11 जुलाई, 2025 को इंदौर, मध्य प्रदेश में "भिक्षावृति में लिप्त लोगों के व्यापक पुनर्वास" के लिए स्माइल उप-योजना पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला और हितधारक विमर्श का आयोजन किया।

- सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन को सशक्त करने की पहल में; सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने एनएएलएसएआर, हैदराबाद के साथ सहयोग किया। एनएएलएसएआर, हैदराबाद में 12 जुलाई 2025 को हैंडबुक और पुस्तिका का विमोचन किया गया।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और कार्यान्वयन एजेंसियों के सामने पेश आ रहे मुद्दों/चुनौतियों पर चर्चा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को साझा करने के उद्देश्य से डीएआईसी में सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में 28 और 29 अगस्त, 2025 को द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
- माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया और छतरपुर, मध्य प्रदेश के सीवर सेप्टिक टैंक श्रमिकों को 17 पीपीई किट वितरित किए।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देकर और उन्हें सशक्त बनाकर एक दीर्घस्थायी और समावेशी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए श्रम दिवस के अवसर पर एक समझौता पत्र (एलओए) पर हस्ताक्षर करके यूएनडीपी के साथ भागीदारी की।
- आईआईटी, दिल्ली में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में वित्त पर क्षमता निर्माण कार्यशाला में 200 प्रतिभागियों को प्रस्तुति दी गई।
- दिनांक 02.09.2025 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (डीएएफ) के अध्यक्ष और माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा पुरस्कार वितरित किया गया।
- विभाग ने 23.09.2025 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (आईडीओपी) समारोह के तहत दो कार्यक्रम आयोजित किए: वृद्ध मित्र टूलकिट के विमोचन के लिए "सहज"; और "श्रृंखला - हम": अनुभव और उत्साह का संगम।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और उसके प्रतिभागी संगठनों/संस्थानों द्वारा 14.09.2025 से 30.09.2025 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।
- 1 अक्टूबर 2025 को, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को नीति, सेवा प्रदायगी और सामुदायिक जुड़ाव के राष्ट्रीय अभिसरण के रूप में मनाया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने एल्डरलाइन 14567 का विस्तार करने के लिए मैसर्स टीसीआईएल के साथ और ग्रैंडपेरेंट्स-पैरेंट-टीचर बैठकों के माध्यम से अंतर-पीढ़ीगत बंधन को मजबूत करने के लिए बिड़ला ओपन माइंड्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किए।
- व्यापक राष्ट्रीय वयोश्री योजना शिविरों में 15 स्थानों पर 15,356 वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, पांच वरिष्ठ नागरिक गृहों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया, और विभाग ने वृद्धजनों के लिए सम्मान, देखभाल, और गरिमा को पुख्ता करने के लिए नैतिक पाटम, ग्रैंड पैरेंट्स टीचर्स मीटिंग (जीपीटीएम) क्यूआर कोड और दो ब्रह्माकुमारी गीतों का शुभारंभ किया।
- विभाग और इसके प्रतिभागी संगठनों/संस्थानों द्वारा 17.09.2025 से 02.10.2025 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान "श्रमदान" (स्वैच्छिक श्रम) के माध्यम से नागरिकों

को जोड़ता है और इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में स्वच्छता को आत्मसात करते हुए "कचरा मुक्त भारत" का निर्माण करना है।

- भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए नैतिक मानकों, पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा शपथ दिलाकर विभाग और इसके प्रतिभागी संगठनों/संस्थानों में 27.10.2025 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।
- एकता दिवस, या राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्षय में मनाया जाता है, जिन्होंने आजादी के बाद भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 17.11.2025 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों, इन अधिकारों को सुविधाजनक बनाने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों, और उनके प्रवर्तन में समाज की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007 पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (आईडीओपी)-2025 के तहत सक्रिय वृद्धावस्था और अंतर-पीढ़ीगत बंधन को सुदृढ़ करने के लिए 28.11.2025 को डीएआईसी, नई दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम, "आराधना" का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय वायु सेना बैंड और पद्म श्री सुश्री गीता चंद्रन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, बुद्धिमत्ता और सक्रिय भागीदारी का जश्न मनाते हुए प्रदर्शन किया गया।
- एनएसएफडीसी ने 14.11.2025 से 27.11.2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2025 में भाग लिया, जिसमें एनएसएफडीसी से सहायता प्राप्त 25 लाभार्थियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए स्टॉल उपलब्ध कराए गए।
- माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने 18 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के पांचवें गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अमृतसर के कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के छात्रों, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कर्मियों, स्वयं सहायता समूहों, आध्यात्मिक संगठनों, युवा क्लबों और गैर सरकारी संगठनों सहित 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,10,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों के साथ देशभर में 6.3 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष और वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लिया।
- 6 दिसंबर, 2025 को संसद भवन के प्रांगण में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया।

प्रमुख कार्यक्रम 2025-26

1. चिंतन शिविर (राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन)

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने समाज कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन करने और नए वित्तीय वर्ष के लिए कार्यनीति बनाने के लिए देहरादून, उत्तराखंड में 7 और 8 अप्रैल 2025 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ द्वि-दिवसीय चिंतन शिविर (राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक) का उद्घाटन किया। इस शिविर ने केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत करने, लाभवंचित समुदायों के प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने और राष्ट्रव्यापी दोहराव के लिए सफल मॉडल की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चर्चा में विशेष रूप से निधियों के उपयोग, लंबित उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) और एसएनए संतुलन का निराकरण करते हुए वित्तीय योजना और संसाधन आवंटन को प्राथमिकता दी गई। संवाद को बढ़ावा देकर और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके, बैठक ने प्रशासनिक बाधाओं और तकनीकी चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान किया और अंततः देश भर में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के लिए एक सशक्त ढांचे को सुदृढ़ किया। चिंतन शिविर के निम्नलिखित उद्देश्य थे:-

- सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण में आने वाली बाधाओं को दूर करके एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के मंत्रालय के मिशन को आगे बढ़ाना। विचार-विमर्श में उपेक्षित समूहों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, कौशल-निर्माण को बढ़ावा देने और जीविका के दीर्घस्थायी अवसर उत्पन्न करने की कार्यनीतियों पर जोर दिया गया। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, स्वच्छता कर्मचारियों और बेघर या भीख मांगने वाले समुदायों की गरिमा, पुनर्वास और समावेशन सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

2. राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन

विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और कार्यान्वयन एजेंसियों को पेश आ रहे मुद्दों/चुनौतियों पर चर्चा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को साझा करने के उद्देश्य से डीएआईसी में सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता की अध्यक्षता में 28 और 29 अगस्त, 2025 को द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

3. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अस्पृश्यता और अत्याचारों के अपराधों पर अंकुश लगाने के तौर-तरीकों को तैयार करने और पीसीआर अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 के कारगर कार्यान्वयन हेतु प्रभावी समन्वय के लिए गठित समिति की 28वीं बैठक 23.05.2025 को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता और माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रीद्वय, श्री जुएल ओराम की सह-अध्यक्षता में आयोजित की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले और श्री बी.एल. वर्मा और जनजातीय कार्य राज्य मंत्रीद्वय, श्री बी.एल. दुर्गादास उइके ने भी बैठक में भाग लिया। गैर-सरकारी सदस्यों, अन्य मंत्रालयों के सदस्यों/प्रतिनिधियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास/कल्याण विभाग और गृह विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित समिति के सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन को सशक्त करने की पहल में एनएएलएसएआर, हैदराबाद के साथ सहयोग किया है। यह पहल अनन्य विशेष न्यायालयों (ईएससी) और विशेष पुलिस स्टेशनों (एसपीएस) की क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। सहयोग के भाग के रूप में, एनएएलएसएआर ने प्रवर्तन और कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए एक मॉडल प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है ताकि इन अधिनियमों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाई जा सके। हैंडबुक और पुस्तिका का विमोचन 12 जुलाई 2025 को एनएएलएसएआर, हैदराबाद में किया गया।

4. राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 7.8.2025 को "राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए कार्य योजना" (नमस्ते) विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए संसद की परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

- माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने पीपीई किट वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया और छतरपुर, मध्य प्रदेश में सीवर सेप्टिक टैंक श्रमिकों को 17 पीपीई किट वितरित किए।
- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री बी.एल. वर्मा ने नमस्ते दिवस पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में एसएसडब्ल्यू और कचरा बीनने वालों को पीपीई किट, आयुष्मान कार्ड वितरित किए, कचरा बीनने वालों के लिए हेल्पलाइन (14473) और एसएसडब्ल्यू के पेशागत सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक एआर/वीआर प्रशिक्षण मॉड्यूल लांच किया और 05.05.2025 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए नमस्ते योजना पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की।
- 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देकर और उन्हें सशक्त बना कर एक दीर्घस्थायी और समावेशी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करके यूएनडीपी के साथ भागीदारी की।

5. अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड, जिसमें अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन मिशन और पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड शामिल हैं

2025 में विपणन प्रयास			
क्र.सं.	**कार्यक्रम/संस्था**	**विवरण**	**तिथि**
1	वेबिनार/अभिमुखीकरण कार्यक्रम	असीम लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीट (बैठक)	28.01.2025
		• नेशनल एससी एसटी हब (एनएसएसएच, एनएसआईसी) - आगरा	08.05.2025
		• ग्रामीण विकास संगठन ट्रस्ट	09.05.2025
		• विज्ञापन के प्रकाशन के बाद इच्छुकता दर्शाने वाले संभावित उद्यमियों के साथ वेबिनार	16.09.2025

		• छात्रों, शोधकर्ताओं और संभावित उद्यमियों के साथ @ आईआईटी दिल्ली में वेबिनार	22.08.2025

कॉन्क्लेव/वेंडर विकास कार्यक्रम/कार्यशालाएं

क्र.सं.	कार्यक्रम/संस्था	विवरण	तिथि
1	स्टार्टअप महा कुंभ	अप्रैल 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ *में* सक्रिय भागीदारी, जिसके परिणामस्वरूप वीसीएफ-बीसी के तहत 1 आवेदन और वीसीएफ-एसटी के तहत 1 आवेदन प्राप्त हुए	अप्रैल 2025
2	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	डीआईएसी, नालंदा हॉल में जागरूकता कार्यक्रम	24.03.2025
3	सीआईआई	विक्रेता को शामिल करने पर कार्यशाला	06.06.2025
4	वेंडर विकास कार्यक्रम	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) में	07.03.2025
5	त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी)	जनजातीय रोजगार जागरूकता कार्यक्रम- अगरतला, त्रिपुरा (वीसीएफएसटी)	14.06.2025
6	चैंबर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ आगरा (सीएफपीआईए)	फूड एक्सपो और कॉन्क्लेव 2025 - आगरा	22.06.202524. 06.2025
7	नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन	नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन टीबीआई - मुख्य वैज्ञानिक श्री विपिन कुमार के साथ बैठक, समझौता ज्ञापन की संभावना तलाशी गई (ब्रोशर परिचालित)	20.06.2025
8	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया	आईसीएआई एमएसएमई और स्टार्टअप महोत्सव 2025 (स्टॉल लगाया गया)	27.06.2025
9	चैंबर फॉर इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड हेल्थ	**महा वर्ल्ड एक्सपो 2025**	11.08.2025-13.08.2025
10	आईआईटी दिल्ली-क्षमता निर्माण कार्यक्रम	वहनीय वित्त पर क्षमता निर्माण कार्यशाला में 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।	22.08.2025
11	स्टार्टअप टीएन	वैश्विक स्टार्टअप **समिट** कोयंबटूर	9.10.2025-10.10.2025
12	जनजातीय व्यापार सम्मेलन	फिक्की के सहयोग से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित	12.11.2025

13	एचआर प्रौद्योगिकी संस्थान (एचआरआईटी विश्वविद्यालय)	24 से 26 नवंबर, 2025 तक "राइज इन इंडिया" मेगा इवेंट	24.11.2025-26.11.2025
14	जनजातीय व्यापार सम्मेलन	फिक्की के सहयोग से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित	12.11.2025

6. अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 02.05.2025 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 'एजिंग विद डिग्निटी - इनिशिएटिव फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन' कार्यक्रम में भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल का शुभारंभ, वरिष्ठ नागरिक गृहों का वर्चुअल उद्घाटन, जीवन सहायक उपकरणों और साधनों का वितरण और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और ब्रह्माकुमारी संगठन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

- 1 अक्टूबर 2025 को, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस नीति, सेवा प्रदायगी और सामुदायिक जुड़ाव के राष्ट्रीय अभिसरण के रूप में मनाया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने एल्डरलाइन 14567 को बढ़ावा देने के लिए मैसर्स टीसीआईएल के साथ और ग्रैंडपेरेंट-पैरेंट-टीचर मीटिंग के माध्यम से पीढ़ीगत बंधन को बढ़ावा देने के लिए मैसर्स बिड़ला ओपन माइंड्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। राष्ट्रीय वयोश्री योजना शिविरों में 15 स्थानों पर 15,356 वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, पांच वरिष्ठ नागरिक गृहों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया और विभाग ने वृद्धजनों के लिए सम्मान, देखभाल और गरिमा को बढ़ावा देने के लिए नैतिक पाटम, जीपीटीएम क्यूआर कोड और दो ब्रह्मकुमारी गीत लॉन्च किए।

- विभाग ने 23.09.2025 को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (आईडीओपी) समारोह के तहत दो कार्यक्रम आयोजित किए: वृद्ध मित्र टूलकिट के विमोचन के लिए **"सहज"** और टॉक सीरीज का दूसरा संस्करण **"श्रृंखला - हम: अनुभव और उत्साह का संगम",** स्कूल द्वारा तैयार किए गए वृद्ध मित्र टूलकिट को सामुदायिक जुड़ाव को पुख्ता करने और नीति को जमीनी स्तर की कार्रवाई के साथ जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया था। 2024 में शुरू की गई "श्रृंखला" सीरीज 2025 में वृद्धजन कल्याण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के प्रेरक सामुदायिक मॉडल और अनुभवों को प्रदर्शित करके जारी रही।
- **अब तक,** सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राज्य सरकारों और भागीदार संगठनों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (आईडीओपी) 2025 समारोह के भाग के रूप में देश भर में प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जबलपुर (मध्य प्रदेश), बदायूं (उत्तर प्रदेश), माउंट आबू (राजस्थान) और बेंगलुरु (कर्नाटक), राजगढ़ (मध्य प्रदेश) और छतरपुर (मध्य प्रदेश) में कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के सहयोग से 17.11.2025 को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007 पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया। सत्र का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों, इन अधिकारों को सुविधाजनक बनाने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके प्रवर्तन में समाज की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (आईडीओपी)-2025 के तहत सक्रिय वृद्धावस्था और अंतर-पीढ़ीगत बंधन को बढ़ावा देने के लिए 28.11.2025 को डीएआईसी, नई दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम "आराधना" का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय वायु सेना बैंड और पद्म श्री सुश्री गीता चंद्रन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, बुद्धिमत्ता और सक्रिय भागीदारी का जश्न मनाते हुए प्रदर्शन किया गया।

7. नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)

नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए), नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने वाले दुनिया के सबसे बड़े समाज-प्रेरित आंदोलनों में से एक है, ने 18.11.2025 को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में एक भव्य राष्ट्रीय स्तर के उत्सव के साथ पांच सफल वर्ष पूरे किए। इस कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के छात्रों, बीएसएफ कर्मियों, स्वयं सहायता समूहों, आध्यात्मिक संगठनों, युवा क्लबों और गैर-सरकारी संगठनों सहित 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया और माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार उपस्थित थे। माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार ने समारोह में 10,000 से अधिक प्रतिभागियों को शपथ दिलाई। एनएमबीए को और सशक्त करने के लिए पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने समारोह में चार नई डिजिटल पहल का शुभारंभ किया। इसमें तीन पोर्टल और एक ऐप लॉन्च करना शामिल था।

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी का एक विशेष संदेश पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने सभी हितधारकों को बधाई दी और इस बात पर जोर दिया कि सामूहिक संकल्प, सतत सामाजिक प्रयासों और प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ही भारत को नशा मुक्त बनाया जा सकता है।

इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने वर्चुअल रूप से भाग लिया और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तेलंगाना के मंत्रियों ने नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रमों में भाग लिया।

8. आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल): उप-योजना 'भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास'

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 11 जुलाई 2025 को इंदौर, मध्य प्रदेश में "भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास" के लिए स्माइल उप-योजना पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला और हितधारक विमर्श का आयोजन किया। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, द्वारका और नई दिल्ली के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव, श्री अमित यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में नोडल अधिकारियों, राज्य के अधिकारियों, कार्यान्वयन एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और पुनर्वास लाभार्थियों सहित लगभग 170 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

9. अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री बी.एल. वर्मा की अध्यक्षता में 29.04.2025 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में डीएपीएससी के तहत निधियां आवंटित करने वाले दायित्व-प्राप्त मंत्रालयों/विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

10. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

1. संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भारत रत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 14 अप्रैल 2025 (सोमवार) को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में "भारत के संविधान के 75 वर्ष" विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।

2. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और संसदीय कार्य और कानून एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मंच पर उपस्थित अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों में आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना, आयोग के सदस्य श्री लव कुश कुमार और श्री वड्डेपल्ली रामचंदर शामिल थे।

11. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके)

1. **योग दिवस:** आयोग द्वारा 21.06.2025 को योग दिवस मनाया गया, जिसमें आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोधी गार्डन, नई दिल्ली में आयोजित एक योग सत्र में भाग लिया।

2. **हर घर तिरंगा: आजादी का अमृत महोत्सव** के तहत हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था ताकि भारत के लोगों को राष्ट्र के साथ गहरे, अधिक वैयक्तिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 14.08.2025 को, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने लोक नायक भवन की परिधि के चारों ओर राष्ट्रीय ध्वज लेकर मार्च निकालकर हर घर तिरंगा महोत्सव मनाया।

3. **हिंदी पखवाड़ा और कार्यशाला:** आयोग में 14.09.2025 से 30.09.2025 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। एनसीएसके के अधिकारियों/कर्मचारियों ने विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कार जीते। दिनांक 29.09.2025 को श्री राहुल कश्यप, सचिव (एनसीएसके) ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए। एनसीएसके द्वारा 29.09.2025 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। एनसीएसके के सचिव, और भारतीय इस्पात प्राधिकरण के मुख्य अतिथि श्री अनिल कुमार सिंह ने दैनिक जीवन में एक भाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला।

4. **स्वच्छता ही सेवा अभियान**: आयोग द्वारा 17.09.2025 से 02.10.2025 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया गया। 17.09.2025 को सचिव, एनसीएसके ने आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने की शपथ दिलाई। यह अभियान "श्रमदान" (स्वैच्छिक श्रम) के माध्यम से नागरिकों को जागरूक करता है और इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में स्वच्छता को एकीकृत करते हुए "भारत को कचरा मुक्त बनाकर" स्वच्छ करना है। 25.09.2025 को आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपने शारीरिक श्रम का योगदान किया और लोक नायक भवन, नई दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की सफाई की।

5. **सफाई मित्र सुरक्षा शिविर**: 30.09.2025 को लोक नायक भवन के प्रांगण में एनसीएसके द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान योग्य डॉक्टरों द्वारा सफाई मित्रों और आम लोगों की बुनियादी मेडिकल जांच की गई।

6. **सतर्कता जागरूकता सप्ताह**: 27.10.2025 को सचिव, एनसीएसके ने आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। सतर्कता की शपथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए नैतिक मानकों, पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने की प्रतिबद्धता है।

7. **सतर्कता पर सम्मेलन**: 30.10.2025 को एनसीएसके द्वारा श्री राहुल कश्यप, सचिव, एनसीएसके और श्री एम.के. शर्मा, भारत सरकार के पूर्व अधिकारी की अध्यक्षता में सतर्कता पर एक सम्मेलन-सह-व्याख्यान का आयोजन किया गया था। एनसीएसके के सचिव ने सभी हितधारकों के बीच सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सतर्कता के महत्व को समझाया।
8. **एकता दिवस शपथ:** एकता दिवस, या राष्ट्रीय एकता दिवस, हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 31.10.2025 को सचिव, एनसीएसके ने आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस शपथ में सामूहिक शक्ति के महत्व और सद्भाव और भाईचारे के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया।

12. विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) - विमुक्त, घुमंतू ओर अर्ध-घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की स्कीम (सीड)

मध्य प्रदेश का दौरा: 21 फरवरी 2025 को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश के उज्जैन और आगर-मालवा जिलों का दौरा किया, जहां स्थानीय समुदायों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संवाद करने के लिए एक पारंपरिक *चौपाल बैठक* का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान, लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और दस्तावेज वितरित किए गए, जबकि माननीय मंत्री लोगों की शिकायतों और सुझावों को सुनते हुए खुले संवाद में लगे रहे। इस पहल ने जमीनी स्तर तक पहुंच को नीति-स्तरीय पहल से जोड़ते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण को उजागर किया, जिसका उद्देश्य उपेक्षित समूहों को सशक्त बनाना और सरकारी कल्याणकारी उपायों में उनके विश्वास को बढ़ाना है। सभा में सक्रियतापूर्वक विमर्श हुआ, जहां समाज के लोगों ने अपनी चिंताओं को साझा किया और सीड योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के अपने अनुभवों को साझा किया, इस बात पर जोर दिया कि इन लाभों ने उनकी जीविका और सामाजिक-आर्थिक कल्याण को कैसे सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

महाराष्ट्र की यात्रा (8 मई, 2025): माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के खुल्दाबाद तालुका के तिसगांव टांडा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने सीड कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिलाएं शामिल थीं जो सीड आजीविका घटक के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सदस्य थीं। मंत्री ने सीड फ्री कोचिंग पहल में नामांकित छात्र लाभार्थियों से भी मुलाकात की। बातचीत के दौरान, एसएचजी सदस्यों ने मसालों और सजावटी वस्तुओं सहित उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का प्रदर्शन किया और अपनी आजीविका के अवसरों और आय सृजन को बढ़ाने के लिए इन उत्पादों को स्थानीय बाजार में विस्तारित करने की अपनी आकांक्षाओं को साझा किया।

गुजरात की यात्रा (9 मई, 2025): माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने गुजरात के साबरकांठा जिले के टाउन-वडाली में मदारी कॉलोनी का दौरा किया, जहां उन्होंने सीड कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। बातचीत मुख्य रूप से उन महिलाओं पर केंद्रित थी जो सीड आजीविका घटक के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सदस्य थीं, साथ ही साथ सीड मुफ्त कोचिंग पहल से लाभान्वित होने वाले छात्र भी थे। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, स्थानीय कौशल और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मिट्टी के बर्तन, मूर्ति (मूर्ति) बनाना, तोरण (सजावटी हैंगिंग), क्रिस्टल आइटम और पारंपरिक गुजराती परिधान (पोशक) शामिल हैं। इस अवसर पर एसएचजी के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि दोनों पर प्रकाश डाला गया, साथ ही शिक्षा और आजीविका का समर्थन करने में सीड की भूमिका पर भी जोर दिया गया।

13. डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

- डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) की स्थापना 24 मार्च 1992 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की गई थी। फाउंडेशन का प्राथमिक उद्देश्य जनता के बीच डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा और दर्शन को बढ़ावा देना है। 14 अप्रैल को जयंती के रूप में मनाया जाता है और 6 दिसंबर को संसद भवन प्रांगण में डॉ. अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है।

- डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार समारोह 02.09.2025 को आयोजित किया गया। पुरस्कार डीएएफ के अध्यक्ष और माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा वितरित किया गया।

14. डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र/डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक

- न्यायमूर्ति बी.आर. गवई द्वारा डॉ. अम्बेडकर जयंती स्मृति व्याख्यान 14 अप्रैल, 2025
- गार्गी कॉलेज में डॉ. अम्बेडकर के जीवन, कार्य और दर्शन पर निदेशक का व्याख्यान, 22 अप्रैल, 2025
- 28 अप्रैल, 2025 को स्वदेशी ज्ञान अभियान पर अम्बेडकर विश्वविद्यालय में निदेशक का व्याख्यान
- वित्तीय समावेशन और बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई) परिदृश्य पर डॉ. कोरिवी का व्याख्यान, 30 मई, 2025
- डॉ. सुधांशु त्रिवेदी और प्रो. शांतिश्री धुलिपुड़ी द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणाली पर पैनल चर्चा, 02 जून, 2025
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून, 2025
- कारगिल विजय दिवस, 26 जून, 2025
- एसएनएस एमसीडब्ल्यूआर यमुना मंथन 2025, 11 जुलाई, 2025
- “चंडालिका” - म्यूजिकल डांस ड्रामा, 11 अगस्त, 2025
- तृतीय अंतर्राष्ट्रीय युवा बौद्ध विद्वान सम्मेलन (आईसीवाईबीएस), 22 अगस्त, 2025
- अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन 25 अगस्त, 2025:
- द इंडियन फ्यूचर्स- नमो भारत संवाद: "भारत का लोकतांत्रिक पुनर्जागरण", 6 सितंबर, 2025
- पुस्तक विमोचन "द वोएज ऑफ इंडियन कॉन्स्टीट्यूशनः आइडियाज, इशूज, इंस्टीट्यूशन्स एंड इम्पैक्ट ", 9 सितंबर, 2025
- "आवर कॉन्स्टीट्यूशन-आवर पराइड; नो यॉर कांस्टीट्यूशन" - श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, 10 सितंबर, 2025
- डब्ल्यूआईएफ पैनल डिश्कशन ऑन जीयोपोलिटीकल चर्निंग, टेक्नोलोजिकल डिसरपशन एंड मॉडर्न वॉरफेयर, 16 सितंबर, 2025
- सीएलईए प्रोफेसर (डॉ.) एन. आर. माधव मेनन स्मृति व्याख्यान का उद्घाटन न्यायमूर्ति बी. आर. गवई द्वारा किया गया और इसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी उपस्थित थे, 17 सितंबर, 2025
- विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन पेंटिंग एग्जिबिशन एण्ड यमुना सस्टेनेबिलिटी रन, 17-21 सितंबर, 2025

- नमो भारत संवाद: "एडवांसिंग इंडियाज स्टोरी एब्रोडः द स्ट्रेटिजिक कम्युनिकेशन चैलेंज", 23 सितंबर, 2025
- "आवर कॉन्स्टीट्यूशन-आवर पराइड; नो यॉर कांस्टीट्यूशन" - कालिंदी कॉलेज, 29 सितंबर, 2025
- द इंडियन फ्यूचर्स - नमो भारत संवाद: "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पांच वर्ष", 4 अक्टूबर, 2025
- नमो भारत संवाद: "लीडरशिप इन एन ऐज ऑफ अनसर्टेन्टी" 4 अक्टूबर, 2025
- डब्ल्यूआईएफ सिनौली स्पीक्सः अनअर्थिंग इंडियाज इंडीजिनस सिविलाइजेशन रूट्स बियॉन्ड द आर्यन इनवेशन मिथ, 9 अक्टूबर, 2025
- डीएआईसी टीम ने गंगा सस्टेनेबिलिटी रन में भाग लिया, 8 नवंबर 2025
- नमो भारत संवाद: न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, 15 नवंबर 2025
- "ट्रांसजेंडर: जर्नी अनवील्ड एंड खादी फैशन शो इवेंट पर विशेषज्ञ पैनल चर्चा 3 दिसंबर 2025
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) और हिंदुस्तान अकादमी के साथ मिलकर भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन 15 दिसंबर 2025 किया गया

15. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान

संस्थान वृद्धजनों और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित व्यक्तियों सहित समाज के उपेक्षित वर्गों से संबंधित मुद्दों के प्रति सार्वजनिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है और सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करता है।

इंदौर में हितधारकों का राष्ट्रीय विमर्श: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के सहयोग से नोडल अधिकारियों और कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए स्माइल उप-योजना "भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों का व्यापक पुनर्वास" पर एक दिवसीय कार्यशाला और राष्ट्रीय स्तर के हितधारक विमर्श का आयोजन किया।

- **जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स कोर्स के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों (टीओटी) का पंच दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम:** एनआईएसडी ने एनआईएसडी, नई दिल्ली और बेंगलुरु, कर्नाटक में जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स कोर्स के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) के पंच दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया।
- महाराष्ट्र के नागपुर में तुलजाई ग्रामीण बहुद्देश्यीय स्वयंसेवी संस्था द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ध्यान और आध्यात्मिक शिविर पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- विशेष कार्यक्रम - विश्व अल्जाइमर दिवस - वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोभ्रंश कार्यनीति पर एक दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शदात्री बैठक, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित की गई।
- हेल्पएज इंडिया द्वारा तमिलनाडु और पुडुचेरी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- पुस्तक विमोचन "द वोएज ऑफ इंडियन कॉन्स्टीट्यूशनः आइडियाज, इशूज, इंस्टीट्यूशन्स एंड इम्पैक्ट ", 9 सितंबर, 2025
- डब्ल्यूआईएफ पैनल डिश्कशन ऑन जीयोपोलिटीकल चर्निंग, टेक्नोलोजिकल डिसरपशन एंड मॉडर्न वॉरफेयर, 16 सितंबर, 2025
- सीएलईए प्रोफेसर (डॉ.) एन. आर. माधव मेनन स्मृति व्याख्यान का उद्घाटन न्यायमूर्ति बी. आर. गवई द्वारा किया गया और इसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी उपस्थित थे, 17 सितंबर, 2025
- विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन पेंटिंग एग्जिबिशन एंड यमुना सस्टेनेबिलिटी रन, 17-21 सितंबर, 2025
- द इंडियन फ्यूचर्स - नमो भारत संवाद: "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पांच वर्ष", 04 अक्टूबर, 2025
- "आवर कॉन्स्टीट्यूशन-आवर पराइड; नो यॉर कांस्टीट्यूशन" - कालिंदी कॉलेज, 29 सितंबर, 2025
- नमो भारत संवाद: "लीडरशिप इन एन ऐज ऑफ कांस्टीट्यूशन ", 04 अक्टूबर, 2025
- डब्ल्यूआईएफ सिनौली स्पीक्स: अनअर्थिंग इंडियाज इंडिजिनस सिविलाइजेशन रूट्स बियॉन्ड द आर्यन इनवेशन मिथ - 09 अक्टूबर, 2025।

16. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)

एनएसकेएफडीसी ने विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों/जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

- 14.04.2025 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर, एनएसएफडीसी को संविधान के शिल्पकार को श्रद्धांजलि देने के लिए परिसर में विजिट करने वाले लक्षित समूह के बीच एनएसएफडीसी की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए संसद मार्ग, नई दिल्ली में एक (01) स्टॉल आवंटित किया गया था।
- एनएसएफडीसी ने देहरादून में एनएसएफडीसी सहित मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 7 और 8 अप्रैल 2025 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर/राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।
- एनएसएफडीसी ने 26.06.2025 से 02.07.2025 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित शिल्प समागम मेले में भाग लिया, जिसमें एनएसएफडीसी से सहायता प्राप्त 23 लाभार्थियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए स्टॉल उपलब्ध कराए गए थे।
- एनएसएफडीसी ने 05.09.2025 से 14.09.2025 तक बेंगलुरू, कर्नाटक में आयोजित शिल्प समागम मेले में भाग लिया, जिसमें एनएसएफडीसी से सहायता प्राप्त 30 लाभार्थियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए स्टॉल उपलब्ध कराए गए थे।
- एनएसएफडीसी ने 01.11.2025 से 15.11.2025 तक दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में आयोजित शिल्प समागम मेला में भाग लिया, जिसमें एनएसएफडीसी से सहायता प्राप्त 22 लाभार्थियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए स्टॉल उपलब्ध कराए गए थे।
- एनएसएफडीसी ने 14.11.2025 से 27.11.2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला - 2025 में भाग लिया, जिसमें एनएसएफडीसी से सहायता प्राप्त 25 लाभार्थियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए स्टॉल उपलब्ध कराए गए थे।
- एनएसएफडीसी ने अपने दक्षिण क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र चैनल भागीदारों के लिए 09-10 अक्टूबर, 2025 को बेंगलुरू में और 21 नवंबर 2025 को सोलन, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया ताकि समन्वय बेहतर किया जा सके, योजना कार्यान्वयन को बेहतर किया जा सके और भागीदार संस्थानों के माध्यम से पहुंच में सुधार किया जा सके।

17. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)

- एनएसकेएफडीसी की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के साथ वार्षिक समीक्षा सह योजना बैठक बुधवार, 10 सितंबर 2025 को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर (डीएआईसी), 15 जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- एनएसकेएफडीसी द्वारा राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/प्रबंध निदेशकों के साथ एक दिवसीय वार्षिक समीक्षा-सह-योजना बैठक का आयोजन किया गया था।

- भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव, श्री अमित यादव, आईएएस ने उपरोक्त बैठक की अध्यक्षता की।
- इस बैठक का उद्देश्य एससीए के प्रदर्शन की समीक्षा करना, प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करना और नमस्ते के तहत विभिन्न प्रावधानों सहित एनएसकेएफडीसी की विभिन्न ऋण योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए की जाने वाली नई पहल/हस्तक्षेपों पर विचार-विमर्श करना है।
- इसके अलावा, उपरोक्त बैठक ने एससीए द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी साझा करने के लिए उपयुक्त मंच भी प्रदान किया, ताकि उनके प्रभाव को बढ़ाया जा सके।

18. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

विपणन सहायता: निगम देश के प्रमुख मेलों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करके लक्षित समूह के कारीगरों की मार्केटिंग (विपणन) में सहायता पहुंचा रहा है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, एनबीसीएफडीसी ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया/उनमें भाग लियाः

क्र.सं.	आयोजन का नाम	आयोजन की तिथि
1.	शिल्प समागम मेला, भुवनेश्वर, ओडिशा	26.06.2025 से 02.07.2025
2.	शिल्प समागम मेला बैंगलोर, कर्नाटक	05.09.2025 से 14.09.2025
3.	शिल्प समागम मेला दिल्ली हाट, नई दिल्ली	01.11.2025 से 15.11.2025
4.	शिल्प समागम मेला आईआईटीएफ 2025, नई दिल्ली	14.11.2025 से 27.11.2025 तक

स्वच्छता ही सेवा अभियान, 2025 (17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक):

- **17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025** की अवधि के दौरान, **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) ने "स्वच्छता ही सेवा"** अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस पहल के भाग के रूप में, एनबीसीएफडीसी ने स्वच्छता को बढ़ावा देने और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तख्तियों, बैनरों और अन्य प्रचार सामग्री के प्रदर्शन सहित विभिन्न प्रकार की जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, एनबीसीएफडीसी ने अपने चैनल पार्टनर्स (सीपी) के माध्यम से देशभर में विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया।

- राष्ट्रव्यापी **"स्वच्छता ही सेवा"** अभियान के भाग के रूप में, निगम ने आम जनता के बीच स्वच्छता और सफाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए **साइकिल रैली** का भी आयोजन किया।

19. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान

- बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के संगम ज्ञापन तथा नियमों और विनियमों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम की वार्षिक जयंती समारोह का आयोजन किया जाता है।

- बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ने 5 जून, 2025 को बीजेआरएनएफ कार्यालय 6, कृष्ण मेनन मार्ग, नई दिल्ली-110011 में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया।
- बीजेआरएनएफ ने एनएसकेएफडीसी के साथ संयुक्त रूप से "21 जून, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" का बीजेआरएनएफ कार्यालय 6, कृष्ण मेनन मार्ग, नई दिल्ली-110011 में आयोजन किया।
- बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के संगम ज्ञापन और नियम-विनियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को बाबू जगजीवन राम की वार्षिक पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया जाता है।

- बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ने 14 से 28 सितंबर, 2025 तक बीजेआरएनएफ कार्यालय 6, कृष्ण मेनन मार्ग, नई दिल्ली-110011 में "हिंदी पखवाड़ा" का आयोजन किया।
- बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक बीजेआरएनएफ कार्यालय 6, कृष्ण मेनन मार्ग, नई दिल्ली-110011 में "स्वच्छता ही सेवा अभियान-2025" का आयोजन किया।

20. एफसी/आरटीआई प्रकोष्ठ और सामान्य प्रशासन

1. नागरिक/ग्राहक चार्टर

नागरिक/ग्राहक चार्टर एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें सेवा मानक, उत्तरदायी अधिकारियों के नाम और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय अवधि का विवरण दिया गया है। सेवोत्तम शिकायत प्रणाली के तहत नागरिक/ग्राहक चार्टर आगंतुकों को नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। नागरिक/ग्राहक चार्टर को इस वर्ष संशोधित किया जा रहा है। नागरिक/ग्राहक चार्टर का अद्यतन संस्करण विभाग की वेबसाइट www.socialjustice.gov.in पर उपलब्ध होगा।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

विभाग अक्तूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन कर रहा है। विभाग के पदाधिकारियों के साथ-साथ विभाग के कार्य का विवरण और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के साथ-साथ प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की सूची, उनके विवरण के साथ, विभाग की वेबसाइट 'www.socialjsutice.gov.in' पर उपलब्ध है।

आरटीआई अधिनियम के तहत उपेक्षित सत्रह मैनुअल वेबसाइट पर रखे गए हैं। विभाग में वर्तमान में 24 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) (अवर सचिव के स्तर पर) और 19 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (निदेशक/उप सचिव के स्तर पर) हैं। 1 अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान, 309 आरटीआई आवेदनों और 56 प्रथम अपीलों का प्रत्यक्ष रूप से निपटारा किया गया। इस अवधि के दौरान, आरटीआई-एमआईएस पोर्टल के माध्यम से 2750 आरटीआई आवेदनों और 218 प्रथम अपीलों का ऑनलाइन निपटारा किया गया।

3. **11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) का आयोजन - 2025**

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित प्रमुख कार्यक्रम "योग संगम" 21 जून, 2025 को देश में 1,00,000 से अधिक स्थानों पर प्रातः 6:30 बजे से सुबह 7:45 बजे तक आयोजित किया गया था। विभाग के तहत सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों, आयोगों और निगमों से अनुरोध किया गया था कि वे संबंधित संगठनों के प्रमुखों की देखरेख में अपने-अपने मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) - 2025 में सक्रिय और उत्साही भागीदारी सुनिश्चित करें।

11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में, विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में समग्र स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देशभर में व्यापक और समावेशी योग कार्यक्रम आयोजित किए। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि योग जीवन का एक तरीका है और *वसुधैव कुटुम्बकम* की भावना में, यह मानव कल्याण और वैश्विक सद्भाव का एक साधन है। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री डॉ. रामदास आठवले ने सामाजिक समावेशन में योग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए केरल के कोझिकोड में आयोजित समारोह में भाग लिया। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा ने एलिम्को में 1,000 से अधिक कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं की भागीदारी के साथ एक योग सत्र का नेतृत्व किया। विभाग के मुख्यालय में सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के नेतृत्व में भी योग सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 21.06.2025 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (डीएआईसी) के परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक सत्र भी शामिल था।

4. **राष्ट्रीय खेल दिवस, 2025**

मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को ओलंपिक भावना और उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान के मूल्यों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मंत्रालयों/विभागों, सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों और अन्य संगठनों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस-2025 के तहत फिट इंडिया मिशन का जश्न मनाया, जिसमें देश भर में बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी शामिल थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने सभी हितधारकों को 29.08.2025 को खेल के मैदानों में खेल और फिटनेस गतिविधियों के आयोजन के लिए कम से कम एक घंटा समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया, और यह भी अनुरोध किया कि 29.08.2025 से 31.08.2025 की अवधि के दौरान खेल आयोजनों की एक श्रृंखला भी आयोजित की जाए।

30.08.2025 (शनिवार) को विभाग ने बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन (बीजेआरएनएफ), नई दिल्ली के परिसर में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी के साथ खेल/फिटनेस गतिविधियों (जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन और रस्साकशी) का आयोजन किया।

5. **स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान 2025**

- कैबिनेट सचिवालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के निर्देशों के अनुरूप, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों, आयोगों और निगमों के साथ 17 सितंबर, 2025 से 2 अक्टूबर, 2025 तक स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस)-2025 अभियान शुरू किया था।
- सचिव (एसजेएंडई) द्वारा 12.09.2025 को विभाग और विभाग के तहत निगमों, आयोगों और स्वायत्त निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एसएचएस-2025 अभियान के लिए आवश्यक कार्यों के बारे में जागरूक करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई और अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए गए।
- विभाग ने 17.09.2025 को "महिला इमदाद समिति (एमआईसी)" परिसर में स्वच्छता ही सेवा, 2025 की पहल शुरू की, जिसे स्वच्छता लक्ष्य इकाई (सीटीयू) के रूप में चुना गया था। स्वच्छता ही सेवा-2025 आयोजन के भाग के रूप में सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नेतृत्व में 17.09.2025 को महिला इमदाद समिति परिसर में स्वच्छता शपथ भी दिलाई गई।
- 25 सितंबर, 2025 को प्रातः 08.00 बजे माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री बी. एल. वर्मा और सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के नेतृत्व में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पहाड़गंज, नई दिल्ली के सामने महिला इमदाद समिति (एमआईसी), चेम्सफोर्ड रोड के परिसर में एक विशेष स्वच्छता अभियान "एक दिन, एक घंटा, एक साथ" आयोजित किया गया।
- सचिव (एसजेएंडई) ने स्वच्छता ही सेवा-2025 के तहत स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन और तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 30.09.2025 को शास्त्री भवन में स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सभी कार्यालयों का निरीक्षण भी किया।
- विभाग के संगठनों, स्वायत्त निकायों, निगमों और फील्ड कार्यालयों द्वारा चयनित स्थानों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता गतिविधियों, सफाई मित्रों के स्वास्थ्य और कल्याण और स्वच्छता की हिमायत पर ध्यान केंद्रित करते हुए भांति-भांति की गतिविधियां आयोजित की गईं।

6. **विशेष अभियान 5.0**

विशेष अभियान 5.0 के दो चरण थे - (i) तैयारी का चरण: 15.09.2025 से 30.09.2025 और (ii) कार्यान्वयन चरण: 02.10.2025 से 31.10.2025। इस विभाग ने 01.10.2025 को गेट नंबर 3, शास्त्री भवन में संयुक्त सचिव (प्रशासन) और वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान के साथ विशेष अभियान का शुभारंभ किया।

इस वर्ष, विभाग ने कार्यालय की सफाई, डिजिटल सुधारों और लंबित मामलों के निपटान की दिशा में अपने प्रयासों में उल्लेखनीय रूप से सुधार किया है। विशेष अभियान 5.0 में विभाग के सभी फील्ड कार्यालयों और संबद्ध संगठनों में भागीदारी देखी गई, जिससे लोक सेवा प्रदायगी और प्रशासनिक दक्षता में सुधार हुआ। तैयारी के चरण में निर्धारित सभी लक्ष्य जैसे स्वच्छता स्थल, लोक शिकायतों/लोक शिकायत अपीलों का निपटान, पीएमओ/वीआईपी संदर्भ, प्रत्यक्ष फाइलों/अभिलेखों की समीक्षा और छंटाई, ई-फाइलों की समीक्षा और समापन जैसे लक्ष्य हासिल किए गए। अप्रचलित/अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान के माध्यम से, विभाग ने 91,000 रु. अर्जित किए और लगभग 4500 वर्ग फुट की जगह को मुक्त कराया।

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, सचिव (एसजेएंडई) और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न कमरों/स्थलों का निरीक्षण किया गया और विशेष अभियान 5.0 के तहत विभाग द्वारा की गई गतिविधियों के प्रति संतोष व्यक्त किया।

विभाग ने स्वच्छता, सरकारी कामकाज में दक्षता, और प्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन के प्रति अपनी प्रबल प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए 31 अक्टूबर, 2025 को विशेष अभियान 5.0 का सफलतापूर्वक समापन किया है।

7. **राष्ट्रीय एकता दिवस - 2025: "यूनिटी रन/वॉक" और एकता दिवस शपथ का आयोजन**

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। गृह मंत्रालय ने 31.10.2025 को प्रातः 7:20 बजे से प्रातः 7:55 बजे के बीच मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में "रन फॉर यूनिटी" का आयोजन किया। इस संबंध में गृह मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों को विभाग के तहत सभी निगमों, आयोगों, स्वायत्त निकायों और क्षेत्रीय कार्यालयों में परिचालित किया गया, जिसमें मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में "रन फॉर यूनिटी" कार्यक्रम में स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।

इस विभाग ने 31.10.2025 को पूर्वा. 10:30 बजे डीएआईसी परिसर में यूनिटी रन/वॉक का भी आयोजन किया और उसके बाद, सचिव (एसजेएंडई) द्वारा पूर्वा. 11:00 बजे नए सम्मेलन कक्ष (कमरा संख्या 627-ए, शास्त्री भवन, नई दिल्ली) में एकता दिवस की शपथ दिलाई गई।

8. **राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" के 150 साल पूरे होने का समारोह**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में 7 नवंबर 2025 को भीम हॉल, डीएआईसी, 15 जनपथ, नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित उद्घाटन समारोह के संयोजन में एक स्मारक कार्यक्रम का आयोजन किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दोनों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस कार्यक्रम में "वंदे मातरम" के सामूहिक गायन और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने भी सभा को संबोधित किया, जिसमें राष्ट्रीय गीत के ऐतिहासिक महत्व और स्मरणोत्सव से जुड़ी एकता और देशभक्ति की भावना पर प्रकाश डाला गया।

*****

योजनाएं और संगठन

योजनाएं और संगठन

विभाग का उद्देश्य अपनी विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों तथा सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास संगठनों के माध्यम से समाज के वंचित और लाभवंचित वर्गों अर्थात् अनुसूचित जातियों, अन्य पिछडे वर्गों (ओबीसी), वृद्ध व्यक्तियों एवं शराब और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग आदि से पीडित व्यक्तियों का सशक्तिकरण करना है और इस प्रकार उन्हें उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाना है। उनकी सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है तथा उनकी वृद्धि और विकास के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। इन उद्देश्यों को निम्नलिखित माध्यमों से पूरा किया जाता है:- (i) अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण; (ii) वरिष्ठ नागरिकों को उनके अनुरक्षण, कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा उत्पादक और स्वतंत्र जीवन के माध्यम से सहायता प्रदान करना और; (iii) नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से पीडित व्यक्तियों का संपूर्ण व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ दृष्टिकोण के माध्यम से पुनर्वास।

अनुसूचित जातियों का विकास

1931 की जनगणना में, पहली बार कुछ जातियों को व्यवस्थित रूप से "दलित वर्गों" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके पश्चात, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत पहली बार सामाजिक रूप से वंचित जातियों को "अनुसूचित जातियों" के रूप में अधिसूचित करने की व्यवस्था की गई थी और तद्नुसार ऐसी जातियों की एक सूची भारत सरकार (अनुसूचित जाति) आदेश, 1936 में अधिसूचित की गई थी।

भारत का संविधान, जो दिनांक 26.01.1950 से प्रभावी हुआ था, में, अन्य बातों के साथ-साथ, "अस्पृश्यता" का उन्मूलन किया गया तथा अनुसूचित जातियों के लिए अनेक विशेष सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अन्य सामाजिक समूहों के साथ यथासंभव कम से कम समय में बराबरी प्राप्त कर सकें। इन सुरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप लोक सभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में आरक्षण तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जा सका।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के विकास और सशक्तिकरण की निगरानी करने के लिए एक नोडल मंत्रालय है। यद्यपि, इस कार्य का मुख्य उत्तरदायित्व विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर है, फिर भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को इस संबंध में नोडल उत्तरदायित्व सौंपा गया है तथा यह छात्रवृत्तियों, छात्रावासों, रियायती दर पर ऋण इत्यादि में सहायता के जरिए भी उनके प्रयासों में सहायता देता है।

3.1 अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

विजन

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी) का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक विकास, समावेशिता को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने के लिए उपाय करना है।

अधिदेश

उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए सबसे गरीब परिवारों के विद्यार्थियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा तथा उन्हें पोस्ट-मैट्रिक या माध्यमिक स्तर से आगे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

मुख्य विशेषताएं

1. **पात्रता मानदंड:**

इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

(क) छात्र भारतीय नागरिक होना चाहिए, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए और पोस्ट-मैट्रिक चरण में अध्ययनरत चाहिए।
(ख) माता-पिता/अभिभावक की आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. **छात्रवृत्ति के घटक:**

छात्रवृत्ति में पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

i. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की शुल्क निर्धारण/युक्तीकरण संबंधी समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क सहित अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क।
ii. शैक्षणिक भत्ता

पाठ्यक्रमों की श्रेणी	वार्षिक (रुपये में)	
	हॉस्टलर	डे स्कॉलर
समूह 1: डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम	13,500	7,000
समूह 2: डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के लिए दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम	9,500	6,500
समूह 3: स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो समूह I और समूह II के अंतर्गत नहीं आते हैं	6,000	3,000

ग्रुप 4: सभी पोस्ट-मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा के स्तर के पश्चात्) नॉन-डिग्री पाठ्यक्रम	4,000	2,500

iii. दिव्यांग छात्रों के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाएगा।

3. <u>फंडिंग पैटर्न:</u>

योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वर्ष में निधि की मांग का 60:40 (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90:10) का एक निश्चित हिस्सेदारी अनुपात है।

वर्ष 2025-26 के दौरान उपलब्धियां

1. **वित्तीय उपलब्धियां:**

- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से **<u>34.42</u>** लाख लाभार्थियों को उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में **<u>4370.22</u>** करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 48.04 लाख लाभार्थियों को उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 5562.23 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया।
- 2021-22 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआत के बाद, 2024-25 में 5562.23 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया जो पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक है।

2. डिजिटल इंटरवेंशन:

- एक प्रमुख इंटरवेंशन के रूप में, पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और समय पर सहायता प्रदान करने एवं बिना किसी देरी के आवेदन जमा करने और भुगतान तंत्र हेतु ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर कंम्पलीट ऑनबोर्डिंग की सुविधा दी गई है।
- छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया 2021-22 से एंड-टू-एंड डिजिटल मोड में करके सुधार किया गया।
- छात्रवृत्ति के संवितरण के लिए एंड-टू-एंड एकीकृत डिजिटल इकोस्स्टिम स्थापित किया गया।
- राज्य अपने ऑनलाइन पोर्टल पर पात्रता, जाति-स्थिति, आधार पहचान और बैंक खाते के विवरण का पूर्णतया सत्यापन करते हैं। आवेदनों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने और दोहराव से बचने के लिए राज्य छात्रवृत्ति पोर्टलों को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है।
- फर्जी संस्थानों को खत्म करने के लिए संस्थानों/स्कूलों के सत्यापन हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल को एआईएसएचई/यूडीआईएसई के साथ एकीकृत किया गया।

3. **आधार आधारित भुगतान प्रणाली (आधार पेमेंट ब्रिज) का उपयोग करके छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):**

वर्ष 2022-23 से केन्द्रीय हिस्सा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (आधार पेमेंट ब्रिज) के माध्यम से डीबीटी मोड में सीधे छात्रों के बैंक खाते में जारी किया जाता है।

4. पूरे भारत में अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन और सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि

यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा और सक्षमता में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है। पिछले वर्षों में उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन और अनुसूचित जाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सकारात्मक बदलाव आया है।

(क) उच्च शिक्षा में नामांकन

- अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन वर्ष 2020-21 में 58.95 लाख से बढ़कर 2021-22 में 66.23 लाख हो गया है। पिछले 5 वर्षों (अर्थात 2017-18 से) के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन में 25.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 से अनुसूचित जाति के नामांकन में कुल वृद्धि 44% है।
- अनुसूचित जाति की छात्राओं का नामांकन 2020-21 में 29.01 लाख से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 31.71 लाख हो गया है। पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति की छात्राओं के नामांकन में 26.6% की वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2014-15 से अनुसूचित जाति की छात्राओं के नामांकन में कुल वृद्धि 51% हुई है।

(ख) कक्षा XI-XII में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

- ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जीईआर वर्ष 2019-20 के 52.9% से बढ़कर 2021-22 में 61.5% हो गया है।

(ग) उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

- अनुसूचित जाति के छात्रों का जीईआर 2020-21 में 23.1% से बढ़कर 2021-22 में 25.9% हो गया है। 2014-15 से जीईआर में भी महत्वपूर्ण सुधार (18.9%) हुआ है।
- अनुसूचित जाति की छात्राओं का जीईआर 2020-21 में 23.9% और 2014-15 में 18.1% से बढ़कर 2021-22 में 26% हो गया है।

  स्रोत: एआईएसएचई 2021-22

5. **विकसित भारत @2047** के विजन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के विजन, समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य 4 के अनुरूप, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वंचित वर्गों के बच्चों, युवाओं और छात्रों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण और समग्र विकास की सुविधा प्रदान कर रहा है।

6. 'स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर' (एसआरसी) और 'मेंटरशिप सपोर्ट इकोसिस्टम' (एसएमई) के माध्यम से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति के उन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए संपूर्ण सहायता की व्यवस्था कर रहा है जो छात्रवृत्ति के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य उनकी शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने की सुविधा प्रदान करना है और एक विकसित भारत @2047 के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए 'उद्यमशीलता और उद्यमशीलता के भीतर उद्यमशीलता नेतृत्व' के साथ प्रतिबद्ध युवाओं की एक पीढ़ी का समर्थन करने में मदद करना है।

7. अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना समावेशी मानव संसाधन विकास (एचआरडी) को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की व्यापक महत्वकांक्षा का हिस्सा है।

सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश ने प्रवेश, सत्यापन, सेवा प्रदायगी और शिकायत निवारण प्रणालियों को एक सहज डिजिटल फ्रेमवर्क से जोड़ कर छात्रवृत्ति प्रबंधन के लिए एक प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण अपनाया है।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ओएएमडीसी (डिग्री कॉलेजों के लिए ऑनलाइन प्रवेश मॉड्यूल), ईएपीसीईटी (इंजीनियरिंग, कृषि और फार्मेसी सामान्य प्रवेश परीक्षा), एपीईसीईटी (आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग सामान्य प्रवेश परीक्षा), पीजीसीईटी (स्नातकोत्तर सामान्य प्रवेश परीक्षा), और अन्य सीईटी सहित सभी सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) के डेटाबेस को संयोजक कोटा के तहत प्रवेश सत्यापित करने के लिए एकीकृत किया गया है।
संबद्धता पोर्टल एकीकरण और मीसेवा सेवाएं: यह प्रणाली कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को सत्यापित करने के लिए उच्च शिक्षा संबद्धता पोर्टल से जुड़ी हुई है, और आवेदकों की जाति और आय विवरण को प्रमाणित करने के लिए एपीऑनलाइन (आंध्र प्रदेश ऑनलाइन सेवाएं) और जीएसडब्ल्यूएस (ग्राम/वार्ड सचिवालयम सेवाएं) के साथ जुड़ी हुई है।

छात्र और कॉलेज अपने लॉगिन से पंजीकरण से लेकर जारी लाभ और स्टेटस ट्रैकिंग तक एंड-टू-एंड सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप (मन मित्र सेवाएं) एप्लीकेशन स्टेटस का आसान एक्सेस देता है।
छात्रों और कॉलेजों के लिए एक शिकायत मॉड्यूल उपलब्ध है, जिसकी निगरानी डीपीएमयू (जिला परियोजना निगरानी इकाइयों), एसपीएमयू (राज्य परियोजना निगरानी इकाइयों), और एपीसीएफएसएस (आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रणाली और सेवा केंद्र) तकनीकी टीम द्वारा की जाती है, जो ज्ञानभूमि पोर्टल को सपोर्ट करती है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र ने महाडीबीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रवृत्ति देने के लिए एक व्यापक, सिस्टम-ड्रिवन तरीका अपनाया है, जिसमें पारदर्शी, कुशल और लाभार्थी-केंद्रित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी एकीकरण, संस्थागत भागीदारी और मूलभूत सुविधा का संयोजन किया गया है।
एक उल्लेखनीय नवाचार यह है कि अब छात्र स्तर के बजाय सीधे कॉलेजों/संस्थानों से आवेदनों का नवीकरण किया जा सकता है जिससे प्रोसेसिंग समय कम होता है, अनुमोदन में तेजी आती है और छात्रों पर आवेदन का बोझ कम होता है।

एक अन्य उल्लेखनीय सर्वोत्तम पद्धति राज्य के प्रत्येक कॉलेज में समान अवसर केंद्र (ईओसी) स्थापित करना है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अन्य कमजोर श्रेणियों से संबंधित छात्रों को सुविधा प्रदान करते हुए। ये केंद्र छात्रवृत्ति आवेदन, कागजी कार्यवाही, करियर मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आदि में सहायता करते हैं। इन ईओसी के प्रमुख कॉलेज के एक प्रोफेसर होते हैं और इसमें गैर-शिक्षण संकाय के सदस्य भी होते हैं और इसकी टीम में 12-15 स्वयंसेवक भी होते हैं जो कॉलेज के अध्ययनरत छात्र होते हैं। राज्य भर में कार्यरत 15,000 से अधिक ईओसी के साथ, महाराष्ट्र ने कॉलेज स्तर पर एक संस्थागत सहायता तंत्र बनाया है जो एक्सेस गैप को कम करता है, जागरूकता को बढ़ावा देता है और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक उपलब्ध कराता है।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.1)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1.	2021-2022	4196.59	1930.38
2.	2022-2023	5660.00	4388.32
3.	2023-2024	5400.00	5475.42
4.	2024-2025	5500.00	5562.23
5.	2025-2026	6360.00	4370.22* (31.12.2025 तक)

* केंद्रीय हिस्सा/भाग जारी करने की प्रक्रिया अभी चल रही है।

बॉक्स 3.1

सफलता की कहानियां:

श्री सारांश कुर्रे, जो राजकीय महाविद्यालय, बारपाली, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से बी.एससी (गणित) तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। सौभाग्य से वह अपने स्कूल के दिनों से ही अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानते थे। उन्होंने इसके लिए आवेदन किया और छात्रवृत्ति राशि उन्हें पुस्तकें खरीदने और प्रयोगशाला व्यय का भुगतान करने में मदद कर रही है और आगे उनकी बी.एससी(गणित) तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल करने में मदद कर रही है। उन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन किया।

सुश्री कल्पना, जो एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं पीएसपी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान संस्थान से पढ़ाई कर रही हैं। वह अनुसूचित जाति से संबंधित हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना उसके लिए अपनी चिकित्सा शिक्षा जारी रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह उसके शैक्षणिक खर्चों का वहन करती है और उसके परिवार पर वित्तीय बोझ को कम करती है। यह सहायता उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने और अपना भविष्य बनाने में बहुत मदद करेगी। शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 के लिए उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है।

3.2 अनुसूचित जातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

विजन

अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के बच्चों और अस्वच्छ तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक स्तर पर समावेशी और समान शिक्षा को बढ़ावा देना है।

अधिदेश

1. इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अन्य लाभवंचित/वंचित वर्गों के बच्चों के माता-पिता को प्री-मैट्रिक स्तर पर पढ़ रहे उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
2. विशेष रूप से प्राथमिक से अगले स्तर और प्रारंभिक से माध्यमिक स्तर में स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना।

मुख्य विशेषताएं

योजना के अंतर्गत योजना के घटक और छात्रों की पात्रता की शर्तें इस प्रकार है:

घटक 1: अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

i. यह छात्रवृत्ति केवल भारत के नागरिकों के लिए है;
ii. छात्रों को पूर्णकालिक आधार पर कक्षा IX और X में अध्ययनरत होना चाहिए;
iii. उन्हें अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए;
iv उनके माता-पिता/अभिभावक की आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

घटक 2: अस्वच्छ एवं जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति:

1. यह छात्रवृत्ति केवल भारत के नागरिकों के लिए है;
2. छात्रों को पूर्णकालिक आधार पर कक्षा I से X में अध्ययनरत होना चाहिए;
3. छात्रवृत्ति ऐसे माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों/वार्ड को दी जाती है, भले ही उनकी जाति/धर्म कोई भी हो, जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक से संबंधित हो:
   i. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 2(1)(छ) में यथापरिभाषित ऐसा व्यक्ति जो मैनुअल स्कैवेंजर हो;
   ii. चर्मकार और फ्लेयर;
   iii. कचरा बीनने वाले और
   iv. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 2(1)(घ) में यथापरिभाषित खतरनाक सफाई कार्य में लगे व्यक्ति।

4. योजना के इस घटक के तहत पारिवारिक आय की कोई सीमा नहीं है।

छात्रवृत्ति के घटक:

(i) 2022-23 से, छात्रों को समेकित शैक्षणिक भत्ता दिया जाएगा, जो इस प्रकार है:

डे स्कॉलर- 3,500/- रुपये प्रति वर्ष

होस्टलर:

घटक 1- 7,000 रुपये प्रति वर्ष

घटक 2- 8,000 रुपये प्रति वर्ष (कक्षा III-X के लिए)

(ii) इसके अतिरिक्त, दिव्यांग छात्रों को 10% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।

अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत फंडिंग पैटर्न:

यह योजना केंद्र और राज्य के बीच 60:40 (पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मामले में 90:10 और विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र के मामले में 100:0) के निश्चित आनुपातिक पैटर्न पर आधारित है।

वर्ष 2025-26 के दौरान उपलब्धियां

1. **वित्तीय उपलब्धि:**
   - अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 07.14 लाख लाभार्थियों को उनके आधार-से जुड़े बैंक खातों में 359.47 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है।
   - अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान डीबीटी के माध्यम से 21.66 लाख लाभार्थियों को उनके आधार-आधारित बैंक खातों में 460.91 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है।
   - अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को आर्थिक रूप से सबसे वंचित अनुसूचित जाति के परिवारों में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नया रूप दिया गया है तथा समय पर संवितरण, व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता के सिद्धांतों का विस्तार किया गया है।

2. **आधार पेमेंट ब्रिज प्रणाली(एपीबी) के माध्यम से पात्र आवेदकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):**
   - योजना के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण छात्रवृत्ति राशि - राज्य और केंद्र सरकार दोनों से - जिसमें शैक्षणिक भत्ता और दिव्यांगता भत्ता, यदि कोई हो, शामिल है, का भुगतान सीधे छात्रों या अभिभावकों के खाते में केवल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से, अधिमानत: आधार आधारित भुगतान प्रणाली (आधार पेमेंट ब्रिज) के माध्यम से किया जाएगा।
   - लाभों की कुशल, सटीक और पारदर्शी प्रदायगी के लिए आधार आधारित भुगतान किया जा रहा है। इस आधार आधारित भुगतान प्रणाली ने धोखाधड़ी की गतिविधियों, फर्जी लाभार्थियों और खाता-आधारित भुगतान के कारण लंबित मामलों को खत्म कर दिया है।

3. **डिजिटल इंटरवेंशन:**
   - एनएसपी के माध्यम से छात्रवृत्ति जारी करने के लिए एंड-टू-एंड एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम स्थापित किया गया है।

- अधिकांश राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल (एसएसपी) और एनएसपी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है। इससे मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है और छात्रों/आवेदकों को अधिक सेवाएं आसानी से उपलब्ध हुई हैं। अब छात्र बिना किसी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के, सहज तरीके से सीधे अपने आधार से जुड़े बैंक खातों में आवेदन कर सकते हैं और छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इससे सभी हितधारकों की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है।
- **विकसित भारत @2047** के विजन**,** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के विजन, समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य 4 के अनुरूप, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वंचित वर्गों के बच्चों, युवाओं और छात्रों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण और समग्र विकास की सुविधा प्रदान कर रहा है।
- अनुसूचित जातियों के लिए **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** समावेशी **मानव संसाधन विकास *(एचआरडी)*** को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की व्यापक महत्वकांक्षा का एक हिस्सा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं:

क. ओडिशा

ओडिशा में छात्रवृत्ति के संचालन में सबसे अच्छे तरीकों को अपनाया गया है। इसके लिए ऑनबोर्डिंग या नवीकरण से पहले संबंधित नोडल विभागों (उच्च शिक्षा, स्कूल और जन शिक्षा, कौशल विकास, आदि) के माध्यम से संस्थानों की पुष्टि करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल वास्तविक और मान्यता प्राप्त संस्थान ही भाग लें। जाति, आय, निवास और अन्य प्रमाणपत्रों के रियल टाइम सत्यापन, मैनुअल जांच को कम करने, जाली दस्तावेजों को रोकने और पारदर्शिता में सुधार के लिए पोर्टल को ओडिशा ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, सिस्टम में पाठ्यक्रम की अधिकतम सीमा और शाखा-वार शुल्क दिखाई देती है जिससे संस्थानों द्वारा अनुमोदित सीमा से अधिक राशि का दावा न करने, एकरूपता सुनिश्चित करने, व्यय को नियंत्रित करने और छात्रों को शोषण से बचाने में मदद मिलती है।

ख. तमिलनाडु

तमिलनाडु के आदि द्रविड़ विभाग ने तमिलनाडु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल (एसएसपी) के माध्यम से एक प्रौद्योगिकी-संचालित छा त्रवृत्ति वितरण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया है, जिसे एकीकृत पात्रता इंजन के साथ सभी छात्रवृत्तियों के लिए वन-स्टॉप छात्र मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि दिशानिर्देश स्वचालित आधार पर लागू किए जाएं। पोर्टल में एक ऑटोमेटेड नियम-आधारित पात्रता इंजन लगा है, जिससे छात्र की प्रोफाइल आसानी से रियल टाइम में शेयर की जा सकती है और योजना का पात्रता इंजन लागू करके संस्थानों और विभागों में अनावश्यक डेटा प्रविष्टि को समाप्त किया जा सकता है।

एसएसपी, यूआईडीएआई और ई-सेवा के साथ रियल टाइम डिजिटल सत्यापन द्वारा आधार, आय और समुदाय के लिए प्रोसेसिंग को तेज करके सत्यापन और गति को मजबूत करता है। एनपीसीआई के साथ एकीकरण डीबीटी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, जिससे समय पर, बिना किसी बिचौलिए के भुगतान संभव हो सके।

डिजिटल गवर्नेंस इनोवेशन रियल टाइम डैशबोर्ड को अपनी आधारशिला के रूप में रखता है - कच्चे लेनदेन डेटा को कार्रवाई योग्य इंटेलिजेंस में बदलता है। सभी - छात्र, संस्थान और प्रशासन - कार्रवाई उन्मुख होने में सक्षम हैं।

एकीकृत राज्य-स्तरीय छात्र रिकॉर्ड विश्वविद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली (यूएमआईएस) और शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) द्वारा सत्यापित स्नातकोत्तर छात्र डेटाबेस को एकीकृत करते हैं, जिसमें छात्रों की उपस्थिति की पुष्टि संस्थानों द्वारा की जाती है, जिससे एक-क्लिक छात्र आवेदन और छात्रवृत्ति प्रक्रिया की दिशा में संस्थानों द्वारा पुष्टि की जाती है।

ग. गुजरात

गुजरात ने समर्पित व्हाट्सएप समूहों और दैनिक प्रगति रिपोर्टिंग के माध्यम से सीधे जुड़ाव के माध्यम से मजबूत निगरानी और जवाबदेही तंत्र को संस्थागत रूप दिया है। लंबित छात्र सूचियों - स्कूल और प्रधानाचार्य विवरण के साथ - लक्षित अनुवर्ती कार्रवाई को सक्षम करने के लिए जिला अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से साझा किया जाता है। शिक्षा विभाग और जिला कलेक्टर कार्यालय के साथ घनिष्ठ समन्वय सत्यापन और समय पर छात्रवृत्ति वितरण में और तेजी लाता है।

डिजिटल गुजरात पोर्टल कॉलेज मास्टर और कोर्स मास्टर टैब के माध्यम से उपयोगकर्ता की सुविधा को बढ़ाता है, जो फॉर्म भरना सरल बनाता है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है, जिससे छात्रों के लिए आसान पहुंच और कॉलेज चयन सुनिश्चित होता है। संदेश एप्लिकेशन और टेक्स्ट संदेश के माध्यम से ओटीपी एक सहज और कुशल सेवा अनुभव सुनिश्चित करता है। ओटीपी-आधारित आवेदन जमा करना और अनुमोदन सुरक्षित, तेज़ और परेशानी मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

जिला कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र उन्हें पोर्टल की कार्यक्षमताओं और तकनीकी परिवर्तनों के बारे में अपडेट रखते हैं।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.2)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1.	2021-2022	725.00	570.18
2.	2022-2023	500.00	207.93
3.	2023-2024	430.00	446.64
4.	2024-2025	450.00	460.91
5.	2025-26	577.96 (ब.अ.)	359.47* (31.12.2025 तक)

* केंद्रीय हिस्सा/भाग जारी करने की प्रक्रिया अभी चल रही है।

बॉक्स 3.2

सफलता की कहानियां:

सेल्वी शिवानी, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कन्निगापुरम, चन्नई-12 में छठी कक्षा में पढ़ रही हैं। वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखती हैं और उनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहता है।

वह अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति से अवगत हैं। उन्होंने इस शैक्षणिक वर्ष (2025-26) में इसके लिए आवेदन किया है और छात्रवृत्ति राशि उनके लिए पढ़ाई बंद करने से बचने के साथ-साथ उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने में मददगार साबित हुई है।

3.3 श्रेयस-एससी: अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप

विजन

अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफएससी) योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के लिए व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करना और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना है, जिससे उनके बीच शैक्षणिक उत्कृष्टता और शोध क्षमताओं को बढ़ावा मिले। उच्च शिक्षा संस्थानों में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देकर, एनएफएससी एक अधिक न्यायसंगत और जीवंत शैक्षणिक परिवेश बनाने में योगदान देता है।

एनएफएससी का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति के विद्वानों की बौद्धिक क्षमताओं का पोषण करके राष्ट्र की श्रम शक्ति को मजबूत करना भी है। वित्तीय सहायता और उन्नत शोध के अवसरों के माध्यम से, इस योजना का उद्देश्य भविष्य के नेताओं और प्रोफेशनलों को तैयार करना है जो सामाजिक प्रगति और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

संक्षेप में, एनएफएससी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने, अपने संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी बनने एवं राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने-बाने में सकारात्मक योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है।

अधिदेश

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफएससी) योजना अनुसूचित जातियों के छात्रों को उच्च शिक्षा और शोध के लिए सशक्त बनाने और उन्हें सहायता देने के लिए बनाई गई है। एनएफएससी योजना के अधिदेश में फेलोशिप, आकस्मिक व्यय, शारीरिक और दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए एस्कॉर्ट/रीडर सहायता और यूजीसी-मान्यता प्राप्त संस्थानों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रमों

के लिए मकान किराया भत्ता (एचआरए) को कवर करने के लिए व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

इस पहल का उद्देश्य अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देना एवं अनुसूचित जाति के अध्येताओं की शोध क्षमताओं का निर्माण करना है। समकालीन शोध पद्धतियों के बारे में संरक्षण, मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान करके, एनएफएससी योजना अध्येताओं की बौद्धिक क्षमताओं और शोध कौशल को बढ़ाने का प्रयास करती है।

इसके अलावा, यह योजना अध्येताओं के लिए करियर विकास अवसरों को सुविधाजनक बनाने, उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और सामाजिक प्रगति में सार्थक योगदान देने के लिए आवश्यक योग्यता और कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके, एनएफएससी योजना अध्येताओं को सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने, ज्ञान उन्नति में योगदान करने और विभिन्न विषयों में बौद्धिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है।

कुल मिलाकर, एनएफएससी योजना प्रतिभा को पोषित करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और अनुसूचित जाति के अध्येताओं को भावी नेता, शोधकर्ता और समाज में सकारात्मक बदलाव का उत्प्रेरक बनने के लिए सशक्त बनाकर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्य विशेषताएं

पात्रता मापदंड:

एनएफएससी योजना प्रति वर्ष 2000 नई फैलोशिप (मानविकी/सामाजिक विज्ञान के लिए 1500 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता और विज्ञान स्ट्रीम के लिए 500 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता) प्रदान करती है, ताकि वे पीएचडी डिग्री के लिए उन्नत अध्ययन और अनुसंधान कर सकें, जिन्होंने निम्नलिखित परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त की हो:

(क) यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा-जूनियर रिसर्च फेलोशिप (नेट-जेआरएफ) या

(ख) यूजीसी-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (यूजीसी-सीएसआईआर नेट-जेआरएफ संयुक्त परीक्षा)।

ये स्लॉट यूजीसी फेलोशिप के लिए सरकार की सामान्य आरक्षण नीति के तहत चुने गए अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या के अलावा हैं।

फंडिंग पैटर्न:

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) एनएसएफसी की योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) है। एनएसएफडीसी द्वारा एसएफएमपी पोर्टल के माध्यम से छात्रों को

फेलोशिप जारी की जाती है। इस मंत्रालय द्वारा एनएसएफडीसी को एनएसएफडीसी द्वारा फेलोशिप के आगे के संवितरण के लिए अनुमानित व्यय के अनुसार निधियां जारी की जाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान उपलब्धियां

- वित्तीय उपलब्धियां नीचे दी गई तालिका में दी गई हैं।
- राष्ट्रीय फ़ेलोशिप अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसलिए, इस योजना के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार डेटा नहीं रखा जाता है।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.3)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1	2019-2020	246.66	204.04
2	2020-2021	125.00	133.10
3	2021-2022	125.00	127.85
4	2022-2023	159.00	134.07
5	2023-2024	188.00	199.82
6	2024-2025	212.00	209.50
7	2025-2026	212.00 (बी.ई.)	166.98 (31.12.2025 तक)

बॉक्स 3.3

सफलता की कहानियां:

1. ***चंदन दास***, *उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में पीएचडी के छात्र, पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। सीमित आय वाले परिवार से आने के कारण, उच्च शिक्षा जारी रखना एक निरंतर संघर्ष था। कई बार उन्होंने आर्थिक दबाव के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन इतिहास और शोध के प्रति उनका जुनून उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उनका काम उत्तर बंगाल के सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास पर केंद्रित है - एक ऐसा क्षेत्र जो अनकही कहानियों से समृद्ध है।*

एनएफएससी फेलोशिप प्राप्त करने से पहले, चंदन के दिन वित्तीय चिंताओं से भरे हुए थे। दैनिक खर्चों को पूरा करना, किताबें खरीदना और फील्डवर्क के लिए यात्रा संबंधी व्ययों को पूरा करना बेहद मुश्किल था, जो अक्सर उनकी शोध आकांक्षाओं को कम कर देता था। एनएफएससी फेलोशिप दिया जाना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। स्थिर मासिक सहायता से, चंदन अपने शोध पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सके, सेमिनारों में भाग ले सके, डेटा एकत्र कर सके और प्रकाशनों की योजना बना सके। फेलोशिप ने न केवल वित्तीय स्थिरता प्रदान की, बल्कि उन्हें मानसिक शांति और गरिमा भी दी।

अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए, चंदन कहते हैं: "पहले, मैं जीवित रहने के बारे में चिंतित था। अब, मैं अपनी पूरी ऊर्जा अपने शोध के लिए दे सकता हूं। इस फेलोशिप ने मुझे आशा और गरिमा दी है।

*2. हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के निवासी **सिमरजीत कौर** पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में मानव विज्ञान विभाग में शोधार्थी हैं। एक ही विषय और संस्थान से अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री दोनों पूरी करने के बाद, वह पीएचडी के साथ अपनी शैक्षणिक यात्रा जारी रखने की इच्छा रखती थी। हालांकि उन्होंने यूजीसी-नेट परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उनका स्कोर नियमित फेलोशिप हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वित्तीय सहायता न होने, उसके परिवार में उच्च शिक्षा के अवसरों के बारे में सीमित जागरूकता के कारण उन्हें अपने सपने को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा।*

एनएफएससी उनकी यात्रा का महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इस वित्तीय सहायता के साथ, सिमरजीत अपनी पीएचडी करने और अपनी लंबे समय से पोषित शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम थीं। वह इस पीएचडी के लिए फेलोशिप की बहुत आभारी है जो एक बार मुश्किल लग रही थी। इससे उन्हें बाधाओं को तोड़ने और अपने परिवार में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनने का अवसर मिला।

3.4 श्रेयस-एससी: अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना

विजन

अनुसूचित जातियों (एससी), विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगर श्रेणियों के मेधावी छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करना। इसका उद्देश्य लाभार्थियों के बीच शैक्षणिक उत्कृष्टता, नवाचार और नेतृत्व को बढ़ावा देना है, जिससे वे अपने समुदायों और राष्ट्र में सकारात्मक बदलाव के वाहक बन सकें।

अधिदेश

अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य विदेश में स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके लाभवंचित समुदायों को सशक्त बनाना है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों (एससी), विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक शिल्पकार श्रेणियों को मेधावी बनाना है।

मुख्य विशेषताएं

पात्रता मानदंड:

(i) छात्रों का चयन नवीनतम उपलब्ध क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 500 रैंक वाले विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश के बिना शर्त प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है।

(ii) अर्हक परीक्षा में कम से कम 60% अंक या समतुल्य ग्रेड की आवश्यकता होगी।

(iii) सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय पिछले वित्त वर्ष में 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iv) चयन वर्ष के लिए अप्रैल के पहले दिन उम्मीदवार की आयु 35 (पैंतीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(v) स्लॉट आबंटित करते समय प्रत्येक राज्य के लिए कुल स्लॉट के 10% की सीमा है।

फंडिंग पैटर्न:

राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित छात्रों को शिक्षा शुल्क वार्षिक अनुरक्षण भत्ता, वार्षिक आकस्मिक भत्ता, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा किस्त, आकस्मिक यात्रा भत्ता एवं उपकरण भत्ता और हवाई यात्रा के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।
यह निधि विदेश स्थित भारतीय मिशनों को प्राधिकरण पत्र (एलओए) के माध्यम से आबंटित की जाती है, जो मौजूदा व्यवस्थाओं और स्वीकृति आदेशों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालयों/छात्रों को शिक्षा शुल्क/अनुरक्षण भत्ते/अन्य भत्तों का भुगतान करता है।

वर्ष 2025-26 के दौरान उपलब्धियां

पहले चरण में 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उम्मीदवारों का चयन किया गया।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.4)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1	2019-2020	20.00	28.56
2	2020-2021	30.00	32.92
3	2021-2022	35.00	49.07
4	2022-2023	50.00	86.59
5	2023-2024	85.00	88.56
6	2024-2025	95.00	74.17
7	2025-2026	130.00 (ब.अ.)	29.93 (31.12.2025 **तक**)

बॉक्स 3.4

सफलता की कहानियां:

1. ***सुश्री सोनाली हरिभाऊ उबाले***, उम्र 28 वर्ष, महाराष्ट्र के पुणे जिले की निवासी हैं। वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखती थी। उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और उनके अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उनकी आय बहुत कम थी। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद, सुश्री सोनाली को इंटरनेट के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के बारे में पता चला और उन्होंने 2021 में इसके लिए आवेदन किया। खेल विज्ञान और डिजाइन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के बाद उन्हें उसी साल राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति दी गई। राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना की राशि उनके लिए संस्थान की फीस का भुगतान करने में बहुत मददगार थी, अन्यथा उनके लिए यूएसए में नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा पूरी करना संभव नहीं होता। उन्होंने अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और एक अच्छी कंपनी में जूनियर प्रोग्रामर के रूप में कार्यरत है।

उनके अनुसार, पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति ने उन्हें उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित किया था और उनकी जरूरतों को पूरा करने में बहुत मददगार रही। वह योजना द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं।

2. ***श्री यश प्रग्नेशभाई चौहान***, उम्र 25 वर्ष, गुजरात राज्य के अहमदाबाद के रहने वाले हैं। उनके पिता एक छोटे व्यवसायी हैं और उनके पास एक विदेशी विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद, श्री यश को इंटरनेट के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के बारे में पता चला और 2023 में इसके लिए आवेदन किया। प्रबंधन और उद्यमिता में विज्ञान में स्नातकोत्तर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के बाद, उन्हें 2023 में राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति दी गई, हालांकि जमानत जैसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, अब वह एक स्टार्टअप के संस्थापक हैं और उनकी वर्तमान उद्यमिता उनके अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है।

वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आभारी हैं जिसने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने अध्ययन की अवधि के दौरान राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति प्रदान की, अन्यथा उनके लिए विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करना और अपना स्टार्ट-अप व्यवसाय शुरू करना संभव नहीं होता।

3.5 श्रेयस-एससी: अनुसूचित जातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा

विजन

इस योजना का विजन भारत में अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य टॉप क्लास शिक्षा के अवसर प्रदान करके निजी और व्यावसायिक विकास के लिए उन्हें साधन प्रदान कर सशक्त बनाना है।

अधिदेश

यह योजना प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है, जिसमें ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और अन्य संबंधित लागतें शामिल हैं। इसका उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को दूर करना और योग्य छात्रों को उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाना है।

मुख्य विशेषताएं

पात्रता मानदंड:

- अनुसूचित जाति के छात्र जिनकी सभी स्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय 8.00 लाख रुपये तक हो और जिन्होंने किसी भी सूचीबद्ध संस्थान में पूर्णकालिक निर्धारित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो।
- संस्थान को आबंटित स्लॉट का तीस प्रतिशत (30%) अनुसूचित जाति की पात्र छात्राओं के लिए उनकी पारस्परिक योग्यता के अनुसार आरक्षित किया जाएगा।
- योजना का लाभ एक परिवार में 2 से अधिक भाई-बहनों को प्रदान नहीं किया जाएगा।

फंडिंग पैटर्न:

अनुसूचित जाति के छात्र, जो अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी:

- पूर्ण शिक्षा शुल्क और अप्रतिदेय शुल्क (निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 2.00 लाख रुपये की सीमा होगी)
- अध्ययन के पहले वर्ष में 86,000 रुपये और प्रत्येक बाद के वर्ष में 41,000 रुपये का शैक्षणिक भत्ता, रहने के खर्च, किताबें और स्टेशनरी, कंप्यूटर/लैपटॉप के लिए।
- छात्रों को ट्यूशन फीस, अन्य गैर-वापसी योग्य शुल्क और शैक्षणिक भत्ते का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से सीधे किया जाएगा।

वर्ष 2025-26 के दौरान उपलब्धियां

योजना के तहत वर्ष 2025-26 के दौरान उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- इस योजना के तहत स्लॉट की कुल संख्या 4400 से बढ़ाकर 4500 कर दी गई है।
- अधिसूचित संस्थानों की संख्या बढ़ाकर 274 कर दी गई है।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.5)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1	2021-2022	70.00	84.72
2	2022-2023	108.00	85.67
3	2023-2024	100.00	83.84
4	2024-2025	103.00	103.26
5	2025-2026	110.00 (ब.अ.)	43.78 (31.12.2025 **तक**)

बॉक्स 3.5

सफलता की कहानियां:

डीएनएलयू में द्वितीय वर्ष की छात्रा **सुश्री स्नेहा बाटव** *एक साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं, जहां वित्तीय चुनौतियाँ अक्सर उनकी शिक्षा में बाधा डालती थीं। टॉप क्लास छात्रवृत्ति उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिससे वह बिना किसी वित्तीय तनाव के अपनी पढ़ाई जारी रखने में सक्षम हो पाई। अपने विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी के निर्देश पर, उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, सभी औपचारिकताएं पूरी कीं और सफलतापूर्वक चयनित हो गईं। समर्थन ने उसे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में काम करने के लिए सशक्त बनाया है।*

तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई के ***श्री किशोर कुमार वी ने*** *अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए टॉप क्लास छात्रवृत्ति के समर्थन से आईआईपीएम बैंगलोर में खाद्य प्रसंस्करण और व्यवसाय प्रबंधन में पीजीडीएम किया। छात्रवृत्ति ने उन्हें वित्तीय बाधाओं के बिना अपनी शिक्षा जारी रखने और मजबूत कृषि-व्यवसाय कौशल का निर्माण करने में सक्षम बनाया। अब कृषि में एक परियोजना प्रबंधक के रूप में वह किसानों को सशक्त बनाने और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करने के लिए पहल का नेतृत्व करते हैं। वह अपनी आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलने का श्रेय छात्रवृत्ति को देते हैं।*

3.6 श्रेयस-एससी: अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और पीएम-केयर्स चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग

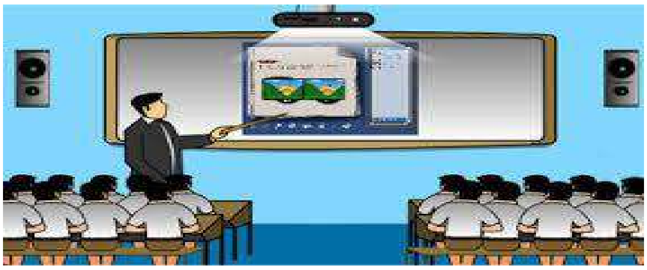

विजन

विभिन्न प्रतिस्पर्धी/प्रवेश परीक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों और पीएम-केयर्स चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों के उत्थान के लिए समावेशी विकास और सशक्तिकरण।

अधिदेश

इस योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना अनिवार्य है। इस योजना में शैक्षिक और रोजगार के अवसरों में अंतर को पाटने के लिए आर्थिक रूप से वंचित वर्गों अर्थात् अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और पीएम-केयर्स चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को लक्ष्य किया गया है।

मुख्य विशेषताएं

पात्रता मानदंड:

- अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित छात्र जिनकी कुल पारिवारिक वार्षिक आय सभी स्रोतों से **8.00** लाख रुपये या उससे कम है**,** इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं।
- पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम के सभी लाभार्थी जिनके पास केंद्र सरकार द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र (लाभार्थी आईडी के साथ) है, जो लाभार्थियों के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि करता है, पात्र हैं। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे लाभार्थियों के लिए कोई आय या जाति संबंधी प्रतिबंध नहीं होगा।
- आवेदकों के पास वैध आधार संख्या और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।
- अर्हक परीक्षा के रूप में कक्षा XII की आवश्यकता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उम्मीदवारों को लाभ प्राप्त करने के समय कक्षा XII उत्तीर्ण होना चाहिए या कक्षा XII में अध्ययनरत होना चाहिए। इसी तरह, स्नातक स्तर की परीक्षाओं के लिए, उम्मीदवारों को अपने स्नातक पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। उम्मीदवारों को प्रत्येक कक्षा में आवश्यक न्यूनतम 50% अंक सहित कक्षा X और XII की परीक्षाओं में उन्हें प्राप्त अंक घोषित करने होंगे।
- एक अभ्यर्थी इस योजना के तहत केवल दो बार ही लाभ उठा सकता है, भले ही उसके पास अवसरों की संख्या या परीक्षा के चरण कितने भी हों।

फंडिंग पैटर्न:

- प्रति छात्र अधिकतम पाठ्यक्रम शुल्क 75,000 रुपये निर्धारित किया गया है।
- पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए 4,000 रुपये प्रति माह का वजीफा दिया जाता है, जो 12 महीने से अधिक नहीं होगा।

- समूह क और समूह ख के पदों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा/राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य चरण को उत्तीर्ण करने वाले सफल उम्मीदवार साक्षात्कार कोचिंग के लिए 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि के हकदार हैं।
- सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से छात्र के आधार-से जुड़े बैंक खाते में जारी किए जाते हैं। फीस और वजीफा किस्तों में जारी किए जाते हैं, और छात्रों को शुल्क का अपना हिस्सा तुरंत संबंधित पैनलबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय में जमा करना चाहिए।

2025-26 के दौरान उपलब्धियां

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और डीएनटी बोर्ड के अनुरोध पर पीएम-केयर्स चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है।
- 15000 छात्रों को ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए तीन वर्ष के लिए फिजिक्स वाला फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.6)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**संशोधित अनुमान (आरई)**	**मंत्रालय द्वारा कुल व्यय**
1	2021-2022	30.00	14.98
2	2022-2023	27.00	18.41
3	2023-2024	14.82	7.76
4	2024-2025	18.00	17.68
5	2025-2026	20.00 (ब.अ.)	5.84 (31.12.2025 **तक**)

बॉक्स 3.6

सफलता की कहानियां:

क. *उत्तराखंड के **सौरभ** ने योजना की स्ट्रक्चर्ड कोचिंग और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ यूजीसी-नेट/जेआरएफ, यूएसईटी और यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी सफलता योजना के तहत दी गई परिवर्तनकारी शैक्षणिक सहायता को दर्शाती है। वह अब पीएचडी करने के लिए आगे बढ़ गए हैं, जो निरंतर शैक्षणिक विकास को प्रदर्शित करता है। इस योजना ने उन्हें आकांक्षाओं को उपलब्धि में बदलने हेतु सशक्त बनाया।*

*ख. राजस्थान के **रमन कुमार** ने योजना के तहत विशेषज्ञ सलाह से लाभ उठाया और यूजीसी-नेट परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। स्ट्रक्चर्ड मार्गदर्शन ने उनके आत्मविश्वास और विषय में महारत को बढ़ाया। उनकी उपलब्धि योजना के शैक्षणिक प्रभाव का एक प्रमाण है। यह दर्शाता है कि कैसे केंद्रित समर्थन देशभर में छात्रों की क्षमता को सामने ला सकता है।*

3.7 प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)

विजन

इस योजना में एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें तीन प्रमुख घटक शामिल हैं - अनुसूचित जाति बहुल गांवों में अवसंरचना और सेवा वितरण में सुधार के लिए आदर्श ग्राम; कौशल विकास और आजीविका पहलों के माध्यम से आय सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता (जीआईए); और अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच शैक्षिक उन्नति और समानता को सुविधाजनक बनाने के लिए छात्रावास। इसका उद्देश्य कौशल विकास, उद्यमिता और संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से स्थायी रोजगार और आय के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों के बीच गरीबी को कम करना है, साथ ही साथ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त अवसंरचना, आवश्यक सेवाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करना है।

अधिदेश

1. अनुसूचित जाति बहुल गांवों का "आदर्श ग्राम" के रूप में विकास।

2. अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए 'अनुदान सहायता' जिसमें आदर्श ग्राम घटक के तहत चयनित अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों का निर्माण, व्यापक आजीविका परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं जिनमें कौशल विकास, संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास, आजीविका सृजन के लिए आवश्यक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए लाभार्थियों द्वारा लिए गए ऋण के लिए वित्तीय सहायता आदि जैसे घटक शामिल हो सकते हैं।

3. उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण जो भारत सरकार के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अनुसार शीर्ष रैंक वाले हैं और केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्तपोषित हैं। इसी तरह, स्कूलों में छात्रावासों का निर्माण जो केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्त पोषित हैं और शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुशंसित हैं।

मुख्य विशेषताएं

1. **घटक-वार निधि आबंटन:**

क) <u>आदर्श ग्राम:</u> चयनित गांवों के लिए कमियों को पूरा करने संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के अंतर्गत कुल आबंटित निधियों का 50% तक।

ख) <u>प्रशासन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन:</u> केंद्रीय स्तर पर टीएसजी और पीआईयू तथा राज्य और जिला स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) की स्थापना और संचालन के लिए योजना के अंतर्गत कुल आबंटित धनराशि का 5% तक।

ग) <u>छात्रावासों का निर्माण/मरम्मत:</u> केंद्रीय संस्थानों के लिए कुल आबंटित निधि का 2% तक उपयोग किया जाएगा और मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे जारी किया जाएगा।

घ) <u>जिला/राज्य स्तर पर परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता:</u> योजना के अंतर्गत उपलब्ध शेष निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में (50% भार) तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की तुलना में वार्षिक योजना में विशेष घटक योजना (जिसे अब राज्य अनुसूचित जाति उप योजना के रूप में जाना जाता है) (50% भार) के अनुपात के आधार पर अस्थायी रूप से आबंटित की जाएगी ।

2. **फंडिंग पैटर्न**

क. यह योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है। हालांकि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी इच्छानुसार अपने संसाधनों से अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ख. योजना के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पूरा होने के बाद, उनके रखरखाव और संचालन का ध्यान राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रखा जाएगा। ऐसी सभी परियोजनाओं के अनुरक्षण, अनुवीक्षण या संचालन के लिए राज्यों के एससीएसपी आबंटन में पर्याप्त प्रावधान रखे जाएंगे।

2025-26 के दौरान उपलब्धियां

1. <u>आदर्श ग्राम घटक</u>: 2025-26 के दौरान कुल 2,751 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। जारी की गई निधि 25.194 करोड़ रुपये है।
2. <u>अनुदान सहायता घटक</u>: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 119.1281 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
3. <u>छात्रावास घटक</u>: 410 लाभार्थियों के लिए कुल 3 नए छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं। जारी की गई निधि 1.0663 करोड़ रुपये है।

सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां

- आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग, तमिलनाडु ने पीएम-अजय के आदर्श ग्राम घटक के तहत जमीनी स्तर पर समावेशी विकास और सामाजिक-आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने, *2,917* गांवों में विकासात्मक हस्तक्षेप करने में प्रभावी अभिसरण और समन्वित कार्यान्वयन का प्रदर्शन किया है।
- 606.14 करोड़ रुपये (2018-19 से) के कुल आबंटन के साथ, जिसमें से 588.89 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है, राज्य ने सराहनीय राजकोषीय अनुशासन और कुशल निष्पादन का प्रदर्शन किया है। चल रहे कार्यों के लिए शेष 17.25 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

- इन पहलों को राज्य और जिला प्रशासन के बीच घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से लागू किया गया था, जिसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार और जीवन की समग्र गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- तमिलनाडु का अनुभव प्रभावी अभिसरण, योजना और वितरण के एक सफल मॉडल को दर्शाता है, जबकि कई अन्य राज्यों में, प्रणालीगत और प्रक्रियात्मक अक्षमताओं के कारण परिणाम सीमित हैं। संस्थागत तंत्र को मजबूत करना, अंतर-विभागीय समन्वय में सुधार करना और अभिसरण-आधारित दृष्टिकोण अपनाना कहीं और अपनाए जाने के लिए प्रमुख कार्यप्रणालियों के रूप में काम कर सकता है।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.7)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1	2021-2022	1800.00	1820.31
2	2022-2023	1000.00	164.01
3	2023-2024	450.00	471.10
4	2024-2025	800.00	736.16
5	*2025-2026*	*1280.00 (अनंतिम)*	*141.9673* (31.12.2025 तक)*

*वर्ष 2021-22 से, पीएम-अजय योजना को 03 मौजूदा उप-योजनाओं अर्थात् (i) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), (ii) अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए से एससीएसपी) और (iii) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) के विलय के बाद कार्यान्वित किया जा रहा है।

बॉक्स 3.7

सफलता की कहानियां:

तमिलनाडु सरकार के आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग ने 2023-24 से 2025-26 के दौरान पीएम-अजय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण और शैक्षिक समावेशन में लगातार प्रगति दिखाई है।

अनुदान सहायता योजना के तहत, विभाग ने निधियों का पूर्ण उपयोग और गतिविधियों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया - 2023-24 में 122.40 करोड़ रुपये से 21,370 व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया गया, 2024-25 में 66.09 करोड़ रुपये 9,335 लाभार्थियों तक पहुंचे और 123 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गईं, एवं 2025-26 में 16.59 करोड़ रुपये से 3,234 व्यक्तियों की सहायता की गई। कोई उपयोग प्रमाण-पत्र लंबित नहीं है, जो सशक्त वित्तीय प्रबंधन और निष्पादन को दर्शाता है।

छात्रावास घटक के तहत, विभाग ने 21.80 करोड़ रुपये की लागत से चेन्नई, नमक्कल, कोयंबटूर, कृष्णागिरी, वेल्लोर, पेरम्बलूर, तंजावुर, शिवगंगई और पुडुकोट्टई में 13 छात्रावासों का निर्माण किया, जिसमें 21.05 करोड़ रुपये 100% केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए गए। सभी छात्रावास पूरे हो गए हैं और पीएचडी, पीजी, यूजी और स्कूली छात्रों को की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, प्रत्येक में 50-100 बिस्तर होते हैं। ये सुविधाएं आवास की कमी का निराकरण करती हैं और शैक्षिक पहुंच, प्रतिधारण और समानता लाने में सहायता करती हैं।

तमिलनाडु का अनुभव प्रभावी योजना, अभिसरण और समय पर प्रदायगी पर प्रकाश डालता है एवं कुशल कार्यान्वयन और समावेशी विकास का एक अनुकरणीय मॉडल प्रदान करता है।

3.8 अनुसूचित जाति के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी)

विजन

योजना आयोग द्वारा अक्टूबर, 2005 और दिसंबर, 2006 में जारी अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के समेकित दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी राज्यों/मंत्रालयों/विभागों को राज्यों/देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में अपने योजना परिव्यय में से एससीएसपी के अंतर्गत निधियां निर्धारित करनी है। (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 16.62% है)।

वर्ष 2010 में योजना आयोग द्वारा अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) पर एक कार्यबल का गठन किया गया और संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए:

चूंकि एससीएसपी का कार्यान्वयन अपर्याप्त था, इसलिए तत्कालीन योजना आयोग ने एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों की जांच करने और इन दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए डॉ. नरेंद्र जाधव, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 04.06.2010 को एक कार्यबल का गठन किया जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव और चार राज्यों के प्रधान सचिव सदस्य थे।

इस कार्यबल ने 25 नवंबर, 2010 को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के संबंध में एससीएसपी/टीएसपी दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में अपनी रिपोर्ट तत्कालीन योजना आयोग को सौंपी। कार्यबल ने निम्नलिखित चार श्रेणियों के तहत एससीएसपी के लिए योजना निधि के मंत्रालय/विभागवार पृथक निर्धारण की सिफारिश की:

I. एससीएसपी (6-मंत्रालय/विभाग) के अंतर्गत अपने योजना परिव्यय का 16.2% से अधिक निर्धारित करना आवश्यक है;
II. एससीएसपी (9-मंत्रालय/विभाग) के अंतर्गत अपने योजना परिव्यय का 15-16.2% निर्धारित करना आवश्यक है;
III. एससीएसपी (10-मंत्रालय/विभाग) आंशिक निर्धारण करना आवश्यक है (एससीएसपी के संबंध में 15% से कम); तथा
IV. एससीएसपी (43-मंत्रालय/विभाग) के अंतर्गत निधि निर्धारित करने की कोई बाध्यता नहीं है।

उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसरण में, **अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना के (डीएपीएससी) अंतर्गत निधियां निर्धारित करने वाले मंत्रालयों/विभागों की संख्या** नीचे तालिका में दी गई है:

(तालिका 3.8.1)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
निर्धारित राशि > 16.2 %	12	12	7	9	16	18	17	17	17	17	17	13
निर्धारित राशि 15-16.2 %	1	1	5	6	1	1	0	0	1	2	2	2
निर्धारित राशि 15 % से कम	9	9	13	11	13	16	20	21	21	20	20	23
कुल	**22**	**22**	**25**	**26**	**30**	**35**	**37**	**38**	**39**	**39**	**39**	**38**

पृथक दृष्टिकोण का सुझाव इस तथ्य के मद्देनजर दिया गया था कि सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए सर्वव्यापी दिशा-निर्देश व्यावहारिक नहीं थे क्योंकि इन चार श्रेणियों के मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति अलग-अलग थी। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए कुल मिलाकर निधियों का निर्धारण 16.2% होगा जैसा कि पहले के दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित किया गया था।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना का मूल्यांकन:

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने वर्ष 2017-18 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लघु शीर्ष **"789"** के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए परिव्यय दर्शाना शुरू किया। तब से वित्त मंत्रालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अपने बजट दस्तावेज़ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय के आंकड़े उपलब्ध करा रहा है।

डीएपीएससी (पूर्ववर्ती एडब्ल्यूएससी/एससीएसपी) के अंतर्गत **सभी मंत्रालयों/विभागों के बजट आबंटन** और वित्त वर्ष **2014-15** से **वास्तविक व्यय** का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(तालिका 3.8.2)

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	**सभी मंत्रालयों/विभागों के डीएपीएससी (पूर्ववर्ती एडब्ल्यूएससी /एससीएसपी)**		**वास्तविक व्यय**	**उपयोग का %**
	बजट अनुमान	**संशोधित अनुमान**		
2014-15	50,548.16	33,638.11	30,035.07	89.29
2015-16	30,850.88	34,674.74	30,603.70	88.26
2016-17	38,832.63	40,919.70	34,333.67	83.90
2017-18	52,392.55	52,719.00	48,200.79	91.43
2018-19	56,618.50	62,473.86	52,655.37	84.28
2019-20	81,340.74	72,936.29	61,894.10	84.86
2020-21	83,256.62	82,707.51	61,280.19	74.09
2021-22	1,26,259.20	1,39,956.42	1,18,441.17	84.63
2022-23	1,42,342.36	1,52,604.29	1,36,331.89	89.34
2023-24	1,59,126.22	1,46,861.08	1,32,167.84	90.00
2024-25	1,65,492.72	1,38,362.52	1,17,294.06	84.77
2025-26	1,68,475.26	एनए	82,569.66	49.01 (ब.अ.)

(*स्रोत: **e-utthaan.gov.in पोर्टल)**

बजट वर्ष 2017-18 से योजना और गैर-योजना व्यय को मिला दिया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत योजनाओं और कार्यक्रमों का कुल बजट आबंटन, जिसमें से एससीएसपी आबंटन किया गया है, **11,61,993.28** करोड़ रुपये है, जिसमें से **1,68,475.26** करोड़ रुपये (बीई) अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आबंटित किए गए हैं, जो चिह्नित योजनाओं के तहत कुल आबंटन का **14.50%** है। कुल **38** मंत्रालय/विभाग/संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत निधि आबंटित कर रहे हैं।

वर्ष 2017-18 से 2025-26 (31.12.2025 तक) तक डीएपीएससी के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

(तालिका 3.8.3)

(रुपये करोड़ में)

मद	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
योजनाओं की संख्या	296	314	338	328	312	286	250	243	229
विभागों/मंत्रालयों की संख्या	26	30	35	37	38	39	39	39	38
डीएपीएससी /एससीएसपी आबंटन	52,719.00	62,473.86	72,936.29	82,707.51	1,39,956.42	1,52,604.29	1,46,861.08	1,38,362.52	1,68,475.26 (बी.ई.)
वास्तविक व्यय	48,200.79	52,655.37	61,894.10	61280.19	1,18441.17	136331.89	132167.84	1,17,294.06	82569.66
%ता	91.43	84.28	84.86	74.09	84.63	89.34	90.00	84.77	49.01 (ब.अ.)

(*स्रोत: **e-utthaan.gov.in पोर्टल)**

मंत्रिमंडल सचिवालय ने संशोधित कार्य आबंटन नियम जारी किए हैं, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को वर्ष 2017-18 से नीति आयोग द्वारा तैयार समग्र ढांचे के आधार पर अनुसूचित जाति उप-योजना की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। विभाग के एनआईसी सेल ने नीति आयोग द्वारा तैयार प्रारूपों के अनुसार वित्तीय, वास्तविक और परिणाम आधारित निगरानी संकेतकों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से आंकड़े ऑनलाइन कैप्चर करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है और यह कार्य कर रहा है। वास्तविक समय के आधार पर वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए वेब पोर्टल को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से जोड़ा गया है। वित्तीय, वास्तविक और परिणाम आधारित निगरानी के लिए **ई-उत्थान** वेब पोर्टल होस्ट किया गया है। संबंधित विभाग/मंत्रालय के नोडल अधिकारियों को यूजर-आईडी और पासवर्ड तैयार

कर जारी कर दिये गये हैं। डीएपीएससी घटक के तहत प्रत्येक योजना के वास्तविक लक्ष्यों, उपलब्धियों और परिणामी प्रगति की जानकारी संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर अद्यतित की जाती है।

3.9 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 (पीसीआर पीओए) के प्रवर्तन के लिए तंत्र को सुदृढ़ करना

विजन

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीसीआर अधिनियम), **1955,** और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, **1989** के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ताकि कमजोर समुदायों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा सामना किए जा रहे अत्याचारों, भेदभाव और सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए निवारक और सुधारामक उपायों के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है।

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाकर सामाजिक समावेशन, सद्भाव, न्याय और समानता को बढ़ावा देना तथा उनके समग्र विकास और कल्याण के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है।

अधिदेश

योजना के अधिदेश में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके पीसीआर अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना।

ii. इन अधिनियमों के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिए गए अधिकारों और सुरक्षा के बारे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सिविल सोसायइटी को शिक्षित करने के उद्देश्य से जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रमों का समर्थन करना।

iii. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों के शीघ्र पंजीकरण, जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना, पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय, राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करना।

iv. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार और भेदभाव को रोकने के लिए सक्रिय उपायों को बढ़ावा देना।

कुल मिलाकर, यह अधिदेश पीसीआर अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों और हितों की रक्षा तथा अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किए जाने पर केंद्रित है।

मुख्य विशेषताएं

पीसीआर अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। केंद्रीय सहायता मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित के लिए जारी की जाती है:

i. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अत्याचारों से संबंधित मामलों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण प्रकोष्ठ और विशेष पुलिस स्टेशनों की कार्यपद्धति और उसका सुदृढ़ीकरण करना।
ii. न्यायिक तंत्र को मजबूत बनाना और प्रवर्तन करना।
iii. अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास।
iv. अंतर-जातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन जहां पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का सदस्य है।
v. जागरूकता सृजित करना और प्रचार करना।

योजना का फंडिंग पैटर्न इस प्रकार है कि प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त कुल व्यय को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित) के बीच 50:50 के आधार पर साझा किया जाएगा, जबकि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (विधान मंडल रहित) को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से केंद्रीय सहायता के लिए प्रतिवर्ष प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर तथा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों को जारी करने की प्रक्रिया संबंधित अनुदेशों जिसमें एकल नोडल खाता (एसएनए) तंत्र पर अनुदेश भी शामिल हैं, के आधार पर जारी की जाती है।

अत्याचारों के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए दिसंबर 2021 में एनएचएए लॉन्च किया है, जिसे निवारण के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को भेजा जाता है।

हेल्पलाइन नंबर:

- टोल-फ्री आईएन: **1800-202-1989**
- शॉर्ट कोड: **14566**

दिसंबर 2021 में इसकी शुरुआत के बाद से, एनएचएए ने 8257 शिकायतें दर्ज की हैं और अब तक 6626 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। संलग्नक में राज्यवार आंकड़े दिए गए हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान उपलब्धियां

पीसीआर अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना एक विकासोन्मुख योजना नहीं, बल्कि एक विधायी योजना है। इस योजना को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह विभाग केंद्र प्रायोजित योजना के तहत इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। अत्याचार पीड़ितों/आश्रितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने, अंतर-जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन देने, जहां पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति का सदस्य है, अधिनियमों के बारे में जागरूकता सृजित करने, न्यायिक तंत्र को मजबूत बनाने और लागू करने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ और विशेष पुलिस स्टेशनों का कामकाज और सुदृढ़ीकरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता जारी की जाती है।

योजना के तहत केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए वित्तीय प्रस्ताव के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राहत प्रदान किए गए अत्याचार पीड़ितों/आश्रितों की संख्या, प्रोत्साहन प्रदान किए गए अंतर-जातीय विवाह जोड़ों की संख्या आदि के संबंध में विवरण प्रदान किया जाता है। इसलिए, वित्त वर्ष 2025-26 में अंतर-जातीय विवाह जोड़ों के लिए राहत प्रदान किए गए पीड़ितों/आश्रितों की संख्या और प्रोत्साहन प्रदान किए गए जोड़ों की संख्या के संबंध में विवरण वित्त वर्ष 2026-27 के वित्तीय प्रस्तावों के साथ प्राप्त होगा। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में उपलब्ध सूचना/आंकड़े निम्नानुसार हैं -

i. वित्त वर्ष 2014-15 से अब तक लगभग 8,23,169 अत्याचार पीड़ितों/आश्रितों को राहत प्रदान की गई है।
ii. वित्त वर्ष 2014-15 से लगभग 2,57,640 अंतरजातीय विवाह जोड़ों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।
iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज मामलों के त्वरित जांच के लिए 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 217 अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों को भी नामित किया है।
iv. एफआईआर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है। तथापि, इस अधिनियम के अंतर्गत 07 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 181 विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां:

पीसीआर अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। यह विभाग केंद्र प्रायोजित योजना के तहत इन अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। इन अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताई गई सर्वोत्तम पद्धतियां इस प्रकार हैं:

1. <u>आंध्र प्रदेश</u>

- आन्ध्र प्रदेश ने सूचित किया है कि 9 ई-लर्निंग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस कांस्टेबल रैंक के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके पूरा होने पर प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।
- समय-समय पर प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाते हैं।

- इसके अलावा, प्रासंगिक अधिनियमों के प्रशिक्षण, अनुसंधान और समझ के लिए 28.09.2025 से पांच साल की अवधि के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (नालसार) विश्वविद्यालय के साथ एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है।

2. गोवा

- गोवा ने सूचित किया है कि जांच और परीक्षण प्रक्रियाओं में पारर्दिशता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम और पीसीआर अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में वीडियोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

3. हरियाणा

- हरियाणा ने सूचित किया है कि हरियाणा अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) आकस्मिकता योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के अत्याचार पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को तत्काल राहत प्रदान की जाती है।
- इसके अलावा, मृत व्यक्ति के आश्रित को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) नियम, 1995 के नियम 12(4) के **संलग्नक-I** के क्रम संख्या 46 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति प्रदान की जाती है।

4. हिमाचल प्रदेश

- पुलिस, अभियोजन और शिक्षा जैसे विभागों और अन्य संबंधित हितधारकों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- अधिनियमों और योजनाओं के प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस द्वारा जिला और स्थानीय, दोनों स्तरों पर सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

5. उत्तराखंड

- उत्तराखंड ने सूचित किया है कि अधिनियमों के प्रावधानों के संबंध में सूचना के प्रसार के लिए अस्पतालों, मंडल कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वॉल पेंटिंग सहित जागरूकता शिविरों और प्रचार कार्यकलापों के आयोजन के लिए समय-समय पर निदेश जारी किए जाते हैं।

6. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने जनजातीय *समुदायों के स्वास्थ्य की रक्षा करने, उनके विलुप्त होने को रोकने और राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से* अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति (एएजेवीएस) का गठन किया है।
- एएजेवीएस जनजातीय समुदायों के लिए कल्याण और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों के बीच समन्वय की सुविधा भी प्रदान करता है।

7. पुदुच्चेरी

- पुदुच्चेरी ने सूचित किया है कि ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच अनुसूचित जाति की बस्तियों में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों के दौरान विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक योजनाओं को प्रमुखता से दिखाते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।

इसके अलावा, शिकायतों को दर्ज करने और ट्रैक करने का कार्य सीसीटीएनएस-आधारित प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, जो 24x7 आधार पर कार्य करता है।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.9)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई) (रुपए करोड़ में)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय (रुपए करोड़ में)
1.	2021-2022	600.00 (पुनर्विनियोजन के माध्यम से निधियां प्राप्त करने के बाद 10.11 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया था)	610.11
•	2022-2023	500.00	392.70
3	2023-2024	500.00 (पुनर्विनियोजन के माध्यम से निधियां प्राप्त करने के बाद 31.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया है)	535.70
4.	2024-2025	500.00	495.29
5.	2025-2026	463.00 करोड़ (सं.अ.)	420.59 करोड़ (31.12.2025 तक)

3.10 अनुसूचित जातियों के लिए लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)

विजन

लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) की परिकल्पना अनुसूचित जाति समुदायों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है।

अधिदेश

श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के बीच शैक्षिक समानता और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देना है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना।

- अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रतिधारण, उपस्थिति और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना।
- गरीबी, कमजोर स्कूली शिक्षा परिवेश और शैक्षणिक सहायता की कमी से उत्पन्न होने वाली ड्रॉपआउट दर को कम करें।
- पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, सलाह और मनोसामाजिक समर्थन के साथ एक सुरक्षित, संरचित और सहायक आवासीय पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करना।
- अनुसूचित जाति के मेधावी और कमजोर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक उन्नति के मार्ग को सक्षम बनाना।

योजना का डिजाइन

यह योजना दोहरे मोड डिजाइन के माध्यम से लागू की गई है, जो छात्रों की आवश्यकता और संस्थागत संदर्भ के आधार पर अलग-अलग हस्तक्षेप की अनुमति देती है।

मोड-I: शीर्ष निजी आवासीय विद्यालय

- मुख्य रूप से सीबीएसई/राज्य बोर्डों से संबद्ध सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के माध्यम से अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को लक्ष्य करती है।
- छात्रों का चयन एक राष्ट्रव्यापी मेरिट-आधारित परीक्षा- एनटीए *द्वारा आयोजित श्रेष्ठ* (एनईटीएस) के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है ।
- निर्धारित सीमा तक ट्यूशन फीस और छात्रावास शुल्क को कवर करते हुए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- कक्षा 9 या 11 से कक्षा 12 के पूरा होने तक वित्तपोषित छात्रों के साथ अकादमिक उत्कृष्टता, प्रदर्शन और आकांक्षा-निर्माण पर जोर दिया जाता है।
- शैक्षणिक और सामाजिक समायोजन की सुविधा के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम और परामर्श सहायता शामिल है।

मोड-II: एनजीओ/वीओ-प्रबंधित आवासीय विद्यालय और छात्रावास

- विशेष रूप से ग्रामीण, दूरस्थ और कम सेवा वाले अनुसूचित जाति बहुलता वाले क्षेत्रों में व्यापक पहुंच और समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- एनजीओ/वीओ-द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की सहायता करती है जो निर्धारित बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक और शासन मानकों को पूरा करते हैं।

- बुनियादी ढांचे, स्टाफिंग, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और छात्र सुरक्षा के लिए मजबूत मानदंडों के साथ लागत प्रभावी, समुदाय-आधारित आवासीय शिक्षा पर बल दिया जाता है।
- लगातार सहायता देना सही प्रदर्शन पर निर्भर है और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित किया जाता है।

वर्ष 2025-26 के दौरान उपलब्धियां

श्रेष्ठ योजना के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मोड-1 में, 6,622 अनुसूचित जाति के छात्रों के संबंध में शुल्क की प्रतिपूर्ति निजी स्कूल को स्कूल और छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है।

मोड-2 में, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अग्रिम अनुदान का 40% स्थायी कार्यालय प्रक्रिया के अनुसार 2238 लाभार्थी छात्रों को जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा संचालित स्कूलों और छात्रावास परियोजनाओं का निरीक्षण वर्तमान में चल रहा है। शेष अनुदान निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा।

वित्तीय उपलब्धियां (31.12.2025 तक)

(तालिका 3.10)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1.	2019-2020	70.00	67.17
2	2020-2021	125.00	56.05
3.	2021-2022	63.21	38.04
4.	2022-2023	89.00	51.12

5.	2023-2024	90.00	81.57
6.	2024-2025	110. 00	109.98
7.	2025-2026	140.00 (ब.अ.)	103.47

बॉक्स 3.10

सफलता की कहानियां:

सफलता की कहानियां - श्रेष्ठ के माध्यम से शैक्षिक आकांक्षा सक्षम

श्रेष्ठ योजना ने निम्नलिखित प्रकार से अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षिक यात्रा को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई:

- वित्तीय सहायता जिसने घरेलू बोझ को कम किया,
- प्रेरक प्रोत्साहन जिसने उसकी आकांक्षाओं को मजबूत किया, और
- सामाजिक-आर्थिक सीमाओं के बावजूद दीर्घकालिक शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का आत्मविश्वास।

डोली आर्थिक रूप से कमजोर घर से आती हैं, उनके पिता दिहाड़ी मज़दूर के रूप में काम करते हैं। सीमित और अनियमित आय ने बुनियादी स्कूली शिक्षा के बाद शिक्षा को जारी रखना एक निरंतर चुनौती बना दिया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पहली पीढ़ी के अनेक शिक्षार्थियों की तरह, वित्तीय बाधाओं ने शैक्षिक व्यवधान का एक बड़ा जोखिम पैदा किया

डोली ने डलहौजी पब्लिक स्कूल, डलहौजी में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, जहां शिक्षकों के लगातार मार्गदर्शन ने उन्हें एक मजबूत शैक्षणिक नींव बनाने में मदद की। मोड-I के तहत संस्थागत सलाह और श्रेष्ठ सहायता के संयोजन ने उनके शैक्षणिक अनुशासन और आत्म-विश्वास को मजबूत किया।

निरंतर कड़ी मेहनत और दृढ़ता के माध्यम से, डोली ने भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक, भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में सफलतापूर्वक प्रवेश प्राप्त किया। वह वर्तमान में सिविल इंजीनियरिंग कर रही है, जो उसकी शैक्षिक और सामाजिक गतिशीलता यात्रा में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान है।

लाभार्थी के विचार

"श्रेष्ठ योजना ने मुझे सीमाओं के बावजूद अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन, प्रेरणा और आत्मविश्वास दिया। मुझे उम्मीद है कि सरकार वित्तीय सहायता और शैक्षणिक मार्गदर्शन के माध्यम से मेरे जैसे छात्रों का समर्थन करना जारी रखेगी, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें।

श्रेष्ठ के मोड-2 के तहत सफलता की कहानियां:

***राजस्थान की रहने वाली सुश्री उर्मिला थिकाया** ने 99.60 % अंकों के साथ उत्तीर्ण होने के बाद 12वीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने मानव उत्थान जन जाग्रति एवं विकास संस्थान द्वारा संचालित राजस्थान के बलराव जिले के महादेव आदर्श विद्यालय से पढ़ाई की। उसे श्रेष्ठ योजना के मोड-II के तहत वित्तीय सहायता मिली है। उनके पिता, श्री पोकर राम ठिकाया एक छोटे किसान हैं। आर्थिक तंगी के कारण उनके लिए शिक्षा हासिल करना चुनौतीपूर्ण था। श्रेष्ठ के मोड-II के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने से उन्हें 12वीं कक्षा में 99.6% अंक प्राप्त करने में मदद मिली। उनकी सफलता को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले ने सुगम बनाया।*

श्रेष्ठ योजना के परिणाम और प्रभाव:

- गंभीर वित्तीय बाधाओं के बावजूद शिक्षा जारी रखना
- प्रमुख उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलना
- बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, आकांक्षा और लचीलापन
- पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए आगे लगातार शैक्षिक मोबिलिटी का प्रदर्शन।

3.11 राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)

विजन

सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों(एसएसडब्ल्यू) के कल्याण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना और 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार (एसआरएमएस)' के तत्कालीन घटक वाली राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) वित्त वर्ष 2023-24 में शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 से योजना के तहत कचरा बीनने वालों को लक्षित समूह के रूप में जोड़ा गया है। इस योजना में एक सक्षम इकोसिस्टम बनाकर शहरी भारत में स्वच्छता श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान की परिकल्पना की गई है जो स्वच्छता श्रमिकों को स्वच्छता बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में मान्यता देता है। कचरा बीनने वालों को विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से सशक्त बनाकर सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आजीविका भी प्रदान की जाती है।

अधिदेश

नमस्ते के लक्ष्य इस प्रकार हैं: -

<u>सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिक(एसएसडब्ल्यू)</u>

- शहरी भारत में स्वच्छता श्रमिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर जो स्वच्छता श्रमिकों को स्वच्छता अवसंरचना के संचालन और रखरखाव में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में मान्यता देता है।
- जोखिमपूर्ण सफाई पर अंकुश लगाने और शून्य स्वच्छता मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना।
- स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) के तहत स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं की खरीद के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके पात्रता और वैकल्पिक आजीविका सहायता प्रदान करना ताकि स्वच्छता श्रमिकों की कमजोरियों को कम किया जा सके और स्वच्छता कार्य में पीढ़ीगत अंतर को तोड़ा जा सके।

पूर्ववर्ती एसआरएमएस के घटकों का 2023-24 से नमस्ते योजना में विलय कर दिया गया है।

<u>कचरा बीनने वाले घटक</u>

नमस्ते योजना के कचरा बीनने वाले घटक का उद्देश्य कचरा संग्रह, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण में कचरा बीनने वालों के योगदान को पहचानना और मजबूत करना है; उन्हें पीएमजेएवाई के तहत आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना; और विभिन्न योजना हस्तक्षेपों के माध्यम से सुरक्षित, सम्मानजनक और निरंतर आजीविका प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएं

तरल अपशिष्ट प्रबंधन में नमस्ते योजना के प्राथमिक लक्ष्य समूह में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिक (एसएसडब्ल्यू) जो सीधे तौर पर निम्नलिखित में लगे हुए हैं:
  - सेप्टिक टैंक खाली करना
  - सीवरेज नेटवर्क की सफाई
- निम्नलिखित द्वारा लगाए गए श्रमिक:
  - शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)
  - पैरास्टेटल एजेंसियां
  - निजी स्वच्छता सेवा संगठन (पीएसएसओ)
  - निजी ठेकेदार

नमस्ते योजना के एसएसडब्ल्यू घटक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **शून्य मृत्यु सुनिश्चित करना:** जोखिमपूर्ण मैनुअल सफाई को केवल असाधारण स्थितियों तक सीमित करना।
- **मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना:** खतरनाक कचरे के साथ प्रत्यक्ष मानवीय संपर्क को कम करने के लिए मशीनीकृत सफाई कराना।
- **कार्यबल को औपचारिक बनाना:** सभी स्वच्छता कार्यों के लिए केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **स्वच्छता कर्मचारियों को सशक्त बनाना:** कौशल विकास, वित्तीय सहायता और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराना (उदाहरण के लिए, "सैनिप्रिन्योर्स" बनना)।
- **स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा:** श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य सामाजिक लाभ प्रदान करना।
- **व्यवहार परिवर्तन:** सुरक्षित स्वच्छता कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए जनता और संस्थानों के बीच जागरूकता बढ़ाना।

कचरा बीनने वाले घटक

नमस्ते योजना के कचरा बीनने वाले घटक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- **गणना और पहचान:** नमस्ते एप्लिकेशन के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग और सत्यापन, और यूएलबी/पीआरआई द्वारा नमस्ते कार्ड जारी करना।
- **व्यावसायिक सुरक्षा और कौशल उन्नयन:** स्वास्थ्य सुरक्षा और बेहतर काम करने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पीपीई किट प्रदान करने के साथ-साथ व्यावसायिक खतरों पर सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना।
- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) में एकीकरण:** शुष्क अपशिष्ट संग्रह केंद्रों के प्रबंधन के लिए यूएलबी या ग्राम पंचायतों के साथ कचरा बीनने वाले समूहों/एसएचजी की औपचारिक भागीदारी और अपशिष्ट संग्रह वाहनों के लिए पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान।
- **सामाजिक सुरक्षा लिंकेज:** आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई, बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण जैसी योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना।
- **जागरूकता और आईईसी गतिविधियां:** अपशिष्ट पृथक्करण को बढ़ावा देने, कचरा बीनने वालों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और उपलब्ध लाभों में उनके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाना।

वर्ष 2025-26 (31.12.2025) के दौरान उपलब्धियां:

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नमस्ते एसएसडब्ल्यू घटक की प्रगति

- वर्ष 2025-26 में 9487 सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिक (एसएसडब्ल्यू) की प्रोफाइलिंग की गई है। अब तक कुल प्रोफाइल किए गए एसएसडब्ल्यू 90,915 हैं।
- अब तक कुल 85,743 पीपीई किट का आदेश दिया/भेजा जा चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 39,872 किट वितरित की गई हैं।
- 336 कर्मचारी प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) सुरक्षा उपकरणों का आदेश दिया गया/भेजा गया। अब तक वितरित की गई कुल ईआरएसयू सुरक्षा किट 690 हैं।
- स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) - 147 लाभार्थियों को पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई। अब तक, सब्सिडी के तहत कुल 810 स्वच्छता कर्मचारियों को कवर किया गया है।
- वर्ष 2025-26 में 328 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं। अब तक 1328 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 'नमस्ते' कचरा बीनने वाले घटक की प्रगति

- 1,30,807 कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग की गई।
- शहरी क्षेत्रों में कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग का काम चल रहा है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा।
- पीपीई किट का वितरण -7,499
- संसाधन संगठन-78
- नमस्ते योजना के तहत अनौपचारिक कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग में सहायता करने और योजना के तहत सूखा अपशिष्ट संग्रह केंद्र (डीडब्ल्यूसीसी) स्थापित करने के लिए अपने स्वयं सहायता समूहों के गठन का समर्थन करने के लिए संसाधन संगठनों (आरओ) को पैनल में शामिल किया गया है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नमस्ते एसआरएमएस घटकों की प्रगति

- स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी-60 अब तक, कुल परियोजनाएं: 2,652
- चिह्नित मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए प्रशिक्षण-2003 अब तक, कुल प्रशिक्षण: 27,928

वित्त वर्ष 2025-26 में योजना/गतिविधि/कार्यक्रम के तहत सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां/सफलता की कहानियां:

सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिक (एसएसडब्ल्यू)

नमस्ते के तहत ट्राइपॉड, फुल बॉडी हार्नेस और अन्य फॉल प्रोटेक्शन उपकरण जैसे ईआरएसयू सुरक्षा किट के हिस्से के रूप में आपूर्ति किए गए सुरक्षा उपकरणों के सही और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, मूल निर्माता को सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई की रोकथाम पर कार्यशालाओं में ऑन-ग्राउंड जागरूकता सत्र और वास्तविक प्रदर्शन करने के लिए कुछ स्थानों पर श्रेणीबद्ध किया गया था।

कचरा बीनने वाला घटक

1. यह स्वीकार करते हुए कि अधिकांश कचरा बीनने वाले अनौपचारिक रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) मूल्य श्रृंखला में लगे हुए हैं और औपचारिक प्रणाली से बाहर हैं, इस योजना ने कचरा बीनने वालों के साथ काम करने के महत्वपूर्ण अनुभव वाले संसाधन संगठनों को सूचीबद्ध किया है। ये संगठन अनौपचारिक कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग में सहायता करते हैं और योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों के विस्तार की सुविधा प्रदान करते हैं।

2. सटीक पहचान सुनिश्चित करने और लाभों के निर्बाध वितरण को सक्षम करने के लिए, योजना के तहत कचरा बीनने वालों को ई-केवाईसी की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह प्रक्रिया यूआईडीएआई डेटाबेस से सत्यापित विवरण प्राप्त करती है, जिससे नमस्ते पोर्टल में लाभार्थियों की प्रामाणिकता और सुचारू एकीकरण सुनिश्चित होता है।

एसआरएमएस/नमस्ते योजना की वित्तीय उपलब्धियां

तालिका 3.11

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1.	**2021-22***	43.31	39.00
2.	**2022-23***	70.00	11.10
3.	**2023-24**	30.06	30.06
4.	**2024-25**	50.00	47.625
5.	**2025-26**	110.00	93.94 (31.12.2025 तक)

बॉक्स 3.11

सफलता की कहानियां - स्वरोजगार परियोजनाएं

असम के गोलाघाट के रहने वाले श्री अमन बास्फोर की पहचान मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में की गई थी। गरीबी और सामाजिक कलंक के इस चक्र से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, उन्होंने इस पेशे को पीछे छोड़ने की कोशिश की।

*उन्होंने वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए बैंक से ऋण के लिए आवेदन किया, जिसके लिए उन्हें सितंबर 2025 में नमस्ते योजना के तहत एनएसकेएफडीसी से 3,18,650/- रुपये की पूंजीगत सब्सिडी भी मिली। इस वित्तीय सहायता के साथ, उन्होंने एक **टाटा मैजिक वाहन** खरीदा है, जिससे वह प्रति माह ₹20,000 कमा सकते हैं।*

अजय सिंह की पत्नी श्रीमती लवली देवी असम के गोलाघाट की रहने वाली हैं। उनके पति पहले हाथ से मैला उठाने की अपमानजनक और अमानवीय प्रथा में लगे हुए थे।

*एक नई शुरुआत करने के लिए, लवली देवी ने असम ग्रामीण विकास बैंक से 3,03,446/- रुपये का ऋण लिया और सितंबर 2025 के महीने में नमस्ते योजना के तहत एनएसकेएफडीसी से 2,67,816/- रुपये की पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त की। इस वित्तीय सहायता से उन्होंने एक **कमर्शियल वाहन (टाटा एसीई)** खरीदा, जिससे वह प्रति माह लगभग ₹18,000 कमा सकती है।*

<u>सफलता की कहानियां - स्वच्छता उद्यमी योजना</u>

ड्राइविंग चेंज: नमस्ते के तहत उभर रही स्वच्छता उद्यमियों की नई पीढ़ी

नमस्ते योजना के स्वच्छता उद्यमी योजना घटक के अंतर्गत विजयवाड़ा नगर निगम (वीएमसी), आन्ध्र प्रदेश के अंतर्गत पांच सफाई कर्मचारियों अर्थात् श्री बंडारू वेंकट नारायण, श्री तातीकोंडा रामबाबू, श्रीमती बंडारू प्रभावती, श्री अड्डंकी वेंकट रमना और श्री अड्डंकी सरस्वती ने सामूहिक रूप से एक विशेष प्रयोजन वाहन माउंटेड सक्शन मशीन खरीदी है जो उच्च-वैक्यूम सक्शन सिस्टम से लैस है।

इस पहल को नमस्ते के तहत ₹18.75 लाख की अग्रिम पूंजी सब्सिडी द्वारा समर्थित किया गया था, जबकि कुल परियोजना लागत ₹49.16 लाख थी। वीएमसी द्वारा किराए पर लिए गए वाहन के साथ, लाभार्थियों को नियमित काम, स्थिर आय और बेहतर व्यावसायिक सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है।

यह हस्तक्षेप दर्शाता है कि कैसे लक्षित वित्तीय सहायता और मशीनीकरण स्वच्छता कर्मचारियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और टिकाऊ आजीविका में बदलने में सक्षम बना सकता है, जो अन्य शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक सशक्त उदाहरण स्थापित करता है।

कार्य में गरिमा: सीवर कर्मचारी से स्वच्छता उद्यमी बनना।

उदयपुरवाटी नगर पंचायत में नमस्ते के तहत प्रोफाइल किए गए एक सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर (एसएसडब्ल्यू आईडी: 46432861) शिवलाल सीवर और सेप्टिक टैंक कार्यकर्ता की छवि से दूर जाने और एक सुरक्षित, सम्मानजनक आजीविका प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। नमस्ते के तहत मार्गदर्शन और समर्थन से उन्होंने अपना खुद का वाहन खरीदकर स्वयं को एक स्वच्छता उद्यमी के रूप में बदल लिया।

इस आकांक्षा को साकार करने के लिए, शिवलाल को योजना के तहत ₹4,08,500 की अग्रिम पूंजी सब्सिडी मिली, जो कुल वाहन लागत ₹11,34,000 का भाग है। इस सहायता ने उन्हें मशीनीकृत स्वच्छता सेवा क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम बनाया, जिससे अधिक सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

शिवलाल की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि कैसे नमस्ते स्वच्छता कर्मचारियों को गरिमा पुनः प्राप्त करने, व्यावसायिक जोखिमों को कम करने और बेहतर भविष्य के लिए स्थायी उद्यमों का निर्माण करने के लिए सशक्त बना रही है।

3.12 अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) और पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-बीसी) सहित अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी)

विजन

वीसीएफ-एससी :

- अनुसूचित जातियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराकर भारत में उद्‌यमशीलता को बढ़ावा देना।
- परियोजनाओं/इकाइयों में निवेश कर निवेश की निधियों से परिसंपत्ति निर्माण सुनिश्चित करना।

एएसआईआईएम:

- प्रौद्‌योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीबीआई) के साथ सहक्रिया कार्य के माध्यम से नवीन विचारों का समर्थन करना।
- उदार इक्विटी सहायता प्रदान करके स्टार्ट-अप विचारों को वाणिज्यिक स्तर तक पहुंचने तक समर्थन देना, बढ़ावा देना और सहायता प्रदान करना।

वीसीएफ-बीसी:

- पिछड़े वर्गों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराकर भारत में उद्‌यमशीलता को बढ़ावा देना।
- परियोजनाओं/इकाइयों में निवेश कर निवेश की गई निधियों से परिसंपत्ति निर्माण सुनिश्चित करना।

अधिदेश

वीसीएफ एससी :

- क- अनुसूचित जाति की आबादी जो नवाचार और विकास प्रौद्‌योगिकियों की ओर उन्मुख है, के बीच उद्‌यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक क्षेत्र की पहल को लागू किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति के उद्‌यमियों को रियायती ऋण प्रदान करने का लक्ष्य, जो समाज के लिए संपदा और मूल्य का सृजन करेंगे और साथ ही लाभकारी व्यवसायों को बढ़ावा देंगे;
- इस प्रकार बनाई गई परिसंपत्तियां आगे/पीछे की कड़ी भी बनाएँगी, साथ ही क्षेत्र में श्रृंखला प्रभाव भी पैदा करेंगी;
- अनुसूचित जाति के उद्‌यमियों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और उन्हें अनुसूचित जाति समुदायों के आगे विकास के लिए प्रेरित करना।
- भारत में अनुसूचित जाति की आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन को बढ़ाना।

एएसआईआईएम:

- इस पहल के तहत, प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटरों के साथ मिलकर एक व्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जाति के युवाओं की 1,000 पहलों की पहचान की जाएगी और उन्हें तीन साल की अवधि में इक्विटी के रूप में 30 लाख रुपये तक का वित्तपोषण किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य नवोन्मेषी छात्रों को नौकरी की तलाश किए बिना नवाचार और उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

वीसीएफ-बीसी:

- पिछड़े वर्ग (बीसी) की आबादी जो नवाचार और विकास प्रौद्योगिकियों की ओर उन्मुख है, के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक क्षेत्र की पहल को लागू किया जाएगा।
- बीसी उद्यमियों को रियायती ऋण प्रदान करने का लक्ष्य, जो समाज के लिए संपदा और मूल्य का सृजन करेंगे और साथ ही लाभदायक व्यवसायों को बढ़ावा देंगे।
- इस प्रकार बनाई गई परिसंपत्तियां आगे/पीछे की कड़ी भी बनाएंगी, साथ ही क्षेत्र में श्रृंखला प्रभाव भी पैदा करेंगी।
- पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और उन्हें पिछड़े वर्ग के समुदायों के आगे विकास के लिए प्रेरित करना।
- भारत में पिछड़े वर्ग की आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन को बढ़ाना।

मुख्य विशेषताएं

वीसीएफ-एससी:

पात्रता:

- विनिर्माण, सेवा और संबद्ध क्षेत्रों तथा स्टार्ट अप में परियोजनाएं/इकाइयां
- 6/12 महीनों से प्रचालनरत।
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा कम से कम 51% हिस्सेदारी वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका प्रबंधन नियंत्रण उनके पास हो।

समग्र निधि की मात्रा/आकार (केवल वित्तपोषण के लिए):

- कंपनी में निवेश का आकार 0.10 करोड़ रुपये से 15.00 करोड़ रुपये तक के बीच है।

फंडिंग पैटर्न: वित्तीय सहायता इस प्रकार होगी:

- 5 करोड़ रुपये तक - परियोजना लागत का 75% तक
- 5 करोड़ रुपये से अधिक - परियोजना लागत का 50% तक
- सरकारी सब्सिडी के मामले में: प्रमोटरों को परियोजना लागत का कम से कम 15% योगदान देना होगा।

अवधि:

- कंपनी में निवेश की अवधि 10 वर्ष तक है जिसमें 36 महीने तक की अधिस्थगन अवधि भी शामिल है

एएसआईआईएम:

पात्रता:

- टीबीआई, अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी), प्रौद्योगिकी/औद्योगिक पार्क, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) द्वारा उन युवाओं की पहचान की गई जिन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) या डीएसटी के अलावा और भारत सरकार द्वारा समर्थित अन्य इनक्यूबेशन सेंटर द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है ।
- ऐसे युवा जिन्हें प्रतिष्ठित निजी टीबीआई द्वारा इनक्यूबेशन के लिए चिह्नित की गई है।
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन या स्मार्ट इंडिया हार्डवेयर हैकाथॉन के तहत पुरस्कृत छात्र।
- सार्वजनिक, निजी क्षेत्र में टीबीआई में अभिज्ञात समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास पर केंद्रित अभिनव विचार।
- सीएसआर फंड के माध्यम से कॉर्पोरेट द्वारा नामित और समर्थित स्टार्ट-अप।
- अनुसूचित जाति उद्यमी के साथ कम से कम 51% हिस्सेदारी वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।

समग्र निधि की मात्रा/आकार (केवल वित्तपोषण के लिए):

- किसी कंपनी में 3 वर्ष की अवधि में इक्विटी के रूप में अधिकतम 30 लाख रुपये, संबंधित टीबीआई द्वारा प्रगति के संतोषजनक मूल्यांकन के अधीन, प्रति वर्ष औसतन 10 लाख रुपये की सीमा के अधीन।
- टीबीआई में अनुसूचित जाति के छात्रों से अभिज्ञात अभिनव विचारों के लिए टीबीआई आवास लागत, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फैलोशिप, यात्रा और विपणन, आईपी फाइलिंग, टूल-रूम खर्च, सहकर्मियों आदि के लिए इक्विटी सहायता प्रदान की जाएगी।

अवधि:

- कंपनी में निवेश की अवधि 10 वर्ष तक है।

वीसीएफ-बीसी:

पात्रता:

- विनिर्माण, सेवा और संबद्ध क्षेत्रों में परियोजनाएँ/इकाइयाँ तथा स्टार्ट अप
- 6/12 महीनों से प्रचालनरत
- प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जाति उद्यमियों की कम से कम 51% हिस्सेदारी हो।

समग्र निधि की मात्रा/आकार (केवल वित्तपोषण के लिए):

- कंपनी में निवेश का आकार 0.20 करोड़ रुपये से 15.00 करोड़ रुपये के बीच है

फंडिंग पैटर्न: वित्तीय सहायता इस प्रकार होगी:

- 5 करोड़ रुपये तक - परियोजना लागत का 75% तक
- 5 करोड़ रुपये से अधिक - परियोजना लागत का 50% तक
- सरकारी सब्सिडी के मामले में: प्रमोटरों को परियोजना लागत का कम से कम 15% योगदान देना होगा।

अवधि:

- कंपनी में निवेश की अवधि 10 वर्ष तक है जिसमें 36 महीने तक की अधिस्थगन अवधि भी शामिल है।

वर्ष 2025-26 के दौरान उपलब्धियां

एएसआईआईएम सहित वीसीएफ-एससी:

- आईएफसीआई वेंचर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एएसआईआईएम सहित वीसीएफ-एससी के तहत निधियों का प्रबंधन कर रहा है। इन वीसीएफ का उद्देश्य योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजित करना और अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, जबकि एएसआईआईएम का उद्देश्य अनुसूचित जाति छात्रों के बीच नवाचारों को बढ़ावा देना है।
- वर्ष 2025-26 के दौरान, आईएफसीआई वेंचर ने अनुसूचित जाति के संभावित उद्यमियों के बीच योजनाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए देशभर में संपर्क कार्यक्रमों के तहत अनेक आयोजनों/कार्यक्रमों में भाग लिया है।
- वर्ष 31.12.2025 तक वीसीएफ-एससी के तहत 21 राज्यों को कवर करते हुए 142 कंपनियों को 593.22 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें से 119 कंपनियों को 419.85 करोड़ रुपये संवितरित किए गए चुके हैं। वीसीएफ-एससी के एएसआईआईएम घटक के तहत 107 कंपनियों को 27.01 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 86 कंपनियों को 12.72 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।
- एएसआईआईएम सहित वीसीएफ-एससी ने 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान की हैं।

आईएफसीआई-वीसीएफ द्वारा विभिन्न संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन		
क्र.सं.	कार्यक्रम/संस्था	विवरण
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़	समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया
2	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) कर्नाटक (सुरथकल)	समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया
3	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) सिक्किम	समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया
4	स्टार्टअप तमिलनाडु	समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया

5	जी एच रायसोनी टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर फाउंडेशन	समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया
6	केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू	समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया
7	बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान-पिलानी	समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया
8	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया
9	पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर सोलापुर विश्वविद्यालय (पीएएच सोलापुर)	समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया
10	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (केआईएसएस-डीयू)	समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया
11	असम औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के तहत नेस्ट असम	समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया
12	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट-एंटरप्राइज इनक्यूबेशन सेंटर (आईआईएम) लखनऊ	समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया
13	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट - (आईआईएम-इन्फेड) नागपुर	समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया
14	मुंबई विश्वविद्यालय	समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया

वीसीएफ-बीसी:

- आईएफसीआई वेंचर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वीसीएफ-बीसी के तहत निधियों का प्रबंधन कर रहा है। इन वीसीएफ का उद्देश्य योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजित करना और पिछडे वर्गों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।
- 2025-26 के दौरान, आईएफसीआई वेंचर ने संभावित अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग उद्यमियों के बीच योजनाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए देशभर में संपर्क कार्यक्रमों के तहत कई आयोजनों/कार्यक्रमों में भाग लिया है।
- सहायता किए जा रहे प्रमुख उद्योग विनिर्माण, औद्योगिक उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र से संबंधित हैं।
- वीसीएफ-बीसी के तहत, 31.12.2025 तक, 12 राज्यों को कवर करते हुए 29 कंपनियों को 132.88 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 16 कंपनियों को 61.50 करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके हैं।
- वीसीएफ-बीसी ने 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान की हैं।

वित्तीय उपलब्धियां 2025-26: वीसीएफ-एससी

(तालिका 3.12.1)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1.	2021-2022	70.00	70.00
2.	2022-2023	42.00	35.00
3.	2023-2024	22.00	22.00
4.	2024-2025	0.01	0.01
5.	2025-2026	0.01	0.01

वित्तीय उपलब्धियां: वीसीएफ-बीसी

(तालिका 3.12.2)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1.	2021-2022	20.00	20.00
2.	2022-2023	24.00	10.00
3.	2023-2024	10.00	10.00
4.	2024-2025	30.00	29.50
5.	2025-2026	0.01*	0.01

***बजट अनुमान।**

3.13 प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष)

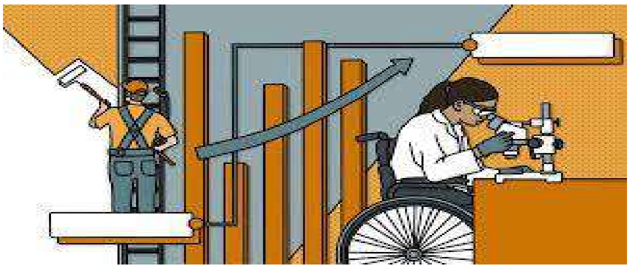

विजन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री - दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना शुरू की, जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो कचरा बीनने वालों सहित एससी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, स्वच्छता कर्मचारियों से संबंधित 18 से 45 वर्ष की आयु के लाभवंचित व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है।

पीएम-दक्ष योजना का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूहों के कौशल को बढ़ाना और उन्हें मजदूरी-रोजगार या स्वरोजगार में रोजगार योग्य बनाना है।

कार्यक्रमों का मुख्य फोकस/विजन अच्छी गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता

वाले कौशल प्रदान करना है ताकि प्रशिक्षित उम्मीदवार, प्रशिक्षण और प्रमाणन के बाद, वेतन-रोजगार ढूंढ सकें या अपने स्व-रोजगार उद्यम स्थापित कर सकें।

अधिदेश

एससी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, कचरा बीनने वालों सहित स्वच्छता कार्यकर्ताओं से संबंधित लाभवंचितों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

मुख्य विशेषताएं

इस योजना का कार्यान्वयन विभाग द्वारा समय-समय पर चयनित प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तीन शीर्ष निगमों एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी द्वारा किया जा रहा है।

18 से 45 वर्ष की आयु वाले लक्षित समूहों के लाभार्थी निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार हैं:

- अनुसूचित जाति (एससी) बिना किसी वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड के।
- 3.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.00 लाख रुपये तक है।
- गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों को बिना किसी वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड के।
- कचरा बीनने वालों और अन्य समान श्रेणियों सहित स्वच्छता कर्मचारी, बिना किसी वार्षिक पारिवारिक आय के।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार:

(क) अप-स्किलिंग/री-स्किलिंग/पूर्व लर्निंग की मान्यता - सामान्यतः इसकी अवधि 35 से 60 घंटे तक होती है और इसका अंतराल 35 दिनों तक होता है।

(ख) अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) - सामान्यत राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और अर्हता पैक (क्यूपी) में यथा धारित 200 से 300 घंटे और 3 माह तक की अवधि होती है।

(ग) उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) - आम तौर पर 90 घंटे/15 दिनों तक की अवधि या ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित।

(घ) दीर्घकालिक प्रशिक्षण (एलटीटी) कार्यक्रम - सामान्यतः प्रशिक्षण केन्द्र के संबंधित बोर्ड/विनियामक निकाय द्वारा यथा निर्धारित अवधि 650 घंटे/7 माह तक होती है।

पीएम-दक्ष योजना की मुख्य विशेषताएं:

- लक्षित समूह को नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण, अर्थात लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को 100% सहायता अनुदान।

- ❖ वजीफा (गैर-आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में)/भोजन और आवास खर्च (आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में:
  - ➢ <u>एसटीटी/एलटीटी कार्यक्रम</u>: कचरा बीनने वालों और उनके आश्रितों सहित अनुसूचित जाति और स्वच्छता कर्मचारियों के मामले में 1,500/- रुपये प्रति माह और ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी के मामले में 1,000/- रुपये प्रति माह, कुल मिलाकर 80% और उससे अधिक उपस्थिति के अधीन।
  - ➢ <u>अप-स्किलिंग/री-स्किलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>: वेतन मुआवजा 2,500/- रु. प्रति प्रशिक्षु (एकमुश्त) कुल 80% और उससे अधिक उपस्थिति के अधीन।
  - ➢ <u>ईडीपी</u>: रु.100/- प्रति प्रशिक्षु प्रतिदिन जलपान और आने-जाने के खर्चों के लिए।
  - ➢ भोजन और आवास व्यय (आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य मानदंडों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं।
- ❖ प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और मूल्यांकन के सफल समापन के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

➢ प्रशिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार (मजदूरी/स्व-रोजगार) के लिए सुविधा प्रदान की जाती है।

2023-24 के दौरान उपलब्धियां

एनएसएफडीसी केवल अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी) प्रायोजित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपनी विधिवत गठित समिति के माध्यम से 114 प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया। इन 114 प्रशिक्षण संस्थानों में 29 सरकारी संस्थान और 85 निजी संस्थान शामिल थे।

सितंबर, 2024 के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 112 प्रशिक्षण संस्थानों को कार्य आबंटन आदेश (केवल राज्य, जिला, नौकरी की भूमिकाओं और वास्तविक लक्ष्य को दर्शाते हुए) जारी किए जिनमें से 105 प्रशिक्षण संस्थानों को एनएसएफडीसी के लक्षित समूह अर्थात केवल अनुसूचित जाति के लिए आबंटित किए गए थे। प्रशिक्षण संस्थानों को कार्य आबंटन आदेश जारी करते समय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एनएसएफडीसी सहित शीर्ष निगमों से अनुरोध किया था कि वे वैध एनएसक्यूएफ अनुपालित सक्रिय नौकरी भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय स्वीकृति आदेश जारी करें।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कार्य आबंटन आदेशों के अनुसरण में, एनएसएफडीसी ने 137.46 करोड़ रुपये की प्रशिक्षण लागत (प्रशिक्षण लागत के 1% की दर से 1.36 करोड़ रुपये के निगरानी खर्च सहित) के साथ 37,650 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए एसडीटीपी आयोजित करने के लिए 105 प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय स्वीकृति आदेश जारी किए।

105 प्रशिक्षण संस्थानों में से 98 प्रशिक्षण संस्थानों ने 37,650 उम्मीदवारों के लिए स्वीकृत एसडीटीपी की तुलना में अनुसूचित जाति के 30,660 व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए।

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं; हालांकि, वर्ष 2023-24 के लिए एसडीटीपी के तहत कवर किए गए प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन और प्रमाणन प्रगति पर है।

2024-25 और 2025-26 के दौरान उपलब्धियां

वित्त वर्ष **2024-2025** और **2025-26** के दौरान, एनएसएफडीसी ने पीएम-दक्ष योजना लागू नहीं की है।

वित्तीय उपलब्धियां (2025-26)

3.13)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1.	2019-2020	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	2020-2021	17.61	17.61
3.	2021-2022	33.21	33.21
4.	2022-2023	40.00	8.90
5.	2023-2024	60.00	32.66
6.	2024-2025	65.00	36.32
7.	2025-2026	10.00	0.00
	कुल	**225.82**	**128.70**

सामाजिक सुरक्षा

सिंहावलोकन

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, मुख्य रूप से निम्नलिखित नीतियों और कार्यक्रमों पर फोकस करता है:

i. वरिष्ठ नागरिक,

ii. नशीले पदार्थों के सेवन के शिकार,

iii. ट्रांसजेंडर व्यक्ति, और

iv. भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्ति।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी के सहयोग से इन लक्षित समूहों के लिए कार्यक्रमों और नीतियों का विकास और कार्यान्वयन करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रमों का उद्देश्य वृद्धाश्रमों, मोबाइल मेडिकेयर इकाइयों आदि की सहायता करके विशेष रूप से गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनका कल्याण और रखरखाव करना है। नशीले पदार्थों के पीड़ितों के लिए, इस कार्यक्रम के द्वारा नशीले पदार्थों की मांग में कमी की जाती है, जिसके लिए जागरूकता अभियान और नशीले पदार्थों के पीड़ित व्यक्तियों का उपचार और डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है ताकि वे समाज में वापस एकीकृत हो सकें। इन कार्यक्रमों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वित्तीय सहायता से गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

मंत्रालय को भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने का कार्य भी सौंपा गया है। मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों के लिए "स्माइल - आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता" योजना तैयार की है।

सांविधिक ढांचा

प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 41 में प्रावधान है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता के मामलों में और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करेगा।

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 47 में यह प्रावधान है कि राज्य, अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज्य औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, नशीले पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा।

विधान

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007, दिसंबर 2007 में अधिनियमित किया गया था, ताकि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यकता आधारित भरण-पोषण और उनके कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को अन्य बातों के साथ-साथ नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 71 में यह प्रावधान है कि, “सरकार अपने विवेक से ऐसे केन्द्रों की स्थापना कर सकती है जो वह पहचान, उपचार, शिक्षा, अनुरक्षण, पुनर्वास, व्यसनियों के सामाजिक पुनर्एकीकरण और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सरकार के पास पंजीकृत नशीले पदार्थों के पीड़ित व्यक्तियों और अन्य लोगों के लिए जहां ऐसी आपूर्ति एक चिकित्सीय आवश्यकता है।

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा (एमडब्ल्यूपीएससी) कल्याण अधिनियम, 2007

माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा (एमडब्ल्यूपीएससी) कल्याण अधिनियम, दिसम्बर 2007 में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यकता आधारित भरण-पोषण और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

- अधिकरणों के माध्यम से बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण को अनिवार्य और न्यायोचित बनाया गया,
- रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षा के मामले में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द करना,
- वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग के लिए दंडात्मक प्रावधान,
- निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना,
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षा।
- इस अधिनियम को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अधिसूचित और लागू किया गया है और उनके द्वारा अनुवर्ती कदम भी उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी), 1999:

वृद्धजनों की भलाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए जनवरी, 1999 में मौजूदा राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) की घोषणा की गई थी। इस नीति में वृद्ध व्यक्तियों की वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अन्य आवश्यकताओं, विकास में समान हिस्सेदारी, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सहायता की परिकल्पना की गई है।

वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ):

- वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष नियम, 2016 को अधिसूचित किया है।
- वित्त अधिनियम, 2015 के तहत, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) की स्थापना 2016 में वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, बुजुर्ग विधवा के कल्याण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निर्देशित अन्य अभिनव योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
- इस निधि में केंद्र सरकार की बचत योजनाओं के तहत उपलब्ध राशियां शामिल हैं जो खाते को निष्क्रिय खाते के रूप में घोषित किए जाने की तारीख से सात साल की अवधि के लिए दावा नहीं की जाती हैं।
- इस कोष को एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस कोष के प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव अंतर-मंत्रालयी समिति के अध्यक्ष हैं।
- समिति के सदस्यों में वित्तीय सेवाएं विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

3.14 अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)

विजन

एक ऐसा समाज जिसमें वरिष्ठ नागरिक स्वस्थ, खुशहाल, सशक्त, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीते हों तथा उनके बीच मजबूत सामाजिक और अंतर-पीढ़ीगत संबंध हो।

अधिदेश

सभी भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त भोजन, पानी, आश्रय, कपड़े, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन, उनके आत्म-पूर्ति और सशक्तिकरण के लिए आवश्यक अवसर और संसाधन उपलब्ध कराकर एक औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक सहायता प्रणाली के विकास के साथ समाज का निर्माण करना। इसके अलावा अधिनियम और सरकार की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजित करके, लोगों के बीच एक दृष्टिकोण परिवर्तन लाकर एक प्रबुद्ध समाज की स्थापना की जा सकती है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को विश्वसनीय जानकारी, अवसरों और सामाजिक सहायता सेवाओं तक आसान पहुंच के माध्यम से अंतर-पीढ़ीगत बंधन को मजबूत करने के साथ सक्रिय, संरक्षित और उत्पादक जीवन जीने में सक्षम बनाया जा सके।

मुख्य विशेषताएं

अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) एक व्यापक योजना है। इस योजना के दो भाग हैं:

i. **अटल वयो अभ्युदय योजना -** केंद्र प्रायोजित योजना

ii. **अटल वयो अभ्युदय योजना -** केंद्रीय क्षेत्र की योजना

अटल वयो अभ्युदय योजना - केंद्र प्रायोजित योजना	**अटल वयो अभ्युदय योजना - केंद्रीय क्षेत्र की योजना**
i. एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) **ii.** वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी)	**1.** राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) **2.** एल्डरलाइन: वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन
	3. सीनियर-केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई) **4.** जेरिएट्रिक केयर गिवर्स का प्रशिक्षण 5. वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल

क. एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)- वृद्धावस्था की देखभाल के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ और सम्मानजनक उपयोगी वृद्धावस्था जीवन प्रदान करना है।

- **पात्रता मानदंड-** आईपीएसआरसी के अंतर्गत नई परियोजना को शामिल करने के लिए आवश्यक है कि वह कम से कम 2 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हो।
- **फंडिंग पैटर्न-** गैर-सरकारी संगठन सीधे ई-अनुदान पोर्टल पर आवेदन करते हैं। मामलों पर कार्रवाई की जाती है और गैर-सरकारी संगठन को सीधे सहायता अनुदान प्रदान की जाती है। ई-अनुदान पोर्टल पीएफएमएस पोर्टल से जुड़ा हुआ है, इसलिए अंतिम भुगतान पीएफएमएस विंडो के माध्यम से किया जाता है।

ख. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित के लिए सहायता अनुदान प्रदान की जाती है:-

- वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों का समूह बनाना,
- मोतियाबिंद सर्जरी के लिए विशेष अभियान,
- जागरूकता सृजन, जागरूकता आदि जैसी राज्य विशेष गतिविधियाँ।

ग. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई): इसका उद्देश्य वृद्धावस्था से संबंधित दिव्यांगता/दुर्बलता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करना है, जिससे वे अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बना सकें। इसका क्रियान्वयन कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा किया जाता है, जो केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में भी कार्य करता है।

- **लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड:** भारत के वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के) जिनके पास आधार कार्ड हो, जो किसी आयु-संबंधी दिव्यांगता/दुर्बलता से ग्रस्त हों, बीपीएल श्रेणी से संबंधित हों या वरिष्ठ नागरिक जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये से अधिक न हो।

घ. एल्डरलाइन: वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन:- एल्डरलाइन योजना एक टोल-फ्री नंबर (14567) है जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दुर्व्यवहार और बचाव के मामलों में निःशुल्क सूचना, मार्गदर्शन, भावनात्मक सहायता और फील्ड इंटरवेंशन प्रदान करती है। हेल्पलाइन को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा 01.10.2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यह हेल्पलाइन हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुली है।

ड. सीनियर-केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई): इस योजना की संकल्पना 2021 में की गई थी, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, यात्रा, वित्त, कानूनी, आवास, भोजन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वृद्ध व्यक्तियों को नवीन उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना था। चयनित कंपनियों को सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये तक की राशि के साथ प्रदत्त पूंजी के 49% तक इक्विटी भागीदारी के माध्यम से समर्थन दिया जाता है।

- **पात्रता मापदंड:**

क. राष्ट्रीय स्तर की नवाचार चुनौतियों जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (शिक्षा मंत्रालय का) या ऐसे अन्य अभिनव अभियान में पुरस्कृत अभिनव विचार - वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं का प्रस्ताव हो।

ख. वृद्धजन वर्ग में पहले से ही चल रहे स्टार्ट-अप्स का अपने प्रचालन का विस्तार करने का प्रस्ताव हो।

च. वृद्धावस्था देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण: इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग में अंतर को पाटना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और जराचिकित्सा के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक पूल भी बनाया जा सके।

- **पात्रता मानदंड:** छात्र की पात्रता इस प्रकार है:
  - क. आवश्यक नौकरी भूमिकाओं के अनुसार न्यूनतम योग्यता।
  - ख. न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष (पूर्ण वर्षों में) के साथ।
  - ग. एक वैध शिक्षा प्रमाण होना चाहिए।

- प्रशिक्षण संस्थान की पात्रता इस प्रकार है:
  - क. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के तहत सूचीबद्ध केंद्र/राज्य सरकारों के मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार सूचीबद्ध हैं।
  - ख. एनएसडीसी/सेक्टर स्किल काउंसिल के तहत सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार वृद्धावस्था पाठ्यक्रम में प्रमाणित हैं।
  - ग. आरआरटीसी सहित एनआईएसडी से संबद्ध प्रशिक्षण संस्थान/भागीदार, जिनका पिछले 2 वर्षों से अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और जिनके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्टचर है।

छ. वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल: - इस योजना का उद्देश्य ज्ञान के निर्माण में वृद्धजनों को शामिल करना है जो समग्र रूप से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है।

- **पात्रता मानदंड:** इस योजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियों/पहलों को वित्त पोषित किया जा रहा है:
  - क. समुदाय-आधारित रेडियो सेवाएं, पॉडकास्ट, वॉयस बॉट जैसी गतिविधियां।
  - ख. वित्तीय, डिजिटल और कानूनी साक्षरता के लिए स्वयंसेवा।
  - ग. टाइम बैंक क्रेडिट सिस्टम।
  - घ. मानव पुस्तकालय।
  - ङ. मूल्य शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को संवेदनशील बनाना।
  - च. इंटरजेनरेशन बॉन्डिंग।
  - छ. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण/कल्याण के लिए कोई अन्य पहल और अभिनव विचार।

वित्तीय उपलब्धियां

अटल वयो अभ्युदय योजना- केंद्रीय क्षेत्र की योजना

(तालिका 3.14.1)
(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	योजना के तहत जारी की गई राशि				
		राष्ट्रीय वयोश्री योजना	एल्डरलाइन	सीनियर-केयर एजिंग ग्रोथ इंजन	वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण	वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल
1	2020-2021	26.50	27.88	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	2021-2022	25	21.31	20.00	लागू नहीं	लागू नहीं
3	2022-2023	88.84	33.49	0.00	लागू नहीं	लागू नहीं
4	2023-2024	59.32	9.62	0.00	लागू नहीं	0.12
5	2024-2025	208.29	9.23	0.00	45.82	2.96
6	2025-2026	115.59	45.2	0.00	26.52	0.67

अटल वयो अभ्युदय योजना- केंद्र प्रायोजित योजना

(तालिका 3.14.2)
(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1	2020-2021	122.58	122.58
2	2021-2022	100.00	93.20
3	2022-2023	100.00	84.10
4	2023-2024	140.15	140.15
5	2024-2025	145.00	146.13
6	2025-2026	230.00	128.18

क. **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई):** वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरवीवाई के संबंध में संक्षिप्त आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

- आयोजित वितरण शिविरों की संख्या: 125
- लाभार्थियों की संख्या: **2,44,217**
- वितरित उपकरणों की संख्या: **12,06,169**

राज्य-वार ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है।

ख. **एल्डरलाइनः राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन (एनएचएससी):** यह योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित की जा रही है।

ग. **एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी):** वरिष्ठ नागरिक गृह चलाने वाले संगठनों को दिनांक 31.12.2025 तक कुल 65.54 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान किया गया है और इस योजना के

तहत 97.995 से अधिक लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। राज्य-वार ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है।

घ. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी):** 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की गई। राज्य-वार ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है।

ङ. **वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए पहल:**

विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई अन्य पहल की हैं, जिनमें शामिल हैं:

i. आयुष मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन - वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों से लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए।

ii. प्रजापिता ब्रह्माकुमारी के साथ समझौता ज्ञापन - आध्यात्मिकता के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए।

iii. एक "वृद्ध मित्र टूलकिट" (एल्डर कंपेनियन टूलकिट) का विकास।

iv. अंतर-पीढ़ीगत बंधन को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में दादा-दादी-शिक्षक बैठकों का आयोजन।

v. टॉक सीरीज़, वॉकथॉन और प्रतिज्ञा कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाना।

vi. डिमेंशिया इंडिया एलायंस (डीआईए) के साथ समझौता ज्ञापन - ऑनलाइन मेमोरी स्क्रीनिंग, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और डेटा के विश्लेषण के माध्यम से वृद्धाश्रमों में मनोभ्रंश के साथ रहने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए।

vii. व्यय विकास (VV) के साथ समझौता ज्ञापन - वरिष्ठ नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए।

viii. जागरूकता और शैक्षणिक कार्यक्रम - जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को योजनाओं के लाभों और पात्रता के बारे में सूचित करने के लिए कार्यशालाएं, संगोष्ठियों, पॉडकास्ट और सामुदायिक आउटरीच शामिल हैं।

ix. डिजिटल और वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम - वरिष्ठ नागरिकों के डिजिटल और वित्तीय समावेशन के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण सामग्री और संरचित सत्रों का विकास।

x. वृद्धाश्रमों के लिए सहायता - सॉफ्ट इंटरवेंशन पर ध्यान देने के साथ, न्यूनतम मानकों को समझने और प्राप्त करने में वृद्धाश्रमों की सहायता करना।

xi. एल्डरलाइन के पुनरुद्धार के लिए मैसर्स टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), दूरसंचार मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

3.15 ड्रग्स की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)

विजन

नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले विकार देश के सामाजिक ताने-बाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गंभीर समस्या है। किसी भी पदार्थ पर निर्भरता न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि उनके परिवारों और पूरे समाज को भी बाधित करती है। विभिन्न साइकोएक्टिव पदार्थों के नियमित सेवन से व्यक्ति की निर्भरता बढ़ती है। कुछ पदार्थ यौगिकों से न्यूरो-साइकियाट्रिक विकार, हृदय रोग, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप आत्महत्या और हिंसा हो सकती है।

नशीले पदार्थों की मांग में कमी के मुद्दे से निपटने के लिए, मंत्रालय 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है।

अधिदेश

i. केंद्र और राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के साथ नशीले पदार्थों पर निर्भरता वाले व्यक्तियों की निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना।

ii. व्यक्ति, परिवार, कार्यस्थल और बड़े पैमाने पर समाज पर नशीले पदार्थों पर निर्भरता के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को शिक्षित करना।

iii. नशीले पदार्थों पर निर्भर समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ कलंक और भेदभाव को कम करना ताकि उन्हें समाज में वापस एकीकृत किया जा सके।

iv. मानव संसाधन विकसित करना और क्षमता निर्माण करना जो इस प्रकार है:

- आश्रितों की संपूर्ण व्यक्ति रिकवरी (डब्ल्यूपीआर) के लिए पहचान, प्रेरणा, परामर्श, नशामुक्ति उपचार, देखभाल के बाद और पुनर्वास के लिए समुदाय आधारित सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करना;
- नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए बहु-एजेंसी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए व्यापक दिशानिर्देश, योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करना और कार्यान्वित करना;
- किसी भी पदार्थ के सभी प्रकार के अवैध उपयोग को संबोधित करने के लिए नशीले पदार्थों की मांग में कमी के प्रयास करना;
- बड़े पैमाने पर व्यक्तियों, परिवार और समाज के बीच नशीले पदार्थों पर निर्भरता के परिणामों को कम करना; तथा
- उपर्युक्त उद्देश्यों को मजबूत करने के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रलेखन, नवाचार और प्रासंगिक जानकारी के संग्रहन की सुविधा प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएं

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश में नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए नोडल विभाग है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के मुद्दे से निपटने के लिए, इस विभाग ने ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) तैयार की है और कार्यान्वित कर रहा है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए कार्यक्रम आदि के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को बढ़ावा दिया गया है।

ii. नशे की लत के शिकार लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों (एलआरसीए), किशोरों के बीच नशीले पदार्थों के शीघ्र दुरुपयोग की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित साथियों की अगुवाई वाली पहल (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) के संचालन और मेन्टेनेंश के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना की गई है; तथा

iii. नशामुक्ति उपचार सुविधा (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पताल।

केन्द्र सरकार एनएपीडीडीआर के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्य योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

एनएपीडीडीआर के तहत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान सरकार द्वारा निम्नानुसार प्रदान किया जाता है: -

क. 90:10 - नशामुक्ति केंद्र की लागत का 90% हिस्सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। शेष 10% का योगदान एनजीओ द्वारा ही किया जाता है।

ख. 95:05 - पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारत सरकार 95% का योगदान देती है जबकि एनजीओ अपने संसाधनों से 5% लाता है।

ग. ओडीआईसी, सीपीएलआई और एसएलसीए के संबंध में। भारत सरकार गैर **सरकारी** संगठनों को **100%** वित्तीय सहायता प्रदान करती है

वर्ष 2025-26 के दौरान उपलब्धियां

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को 272 सबसे संवेदनशील जिलों में एनएमबीए शुरू किया गया था और अगस्त 2023 से, एनएमबीए को देश भर के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनता तक पहुंचना और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, आश्रित आबादी तक पहुंचना और उनकी पहचान करना, अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में परामर्श और उपचार सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम करना है।

2. **एनएमबीए की अब तक की उपलब्धियां:**

i. 31.12.2025 तक, जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, 9.2 करोड़ से अधिक युवाओं और 6.31 करोड़ से अधिक महिलाओं सहित 25.53 करोड़ से अधिक लोगों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूक किया गया है।

ii. 16.00 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे।

iii. 20,000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों (एमवी) के एक मजबूत बल की पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।

iv. ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जागरूकता।

v. एनएमबीए मोबाइल एप्लिकेशन को एनएमबीए गतिविधियों के डेटा को इकट्ठा करने और एकत्र करने और जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर एनएमबीए डैशबोर्ड पर प्रतिनिधित्व करने के लिए विकसित किया गया है।

vi. एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) यूजर/व्यूवर को अभियान, ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-प्रतिज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

vii. युवाओं और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने और उनसे जुड़ने के लिए 'नशे से आजादी- राष्ट्रीय युवा और छात्र संवाद कार्यक्रम', 'नया भारत, नशा मुक्त भारत', 'एनसीसी के साथ नशा मुक्त भारत अभियान' जैसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

viii. नशा मुक्त भारत अभियान का समर्थन करने और जन जागरूकता गतिविधियों का संचालन करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्मा कुमारीज, संत निरंकारी मिशन, अखिल विश्व गायत्री परिवार, इस्कॉन और श्री राम चंद्र मिशन जैसे छह आध्यात्मिक/सामाजिक सेवा संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ix. इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए नशामुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 स्थापित की गई है। हेल्पलाइन पर 4.30 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं।

x. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 जून को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

xi. विशेष मॉड्यूल के साथ सीमा सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देकर और इन क्षेत्रों में नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना करके सीमावर्ती क्षेत्रों में नशा मुक्त भारत अभियान का कार्यान्वयन।

xii. ओलंपिक पदक विजेता रवि कुमार दहिया, सुरेश रैना, अजिंक्य रहाणे, संदीप सिंह, सविता पूनिया जैसे खिलाड़ियों ने युवाओं के बीच एक स्वस्थ और नशीले पदार्थों से मुक्त जीवन शैली सुनिश्चित करने के लिए खेल को जीवन-कौशल के रूप में बढ़ावा देने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में संदेश साझा किए हैं।

xiii. देश में नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले विकारों के उपचार के अवसरों को बढ़ाने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर, असम को एनएपीडीडीआर के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक चिह्नित राज्य में एक व्यसन उपचार सुविधा (एटीएफ) स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया

है। विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में एटीएफ की स्थापना के लिए एलजीबीआरआईएमएच, तेजपुर, असम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

xiv. 2020 में शुरू किए गए एनएमबीए ने 18 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में एक भव्य राष्ट्रीय उत्सव के साथ अपना पांचवां गौरवशाली वर्ष मनाया। स्कूल और कॉलेज के छात्रों, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कर्मियों, स्वयं सहायता समूहों, आध्यात्मिक संगठनों, युवा क्लबों और गैर सरकारी संगठनों सहित 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने अमृतसर के कार्यक्रम में भाग लिया। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 2,10,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों के साथ, 6.3 करोड़ से अधिक लोगों ने व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल मोड के माध्यम से देश भर में भाग लिया।

xv. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 24.12.2025 को दोपहर 02:00 बजे डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (डीएआईसी), 15 जनपथ, नई दिल्ली के समरसता हॉल में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा शिवानंद आश्रम और पतंजलि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार और नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के तहत शिवानंद योग वेदांत धन्वंतरी आश्रम और पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

वित्त वर्ष 2025-26 में योजना/गतिविधि/कार्यक्रम के तहत सर्वोत्तम प्रथाएं

i. भारत भर में कैदियों में नशीले पदार्थों के सेवन की उच्च व्याप्तता और जेलों में रोकथाम, उपचार और परिचर्या कार्यक्रमों तक पहुंच की कमी को ध्यान में रखते हुए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रायोगिक आधार पर सिक्किम, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की केन्द्रीय जेलों में नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इस पहल को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया है।

ii. ऑफलाइन मोड में आयोजित किए जा रहे सभी राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम ऑनलाइन लिंक के माध्यम से देशभर में जुड़े हुए हैं; जो एक ही कार्यक्रम में पूरे देश में जन जागरूकता पैदा करता है।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.15)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1.	2020-21	150	149.34
2.	2021-22	200	90.93
3.	2022-23	200	97.51
4.	2023-24	175	172.70
5.	2024-25	240	266.69
6.	2025-26	433 (जैसा कि प्रस्तावित है)	168.24
			(31.12.2025 तक)

3.16 आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल): 'भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास' उप-योजना

विजन

सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का समाज की मुख्य धारा में पुनर्एकीकरण।

अधिदेश

चिह्नित किए गए शहरी स्थानों, मुख्य रूप से धार्मिक शहरों, पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक शहरों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना। इस उप-योजना का प्राथमिक उद्देश्य भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की सुविधा प्रदान करके भारत को "भिक्षावृत्ति मुक्त" बनाना है। यह केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, जिला प्रशासनों, शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों और अन्य जैसे विभिन्न हितधारकों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

मुख्य विशेषताएं

रोकथाम, बचाव और पुनर्वास पर मुख्य ध्यान देने के साथ व्यापक पुनर्वास उपाय प्रदान करने के लिए, उप-योजना में चार प्रमुख घटक शामिल हैं, अर्थात्:

(i) **सर्वेक्षण और पहचान** - कार्यान्वयन प्राधिकरणों (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, जिला प्रशासन/शहरी स्थानीय निकायों/नगर निगमों) द्वारा नियुक्त कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों/लाभार्थियों का एक व्यापक सर्वेक्षण और पहचान की जाती है।

(ii) **जुटाव (मोबिलाइजेशन)** - सर्वेक्षण के बाद, आउटरीच कार्य, जागरूकता अभियानों, आश्रय-गृह में भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों की मोबिलाइजेशन/बचाव और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(iii) **आश्रय-गृह**: इस घटक के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) योजना के तहत आश्रय-गृह प्रदान किए जाते हैं। लाभार्थियों को भोजन, वस्त्र, बिस्तर, परामर्श/चिकित्सा सहायता आदि जैसी बुनियादी सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान की जाती है।

(iv) **पुनर्वासः** वैकल्पिक वेतन-रोजगार या स्व-रोजगार का लाभ उठाने के लिए बच्चों को औपचारिक शिक्षा/स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, कौशल/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ब्रिज कोर्स जैसे व्यापक पुनर्वास उपाय और मौजूदा योजनाओं के साथ तालमेल के माध्यम से व्यक्तिगत या समूह/समुदाय-आधारित सूक्ष्म/लघु उद्यम अवसरों को सुविधाजनक बनाया जाता है।

वर्ष 2025-26 के दौरान उपलब्धियां।

यह योजना अक्टूबर 2023 से 81 शहरों में लागू की गई है। इसके अलावा, 2025-26 में, 100 और शहरों को शामिल करने के लिए इस योजना का और विस्तार किया गया, जिससे 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। कुल मिलाकर, यह योजना अब 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 181 शहरों में लागू की जा रही है।

2025-26 में, योजना के दिशानिर्देशों में 10.06.2025 से संशोधन किया गया है, जिससे प्रति शहर आबंटन पहले के 30.00 लाख रुपये से बढ़कर 48.70 लाख रुपये हो गया है और इस प्रकार आश्रय गृहों के संचालन को मजबूत किया गया है।

31.12.2025 तक, पहले चरण के तहत कुल 26,708 व्यक्तियों की पहचान भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के रूप में की गई है। इनमें से 7,873 लोगों का पुनर्वास किया गया है। इसके अतिरिक्त, 1,313 बच्चों का पुनर्वास किया गया है - उनमें से अधिकांश को परामर्श, आवश्यक जरूरतों के प्रावधान और आंगनवाड़ी केंद्रों या स्कूलों से जोड़ने के बाद अपने माता-पिता/परिवारों से मिलाया गया है। जिन बच्चों को और अधिक सहायता की आवश्यकता है, उन्हें स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार जिला बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सौंप दिया गया है।

वित्तीय उपलब्धियां 2025-26

(तालिका 3.16)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**संशोधित अनुमान (आरई) रुपये करोड़ में**	**मंत्रालय द्वारा कुल व्यय**
1	2023-2024 (स्माइल उप-योजना)	10.00	6.72
2	2024-25	15.00	9.65
3	2025-26	25.00	17.1 (31.12.2025 तक)

बॉक्स नं. 3.16

सफलता की कहानियां:

सुनील महावर - इंदौर

इंदौर के 33 वर्षीय स्नातक सुनील नशे की लत से जूझते थे और भिक्षावृत्ति का सहारा लेते थे। पुनर्वास सहायता के माध्यम से, उन्होंने अपनी लत पर काबू पा लिया और एक प्रतिष्ठित परिधान निर्माण

कंपनी में कटिंग और सिलाई विभाग में एक पर्यवेक्षक के रूप में स्थिर रोजगार हासिल किया, जो उनके जीवन में एक पूर्ण बदलाव का प्रतीक था।

ज्योति प्रजापति - इंदौर

दो बच्चों की मां 30 वर्षीय ज्योति को सामाजिक अलगाव और गरीबी का सामना करना पड़ा। समय पर समर्थन के साथ, उन्होंने मई 2024 तक एक सॉफ्टवेयर कंपनी इंपीटस में कैंटीन सहायक के रूप में नौकरी हासिल कर ली। अब, वह एक घर किराए पर लेने की योजना बना रही है और अपनी बेटी पूजा की शिक्षा और कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

राजू और राजन - कोझिकोड

बुजुर्ग भाई जो पहले मोची का काम करते थे, राजू और राजन मानसिक रूप से उदास हो गए और सड़कों पर आ गए। उन्हें बचा लिया गया और अब वे एक आश्रय गृह में रहते हैं। उनमें से एक की आंखों की सफल सर्जरी हुई है और वह दूसरे की प्रतीक्षा कर रहा है, जो रिकवरी और नए सिरे से स्थिरता के संकेत दिखा रहा है।

मोनिका मोदी - नामसाई

तीन बच्चों की अकेली मां, मोनिका गरीबी और सामाजिक बहिष्कार से जूझ रही थी। उन्होंने हस्तशिल्प, बागवानी और खाना पकाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। रेस्तरां क्षेत्र को चुनते हुए, उन्होंने 1 अगस्त, 2024 को नामसाई के ताई हट रेस्तरां में रोजगार हासिल किया, जिससे उनके परिवार को एक स्थिर आय और नई आशा मिली।

कल्पना मुरा - नामसाई

अपने परिवार से अलग और मानसिक रूप से अस्थिर, कल्पना को देखभाल, चिकित्सा और आध्यात्मिक समर्थन दिया गया। नामसाई जिला प्रशासन की मदद से, वह धीरे-धीरे ठीक हो गई और समर्पित प्रयासों के माध्यम से पता लगाने के बाद खुशी-खुशी अपने परिवार के साथ फिर से मिल गई।

गिरिजा - तिरुवनंतपुरम

गिरिजा, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाली एक महिला, परामर्श और समूह गतिविधियों से लाभान्वित हुई। उसके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हुआ और अप्रैल 2024 में, उसने एक मनोरंजन पार्क में एक छात्रावास में वार्डन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इस नौकरी ने उसे नए सिरे से उद्देश्य, आत्म-मूल्य और स्वतंत्रता दी।

थिम्म्मा - मैसूर

मानसिक रूप से अस्थिर एकल मां, थिम्म्मा ने स्माइल योजना के माध्यम से चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक देखभाल प्राप्त की। एक बार स्थिर होने के बाद, वह परिवार की काउंसलिंग के बाद अपनी बेटी, कावेरम्मा और पोती के साथ खुशी-खुशी फिर से मिल गई। पारिवारिक जीवन में उसके पुनर्मिलन ने भावनात्मक और सामाजिक उपचार की शुरुआत की।

नागपुर में स्टेशनों और मंदिरों जैसे हॉटस्पॉट से 1,600 भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों की पहचान की गई। 200 से अधिक लोगों को भोजन, वस्त्र और परामर्श के साथ आश्रय गृहों में पुनर्वासित किया गया। *214 को आधार, बैंक खाते और डेबिट कार्ड प्राप्त हुए। परिवार मिलन के तहत, कई लोगों को परिवारों के साथ फिर से मिलाया गया। 15 सदस्यों के साथ एक एसएचजी ने कचरा पृथक्करण का काम शुरू किया, और 27 लाभार्थियों को बेहतर देखभाल के लिए वृद्धाश्रम भेज दिया गया।*

पटना

पटना शहर ने भिक्षावृत्ति को हतोत्साहित करने और गरिमा को बढ़ावा देने के लिए 'दान नहीं सम्मान' की शुरुआत की नागरिकों को इसके बजाय सरकारी खाते में दान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के बारे में जागरूकता का आयोजन किया गया। 28 समुदाय-आधारित बचत समूहों (सीबीएसजी) का गठन किया गया, जिससे साप्ताहिक बचत और आय सृजन के लिए बैंक ऋण तक भविष्य की पहुंच संभव हो सके। एनजीओ भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के दीर्घकालिक पुनर्वास को बढ़ाने के लिए सीबीएसजी के विस्तार का समर्थन करेंगे।

3.17 स्माइल (आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता) उप-योजना 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना'

विजन

(क) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना नामक उप-योजना के साथ आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल योजना) फरवरी, 2022 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बचाने, मुख्यधारा में लाने, पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रावधानों के साथ शुरू की गई थी।

(ख) सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र जारी करने, सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कम से कम एक आश्रय गृह स्थापित करने, सभी इच्छुक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

अधिदेश

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, निराश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह, कौशल विकास और रोजगार या स्वरोजगार के माध्यम से स्थायी आजीविका के लिए पुनर्वास के माध्यम से आत्मज्ञान लिंग

पहचान का प्रमाण पत्र प्रदान करना, सामान्य चिकित्सा आवश्यकताओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडर विशिष्ट चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए स्वास्थ्य लाभ, राज्य और जिला स्तर पर ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ प्रदान करना।

यह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के भेदभाव और अधिकारों को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलापों के लिए अधिदेश भी प्रदान करती है।

मुख्य विशेषताएं

पात्रता मानदंड

(क) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से जारी ट्रांसजेंडर पहचान का प्रमाण पत्र रखने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना" का लाभ उठाने के पात्र हैं।

(ख) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए सक्षम और अवसंरचना रखने वाले समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ)/गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) 'गरिमा गृह' आश्रय गृह की स्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सीबीओआई/गैर-सरकारी संगठनों की उनकी मौजूदा सुविधाओं का निरीक्षण किया जाएगा और इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

(ग) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की सामान्य मानदंडों, अधिसूचनाओं और पीएम-दक्ष योजना में परिभाषित मानदंडों का पालन करते हुए कौशल विकास प्रशिक्षण एजेंसियां ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों की मौजूदा सुविधाओं का निरीक्षण किया जाएगा।

फंडिंग पैटर्न:

- आश्रय गृह की स्थापना के लिए सीबीओ/गैर-सरकारी संगठनों को निधियां; गरिमा गृह को 50-50 प्रतिशत की दो समान किस्तों में जारी किया जाएगा।
- कौशल विकास प्रशिक्षण एजेंसियों को निधियां पीएम-दक्ष योजना में निर्धारित 30:40:30 के अनुपात में जारी की जाएंगी।

2025-26 के दौरान उपलब्धियां

(क) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का 98 लाख से अधिक बार देखा गया है और एक करोड़ से अधिक ट्रांसजेंडर पहचान पत्र और प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

(ख) वित्त वर्ष 2025-26 में 24 गरिमा गृहों को वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए आश्रय गृहों के रूप में उनके कार्य के लिए 4.53 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि जारी की गई है।

(ग) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) को देश भर में 1800 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम आबंटित किया गया है। 25 उम्मीदवारों वाले इसके दो बैच को प्रशिक्षित किया गया है।

(घ) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की आयुष्मान भारत (एबी) योजना के साथ तालमेल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। 31.12.2025 तक, 125 एबी पीएमजेएवाई टीजी कार्ड जारी किए गए हैं।

(ङ) विभाग ने 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश (2), महाराष्ट्र (3), मणिपुर, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (3) और पश्चिम बंगाल (2) में निराश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 24 गरिमा गृह स्थापित किए हैं।
(च) अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 20 ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ (टीपीसी) स्थापित किए गए हैं।

(छ) अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 27 ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (टीडब्ल्यूबी) स्थापित किए गए हैं।

सर्वोत्तम प्रथाएं

1. दिल्ली में एक गरिमा गृह, मित्र ट्रस्ट, इन-हाउस प्रशिक्षण और आउटसोर्स संगठनों दोनों के माध्यम से क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रम (जैसे सिलाई, सौंदर्य पाठ्यक्रम, कंप्यूटर कौशल) प्रदान करता है, निवासियों को रोजगार की सुविधा प्रदान करने और कार्यस्थलों में गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बाजार-उन्मुख कौशल से लैस करता है, जिससे निवासियों को एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने में सक्षम बनाया जा सके।

2. ओडिशा के भुवनेश्वर में एक गरिमा गृह सखा, संसाधन जुटाती है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले निवासियों को कॉलेज की फीस, अध्ययन सामग्री और छात्रावास के खर्च सहित वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह पहल शिक्षा के माध्यम से दीर्घकालिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मदद करती है।

3. छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक गरिमा गृह मितवा संकल्प समिति, गरिमा गृह के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में नि:शुल्क सहायता प्रदान करने के लिए अन्य संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रही है। एक निवासी को होमगार्ड के रूप में चुना गया है। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के कांस्टेबल और बस्तर फाइटर में 23

छात्रों की भर्ती की गई है।

4. पनवेल, रायगढ़ में एक गरिमा गृह आरज़ू फाउंडेशन ने कौशल विकास और आय सृजन के लिए अगरबत्ती मशीन और बचत गाथ (स्वयं सहायता समूह) की स्थापना की है।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.17)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1.	2021-2022	25	3.50
2.	2022-2023	46.32	-
3.	2023-2024	22.82	3.40
4.	2024-2025	45	5.02
5.	2025-2026	76.87	6.46 (31.12.2025 तक)

ओबीसी और अन्य के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम-याशस्वी)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दृष्टिकोण एक समावेशी समाज का निर्माण करना है जिसमें लक्षित समूहों के सदस्य अपनी वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त समर्थन के साथ उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। इसका उद्देश्य शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास और पुनर्वास के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने लक्षित समूहों को जहां भी आवश्यक हो। समर्थन और सशक्त बनाना है, अपने विजन को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति (डीएनटी/एस-एनटी) सहित कमजोर समूहों के लिए विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएस/सीएसएस) का कार्यान्वयन करता है।

मंत्रालय ने सभी छात्रवृत्ति योजनाओं को एक समान पैटर्न और मंच देकर शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है ताकि नेटवर्क को व्यापक बनाने के लिए इसे अन्य आकर्षक योजनाओं के साथ और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके; अर्थात् ओबीसी और अन्य लोगों के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम-यशस्वी)

इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का शैक्षिक सशक्तिकरण करना है, जिससे लक्षित आबादी के सबसे कमजोर वर्गों की शिक्षा पूरी करने की सुविधा मिल सके।

योजना के घटक:

1. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
2. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
3. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए स्कूलों में टॉप क्लास शिक्षा
4. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा
5. अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण

3.18 पीएम यशस्वी - अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विमुक्त, घुमंतू जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

विजन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी समुदायों के छात्रों को वित्तीय कठिनाई के बिना गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा पूरी करने का अवसर मिले। प्री-मैट्रिक चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करके, यह योजना विशेष रूप से पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों और वंचित ग्रामीण परिवारों के छात्रों के बीच ड्रॉपआउट को रोकने का प्रयास करती है। इस योजना में एक समावेशी सीखने लायक माहौल की कल्पना की गई है जहां सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चे माध्यमिक स्तर तक गरिमा, प्रेरणा और निरंतरता के साथ पढ़ाई कर सकते हैं।

अधिदेश

कक्षा IX और X में पढ़ने वाले ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

मुख्य विशेषताएं

- छात्रों को केवल सरकारी स्कूलों में पूर्णकालिक आधार पर कक्षा IXवीं और Xवीं में अध्ययनरत होना चाहिए।
- सभी स्त्रोतों से आय 2,50,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्रों को 4000 रुपये प्रति वर्ष का समेकित शैक्षणिक भत्ता दिया जाता।
- संबंधित राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन छात्रों के चयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती हैं।
- केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का अनुपात होता है। पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए भागीदारी अनुपात 90:10 होता है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र द्वारा 100% निधि प्रदान की जाती है।
- शैक्षणिक भत्ता और दिव्यांगता भत्ता, यदि कोई हो, सहित राज्य और केंद्र सरकार दोनों से पूरी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान सीधे छात्रों या अभिभावकों के खाते में केवल डीबीटी के माध्यम से किया जाता है, अधिमानतः आधार समर्थित भुगतान प्रणाली के माध्यम से।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.18)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई) (रुपये करोड़ में)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय (रुपये करोड़ में)
1.	2021-22	250.00	218.29
2.	2022-23	394.61	361.13
3.	2023-24	281.00	195.86
4.	2024-25	210.00	158.49
5.	2025-26	250.00	34.01 (31.12.2025 तक)

3.19 पीएम यशस्वी - अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विमुक्त, घुमंतू जनजातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

विजन

पोस्ट-मैट्रिक या पोस्ट-सेकेंडरी स्तरों पर वित्तीय बाधाओं को दूर करके ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के बीच उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए मार्ग बनाना। यह योजना एक ऐसे समाज की कल्पना करती है जहां आर्थिक नुकसान महत्वाकांक्षा को सीमित नहीं करता है और प्रत्येक योग्य छात्र पसंद के पेशेवर, तकनीकी या शैक्षणिक अध्ययन को आगे बढ़ा सकता है।

अधिदेश

पोस्ट-मैट्रिक या माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

मुख्य विशेषताएं

- मैट्रिक के बाद या माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।
- सभी स्रोतों से आय 2,50,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पाठ्यक्रम की श्रेणी के अनुसार छात्रों को 50,00 रुपये से 20,000 रुपये तक का शैक्षणिक भत्ता प्रदान किया जाता है।
- संबंधित राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन छात्रों के चयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती हैं।
- केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का अनुपात होता है। पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए शेयरिंग अनुपात 90:10 होता है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र द्वारा 100% धन प्रदान किया जाता है।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.19)
(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई) (रुपये करोड़ में)	द्वारा कुल व्यय मंत्रालय (रुपये करोड़ में)
1.	2021-2022	1300	1320.14
2.	2022-2023	1083.00	1007.04
3.	2023-2024	1087.00	988.45
4.	2024-2025	921.00	895.48
5.	2025-2026	1100.00	241.50 (31.12.2025 तक)

3.20 पीएम यशस्वी - अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विमुक्त, घुमंतू जनजातियों के लिए टॉप क्लास स्कूली शिक्षा

विजन

एक समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) और विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी/एस-एनटी) सहित कमजोर वर्गों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण करना जिसमें लक्षित समूहों के सदस्य जहां कहीं आवश्यक हो, उनकी वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त समर्थन के साथ उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

अधिदेश

मंत्रालय का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी/एस-एनटी) से संबंधित छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मान्यता देना और बढ़ावा देना है, जो मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से कक्षा 12 पूरी करने तक उनकी शिक्षा के लिए वित्त पोषण करके पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

मुख्य विशेषताएं

- यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की सहायता से क्रियान्वित की जाती है।
- यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
- टॉप क्लास स्कूल सार्वजनिक (केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय निकाय) या सहायता प्राप्त स्कूल या निजी स्कूल हो सकते हैं।
- स्कूल द्वारा अपेक्षित ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क और अन्य शुल्कों के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो कक्षा 9 और 10 के प्रत्येक छात्र के लिए अधिकतम 75,000/- रुपये प्रति वर्ष और कक्षा 11 और 12 के प्रत्येक छात्र के लिए 1,25,000/- रुपये प्रति वर्ष है।
- सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूल जो सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य बोर्ड से संबद्ध हैं और जिनमें 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं हैं, उन्हें इस योजना के तहत कवर किया जाता है।
- जो छात्र शॉर्टलिस्ट किए गए स्कूलों में पढ़ रहे हैं या प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं, वे ही इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।
- 30% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं।
- छात्रवृत्ति की संख्या उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध स्लॉट के अधीन होगी।
- छात्रों का चयन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर किया जाता है।
- छात्रवृत्ति की राशि सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े खाते में डीबीटी मोड के माध्यम से जारी की जाती है।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.20)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	द्वारा कुल व्यय मंत्रालय
1.	2021-22	2022-23 से लागू	
2.	2022-23	83.39	1.85
3.	2023-24	100.00	6.73
4.	2024-25	60.00	30.55
5.	2025-26	40.00	17.11 (31.12.2025 तक)

3.21 पीएम यशस्वी - अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विमुक्त, घुमंतू जनजातियों के लिए टॉप क्लास कॉलेज शिक्षा

विजन

सभी आईआईएम/आईआईटी/आईआईआईटी/एम्स/एनआईटी/एनआईएफटी/एनआईडी/भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और अन्य केंद्रीय सरकारी संस्थानों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों से संबंधित छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मान्यता देना और बढ़ावा देना। यह योजना कक्षा XIIवीं से आगे की पढ़ाई करने के लिए ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्रों को कवर करती है।

अधिदेश

यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए अधिसूचित सभी प्रतिष्ठित संस्थानों में संचालित होती है। एक बार छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के बाद छात्र के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन पाठ्यक्रम पूरा होने तक जारी रहती है।

मुख्य विशेषताएं

- सभी आईआईएम/आईआईटी/आईआईआईटी/एम्स/एनआईटी/एनआईएफटी/एनआईडी/भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और अन्य केंद्र सरकार के संस्थान इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित।
- सभी स्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक वाले छात्र और संबंधित संस्थान द्वारा निर्धारित सामान्य चयन मानदंडों के अनुसार किसी भी अधिसूचित संस्थान में पूर्णकालिक निर्धारित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र, पाठ्यक्रम के लिए संस्थान को आबंटित छात्रवृत्तियों (स्लॉट) की संख्या की सीमा तक योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
- योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले टॉप क्लास के संस्थानों की सूची तथा छात्रवृत्ति स्लॉट की संख्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा अधिसूचित की जाती है।
- संस्थान को आबंटित स्लॉट का तीस प्रतिशत (30%) पात्र छात्राओं के लिए उनकी अंतर-योग्यता के अनुसार आरक्षित किया जाएगा। पर्याप्त संख्या में छात्राओं के न होने पर, स्लॉट को उनकी अंतर-योग्यता के अनुसार पात्र छात्रों को हस्तांतरित किया जा सकता है। हालांकि, उपर्युक्त 30% स्लॉट में

वे छात्राएं शामिल नहीं होंगी, जिनका चयन संस्थान की ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्रों की समग्र मेरिट सूची में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया है।

- योजना का लाभ एक परिवार में 2 से अधिक भाई-बहनों को नहीं दिया जाता है।
- एक बार छात्रवृत्ति मिलने के बाद छात्र के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर पाठ्यक्रम पूरा होने तक छात्रवृत्ति जारी रहती है। यदि छात्र अगले सेमेस्टर/कक्षा में जाने में विफल रहता है तो छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाती है।
- अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है:

क) पूर्ण शिक्षण शुल्क और गैर-वापसी योग्य शुल्क (वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण और टाइप रेटिंग पाठ्यक्रमों के लिए निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए प्रति छात्र 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष और निजी क्षेत्र के फ्लाइंग क्लबों के लिए प्रति छात्र 3.72 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीमा होगी)

ख) लाभार्थी को प्रति छात्र 3000 रुपये प्रति माह की दर से रहने का खर्च;

ग) प्रति छात्र 5000 रुपये प्रति वर्ष की दर से पुस्तकें और स्टेशनरी; और

घ) यूपीएस और प्रिंटर जैसे सहायक उपकरण के साथ प्रतिष्ठित ब्रांड का नवीनतम कंप्यूटर/लैपटॉप, पाठ्यक्रम के दौरान एकमुश्त सहायता के रूप में प्रति छात्र अधिकतम 45000 रुपये।

- छात्रों का चयन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर किया जाता है।
- छात्रवृत्ति सीधे डीबीटी मोड के माध्यम से लाभार्थियों के आधार से जुड़े खाते में जारी की जाती है।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.21)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1.	2021-2022	2023-24 से लागू	
2.	2022-2023		
3.	2023-2024	90.00	111.40
4.	2024-2025	159.63	216.95
5.	2025-2026	220.00	119.12 (31.12.2025 तक)

3.22 पीएम यशस्वी - ओबीसी वर्गों बालक और बालिकाओं हेतु छात्रावास

विजन

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से उन्हें उचित दूरी पर स्थित सरकारी स्कूलों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों और संस्थानों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना ताकि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक अधिक पहुंच प्रदान की जा सके।

अधिदेश

अन्य पिछड़े वर्गों के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्रीय संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएं

i. बालकों के लिए छात्रावासों के निर्माण की लागत को केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है।

ii. बालिका छात्रावासों के मामले में राज्य सरकारों को 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाएगी और 10 प्रतिशत लागत राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है।

iii. संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, केंद्रीय सहायता 100% होती है और पूर्वोत्तर राज्यों और 02 हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए यह 90% होती है।

iv. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग में प्रतिष्ठित संस्थान के लिए, क्षेत्रीय राज्यों के बावजूद केंद्रीय सहायता 100% होती है।

v. छात्रावास का निर्माण, कार्य आदेश दिए जाने से अठारह माह अथवा केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त जारी होने से दो वर्ष, जो भी पहले हो, के भीतर पूरा किया जाना होता है। किसी भी स्थिति में समय 2 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है। परियोजना में विलंब के कारण होने वाली किसी भी लागत वृद्धि को राज्य/संस्थान द्वारा वहन किया जाता है। दूसरी किस्त के प्रस्ताव छत के शीर्ष स्तर तक निर्माण कार्य पूरा करने के बाद पहली किस्त जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर इस मंत्रालय में प्राप्त होने चाहिए।

संशोधित योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र एजेंसियां इस प्रकार होंगी:-

i. राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन;

ii. प्रतिष्ठित संस्थान को शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग में स्थान दिया गया है
iii. योजना के तहत सहायता के लिए पात्र एजेंसियों के पास उस भूमि पर स्पष्ट अधिकार और कब्जा होना चाहिए जहां छात्रावास का निर्माण किया जाना है, और वे निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।
iv. विभिन्न क्षेत्रों में प्रति छात्रावास सीट की लागत इस प्रकार है: -

क. पूर्वोत्तर क्षेत्र/हिमालयी क्षेत्र - 3.50 लाख रु. प्रति सीट
ख. देश के शेष क्षेत्र - 3.00 लाख रु. प्रति सीट

वर्ष 2025-26 के दौरान उपलब्धियां

वर्ष 2025-26 के दौरान ओबीसी बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए 7.85 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.22)
(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1.	2021-22	30.00	18.78
2.	2022-23	20.00	18.80
3.	2023-24	45.00	14.41
4.	2024-25	40.00	31.82
5.	2025-26	40.00	18.92 (31.12.2025 तक)

अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य के लिए उपलब्धि हासिल करने वाले यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस)

मंत्रालय श्रेयस के तहत अपनी दो उप योजनाओं के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में देश से बाहर के लिए शैक्षिक ऋण पर फेलोशिप और ब्याज सब्सिडी प्रदान करके वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है:

i. ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप; तथा
ii. डॉ. अम्बेडकर अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना।

3.23 श्रेयस - अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

विजन

एनएफ-ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप) योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा, विशेष रूप से **पीएचडी** के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य इन छात्रों को फेलोशिप प्रदान करके उनके शैक्षणिक प्रयासों में सहायता करना है, जिससे वे शोध और अकादमिक उत्कृष्टता में योगदान करने में सक्षम हो सकें।

<u>एनएफ-ओबीसी योजना के विजन के प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:</u>

1. **अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों का सशक्तिकरण**: उच्च शिक्षा, विशेषकर अनुसंधान और विकास में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना और इस प्रकार उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देना।
2. **उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना**: अन्य पिछड़ा वर्ग पृष्ठभूमि के छात्रों को उन्नत अध्ययन करने में सक्षम बनाना, शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में समावेशिता को बढ़ावा देना।
3. **शैक्षिक कमियों को दूर करना**: इस योजना का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच उच्च शिक्षा तक पहुंच में असमानताओं को दूर करना है, तथा वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है।
4. **अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करना**: शोध करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके, इस योजना का उद्देश्य भारत में ज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास में योगदान देना है।

अधिदेश

मंत्रालय का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मान्यता देना और बढ़ावा देना है, जिसके लिए उन्हें पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्य विशेषताएं

यह योजना प्रति वर्ष कुल 1000 जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिनमें से 750 मानविकी के लिए आबंटित किए गए हैं, 250 विज्ञान विषयों के लिए उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने

के लिए आबंटित किए गए हैं, जिससे एम.फिल/पीएचडी डिग्री प्राप्त हुई है, जिन्होंने निम्नलिखित परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त की है:

i. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा - यूजीसी की जूनियर रिसर्च फेलोशिप (नेट-जेआरएफ) (मानविकी/सामाजिक विज्ञान के लिए) या
ii. यूजीसी-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (यूजीसी-सीएसआईआर) नेट-जेआरएफ संयुक्त परीक्षा (विज्ञान के लिए)

इस योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल हैं, जो एम.फिल. और पीएचडी कर रहे शोध छात्रों को प्रदान की जाने वाली यूजीसी फेलोशिप योजना की तर्ज पर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) इस योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है।

फेलोशिप की दर - जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिप की दरें यूजीसी फेलोशिप के बराबर होंगी।

वितीय उपलब्धियां

(तालिका 3.23)
(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1.	2021-2022	60.00	55.55
2.	2022-2023	53.00	51.32
3.	2023-2024	90.00	89.70
4.	2024-2025	55.00	148.15
5.	2025-2026	105.30	67.53 (31.12.2025 तक)

प्रभावित लाभार्थी:

2025-2026 के दौरान, इस योजना ने 1969 लाभार्थियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इस योजना के तहत दिए गए लाभों ने पहुंच, सामर्थ्य और अवसर की लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को तोड़कर सबसे वंचित छात्रों के उत्थान में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। समय पर वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करके, इस योजना ने लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, जो पहले उनकी पहुंच से बाहर थी। इससे न केवल आय, रोजगार और सामाजिक गतिशीलता के मामले में व्यक्तिगत परिणामों में सुधार हुआ है, बल्कि समाज की मुख्यधारा में उनके आत्मविश्वास और भागीदारी को भी मजबूत किया है।

3.24 श्रेयस-ओबीसी: अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी

विजन

ओबीसी और ईबीसी छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन के लिए ब्याज सब्सिडी की डॉ. अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र की योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग और (ओबीसी) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के छात्रों के बीच शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है, ताकि उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना का उद्देश्य इन समुदायों के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, जो बदले में उनके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में योगदान देगा।

अधिदेश

मंत्रालय का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के विद्यार्थियों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उनके बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएं

- यह योजना केनरा बैंक (योजना के लिए नोडल बैंक) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- यह योजना विदेश में उच्च शिक्षा के लिए लागू है।
- ब्याज सब्सिडी भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मौजूदा शैक्षिक ऋण योजना से जुड़ी होगी और परास्नातक, एम.फिल और पीएचडी स्तर पर पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों तक सीमित होगी।
- छात्रों को दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध पाठ्यक्रमों के लिए विदेश में परास्नातक, एम.फिल या पीएचडी स्तर पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए।
- अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए, बेरोजगार उम्मीदवार के मामले में कार्यरत उम्मीदवार या उसके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल आय वर्तमान क्रीमी लेयर मानदंड से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ईबीसी उम्मीदवारों के लिए, बेरोजगार उम्मीदवार के मामले में कार्यरत उम्मीदवार या उसके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल आय 5.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुल वित्तीय सहायता का 50% महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।
- इस योजना के तहत, आईबीए के शिक्षा ऋण का लाभ उठाने वाले छात्रों द्वारा आईबीए की शिक्षा ऋण योजना के तहत निर्धारित अधिस्थगन अवधि (अर्थात पाठ्यक्रम अवधि, साथ ही नौकरी मिलने के एक साल या छह महीने बाद, जो भी पहले हो) के लिए देय 100% ब्याज भारत सरकार द्वारा वहन

किया जाएगा। अधिस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद, बकाया ऋण राशि पर ब्याज छात्र द्वारा मौजूदा शैक्षिक ऋण योजना के अनुसार भुगतान किया जाएगा, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। उम्मीदवार मूलधन की किस्तों और अधिस्थगन अवधि से परे ब्याज का भुगतान करेगा।

- ऋण की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.24)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1.	2021-2022	30.00	26.70
2.	2022-2023	27.00	23.98
3.	2023-2024	60.00	56.24
4.	2024-2025	25.00	9.49
5.	2025-2026	018	0.16 (31.12.2025 तक)

प्रभावित लाभार्थी

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, इस योजना ने 91 लाभार्थियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली ब्याज सब्सिडी सबसे वंचित वर्गों के छात्रों के लिए विदेशों में संस्थागत ऋणों के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक रही है। पाठ्यक्रम और अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज के बोझ को काफी कम करके, इस योजना ने उन परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को किफायती बना दिया है जो अन्यथा उच्च अध्ययन के वित्तपोषण की लागत को वहन करने में असमर्थ होंगे। इस सहायता ने न केवल वित्तीय तनाव को कम किया है, बल्कि छात्रों को पेशेवर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है, जिससे उनकी रोजगार, आय की संभावनाएं और दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है।

3.25 विश्वास योजना (वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता स्कीम)

विजन

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), निजी क्षेत्र के बैंकों, लघु वित्त बैंकों और अन्य इसी प्रकार के वित्तीय संस्थानों (इसमें इसके बाद ऋणदाता संस्थानों (एलआई) के रूप में संदर्भित) के माध्यम से उनके लिए, लिए गए ऋणों (केवल आय-सृजन) पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान करके लाभवंचित समुदायों के पात्र लाभार्थियों का समर्थन करना। इस सहायता के माध्यम से, यह योजना उधारकर्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करने, समय पर पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने और किफायती ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

अधिदेश

विश्वास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित अधिदेश है:

- पात्र व्यक्तियों और एसएचजी द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रति वर्ष 5% तक ब्याज छूट प्रदान करना।
- एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी के माध्यम से क्रमशः एससी, ओबीसी और सफाई कर्मचारी लाभार्थियों को समय पर ऋण सहायता सुनिश्चित करना।
- लाभार्थी बैंक खातों में सीधे सहायता के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की सुविधा प्रदान करना।
- ऋण लागत कम करके और सुधार करके एसएचजी-आधारित उद्यमों को मजबूत करना।

मुख्य विशेषताएं

2024-25 से 2025-26 के दौरान चालू विश्वास योजना, लाभवंचित सामाजिक-आर्थिक समूहों से पात्र व्यक्तियों और एसएचजी द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज छूट प्रदान करती है। इसका उद्देश्य प्रभावी ब्याज के बोझ को कम करना और आय-सृजन पहल का समर्थन करना है।

1. लक्षित समूह: अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और सफाई कर्मचारी, जिनमें मैनुअल स्कैवेंजर्स और कचरा बीनने वाले शामिल हैं।

2. आर्थिक मानदंड

- एससी और ओबीसी लाभार्थियों के लिए: वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए
- सफाई कर्मचारियों के लिए कोई आय सीमा नहीं।

3. लाभार्थी पात्रता

- व्यक्तियों को लक्षित श्रेणियों से संबंधित होना चाहिए।
- एसएचजी में लक्षित समूह से कम से कम 70 प्रतिशत सदस्य होने चाहिए।
- ऋण मानक खाते होने चाहिए (कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए)।
- ऋण सीमाएं:
  - व्यक्तियों के लिए ₹5 लाख
  - एसएचजी के लिए ₹10 लाख

4. फंडिंग पैटर्न पूरी तरह से केंद्रीय वित्त पोषित योजना।

- संबंधित राष्ट्रीय निगमों (एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी, एनएसकेएफडीसी) द्वारा छूट के दावों को संसाधित किया जाता है।
- निगमों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों को निधि जारी की जाती है।

5. **योजना की अवधि**

- 2024-25 से 2025-26 के दौरान लिए गए ऋणों के लिए प्रभावी।
- ऋण अवधि के लिए या 2029-30 तक, जो भी पहले हो, छूट का लाभ उपलब्ध हैं।

2025-26 के दौरान उपलब्धियां

विश्वास-एससी के तहत, 2024-25 और 2025-26 में 31.12.2025 तक डीबीटी-आधारित ब्याज छूट के माध्यम से 1,96,081 अनुसूचित जाति के उधारकर्ताओं को लाभान्वित करने के लिए कुल 24.72 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

विश्वास-बीसी के तहत, 2024-25 और 2025-26 में 31.12.2025 तक डीबीटी-आधारित ब्याज छूट के माध्यम से 1,92,650 अनुसूचित जाति के उधारकर्ताओं को लाभान्वित करने के लिए कुल 24.20 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

2025-26 के दौरान वित्तीय उपलब्धियां

वित्तीय उपलब्धियां: विश्वास-एससी

(तालिका 3.25.1)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय (रुपये करोड़ में)
1	2024-2025	11.49	11.49
2	2025-2026 (31.12.2025तक)	24.57*	19.56

वित्तीय उपलब्धियां: विश्वास-बीसी

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान(आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय (रुपये करोड़ में)
1	2024-2025	11.49	11.95
2	2025-2026 (31.12.2025तक)	25.70*	23.13

बजट अनुमान (बीई)

3.26 'पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना' के तहत विशेष छात्रवृत्ति 'पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना'

विजन

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 29 मई, 2021 को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत फरवरी 2022 में ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की पहल की गई, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता/पिता

दोनों को खो दिया हो। इसे ध्यान में रखते हुए, कोविड प्रभावित बच्चों की शिक्षा जारी रखने की कठिनाई को कम करने के लिए "पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना" के तहत एक विशेष छात्रवृत्ति योजना बनाई गई थी।

अधिदेश

यह योजना केवल ऐसे लाभार्थियों के लिए है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता/पिता दोनों को खो दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है, जो जिला मजिस्ट्रेटों के परामर्श से लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करता है। यह योजना कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए है।

मुख्य विशेषताएं

(i) यह योजना 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रस्तावित है, जिसका परिव्यय 45 करोड़ रुपये है।

(ii) छात्रवृत्ति राशि डीबीटी मोड का उपयोग करके लाभार्थियों के खाते में जमा की जाती है।

(iii) प्रति वर्ष प्रति बच्चे 20,000/- रुपये की कुल छात्रवृत्ति भत्ता निम्नानुसार है:

- 1,000 रुपये प्रति माह का मासिक भत्ता, जो छह माह में एक बार अग्रिम रूप से सीधे उनके खातों में देय होगा।
- 8,000 रुपये का वार्षिक शैक्षणिक भत्ता, जिसमें संपूर्ण स्कूल फीस, पुस्तकों और यूनीफार्म, जूतों और अन्य शैक्षिक उपकरणों की लागत शामिल होगी।

(iv) छात्रवृत्ति राशि डीबीटी मोड का उपयोग करके लाभार्थियों के खाते में जमा की जाती है।

(v) यह योजना 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है।

2025-26 के दौरान उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2855 लाभार्थियों, वित्त वर्ष 2024-25 के 90 लाभार्थियों और वित्त वर्ष 2023-24 के 69 लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2025-26 में 31.12.2025 तक योजना का लाभ दिया गया है।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.26)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1	2022-2023	10.00	8.09
2	2023-2024	8.80	8.39
3.	2024-2025	8.50	6.29
4.	2025-2026	8.50 (ब.अ.)	6.028
			(31.12.2025 तक)

3.27 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

विजन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ("एनसीएससी") भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।

अधिदेश

आयोग का अधिदेश संविधान के तहत (या किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी आदेश के तहत) अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना है; और अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के लिए भी है।

उपलब्धियां

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ई-शिकायत प्रबंधन पोर्टल (ईजीएमपी) के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से अपने शिकायत निवारण तंत्र को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए बनाया गया यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिकायतों से निपटने में पहुंच, दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

ईजीएमपी पोर्टल याचिकाकर्ताओं को वेब इंटरफेस के माध्यम से किसी भी स्थान से 24x7 शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। एक बार दर्ज होने के बाद, शिकायतें त्वरित और कुशल कार्रवाई के लिए स्वचालित रूप से संबंधित एनसीएससी अधिकारियों के डैशबोर्ड पर भेज दी जाती हैं। यह प्रणाली अधिकारियों को मैन्युअल प्रक्रियाओं से जुड़ी देरी को समाप्त करके बाहरी अधिकारियों को नोटिस, अनुस्मारक और समन जारी करके शिकायतों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने की अनुमति देती है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की वास्तविक समय की स्थिति, पारदर्शिता और निवारण प्रणाली में विश्वास को भी ट्रैक कर सकते हैं।

ईजीएमपी पोर्टल को एक उन्नत अधिसूचना सुविधा के साथ नया रूप दिया गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि याचिकाकर्ता को शिकायत निवारण प्रक्रिया के दौरान सूचना मिलती रहे। शिकायत पंजीकरण, नोटिस जारी करने, अनुस्मारक और प्रतिक्रियाओं की प्राप्ति सहित गतिविधि के हर चरण में पोर्टल स्वचालित रूप से

याचिकाकर्ताओं को एसएमएस और ईमेल अपडेट भेजता है। यह सुविधा पारदर्शिता बढ़ाती है और याचिकाकर्ताओं को उनकी शिकायतों की प्रगति पर समय-समय पर अपडेट प्रदान करके सक्रिय रूप से जोड़े रखती है।

वित्त वर्ष 2025-2026 के दौरान, एनसीएससी को ईजीएमपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 24,311 शिकायतें (खारिज किए गए मामलों सहित) और 16,247 (खारिज किए गए मामलों को छोड़कर) शिकायतें प्राप्त हुईं। इसी अवधि में, 14,951 नोटिस जारी किए गए और बाहरी अधिकारियों से 13,243 उत्तर प्राप्त हुए, जो पोर्टल की प्रभावशीलता और इसे व्यापक रूप से अपनाए जाने के महत्व को दर्शाते हैं।

आयोग ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों के विभिन्न विभागों की समीक्षा की है।

वर्ष 2025-2026 के दौरान, आयोग ने अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए स्वरोजगार और आय सृजन के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन, आरक्षण नीति और कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पीएसबी की समीक्षा की है। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑल इंडिया रेडियो, आईआईटी (दिल्ली), भारत संचार निगम लिमिटेड, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पंजाब नेशनल बैंक शामिल हैं।

3.28 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके)

विजन

केंद्र सरकार के विभिन्न कल्याण और पुनर्वास उपायों के माध्यम से सफाई कर्मचारियों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के अधिकारों का संरक्षण और हितों की रक्षा करना और सफाई कर्मचारियों के लाभवंचित समुदाय को समाज के अन्य वर्गों के साथ आत्मसात करने/एकीकृत करने के लिए कार्रवाई करना ताकि समानता लाई जा सके।

अधिदेश

I. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के विचारार्थ विषय दिनांक 02.03.2009 के संकल्प के साथ पठित 12 फरवरी, 2025 के संकल्प में निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

क. सफाई कर्मचारियों की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार को कार्रवाई के विशिष्ट कार्यक्रमों की सिफारिश करना;

ख. सफाई कर्मचारियों और विशेष रूप से मैला उठाने वाले के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन का अध्ययन और मूल्यांकन करना;

ग. विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और निम्नलिखित के कार्यान्वयन न करने से संबंधित मामलों पर स्वत: संज्ञान लेना:

i. सफाई कर्मचारियों के किसी भी समूह के संबंध में कार्यक्रम या योजनाएं;

ii. सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से निर्णय, दिशानिर्देश या निर्देश;

iii. सफाई कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के उपाय;

iv. सफाई कर्मचारियों के लिए लागू होने वाले किसी भी कानून के प्रावधान; और ऐसे मामलों को संबंधित प्राधिकारियों या केंद्र या राज्य सरकारों के साथ उठाना;

घ. सरकार, नगर पालिकाओं और पंचायतों सहित विभिन्न प्रकार के नियोक्ताओं के अधीन काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और मजदूरी से संबंधित परिस्थितियों सहित कार्य स्थितियों का अध्ययन और निगरानी करना और इस संबंध में सिफारिशें करना;

ङ. सफाई कर्मचारियों द्वारा सामना की जा रही किसी भी कठिनाई या अक्षमता को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र या राज्य सरकारों को रिपोर्ट करना; तथा

च. कोई अन्य मामला जो केंद्र सरकार द्वारा इसे संदर्भित किया जा सकता है।

II. एनसीएसके के कार्यों को "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के तहत भी अनिवार्य किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 31(1) के अनुसार, आयोग के निम्नलिखित कार्य होंगे, अर्थात्:

क. अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

ख. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करना, और आगे की कार्रवाई की आवश्यकता वाली सिफारिशों के साथ संबंधित अधिकारियों को इसके निष्कर्षों से अवगत कराना;

ग. अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना;

घ. अधिनियम के कार्यान्वयन न किए जाने से संबंधित मामले पर स्वत: संज्ञान लेना।

III. आयोग के अध्यक्ष "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के तहत गठित केंद्रीय निगरानी समिति के पदेन सदस्य हैं, जिसके निम्नलिखित कार्य हैं:

(क) इस अधिनियम और संबंधित कानूनों तथा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की निगरानी और उनकी सलाह देना;

ख) सभी संबंधित एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करना;

ग) इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित या प्रासंगिक किसी अन्य मामले पर गौर करना।

इस अधिनियम के प्रासंगिक अथवा इसके कार्यान्वयन से संबद्ध किसी अन्य मामले की जांच करना।
IV. आयोग सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में 2003 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 583 में दिनांक 27.3.2014 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के साथ-साथ डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य शीर्षक वाली 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 324 में 20 अक्टूबर, 2023 के फैसले के कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है।

मुख्य विशेषताएं

i. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एससीएसके) का गठन 12 अगस्त, 1994 को संसद के एक अधिनियम 'सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993' द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए यानी 31 मार्च, 1997 तक एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था।

ii. हालांकि, अधिनियम की वैधता को क्रमशः 1997 और 2001 में पारित संशोधन अधिनियमों के माध्यम से फरवरी, 2004 तक बढ़ा दिया गया था। सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 29.02.2004 से समाप्त हो गया और आयोग अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। वर्ष 2004 से सरकारी संकल्पों के माध्यम से आयोग का कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया गया है। 12.02.2025 के सरकारी संकल्प के अनुसार, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31.03.2028 तक बढ़ा दिया गया है।

iii.1994 में पहले आयोग की स्थापना के बाद से अब तक दस आयोगों का गठन किया जा चुका है।

एससीएसके की संरचना:
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष (केंद्रीय राज्य मंत्री के पद और रैंक में), एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें एक महिला सदस्य (भारत सरकार के सचिव के पद और रैंक में) शामिल होती है। सचिव, एनसीएसके (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष पर) आयोग का प्रशासनिक प्रमुख होता है।

उपलब्धियां

31.12.2025 तक, 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों के लिए राज्य आयोग का गठन किया गया है या एक एजेंसी नामित की गई है। केवल तेलंगाना राज्य ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग या सफाई कर्मचारियों के लिए राज्य आयोग के कार्य की देखरेख करने के लिए नामित एजेंसियों के अस्तित्व के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की है।

प्रिंट, मीडिया, व्यक्तियों, संघों और अन्य स्त्रोतों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर आयोग सीवर से संबंधित घटनाओं (दुर्घटनाओं/मौतों) का स्वत संज्ञान लेता है और मामले को संबंधित जिला/राज्य प्राधिकारियों के साथ उठाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 (31.12.2025 तक) के दौरान, आयोग के पास सीवर/सेप्टिक टैंक से मौत के 32 मामलों की जानकारी है और आयोग के हस्तक्षेप/प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2025-26 में ही 11 पीड़ितों के परिजनों को मुआवजे का पूरा भुगतान किया गया है। आयोग द्वारा 1993 से 31.12.2025

तक सीवर से संबंधित कुल 1,350 मौतें संज्ञान में आई हैं। इनमें से 1,191 मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया गया है। कानूनी उत्तराधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण 55 मामलों को बंद कर दिया गया है। आयोग लंबित मामलों के संबंध में मुआवजे के भुगतान के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ संवाद करता रहता है।

शिकायत प्रबंधन

आयोग संबंधित प्राधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट/टिप्पणियां मंगाकर शिकायतों/शिकायतों/अभ्यावेदनों को उनके साथ उठाता है। कुछ मामलों में काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जहां या तो याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण किया गया था या प्राधिकरण ने आयोग को मौजूदा नियमों के कारण पीड़ित पक्ष द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करने में उनकी असमर्थता के बारे में अवगत कराया था। आयोग ने सरकार को "सीवर मौतों" को परिभाषित करके व्यापक दिशा-निर्देश बनाने और सीवर से संबंधित सभी मृत्यु/दिव्यांगता पीड़ितों के मुआवजे और पुनर्वास के लिए लिखा है ताकि छूटी हुई श्रेणियों या मुद्दों को कवर किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल से दिसंबर 2025) के दौरान, आयोग द्वारा 1,007 शिकायतों का निपटारा किया गया।

2025-26 के दौरान उपलब्धियां

I. जहां तक एनसीएसके के कामकाज का संबंध है, सीवर से संबंधित मौतों के मामलों के निपटान की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

क. 1993 से 31.12.2025 तक सीवर/सेप्टिक टैंक से हुई मृत्यु की कुल संख्या = 1,350 संख्या।
ख. कुल मृत्यु के ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मुआवजे का भुगतान किया गया है = 1,191
ग. 01.04.2025 से 31.12.2025 तक सीवर/सेप्टिक टैंक से हुई मौतों की कुल संख्या = 32 संख्या।
घ. कुल मृत्यु के मामलों की संख्या जिनमें 01.04.2025 से 31.12.2025 तक मुआवजे का भुगतान किया गया है = 11 (32 मामलों में से)

II. इस अवधि के दौरान की गई विभिन्न पहलों का स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण से संबंधित विभिन्न मामलों पर वांछनीय प्रभाव पड़ा। इन प्रभावों का सार निम्नलिखित है:

क. लंबे समय से लंबित सीवर मृत्यु मामलों में मुआवजे का भुगतान:

इस वर्ष सीवर से होने वाली मौतों के 36 मामलों में मुआवजे का पूरा भुगतान किया गया है। इसका विवरण इस प्रकार है:-

(तालिका 3.28.1)

क्र.सं.	अवधि जिसमें सीवर/सेप्टिक टैंक से मृत्यु हुई	सीवर/सेप्टिक टैंक से हुई मृत्यु के मामलों की कुल संख्या, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 में अक्टूबर 2025 तक मुआवजे का पूरा भुगतान किया गया है।
1	2022-23 (वित्त वर्ष)	12
2	2023-24 (वित्त वर्ष)	05
3	2024-25 (वित्त वर्ष)	08
4	2025-26 (31.12.2025 तक)	11

ख. मुआवजे का शीघ्र भुगतान:

वर्ष 2025 (1 अप्रैल के बाद) के दौरान मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को निम्नलिखित 11 मामलों में 37 लाख रुपये (प्रत्येक) और 30 लाख रुपये (प्रत्येक) के मुआवजे का तत्काल भुगतान किया गया था:

(तालिका 3.28.2)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उन मामलों की संख्या जिनमें मुआवजा दिया गया था	मुआवजे के भुगतान की राशि
1.	पंजाब	3	रु. 37 लाख
2.	तमिलनाडु	5	रु. 30 लाख
3	उत्तर प्रदेश	2	रु. 30 लाख
4.	राजस्थान	1	रु. 30 लाख

ग. राज्यों ने अब सीवर मृत्यु के मामलों में मुआवजे के भुगतान के विशिष्ट उद्देश्य के लिए बजट खोलने और निधियों का आबंटन करने की सलाह को लागू करना शुरू कर दिया है।

घ. विभिन्न राज्यों में कई राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठकों के साथ-साथ जिला सतर्कता समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं।

ङ. अप्रैल, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक की अवधि के दौरान, आयोग द्वारा सफाई कर्मचारियों से संबंधित कुल 1007 शिकायतों/अभ्यावेदनों पर कार्रवाई की गई। शिकायतों के निवारण के लिए उनसे तथ्यात्मक रिपोर्ट/स्थिति/टिप्पणियां मंगाकर इन मुद्दों को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था और संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे सफाई कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें।

च. इसी तरह, सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त 31 शिकायतों/अभ्यावेदनों का भी अंतर्निहित अवधि के दौरान निपटारा किया गया।

छ. आयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मुख्य सचिव/डीजीपी और अन्य अधिकारियों को पत्र भेजकर सीवर में हुई मौतों/पीड़ितों के परिवार वालों को मुआवज़ा/पुनर्वास के मामलों की नियमित समीक्षा कर रहा है, और उन्हें निर्देश दे रहा है कि सीवर में हुई मौतों के मुआवज़े के लंबित मामलों को निपटाएं और "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" की लागू धाराओं

के तहत मामलों को ठीक से दर्ज करें। माननीय उच्चतम न्यायालय के 2023 के फैसले के बारे में सिविल और पुलिस अधिकारियों के बीच काफी जागरूकता पैदा की गई है। राज्य के अधिकारियों ने आयोग से अनुरोध किया कि मृतकों के कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद कुछ मामलों को निपटाया जाए। इसके अलावा, उन्होंने आयोग से उन मामलों को बंद करने का अनुरोध किया था जो सीवर/सेप्टिक से हुई मृत्यु की घटनाओं से संबंधित नहीं थे।

ज. आयोग नियमित रूप से राज्य के अधिकारियों के साथ पत्राचार कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुनर्वास के प्रयास सही मायने में किए जाएं।

वित्तीय उपलब्धियां-

(तालिका 3.28.3)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1.	2021-2022	1000	553.09
2.	2022-2023	756	308.15
3.	2023-2024	1098	519.54
4.	2024-2025	1280	1152.00
5.	2025-26 (31.12.2025 तक)	1400 (ब.अ.)	558.15

3.29 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का संविधान पीठ का निर्णय और अधिनियमनः 16.11.1992 को माननीय उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने संविधान के तहत आरक्षण के सिद्धांत से संबंधित कानून निर्धारित करने के अलावा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ [1992 पूरक (3) एससीसी 217] के मामले में निर्णय दिया, उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने भारत सरकार प्रत्येक राज्य सरकार को नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को शामिल करने के अनुरोधों और शिकायतों पर विचार, जांच करने और सिफारिश करने के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करने के निर्देश भी जारी किए थे। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम अप्रैल, 1993 में अधिनियमित किया गया था और उक्त अधिनियम के तहत 14 अगस्त, 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्य नागरिकों के किसी भी वर्ग को पिछड़े वर्ग के रूप में अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने के अनुरोधों की जांच करने और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अधिक समावेशन अथवा कम समावेशन की शिकायतों की सुनवाई करने और केन्द्र सरकार को ऐसी सलाह देने तक सीमित था, जो

वह उचित समझे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) अधिनियम, 2018 दिनांक 14.08.2018 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा (एनसीबीसी)

संविधान में एक नया अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 338ख को शामिल करने और राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग आयोग को एक संवैधानिक इकाई के रूप में गठित करने के लिए संसद में एक सौ तेईसवां संशोधन विधेयक, 2017 पेश किया गया था। यह विधेयक पारित हो गया था। तदनुसार, संविधान (एक सौ दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 के माध्यम से, अनुच्छेद 338ख को भारत के संविधान में जोड़ा गया और एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिए जाने के परिणामस्वरूप, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को निरस्त कर दिया गया।

(ग) एनसीबीसी की संरचना अनुच्छेद 338ख के खंड (2) में यह प्रावधान है कि एनसीबीसी में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं और इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यकाल ऐसे होंगे, जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए।

(घ) अनुच्छेद 338ख के खंड (3) में यह प्रावधान है कि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के अधीन वारंट द्वारा की जाएगी।

(ङ) अनुच्छेद 338ख का खंड (4) यह प्रावधान करता है कि आयोग को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(च) अनुच्छेद 338ख का खंड (5) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्यों का प्रावधान करता है -

- इस संविधान के तहत या किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी आदेश के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना;
- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों और रक्षा से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;
- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग लेना और सलाह देना और संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
- राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष तथा ऐसे अन्य अवसरों पर, जिन्हें आयोग उचित समझे, उन रक्षा उपायों के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- ऐसी रिपोर्ट में उन उपायों के बारे में सिफारिशें करना जो संघ या किसी राज्य द्वारा उन रक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए जाने चाहिए तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपाय करना; तथा
- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्य करना जिन्हें राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के उपबंधों के अधीन

रहते हुए, नियम द्वारा निर्दिष्ट करें।

(छ) खंड (6) में भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रिपोर्ट रखने का प्रावधान है, साथ ही संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई तथा ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(ज) खंड (7) में यह प्रावधान है कि जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है, जिससे कोई राज्य सरकार संबंधित है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी, साथ ही राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई तथा ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(झ) खंड (8) में यह प्रावधान है कि एनसीबीसी को उप-खंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले की जांच करते समय या खंड (5) के उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय, किसी मुकदमे की सुनवाई करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्:-

- भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ दिलाते हुए उसकी जांच करना;
- किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की मांग करना;
- शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की मांग करना;
- गवाहों और दस्तावेजों की जांच करना;
- कोई अन्य मामला जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे।

(ञ) खंड (9) में कहा गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

3.30 विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) - डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की स्कीम (सीड)

विजन

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों को पूरी तरह से सशक्त बनाना और समाज में अन्य समुदायों के समान आर्थिक और सामाजिक स्थिति का लाभ उठाना।

अधिदेश

डीएनटी समुदायों के समग्र विकास और कल्याण के लिए काम करना।

मुख्य विशेषताएं

(i) डीएनटी उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने में सक्षम बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना।

(ii) डीएनटी समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना।

(iii) डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के संस्थानों के छोटे समूहों के निर्माण और उन्हें मजबूत करने के लिए सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को सुविधाजनक बनाना।

(iv) पीएमएवाई के माध्यम से डीएनटी समुदायों के सदस्यों को घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना।

2025-26 के दौरान उपलब्धियां

बोर्ड ने डीएनटी समुदाय के लोगों के बीच डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड) को लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। सीड के तहत आजीविका कार्यकलापों को सृजित करने और बढ़ावा देने के लिए 8 राज्यों नामतः महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में कुल 5,650 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की योजना बनाई गई है। उपर्युक्त नियोजित स्व-सहायता समूहों में से 5,061 स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया है जिसमें 61,133 लाभार्थी शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, सीड के शैक्षिक सशक्तिकरण (निःशुल्क कोचिंग) घटक के तहत, 50 पात्र डीएनटी छात्रों ने 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में उन लोक परीक्षाओं के कोचिंग पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन किया है, जिनके लिए योग्यता स्नातक है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, 4000 डीएनटी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग के लिए पंजीकृत किया जाएगा, जिसके लिए योग्यता परीक्षा कक्षा 12वीं है, जिसमें से लगभग 3064 छात्रों का चयन किया गया है और डीबीटी के माध्यम से कोचिंग लाभ जारी किया जाएगा।

स्वास्थ्य बीमा घटक के तहत, अब तक कुल 5.00 लाख आयुष्मान कार्डों में से 50,287 ई-केवाईसी आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

सर्वोत्तम प्रथाएं

महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा हैं जैसे राज्यों ने डीएनटी समुदाय को लाभ प्रदान करने के लिए कुछ डीएनटी को समर्पित विभागों/निदेशालयों की स्थापना की है।

महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने शिक्षा, आवास, कौशल विकास के क्षेत्रों में डीएनटी के लिए योजनाएं भी तैयार की हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित सहायता

- वर्तमान में केवल सात राज्य (महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु) डीएनटी प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उन व्यक्तियों को डीएनटी प्रमाण पत्र जारी करेंगे जो डीएनटी के लिए केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समान रूप से पात्र हैं।
- राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-जी के तहत आवास आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे पात्र डीएनटी व्यक्तियों की सूची साझा करेंगे।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र डीएनटी को समर्पित अलग विभाग/निदेशालय/कल्याण बोर्ड की स्थापना पर विचार करेंगे।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अ.शा. पत्रों के माध्यम से मांगे गए विवरण को साझा करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 22.02.2015, 22.06.2022, 26.06.2024, 02.07.2024 और 30.12.2024 को तमिलनाडु के मुख्य सचिव सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को लिखा गया है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि (i) प्रत्यक्ष पत्रों और अन्य जरूरतों के सत्यापन के बाद डीएनटी समुदाय के लोगों के समयबद्ध तरीके से डीएनटी प्रमाण-पत्र जारी करना। (ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और कल्याण के लिए शिकायत निवारण समितियों की तर्ज पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर या अन्य उपयुक्त प्राधिकरण की अध्यक्षता में डीएनटी के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन, (iii) डीएनटी की अनुमानित जनसंख्या, (iv) राज्य में समुदायों की संख्या, (v) जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या और (vi) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे डीएनटी समुदायों को आवास के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराएं।
- चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण की पूर्व शर्त भूमि की उपलब्धता है, इसलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/डीडब्ल्यूबीडीएनसी बेघर डीएनटी परिवारों के आवास को सक्षम बनाने के लिए संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से भूमि आबंटन का प्रयास कर रहा है

वित्तीय उपलब्धियां (31.12.2025 तक)

(तालिका 3.30)
(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1	2021-2022	50.00	--
2	2022-2023	28.00	--
3	2023-2024	15.00	15.00
4	2024-2025	39.40	35.16
5	2025-2026	39.40	15.00

3.31 डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान

विजन

- डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) की स्थापना 24 मार्च 1992 को हुई थी।
- यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है।
- फाउंडेशन का प्राथमिक उद्देश्य डॉ. अंबेडकर की विचारधारा और दर्शन को आम जनता के बीच बढ़ावा देना और डॉ. अंबेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति की सिफारिशों से निकली कुछ योजनाओं को संचालित करना है।

अधिदेश

योजनाएं

- डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना
- डॉ. अंबेडकर चेयर।
- महान संतों की जयंती मनाना।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित माध्यमिक की विद्यालय परीक्षाओं के मेधावी छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना (10वीं)।
- अनुसूचित जाति से संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय की परीक्षाओं के मेधावी छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना (12वीं)।

कार्यक्रम:

- संसद भवन लॉन में प्रत्येक वर्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती और पुण्यतिथि मनाना।

परियोजनाएं:

बाबासाहेब अम्बेडकर के संग्रहीत कार्य (सीडब्ल्यूबीए)।

मुख्य विशेषताएं

डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना

- वृक्क, हृदय, यकृत, कैंसर और मस्तिष्क या जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली अन्य बीमारियों (नियोजित उपचार/सर्जरी) की सर्जरी की आवश्यकता वाले गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों को चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान की जाती है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम है।

डॉ. अम्बेडकर चेयर

- डॉ. अंबेडकर चेयर की स्थापना 1993 में उन्नत शिक्षण केंद्र प्रदान करने के लिए की गई थी, जहाँ शिक्षाविदों, विद्वानों और छात्रों को बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर के विचारों और विचारों को समझने, उनका आकलन करने, उनका प्रसार करने और उन्हें लागू करने के लिए अध्ययन और अनुसंधान को समृद्ध और उन्नत करने का अवसर मिलता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में 25 चेयर स्थापित की गई हैं।
- वर्ष 2022 में संशोधित योजना के अनुसार, प्रत्येक चेयर को वेतन और अनुसंधान गतिविधियों के रूप में 75.00 लाख रुपये मिलेंगे।

वर्ष 2002-03 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के माध्यमिक विद्यालय की परीक्षाओं के मेधावी छात्रों (10वीं) के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना।

- केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को योग्यता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
- बोर्ड: 29 बोर्ड/परिषद।
- छात्र को किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में शामिल होना चाहिए और 50% से कम अंक नहीं प्राप्त करने चाहिए।
- वित्तीय सहायता:

(तालिका 3.31.1)

अंक प्राप्त करने वाले छात्र	**राशि**
उच्चतम अंक (एससी/एसटी छात्र)	60,000/- रुपये
द्वितीय उच्चतम अंक (एससी /एसटी छात्र)	50,000/- रुपये
तृतीय उच्चतम अंक (एससी /एसटी छात्र)	40,000/- रुपये
सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं (उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में न होने की स्थिति में)	40,000/- रुपये

वर्ष 2007-08 से अनुसूचित जातियों के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की परीक्षाओं के मेधावी छात्रों (12वीं) के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना।

- केवल अनुसूचित जाति के छात्रों को योग्यता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
- कला, विज्ञान (गणित), विज्ञान (जीव विज्ञान) और वाणिज्य के लिए।
- बोर्ड: 29 बोर्ड/परिषद।
- विशेष बालिका पुरस्कार विजेताओं की कुल संख्या: 4 स्ट्रीम के लिए 348 (12 x 29) (प्रति छात्र 20,000 रुपये की दर से)।
- 50% से कम अंक नहीं
- वित्तीय सहायता:

(तालिका 3.31.2)

अंक प्राप्त करने वाले छात्र	राशि
उच्चतम अंक (अनुसूचित जाति छात्र)	60,000/- रु.
द्वितीय उच्चतम अंक (अनुसूचित जाति छात्र)	50,000/- रु.
तृतीय उच्चतम अंक (अनुसूचित जाति छात्र)	40,000/- रु.

महान संतों की जयंती मनाना

महान संतों, जैसे: संत कबीर, गुरु रविदास, गुरु घासीदास, चोखामेला, नंदनार, नारायण गुरु, नामदेव, भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मिकी, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, डॉ. बी.आर.अंबेडकर, अय्यंकाली, डॉ. संतुजी रामजी लाड, तुकाराम भाऊराव साठे (अन्ना भाऊ साठे के नाम से लोकप्रिय) और दुर्बल नाथ जी की जन्म/पुण्यतिथि मनाने के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना बनाई गई है और इसमें सहायता अनुदान भी प्रदान की जाती है।

सहायता अनुदान की राशि

- मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्था - 5.00 लाख रुपये
- पंजीकृत गैर सरकारी संगठन - 2.00 लाख रुपये
- कोई भी संस्था/संगठन वर्ष में केवल एक बार ही सहायता अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है।

परियोजना:बाबासाहेब अम्बेडकर के संग्रहीत कार्य (सीडब्ल्यूबीए)

सीडब्ल्यूबीए डीएएफ द्वारा शुरू की गई एक अनुवाद और प्रकाशन परियोजना है, जिसका उद्देश्य डॉ. अंबेडकर के संदेश और विचारधारा को जन-जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। डॉ. अंबेडकर के लेखों और भाषणों का हिंदी और आठ क्षेत्रीय भाषाओं, अर्थात पंजाबी, उर्दू, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, गुजराती, मलयालम और तमिल में अनुवाद किया जा रहा है। सीडब्ल्यूबीए के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं: (i) डॉ. अंबेडकर के लेखों और भाषणों का अनुवाद; (ii) उनका प्रकाशन और वितरण।

योजना/गतिविधि/कार्यक्रम के तहत सर्वोत्तम प्रथाएं/सफलता की कहानियां:

डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना*: रु. 1.47* करोड़ की चिकित्सा सहायता दी गई।

डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना: 8.68 करोड रुपये की सहायता प्रदान की गई।

डॉ. अम्बेडकर चेयर: 3.33 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया

वित्तीय उपलब्धियां (31.12.2025 तक)

(तालिका 3.31.3)

क्र.सं.	योजना का नाम	वत्त वर्ष 2021-2022		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-2024		वित्त वर्ष 2024-2025		वित्त वर्ष *2025-2026*	
		लाभार्थियों की संख्या	रु. लाख में	लाभार्थियों की संख्या	रु. लाख में	लाभार्थियों की संख्या	रु. लाख में	लाभार्थियों की संख्या	रु. लाख में	लाभार्थियों की संख्या	*रु. लाख में*
1.	डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना	204	738.61	197	558.01	81	230.24	66	215.55	61	161.77
2.	डॉ. अम्बेडकर चेयर	14	370.03	12	240.32	06	174.96	17	539.90	15	950.00
3.	महान संतों की जयंती समारोह	22	40.90	36	68.93	16	32.00	14	5.49	14	26.38
4.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के मेधावी छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना (10वीं)	-	-	538	180.70	-	-	23	7.30	1041	938.40
5.	अनुसूचित जाति के उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के मेधावी छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना (12वीं)	-	-	455	166.10	-	--	19	7.20	91	
6.	अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ. अंबेडकर योजना (अप्रैल, 2023 तक मामलों का निपटान किया गया, उसके बाद योजना का मंत्रालय में	251	627.50	250	651.12	66	163.50	10	25.00	267	650.00

	विलय कर दिया गया)										
7.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पीड़ितों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत (अत्याचार) (अप्रैल, 2023 तक मामलों का निपटान किया गया, उसके बाद योजना का मंत्रालय में विलय कर दिया गया)	22	90.00	17	62.00	04	8.00	02	4.00	-	-
8.	डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना	-	-	29	874.50	-	-	-	-	-	-

3.32 डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक

विजन

(क) अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (डीएआईसी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र है। 7 दिसंबर 2017 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए डीएआईसी की परिकल्पना डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के दृष्टिकोण, दर्शन और योगदान पर केंद्रित अनुसंधान, विश्लेषण और नीति अध्ययन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में की गई है। केंद्र के मुख्य क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, समावेशी और सतत विकास, आजीविका में वृद्धि और बौद्ध विचार, संस्कृति और दर्शन शामिल हैं।

(ख) डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक (डीएएनएम) यह डॉ. अम्बेडकर को समर्पित एक स्मारक है। यह पांच "पंचतीर्थों" में से एक है; 6 दिसंबर, 1956 को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के निधन के कारण इसे "महापरिनिर्वाण भूमि" कहा जाता है। 13 अप्रैल, 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का

उद्घाटन किया, जो 7374.20 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बना है। यह भारत में पहली खुली किताब के आकार की इमारत है; जो भारत के संविधान के महत्व का प्रतीक है।

अधिदेश:

(क) डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी)

- एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना और अनुसंधान तथा सूचना का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करना।
- सामाजिक-आर्थिक महत्व के मुद्दों पर नीति समीक्षा और साक्ष्य आधारित वकालत करना।
- सामाजिक विकास के क्षेत्र में भारत सरकार, कॉर्पोरेट क्षेत्र और नागरिक समाज संगठन के लिए एक प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करना।
- अनुसंधान में सार्वजनिक जुड़ाव को बढ़ावा देना और सहभागी ज्ञान सृजन को बढ़ावा देना।
- सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और समावेशी विकास के लिए डॉ. अम्बेडकर के दृष्टिकोण, सिद्धांतों और नीतियों पर गहन शोध करना।
- वैश्विक संवाद और साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य अंतरराष्ट्रीय ज्ञान केंद्रों के साथ सहयोग और नेटवर्क का निर्माण करना।

(ख) डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक (डीएएनएम)

- डॉ. अम्बेडकर से जुड़ी कलाकृतियों का संग्रह, परिरक्षित और संरक्षण करना।
- आगंतुकों को डॉ. अम्बेडकर के जीवन और विरासत का व्यापक ज्ञान प्रदान करना।
- डॉ. अम्बेडकर के योगदान को पर्याप्त रूप से श्रद्धांजलि प्रदान करना और उनके विचारों और कार्यों को बढ़ावा देना।

मुख्य विशेषताएं

डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी)

पुस्तकालय: पुस्तकालय एवं प्रलेखन विभाग डीएआईसी की एक सेवा-उन्मुख सार्वजनिक रूप से सुलभ अनुसंधान उन्मुख इकाई है जो संस्थान के अधिदेश पर सूचना एवं प्रसार केंद्र के रूप में कार्य करती है। यह छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षाविदों और समाज के सभी आयु वर्गों को सूचना सहायता प्रदान करता है। पुस्तकालय में डॉ. बी.आर. अंबेडकर, समाज के समकालीन राजनेताओं और समाज सुधारकों, अर्थशास्त्र, सामाजिक न्याय आदि पर पुस्तकों का समृद्ध संग्रह है। डीएआईसी लाइब्रेरी ने सभी भारतीय राष्ट्रीय और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ अपना नेटवर्क तैयार किया है और डेलकॉन कंसोर्टियम परियोजना के साथ सहयोग किया है। लाइब्रेरी ने अपनी सभी हाउसकीपिंग गतिविधियों को पूरी तरह से स्वचालित कर दिया है। एक खोज योग्य डेटाबेस, वेब-ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (वेब-ओपीएसी) बनाए रखा जा रहा है।

<u>पुस्तकालय में निम्नलिखित संग्रह हैं:</u>

पुस्तकों का स्वचालित पुस्तकालय संग्रह	8534 पुस्तकें
उपहार में दी गई पुस्तकें	1225 पुस्तकें
पत्रिकाओं की सदस्यता	8 पत्रिकाएं

समाचार पत्रों की सदस्यता	15 समाचार पत्र
ब्रेल पुस्तकों का संग्रह	238 पुस्तकें
थीसिस संग्रह	48 थीसिस
अन्य देशों के संविधानों की प्रतियां	100 प्रतियां
उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर	10
विकासशील पुस्तकालय नेटवर्क के साथ सहयोग	डेलनेट

सभागार: भूतल पर तीन सभागार हैं - **'भीम' (700 सीटें), 'नालंदा' और 'समरसता' (दोनों में 100 सीटें)।** सभागारों में 8 भाषाओं के लिए भाषा अनुवादक की सुविधा उपलब्ध है।

सम्मेलन कक्ष: डीएआईसी में 70 बैठक क्षमता वाले 2 सम्मेलन कक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 40 बैठक क्षमता वाला 1 सम्मेलन कक्ष बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं।

वीआईपी डाइनिंग और लाउंज: डीएआईसी में वीआईपी के लिए मानकीकृत बैठने की व्यवस्था के साथ बुकिंग के लिए उपलब्ध है।

सुरक्षा और संरक्षा प्रणाली: डीएआईसी में पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षा उपाय मौजूद हैं, जिनमें सीसीटीवी कैमरे, आगंतुक प्रबंधन प्रणाली, एक्स-रे बैगेज स्कैनर मशीन और बूम बोलार्ड्स हैं, ताकि छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक (डीएएनएम):

डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के सार को समाहित करने वाली सूचनाओं और कलाकृतियों का भंडार है। पुस्तक के आकार की इस इमारत में एक उत्कृष्ट संग्रहालय, एक ध्यान कक्ष, संगीतमय फव्वारे, अशोक स्तंभ, सांची स्तूप के द्वार के समान दो तोरण द्वार, एक आवक्ष प्रतिमा और भारत रत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 12 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा शामिल है। स्मारक का समग्र माहौल आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक बौद्ध वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण है।

2025-2026 के दौरान उपलब्धियां (31.12.2025)

- 14 अप्रैल, 2025 को न्यायमूर्ति बी.आर. गवई द्वारा डॉ. अम्बेडकर जयंती स्मृति के अवसर पर व्याख्यान दिया गया।
- गार्गी कॉलेज में निदेशक का व्याख्यान, 22 अप्रैल, 2025 को हुआ।
- 28 अप्रैल, 2025 को अम्बेडकर विश्वविद्यालय, स्वदेशी ज्ञान अभियान में निदेशक का व्याख्यान।
- डॉ. कोरिवी का 30 मई, 2025 को वित्तीय समावेशन और बीएफएसआई परिदृश्य पर व्याख्यान।
- डॉ. सुधांशु त्रिवेदी और प्रो. शांतिश्री धूलिपुड़ी 02 जून, 2025 को भारतीय ज्ञान प्रणाली पर पैनल चर्चा

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून, 2025 को मनाया गया।
- कारगिल विजय दिवस, 26 जून, 2025 को मनाया गया।
- एसएनएस एमसीडब्ल्यूआर यमुना मंथन 2025, 11 जुलाई, 2025 को हुआ।
- 8 अगस्त 2025 को पड़ोस में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर डीएआईसी पर शांतनु मुखर्जी की विशेषज्ञ वार्ता।
- "चंडालिका" - म्यूजिकल डांस ड्रामा, 11 अगस्त 2025 को संपन्न हुआ।
- युवा बौद्ध विद्वानों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीवाईबीएस), 22 अगस्त, 2025 को संपन्न हुआ।
- नमो भारत संवाद: "विदेश में भारत की कहानी को आगे बढ़ाना: रणनीतिक संचार चुनौती", 23 सितंबर, 2025 को संपन्न हुआ।
- "हमारा संविधान - हमारा गौरव; अपने संविधान को जानें" - श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, 10 सितंबर, 2025 को।
- अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन, 25 अगस्त, 2025 को संपन्न हुआ।
- द इंडियन फ्यूचर्स- नमो भारत संवाद: "भारत का लोकतांत्रिक पुनर्जागरण", 06 सितंबर, 2025 को।
- 09 सितंबर, 2025 को "द वॉयेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: आइडियाज, इश्यूज, इंस्टीट्यूशंस एंड इम्पैक्ट" पुस्तक का विमोचन किया गया।
- भू-राजनीतिक मंथन, तकनीकी व्यवधान और आधुनिक युद्ध पर डब्ल्यूआईएफ पैनल चर्चा 16 सितंबर, 2025 को।
- 17 सितंबर, 2025 को न्यायमूर्ति बी. आर. गवई द्वारा प्रोफेसर (डॉ.) एन. आर. माधव मेनन स्मृति व्याख्यान का उद्घाटन जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हुए।
- विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन पेंटिंग प्रदर्शनी और यमुना सस्टेनेबिलिटी रन, 17-21 सितंबर, 2025 को
- "हमारा संविधान - हमारा गौरव; अपने संविधान को जानें" - कालिंदी कॉलेज, 29 सितंबर, 2025 को।
- द इंडियन फ्यूचर्स - नमो भारत संवाद "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पांच वर्ष", 04 अक्टूबर, 2025 को
- नमो भारत संवाद: "अनिश्चितता के युग में नेतृत्व", 04 अक्टूबर, 2025 को।
- डब्ल्यूआईएफ सिनौली स्पीक्स: आर्यन आक्रमण मिथक से परे भारत की स्वदेशी सभ्यतागत जड़ों का पता लगाना, 09 अक्टूबर, 2025 को।
- डीएआईसी टीम ने 8 नवंबर 2025 को गंगा सस्टेनेबिलिटी रन में भाग लिया।
- नमो भारत संवाद: 15 नवंबर 2025 को मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस।
- 3 दिसंबर 2025 को "ट्रांसजेंडर: जर्नी अनवील्ड एंड खादी फैशन शो इवेंट पर विशेषज्ञ पैनल चर्चा
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन 6 दिसंबर 2025 को किया गया।
- भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन 15 दिसंबर 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) और हिंदुस्तान अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

योजना/गतिविधि/कार्यक्रम के तहत सर्वोत्तम प्रथाएं/सफलता की कहानियां:

- डिजिटलीकरण: नो फ्लेक्स जोन के लिए डीएआईसी में डिजिटल स्क्रीन और स्टैंडियों की खरीद।

- पुस्तक विमोचन "भारतीय संविधान की यात्रा: विचार, मुद्दे, संस्थान और प्रभाव"।
- डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर और डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक भवनों के संचालन और रख-रखाव का विस्तार।
- डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर (डीएआईसी) में आउटडोर कैटरिंग सेवा का पैनल।
- डीएआईसी में कार्यक्रमों के लिए इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन।
- इवेंट मैनेजमेंट सेवाओं के लिए दरों को युक्तिसंगत बनाना।
- अनुबंध के आधार पर अनुसंधान सहयोगियों और युवा पेशेवरों की नियुक्ति।
- इवेंट मैनेजमेंट सेवाओं के लिए दरों को युक्तिसंगत बनाना।
- सफल इंटर्नशिप कार्यक्रमों का संचालन (घटकों में शामिल हैं: रिसर्च एसोसिएट्स और यंग प्रोफेशनल्स के मार्गदर्शन में अनुसंधान कार्य और प्रस्तुतियां)
- जेम निविदा के माध्यम से डीईओ/एमटीएस के लिए आउटसोर्सिंग सेवा किराए पर लेना।

वित्तीय उपलब्धियां

(तालिका 3.32)
(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1.	2021-22	14.68	19.39
2.	2022-23	30.00	39.36
3.	2023-24	15.50	28.43
4.	2024-25	27.97	26.92
5.	2025-26	16.11	14.98 (31.12.2025 तक)

3.33 राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान

विजन

वृद्धजनों और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ित व्यक्तियों सहित समाज के लाभवंचित वर्गों से संबंधित मुद्दों के प्रति सार्वजनिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना और प्रभावी सेवा वितरण को सुदृढ़ करना है।

अधिदेश

संस्थान का उद्देश्य प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन के माध्यम से भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों सूचना प्रदान करना है।

राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संस्थान की मुख्य विशेषताएं

- सामाजिक सुरक्षा मुद्दों संबंधी अनुसंधान।
- सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण।
- सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण/अभिविन्यास का विकास, प्रचार, प्रायोजन और संचालन करना
- सामाजिक सुरक्षा समस्याओं पर केंद्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सलाह देना और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आदर्श नियम और विनियम तैयार करने के लिए तकनीकी सूचना प्रदान करना
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वैच्छिक संगठनों के बीच सामाजिक सुरक्षा पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना और क्षेत्र में सूचना के क्लायरिंग हाउस के रूप में कार्य करना
- सामाजिक सुरक्षा समस्याओं के संबंध में विशेष रूप से समुदाय की निवारक और पुनर्वास भूमिकाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करना।
- अन्य देशों और संयुक्त राष्ट्र के साथ उनकी विशेष एजेंसियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत सरकार की सहायता करना
- सामाजिक सुरक्षा पर सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएँ आयोजित करना
- सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करना।
- सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लोकप्रिय और व्यावसायिक दोनों तरह की पुस्तकों का प्रकाशन करना।

वरिष्ठ नागरिक प्रभाग की मुख्य विशेषताएं

- वृद्धजनों व्यक्तियों की देखभाल और कल्याण के लिए पेशेवरों का एक कैडर विकसित करना
- वृद्धावस्था देखभाल से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर एक व्यापक और वैज्ञानिक जानकारी आधार प्रदान करना
- वृद्धजनों के कल्याण के लिए परिवार और सामुदायिक ताना-बाना में पहल पर केंद्रित कुशल जनशक्ति का सृजन करना
- कार्यक्रम विकास और प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ वृद्धजनों की देखभाल के प्रबंधन के लिए तकनीकों/पहलों पर छात्रों को उन्मुख करना।
- वृद्धजनों की देखभाल के लिए सहायता प्रणालियों और नेटवर्किंग को पहचानना और बढ़ावा देना।
- स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्रों की सेवाओं के सामंजस्य की सुविधा प्रदान करना
- वरिष्ठ नागरिकों के अध्ययन के रूप में रोग विज्ञान (जेरोन्टोलॉजी) की अंतःविषय प्रकृति की वैचारिक समझ प्राप्त करना।
- भारत और विदेशों में वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी मुद्दों का स्थितिजन्य विश्लेषण करना।
- उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दृष्टिकोणों (सामाजिक सिद्धांतों) के महत्व का विश्लेषण करने और व्याख्या करने की क्षमता विकसित करना

- वृद्धजनों की देखभाल और सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में गैर-सरकारी संगठनों/वरिष्ठ नागरिक गृहों के पदाधिकारियों को सक्षम बनाना
- वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में मानवाधिकार ढांचे को समझना

2025-26 के दौरान उपलब्धियां

नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीडीएपी)

1. 26 जून, 2025 को डीएआईसी, जन पथ पर अवैध तस्करी और नशीले पदार्थों दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री बीएल वर्मा और श्री रामदास आठवले, माननीय राज्य मंत्री उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में 610 लाभार्थियों को शामिल किया गया।

• अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस मनाने के लिए एनआईएसडी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रतियोगिताओं (निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं, नारा लेखन) का आयोजन किया गया।

• राज्य स्तर पर 19 राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया और "श्रृंखलाओं को तोड़ते हुए: सभी के लिए रोकथाम, उपचार और रिकवरी" विषय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपर्युक्त कार्यक्रमों से 2375 लाभार्थी लाभान्वित हुए।

2. बीजू पटनायक प्लेग्राउंड, बारामुंडा, भुवनेश्वर, ओडिशा में शिल्प समागम मेले में प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें 164 लाभार्थियों को शामिल किया गया।

3. वाराणसी में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा के लिए आध्यात्मिक युवा सम्मेलन में भाग लिया, युवा सशक्तिकरण और नशीले पदार्थों के विरुद्ध पहल पर राष्ट्रीय चर्चा में योगदान दिया, जिसमें 800 लाभार्थियों को शामिल किया गया।

4. ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में स्कूली शिक्षा और अधिकारिता विभाग ने सहयोग दिया।

5. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम से संबंधित विभिन्न लक्षित समूहों के लिए मॉड्यूल की जांच और विकास करने के लिए विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों के 13 सदस्यों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की समिति की स्थापना की गई है।

6. वित्त वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक) के दौरान टीएपीएएस प्लेटफॉर्म पर 1,079 नए उपयोगकर्ताओं को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया।

एनआईएसडी का ट्रांसजेंडर और भिक्षुक (टीएंडबी) प्रभाग

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) के ट्रांसजेंडर और भिक्षुक (टीएंडबी) प्रभाग ने 2025 में पर्याप्त प्रगति की है, लाभवंचित समुदायों की सहायता करने संबंधी प्रभावशाली कार्यक्रमों को लागू किया है। ये प्रयास भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण पर जोर देते हैं।

<u>एनआईएसडी का वरिष्ठ नागरिक प्रभाग</u>

वृद्धावस्था की देखभाल करने वाले से संबंधित पाठ्यक्रम:

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान ने 26.03.2025 को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि लगातार तीन वर्ष **की अवधि के लिए यानी** 17.02.2028 तक अधिनिर्णय निकाय (दोहरी) (प्रदान करने वाली **निकाय** आईडी: AB_003409 और मूल्यांकन एजेंसी आईडी: AA_105626) के रूप में मान्यता प्रदान की जा सके।

एनआईएसडी की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 18,000 उम्मीदवारों को यह प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब तक दिल्ली, पुणे, औरंगाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, धर्मपुरी, तमिलनाडु और लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 362 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने की मंजूरी दी गई है। यह पाठ्यक्रम शारीरिक देखभाल के साथ-साथ वृद्धजनों की मानसिक देखभाल पर जोर देता है जिसमें दैनिक जीवन की गतिविधियों के साथ-साथ बिस्तर घावों, घावों को संभालना और प्राथमिक चिकित्सा, परामर्श, मनोभ्रंश देखभाल प्रबंधन आदि शामिल हैं। अस्पताल में रहने के माध्यम से देखभालकर्ताओं फिजियोथेरेपी, मालिश और योग का बुनियादी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

वृद्धावस्था देखभालकर्ता पाठ्यक्रम *की फोटो क्लिप*

ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम - तपस:

एनआईएसडी ने प्लेटफॉर्म "तपस" (उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण) के तहत ऑनलाइन बेसिक वृद्धावस्था देखभाल के 1 बैच का आयोजन किया। यह ऑनलाइन शिक्षा में चार भागों वीडियो व्याख्यान, पूरक शिक्षण सामग्री, चर्चा मंच और स्व-मूल्यांकन का पालन करने वाला एक उपयोगकर्ता अनुकूल मंच है।

वित्तीय उपलब्धियां

(1) सामान्य सहायता अनुदान के तहत 2019-20 से 2025-26 तक बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का विवरण

(तालिका 3.33.1)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	प्राप्त हुई सहायता अनुदान	वास्तविक व्यय
1	2019-20	17.85	12.00	15.40	3.31
2	2020-21	16.00	0.00	0.00	6.26
3	2021-22	16.00	15.00	0.00	8.22
4	2022-23	10.00	11.00	11.05	10.35
5	2023-24	9.78	11.78	10.78	11.40
6	2024-25	16.00	16.00	16.00	14.34
7	2025-26 (10.11.2025 तक)	18.00	109.40	12.98	11.94

जीआईए वेतन के तहत 2019-20 से 2025-26 तक ब.अ., सं.अ. और एई का विवरण

(तालिका 3.33.2)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	प्राप्त हुई सहायता अनुदान	वास्तविक व्यय
1	2019-20	4.15	4.15	4.15	1.11
2	2020-21	4.00	3.50	1.00	3.92
3	2021-22	4.00	0.00	3.00	2.92
4	2022-23	4.00	2.85	2.85	2.85
5	2023-24	4.65	0.00	3.38	2.73
6	2024-25	3.00	3.00	2.00	3.21
7	2025-26 (10.11.2025 तक)	3.00	3.00	2.35	2.16

वित्तीय उपलब्धियां

(I) सहायता अनुदान पूंजी परिसम्पति के तहत 2019-20 से 2025-26 तक ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय का विवरण

(तालिका 3.33.3)
(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनमान	प्राप्त हुई सहायता अनदान	वास्तविक व्यय
1	2019-20	3.00	3.00	0.00	0.00
2	2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2023-24	1.00	0.00	0.00	1.55
6	2024-25	1.00	1.00	0.00	0.00
7	2025-26 (10.11.2025 तक)	1.00	4.00	0.00	1.45*

***नोट: सहायता अनुदान पूंजी परिसंपत्ति के तहत 08.09.2025 को मंत्रालय को 1.45 करोड़ रुपये सरेंडर कर दिए गए हैं।**

3.34 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)

विजन

पात्र अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के माध्यम से गरीबी को व्यवस्थित रूप से कम करने में अग्रणी उत्प्रेरक बनना, चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ कुशल, उत्तरदायी और सहयोगात्मक तरीके से काम करना।

अधिदेश

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा फरवरी, 1989 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 (तत्कालीन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-25) के अंतर्गत की गई थी। यह दिनांक 09.04.2001 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों लक्षित समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करता था। दिनांक 10.04.2001 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत अनुसूचित जनजाति लक्षित समूह के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के गठन के बाद निगम का विभाजन कर दिया गया। इसके विभाजन के परिणामस्वरूप, यह निगम अब विशेष रूप से अनुसूचित जाति लक्षित समूह की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एनएसएफडीसी का व्यापक उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है, के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दिनांक 31.12.2025 तक, एनएसएफडीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1,800 करोड़ रुपये और प्रदत्त पूंजी 1,515 करोड़ रुपये है।

मुख्य विशेषताएं

पात्रता मानदंड:

एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत कवरेज के लिए आवेदकों की पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

(i) आवेदक अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए।

(ii) क्रेडिट आधारित योजनाओं के तहत आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये (ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए दिनांक 08.03.2018 से) के भीतर होनी चाहिए। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत कोई आय मानदंड नहीं है।

फंडिंग पैटर्न:

एनएसएफडीसी संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित अपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से अपने लक्षित समूह की आय सृजक गतिविधियों के लिए रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पहुंच का विस्तार करने के लिए, एनएसएफडीसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और अन्य संगठनों के साथ भी समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहा है। वर्तमान में, एनएसएफडीसी के पास वैकल्पिक चैनल में 51 चैनलाइजिंग एजेंसियां (सीए) हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (11), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (26), एनबीएफसी-एमएफआई (7), सिडबी (1) और सहकारी बैंक/सोसायटी (6) शामिल हैं।

2025-26 के दौरान उपलब्धियां

चालू वित्त वर्ष (2025-26) के दौरान, 25.11.2025 तक, क्रेडिट आधारित योजनाओं के तहत, एनएसएफडीसी ने 25,930 लाभार्थियों के लिए 307.28 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

वित्तीय उपलब्धियां

पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष की वित्तीय उपलब्धियां:

(तालिका 3.34.1)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	एनएसएफडीसी द्वारा कुल व्यय (संवितरण)	एनएसएफडीसी द्वारा कवर किए गए लाभार्थी
1.	2020-21	0.00	548.23	94,002
2.	2021-22	0.00	572.01	76,219
3.	2022-23	0.00	635.95	83,988
4.	2023-24	15.00	714.45	85,372
5.	2024-25	0.00	611.78	41,750
6.	2025-26 (31.12.2025 तक)	0.00	382.21	31,483
	कुल	**15.00**	**3,464.63**	**4,12,814**

<u>क्रेडिट आधारित योजनाएं</u>- एनएसएफडीसी की 5 क्रेडिट/ऋण आधारित योजनाएं हैं

(तालिका 3.34.2)

योजना	परियोजना लागत	परियोजना लागत के 90% तक अधिकतम ऋण सीमा	ब्याज दर प्रति वर्ष के लिए		चुकौती अवधि	अधिस्थगन अवधि
			केंद्रीय सहायता	लाभार्थी		
एससीए/पीएसबी/आरआरबी के माध्यम से लागू की जाने वाली योजनाएं						
माइक्रो फाइनेंस योजना	1.40 लाख रु. तक	1.25 लाख रु. तक	2.5%	6.5%	3 वर्ष के भीतर	3 माह
सावधि ऋण	>1.40 लाख रुपये और 50.00 लाख रुपये तक	>1.25 लाख रुपये और 45.00 लाख रुपये तक	4%	8%	7 वर्ष के भीतर	प्लांटेशन और निर्माण गतिविधियों को छोड़कर 6 महीने जिसके लिए यह 12 माह का होगा

शिक्षा ऋण						
शैक्षिक ऋण योजना (ईएलएस)	शिक्षा ऋण योजना (घरेलू और विदेश) रु. 40.00 लाख तक या पाठ्यक्रम शुल्क का 90%, जो भी कम हो		2.5%	6.5%	= शैक्षिक ऋण परियोजना-वित्त (एससीए) और पुनर्वित्त दावों (बैंकों) के लिए जहां पुनर्भुगतान शुरू नहीं हुआ है: **12 वर्ष तक** =शैक्षिक ऋण पुनर्वित्त दावों के लिए जहां ऋण पहले से ही वितरित किए जा चुके हैं और चुकौती अवधि शुरू हो गई है: **10 वर्ष तक**	= शैक्षिक ऋण परियोजना-वित्त एससीए के लिए) और पुनर्वित्त दावों (बैंकों) के लिए जहां पुनर्भुगतान शुरू नहीं हुआ है: **पाठ्यक्रम अवधि प्लस 1 (एक) वर्ष** = शैक्षिक ऋण पुनर्वित्त दावों के लिए जहां ऋण पहले से ही वितरित किए जा चुके हैं और पुनर्भुगतान अवधि शुरू हो गई है: **6 (छह) महीने तक**
एनबीएफसी-एमएफआई के माध्यम से लागू की जाने वाली योजना						
आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना (एएमवाई)	1.40 लाख रु. तक	1.25 लाख रु.	5%	15%	3 वर्षों के भीतर	3 माह
सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों के माध्यम से लागू की जाएगी योजना						
उद्यम निधि योजना (यूएनवाई)	5.00 लाख रु. तक	4.50 लाख रु.	5%	13%	5 वर्षों के भीतर	3 माह
कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम						
प्रशिक्षण संस्थान को 100 प्रतिशत अनुदान और गैर-आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण के दौरान कुल 80 प्रतिशत और उससे अधिक उपस्थिति के अधीन प्रति प्रशिक्षु @ 1500 रुपये प्रति माह वजीफा और आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के मामले में सामान्य मानदंडों के अनुसार बोर्डिंग और लॉजिंग लागत।						

सफलता की कहानी

बॉक्स 3.9

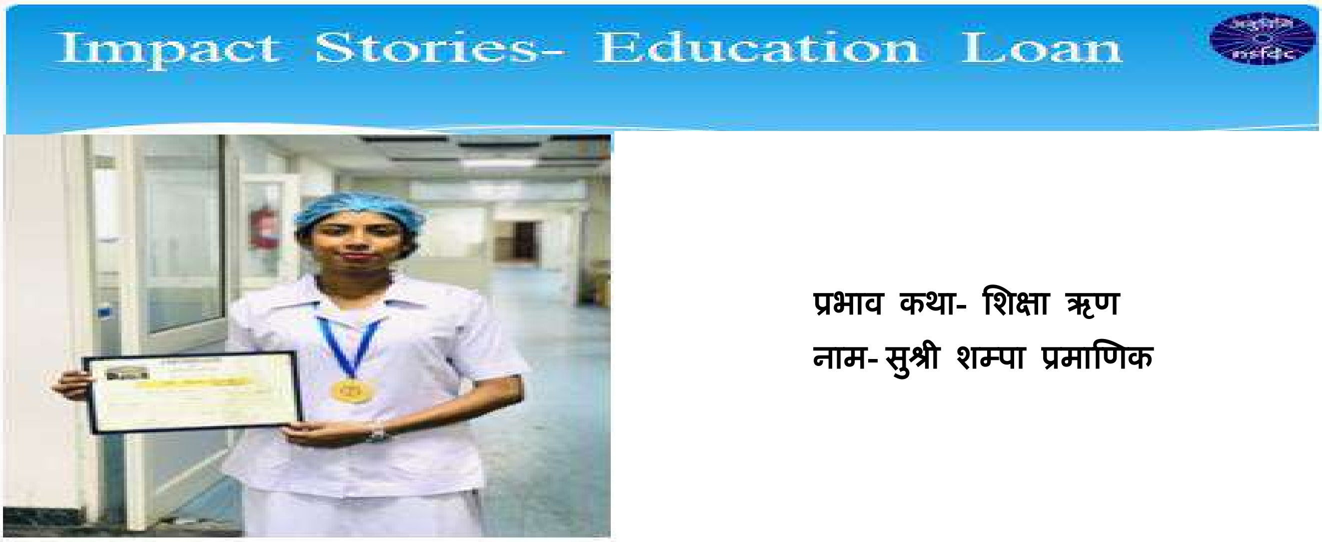

प्रभाव कथा- शिक्षा ऋण

नाम- सुश्री शम्पा प्रमाणिक

सुश्री शम्पा प्रमाणिक ने वर्ष 2019 से 2023 के बीच अपोलो ग्लेनीगल्स नर्सिंग कॉलेज से बी.एससी. नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की। उनकी शिक्षा के लिए ₹3.81 लाख का एनएसएफडीसी (NSFDC) शिक्षा ऋण प्रदान किया गया, जिसे पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने कोलकाता मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, जहाँ उन्हें ₹37,100 प्रतिमाह वेतन प्राप्त हो रहा है। इस स्थायी आय के माध्यम से वे अपने माता-पिता का सहयोग कर रही हैं तथा अपनी बहन की नर्सिंग शिक्षा में भी आर्थिक योगदान दे रही हैं।
वे इस सहयोग के लिए एनएसएफडीसी तथा पश्चिम बंगाल एससी/एसटी/ओबीसी विकास एवं वित्त निगम के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हैं।

प्रभाव कथा- व्यवसाय ऋण

नाम- श्रीमती अंबिका

श्रीमती अंबिका एक मेडिकल लैब तकनीशियन हैं। उन्हें एनएसएफडीसी (NSFDC) के अंतर्गत केएसडब्ल्यूडीसी (KSWDC) से ₹2.94 लाख का ऋण प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने वर्ष 2022-23 में अपनी स्वयं की मेडिकल लैब स्थापित की।
वर्तमान में वे प्रति माह ₹25,000 की आय अर्जित कर रही हैं। इस आय से वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं तथा अपने परिवार का सहयोग कर रही हैं।

3.35 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)

विजन

जोखिमपूर्ण सफाई की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास करना और सफाई कर्मचारियों (कचरा बीनने वालों सहित), हाथ से मैला उठाने वाले और उनके आश्रितों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए काम करना।

अधिदेश

सफाई कर्मचारियों (कचरा बीनने वालों सहित), हाथ से मैला उठाने वाले और उनके आश्रितों को आजीविका के वैकल्पिक साधन प्रदान करना ताकि वे समाज की मुख्यधारा के साथ-साथ गरिमा, सम्मान और गौरव के साथ जी सकें।

मुख्य विशेषताएं

संस्था के अंतनर्यिम और ज्ञापन के अनुसार निगम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: -

(i) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना;

(ii) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लाभ और/या पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार उद्यमों को बढ़ावा देना;

(iii) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम, राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के माध्यम से सहायता करना, जिन्हें एनएसकेएफडीसी या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित किसी अन्य चैनलाइजिंग एजेंसी (सीए) के रूप में पदोन्नत किया गया है और समय-समय पर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अध्यधीन, सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सहायता प्रदान करना, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य आय सृजक योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अनुदान, सब्सिडी, ऋण या अग्रिमों के माध्यम से या स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में शामिल सरकारी संगठनों जैसे नगर निगमों/नगर पालिकाओं/जल बोर्ड/जल बोर्ड/सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभागों/छावनी बोर्डों/रेलवे को स्वच्छता संबंधी उद्यमी योजना (एसयूवाई) के तहत स्वच्छता संबंधी उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना या सूक्ष्म वित्तपोषण योजनाओं के तहत, कम से कम 75 प्रतिशत तक लक्षित समूह के सदस्यों वाले स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जा सकता है।

(iv) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को रियायती वित्त प्रदान करना; प्रासंगिक कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार के मंत्रालयों या विभागों या किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से या तो व्यक्तिगत रूप से या समूहों में;

(v) सफाई कर्मचारियों के समुदाय के छात्रों को स्नातक या उच्च स्तर की व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करना;

(vi) सफाई कर्मचारियों के समुदाय से संबंधित व्यक्तियों या उनके आश्रितों के तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल के उन्नयन में उनके द्वारा स्थापित उत्पादन और सेवा इकाइयों के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान करना;

(vii) सफाई कर्मचारी समुदाय के व्यक्तियों के समूह के स्व-नियोजित व्यक्तियों की सहायता करना, जिसमें उनके आश्रितों या उनके द्वारा स्थापित इकाइयों/सहकारी संस्थाओं को कच्चे माल या अन्य इनपुट की खरीद और तैयार वस्तुओं या सेवाओं के विपणन में सहायता करना शामिल है;

(viii) स्वच्छता कार्य करने के लिए प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य सुविधा केंद्रों को बढ़ावा देना;

(ix) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के विकास से संबंधित राज्य स्तरीय संगठनों को वित्तीय सहायता या इक्विटी अंशदान प्रदान करके और वाणिज्यिक वित्त पोषण प्राप्त करने या पुनर्वित्त के माध्यम से सहायता करना;

(x) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को उनके आर्थिक विकास के लिए सहायता करने के लिए राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित सभी निगमों, बोर्डों या एजेंसियों के कार्य के समन्वय और निगरानी के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में काम करना;

(xi) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायता-सह-विकास एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों या सहकारी समितियों और ऐसी अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से ऐसी शर्तों पर अनुदान, ऋण, अग्रिम या अन्य जमा राशि पर या अन्यथा जुटाने के लिए यथोचित जाएं और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों के अधीन हों;

(xii) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद करना।

बशर्ते कि अन्य बातें समान होने के कारण, कंपनी महिला सफाई कर्मचारियों के आर्थिक विकास और पुनर्वास को प्राथमिकता दे।

2025-26 के दौरान उपलब्धियां

(तालिका 3.35)

वित्त वर्ष	जारी की गई निधियां (रुपये करोड़ में)	लाभार्थी (संख्या में)
2024-25	250.68	37, 03
2025-26 (31.12.2025 तक)	93.61	11,081
कुल	344.29	48,584

बॉक्स 3.35

एनएसकेएफडीसी की सफलता की कहानी

स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) के तहत सफलता की कहानी

- *जिले के 05 सफाई कर्मचारियों के उपरोक्त समूह विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) ने **एसयूवाई/नमस्ते** के अंतर्गत माउंटेड सक्शन मशीन की खरीद की है। वे पहले एक संविदा सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, और प्रति माह लगभग 12000 रुपये अर्जित करते थे। वे हमेशा अपने स्वयं के मशीनीकृत सफाई वाहन चाहते थे ताकि वे अपनी आय में सुधार कर सकें। फिर भी, उनके लिए 04-06 सदस्यों वाले अपने परिवार के दिन-प्रतिदिन के खर्च को पूरा करना मुश्किल था।*

- *उन्होंने विजयवाड़ा नगर निगम में आयोजित जागरूकता शिविर में भाग लिया, जहां सफाई कर्मचारियों को नमस्ते की स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके तहत सीवर/सेप्टिक टैंक, सफाई उपकरणों/वाहनों की खरीद के लिए रियायती ऋण और पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की गई।*

- *05 सफाई कर्मचारियों के उपरोक्त समूह ने ऋण के लिए आवेदन किया और नमस्ते योजना के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा से 30.42 लाख रुपये का ऋण और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) से 18.75 लाख रुपये (कुल 49.17 लाख रुपये) की पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त की।*

- *इस सहायता से, वे एक मशीनीकृत सफाई वाहन खरीदने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और प्रति माह 1,00,000 रुपये की आय उत्पन्न करने में सक्षम हैं और ईएमआई और वाहन के रखरखाव तथा ईंधन आदि जैसे अन्य खर्चों को पूरा करने के बाद प्रति माह लगभग 50,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। इस बेहतर आय के साथ, वे अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करना चाहते थे।*

<u>ऋण योजनाओं के तहत सफलता की कहानी</u>

- *आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बिंदु स्वच्छता गतिविधियों में लगी हुई थी। वह पल्लीक्काथोड*
- *ग्रामपंचायत की एक सामुदायिक विकास सोसायटी में पड़ोस के एक समूह - धनलक्ष्मी की सदस्य थीं।*
- *उन्होंने घरेलू पशुपालन के लिए आवेदन किया और उन्हें 100,000 रुपये प्राप्त हुए। इस ऋण राशि से, उसने तीन गायें खरीदीं, और वर्तमान में प्रति दिन औसतन 25 लीटर दूध का उत्पादन करती है।*
- *वह बढ़ी हुई आय से खुश हैं और अब प्रति दिन 100 लीटर दूध का उत्पादन करने के लक्ष्य के साथ एक डेयरी इकाई विकसित करने की योजना बना रही हैं।*

3.36 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे 13 जनवरी, 1992 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत 'लाभ के लिए नहीं' वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के फायदे के लिए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को

बढ़ावा देना और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए आय और आर्थिक मानदंडों के आधार पर, पिछड़े वर्गों के गरीब लोगों को ऋण और वित्तीय सहायता देकर उनकी मदद करना है।

रियायती ऋण निगम की प्रमुख कार्यकलाप है जो चैनल भागीदारों (राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और बैंकों) के माध्यम से किया जाता है।

एनबीसीएफडीसी एसजेई विभाग की निम्नलिखित ऋण गतिविधियों और अनुदान-आधारित योजनाओं को लागू करता है: -

- **ऋण देना**
    - व्यक्तिगत ऋण योजना
    - समूह ऋण योजना
- **विभाग की अनुदान आधारित योजनाएं**
    - वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विश्वास) योजना
    - विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (सीड)
    - अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफओबीसी)

विजन

पिछड़े वर्गों के लक्षित समूह की आर्थिक स्थिति के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाना।

अधिदेश

चैनल पार्टनर्स (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित एजेंसियों, विभिन्न अनुसूचित बैंकों आदि द्वारा नामित एजेंसियों) के माध्यम से 3 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए रियायती ब्याज दर पर आय सृजन कार्यकलाप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएं

निगम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- पिछड़े वर्गों और ऐसी अन्य श्रेणियों के लाभ के लिए आर्थिक और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना जिन्हें समय-समय पर परिभाषित किया जा सकता है।
- आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिमों के माध्यम से पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों या समूहों की सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित ऐसी आय और/या आर्थिक मानदंडों के अध्यधीन, सहायता करना।
- पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए स्वरोजगार और अन्य उद्यमों को बढ़ावा देना।
- 3.00 लाख रुपये (ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बावजूद) तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए चयनित मामलों में रियायती वित्त प्रदान करना।
- पिछड़े वर्गों को सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा या स्नातक और उच्च स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करना।

- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्पादों/सेवाओं के लिए तकनीकी, कारीगर, उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशल के उन्नयन में सहायता करना, जिसमें सभी प्रकार के कौशल विकास और उन्नयन और समय-समय पर परिभाषित अन्य श्रेणियां शामिल हैं।

2025-26 के दौरान योजना/कार्यक्रम/गतिविधि संबंधी उपलब्धियां

(1) **ऋण योजनाएं और उपलब्धियां**

(क) **व्यक्तिगत ऋण योजना** इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत के 85% तक ऋण दिए जाते हैं जो प्रति लाभार्थी अधिकतम 1500 लाख रुपये के अध्यधीन होते हैं। शेष 15% का योगदान चैनल पार्टनर/लाभार्थी द्वारा किया जाता है।

(ख) **समूह ऋण योजना** इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए ऋण सहायता उपलब्ध है। परियोजना लागत के 90% तक ऋण दिए जाते हैं, जो प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा 25.00 लाख रुपये है और एसएचजी में प्रति लाभार्थी ऋण 1.25 लाख रुपये है। शेष 10% का अंशदान चैनल पार्टनर/लाभार्थी द्वारा किया जाता है।

(2) विभाग की अनुदान आधारित योजनाएं

इसके अलावा, एनबीसीएफडीसी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की निम्नलिखित अनुदान-आधारित योजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

(i) **वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विश्वास) योजना: ब्याज अनुदान योजना:** इस योजना के तहत, 70% अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को 5% की दर से ब्याज सहायता प्रदान की जाती है, जिन्होंने उन ऋणदाती संस्थानों से विभिन्न आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण लिया है और जिन्होंने एनबीसीएफडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ii) **विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड):** एनबीसीएफडीसी सीड योजना के तहत आजीविका और स्वास्थ्य घटकों के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है।

(iii) **अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफओबीसी):** इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे एमफिल और पीएचडी जैसी डिग्री प्राप्त की जा सके।

उपलब्धियां:

(1) निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 (31.12.2025 तक) के दौरान चैनल पार्टनर्स के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण और समूह ऋण योजना के तहत 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 33,729 लाभार्थियों की सहायता के लिए 352.45 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

(2) वित्त वर्ष 2025-26 (31.12.2025 तक) के दौरान विश्वास योजना के तहत 10046 लाभार्थियों को 14.87 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

(3) निगम सीड योजना के दो घटकों यानी आजीविका और स्वास्थ्य को लागू कर रहा है।

(i) एनबीसीएफडीसी सीड योजना के आजीविका घटक के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है और इसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में लागू कर रही है। वर्ष के दौरान, 5 राज्यों में 2,078 एसएचजी का गठन किया गया है।

(ii) स्वास्थ्य घटक गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक इन राज्यों में 29,198 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

(iii) वित्त वर्ष 2025-26 (31.12.2025 तक) के दौरान, एनबीसीएफडीसी ने एनएफओबीसी योजना के तहत 2092 स्कॉलर को 82.83 करोड़ रुपये की फेलोशिप राशि **सं**वितरित की है।

(3) क्लस्टर योजना का प्रौद्योगिकी उन्नयन: एनबीसीएफडीसी क्लस्टरों के सदस्यों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों/सेवाओं की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के लिए क्लस्टर प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना लागू कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के उन्नयन, क्षमता संवर्धन और विशेष प्रशिक्षण (अनुकूलित प्रशिक्षण) के लिए कार्यकलाप प्रदान किए जाते हैं।

एनबीसीएफडीसी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान (31.12.2025 तक) मखाना प्रोसेसिंग, जिला मखाना प्रसंस्करण जिला दरभंगा, बिहार के 120 सदस्यों के लिए 42.43 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

(4) **जागरूकता शिविर और प्रचार:** एनबीसीएफडीसी चैनल भागीदारों के सहयोग से जागरूकता शिविरों और प्रचार का आयोजन करके लक्षित समूहों के बीच अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाता है। लाभार्थियों को उनकी योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक आवश्यकताओं और ऋण स्वीकृति और वसूली से संबंधित प्रक्रियाओं के अनुसार योजनाओं की उपयुक्तता के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

एनबीसीएफडीसी ने वित्त वर्ष 2025-26 (31.12.2025 तक) के दौरान हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने चैनल भागीदारों को 62 जागरूकता शिविरों और योजनाओं के डिजिटल मार्केटिंग के लिए 20.05 लाख रुपये मंजूर किए हैं

वित्तीय उपलब्धियां (31.10.2025 तक)

ऋण योजनाएं:

(तालिका 3.36.1)
(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई) (रुपये करोड़ में)	एनबीसीएफडीसी द्वारा कुल व्यय (रुपये करोड़ में)
		वित्तीय(रु./करोड़)	वास्तविक(संख्या)
1	2020-2021	-	466.71
2	2021-2022	-	471.37
3	2022-2023	-	511.85
4	2023-2024	15.00	525.09
5	2024-2025	-	527.54
6	2025-2026 (31.12.2025 तक)	-	352.45

एनबीसीएफडीसी द्वारा संबंधित राज्य चैनल भागीदारों के माध्यम से अखिल भारतीय ओबीसी के लक्षित समूह को पहले वितरित ऋणों की वसूली से अधिक व्यय पूरा किया गया।

वित्तीय उपलब्धियां: विश्वास योजना (वित्त वर्ष 2025-26)

(तालिका 3.36.2)
(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	संवितरण	
		व्यय	लाभार्थी (संख्या)
1.	2025-26 (31.12.2025 तक)	14.87	10046

वित्तीय उपलब्धियां: सीड (वित्त वर्ष 2025-26)

(तालिका 3.36.3)
(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	एनबीसीएफडीसी द्वारा कुल व्यय
	2025-26 (31.12.2025 तक)	3.20	11.40 करोड़

वित्तीय उपलब्धियां: एनएफओबीसी योजना (वित्त वर्ष 2025-26)

(तालिका 3.36.4)
(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	संवितरण	
		व्यय	लाभार्थी (संख्या)
1.	2025-26 (31.12.2025 तक)	82.83	2092

बॉक्स 3.36.1

सफलता की कहानियां

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

लाभार्थी का नाम	श्री प्रेम चंद
जिला एवं राज्य	जिला फरीदाबाद, हरियाणा
योजना का नाम	व्यक्तिगत ऋण
ऋण की मंजूरी का वर्ष	31-03-2023
ऋण राशि	रु.1,00,000/-
गतिविधि/व्यवसाय	मिट्टी के बर्तन
राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) का नाम	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम
सम्पर्क विवरण	9810615972

प्रभाव

श्री बिहारी लाल के पुत्र और एचएन 270 एसजीएम नगर, जिला फरीदाबाद के निवासी श्री प्रेम चंद एक कुशल कुम्हार हैं, जिन्हें अपने माता-पिता से मिट्टी के बर्तन बनाने की कला विरासत में मिली है और उन्होंने इस पैतृक शिल्प को लगन से आगे बढ़ाया है। मिट्टी के बर्तनों में व्यापक विशेषज्ञता रखने के बावजूद, सीमित वित्तीय संसाधनों और अवसरों की कमी के कारण उनकी मासिक आय 8,000 रुपये तक सीमित थी।

अपने व्यवसाय का विस्तार करने और व्यापक बाजारों में प्रवेश करने के प्रयास में, श्री चंद ने वित्तीय सहायता मांगी। उन्होंने हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के तहत फरीदाबाद के जिला कार्यालय से संपर्क किया, जहां उन्हें अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिन्होंने उन्हें एनबीसीएफडीसी ऋण योजना के माध्यम से उपलब्ध रियायती वित्तीय सहायता से अवगत कराया।

सभी औपचारिकताओं और पहचान सत्यापन के बाद, 31 मार्च, 2023 को 1,00,000/- रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। पूंजी के इस निवेश के साथ, श्री चंद ने अपने पैतृक व्यवसाय को पुनर्जीवित किया, जिसके परिणामस्वरूप इसका सफल संचालन हुआ। उन्होंने अपने उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दो श्रमिकों को भी काम पर रखा, जिससे उनके उद्यम की लाभप्रदता में वृद्धि हुई।

अब, एक वर्ष बाद, श्री चंद के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है, उनकी मासिक आय अब 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच है। उन्होंने प्रदर्शनियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिनमें से सबसे हाल ही में एनबीसीएफडीसी योजना के तहत सूरज कुंड मेला है, जिसने बाजार में उनकी उपस्थिति को और सुदृढ़ किया है और अपने उद्यमशीलता कौशल का प्रदर्शन किया है।

बॉक्स 3.36.2

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

लाभार्थी का नाम	*श्रीमती ए. सुमति*
एसएचजी का नाम	*अंबू सुदर महिला स्वयं सहायता समूह*
जिला एवं राज्य	*चेन्नई, तमिलनाडु*
योजना का नाम	*समूह ऋण*
ऋण की मंजूरी का वर्ष	*19.10.2023*
ऋण राशि	*रु.6,00,000/-*
गतिविधि/व्यवसाय	*सिलाई इकाई*
राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) का नाम	तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आर्थिक विकास निगम (टीएबीसीईडीसीओ)
सम्पर्क करने का विवरण	*9566015595*

प्रभाव

अंबू सुदर महिला स्वयं सहायता समूह व्यासपडी, महाकवि भारती नगर जिला चेन्नई, तमिलनाडु को 19.10.2023 को एनबीसीएफडीसी की समूह ऋण योजना के तहत तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आर्थिक विकास निगम (टीएबीएसईडीसीओ) द्वारा समूह के 12 सदस्यों को 50,000/- रुपये प्रति सदस्य की दर से 6,00,000/- रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया और जारी किया गया।

समूह प्रमुख श्रीमती ए. सुमति यह कहते हुए खुश हैं कि टैबसेडको से 50,000 रुपये की ऋण राशि प्राप्त करने के बाद, उन्होंने अपने सिलाई व्यवसाय के विस्तार के लिए एक सिलाई मशीन और कच्चा माल खरीदा और अब प्रति माह 15,000 रुपये कमा रही हैं। उसने उल्लेख किया कि वह दर्जी के रूप में अपनी पिछली नौकरी में प्रति माह 7,500 रुपये कमाती थी, और अब वह उस राशि को दोगुना कमा रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अपनी स्वयं की सिलाई इकाई स्थापित करने के बाद, अब समूह को बाजार से स्कूल यूनिफॉर्म और ड्रेस के ऑर्डर भी मिल रहे हैं।

वह बहुत खुश है और उपरोक्त कमाई उसके परिवार के सदस्यों को जीवन के दिन-प्रतिदिन के मामलों को चलाने में बहुत सहायक है। उन्होंने इस वित्तीय सहायता को एक फलते-फूलते व्यवसाय में बदल दिया, जिससे एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

3.37 बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान

विजन

बाबू जगजीवन राम **राष्ट्रीय प्रतिष्ठान** की स्थापना 14 मार्च, 2008 को पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की स्मृति में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। प्रतिष्ठान का उद्देश्य उनकी विचारधारा, जीवन दर्शन और मिशनों का प्रचार करना है, जिसमें एक जातिहीन और वर्गहीन समाज बनाने, अस्पृश्यता को मिटाने और दलितों, दलितों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष जारी रखने का विजन है, जिनके पास सम्मानजनक जीवन यापन के अवसरों की कमी है। यह 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है, जिसका मुख्य विजन अनुसूचित जातियों और अन्य कमजोर वर्गों की सहायता करना है।

अधिदेश

बाबूजी की विचारधारा, जीवन दर्शन और मिशन का प्रचार करना, जिसमें जातिविहीन और वर्गहीन समाज बनाने, अस्पृश्यता को मिटाने और दलितों, दलितों, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय के लिए लगातार प्रयास करने का उनका दृष्टिकोण शामिल है, जिनके पास खड़े होने और सम्मानजनक जीवन-यापन के लिए पर्याप्त अवसरों की कमी है।

मुख्य विशेषताएं

- बाबू जगजीवन राम की विचारधारा, दर्शन, जीवन मिशन और दूरदर्शिता का प्रचार करना।
- बाबू जगजीवन राम से संबंधित व्यक्तिगत कागजात और अन्य ऐतिहासिक सामग्री एकत्र करना, प्राप्त करना, बनाए रखना और संरक्षित करना।
- उनके जीवन और कार्य के अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना।
- प्रतिष्ठान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पुस्तकों, कागजातों, पैम्फलेट और अन्य सूचनात्मक सामग्रियों को प्रकाशित करना, बेचना और वितरित करना।
- उससे जुड़े स्थानों का अधिग्रहण करना, संरक्षित करना और उनकी रक्षा करना और स्मारक स्थापित करना।
- अपने आदर्शों का प्रचार करना और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनकी स्मृति को संरक्षित करना, जबकि दलित समुदाय के कलाकारों को बढ़ावा देना जिनके पास पर्याप्त अवसरों की कमी है।
- दलित कलाकारों को उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष रूप से तैयार की गई विकास योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित करना सहायता देना।
- समाज में छुआछूत और जाति आधारित पूर्वाग्रहों को समाप्त करने के उद्देश्य से विशेष योजनाओं को लागू करना।
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सौंपी गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू करना और कार्यान्वित करना।
- जन्म और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन करना, साथ ही बाबू जगजीवन राम के जीवन से संबंधित अन्य स्मारक कार्यक्रम आयोजित करना।
- ऐसी कोई भी गतिविधि करना जिसका स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो इन लक्ष्यों को बढ़ावा देने में योगदान देती है।

2025-26 के दौरान उपलब्धियां

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की दो योजनाओं का संचालन:

1. स्मारक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता के लिए बाबू जगजीवन राम योजना: यह योजना ऐसे पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करती है, जो कम से कम दो वर्षों से अस्तित्व में हैं, और मान्यता प्राप्त कॉलेजों/विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करती है। महान संतों और प्रतिष्ठित हस्तियों की जयंती या पुण्यतिथि मनाने के लिए संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश की जानी चाहिए। योजना के तहत अनुदान राशि की ऊपरी सीमा इस प्रकार है:

- पंजीकृत एनजीओ: 2 लाख रुपये
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान: 5 लाख रुपये वित्त वर्ष 2024-25 में एनजीओ के लिए 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

2. बाबू जगजीवन राम पीठ योजना: बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में बाबू जगजीवन राम पीठ की स्थापना की है:

- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश
- आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर, आंध्र प्रदेश

कार्यक्रम/गतिविधियां:

1. बाबू जगजीवन राम की वार्षिक जयंती समारोह का आयोजन करना।

2. बाबू जगजीवन राम की वार्षिक पुण्यतिथि समारोह का आयोजन करना।

वित्तीय उपलब्धियां

वर्ष 2009 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से 50 करोड़ रुपये का एकबारगी कोष प्राप्त हुआ था। तब से भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान को कोई और अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

3.38 सूचना, अनुवीक्षण, मूल्यांकन और सामाजिक लेखापरीक्षा (आई-मेसा)

आई-मेसा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की गहन जांच की जाएगी। इसके अलावा, हमें मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी का प्रसार करने की आवश्यकता है। योजना में शामिल है: (1) सूचना प्रसार (2) परियोजना निगरानी इकाई (3) केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई (4) सामाजिक लेखा परीक्षा (5) मूल्यांकन एवं अध्ययन।

सूचना प्रसार:

सूचना एवं जन शिक्षा प्रकोष्ठ को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस, प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, प्रदर्शनियॉ/ मेलों पारंपरिक मीडिया आदि के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की गतिविधियॉ और कार्यक्रमों का प्रचार करने का दायित्व सौंपा गया है।

परियोजना निगरानी इकाई:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता वभिाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगा हुआ है। यद्यपि कई प्रमंख कार्यक्रम (जैसे छात्रवृत्ति योजनाएं) राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं, तथापि नशामुक्ति केंद्रों, वरिष्ठ नागरिक गृहों, आवासीय विद्यालयों और गरिमा गृह आदि के लिए अनुदान सहायता कार्यक्रम सीधे मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। मंत्रालय की इन योजनाओं के तहत प्रदान की जिा रही सेवाओं की गुणवता सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के आउटपुट और परिणामों की निगरानी परियोजना निगरानी इकाई द्वारा की जाएगी। परियोजना निगरानी इकाई को मंत्रालय की प्रत्येक योजना जैसे जीआईए संस्थान, छात्रवृत्ति धारक, नि:शुल्क कोचिंग जैसी योजनाएं, एससीए से एससीएसपी के तहत परियोजनाओं का क्रियान्वयन, मंत्रालय की छात्रावास योजना और पीएमएजीवाई का वास्तविक निरीक्षण करना है। पीएमयू के निरीक्षण औचक निरीक्षण होंगे और पीएमयू की रिपोर्ट मंत्रालय के आईटी पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए और उनका तुरंत अनुसरण किया जाना चाहिए।

सामाजिक लेखा परीक्षा:

सामाजिक लेखा परीक्षा में व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित कार्यक्रम/योजना की जांच और मूल्यांकन किया जाता है और जमीनी वास्तविकताओं के साथ आधिकारिक रिकॉर्ड की तुलना की जाती है। सामाजिक लेखापरीक्षा की टीम एक अवधि के दौरान योजना के आउटपुट के बारे में आधिकारिक दस्तावेज वित्तीय और साथ ही वास्तविक और सामाजिक पहलुओं दोनों को निकालती है। इन रिकॉर्डों को हितधारकों के साथ उनके अनुभव के आधार पर सत्यापित करने के लिए साझा किया जाता है। पाई गई समस्याओं के संबंध में साक्ष्य जुटाए जाते हैं और उन्हें सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समेकित किया जाता है जिसे बाद में एक सार्वजनिक मंच पर पढ़ा जाता है जहां हितधारक और कार्यान्वयन एजेंसी के अधिकारी उपस्थित होते हैं ताकि पाई गई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा:

सामाजिक लेखा परीक्षा के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियों और खामियों को प्रकाश में लाना ताकि इसे दूर किया जा सके।
2. कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
3. योजना के समग्र कार्यान्वयन में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच आपसी संवाद के लिए जगह और एक मंच बनाना।
4. समय पर शिकायत निवारण के लिए सही धारकों को मंच प्रदान करना।
5. योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
6. सुधार और नीतिगत ढांचे को प्रभावित करने के लिए जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर प्राथमिक हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना।
7. कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी चरणों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

वित्त वर्ष 2024-25 के संबंध में आयोजित सामाजिक लेखा परीक्षा

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर सोशल ऑडिट (एनआरसीएसए) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत 12 योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा की गई थी। वरिष्ठ नागरिक गृह (एवीवाई), एनएपीडीडीआर के तहत नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ितों हेतु एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए), श्रेष्ठ स्कूल, पीएम-अजय (छात्रावास, मॉडल गांव और अनुदान सहायता संस्थान), युवा योजना के तहत ओबीसी छात्रावास, प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, एससी/एसटी अत्याचार के मामले, अंतर-जातीय विवाह एनबीसीएफडीसी और एनएसएफडीसी ऋण, गरिमा गृह और नमस्ते सहित योजनाओं के तहत 1,620 संस्थानों/इकाइयों के प्रारंभिक लक्ष्य के साथ 28 राज्यों में लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी। इसके बाद, नमस्ते और एनएसएफडीसी के तहत 202 इकाइयों को छोड़ दिया गया था, जिससे प्रभावी लक्ष्य 1,418 हो गया।

आठ राज्यों- असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने वर्ष के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा करने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया। शेष 19 निष्पादनकर्ता राज्यों के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1,009 लेखापरीक्षा का समायोजित लक्ष्य हो गया।

कई राज्यों से कुछ स्कीम की लेखापरीक्षा पूरी न होने के बारे में आधिकारिक पत्र मिलने के बाद पुनः समायोजित किया गया: प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत हरियाणा (8), महाराष्ट्र (10) और तेलंगाना (7); एनबीसीएफडीसी के तहत कर्नाटक (4) और उत्तराखंड (5); और उत्तर प्रदेश में पीएम-अजय ग्राम (1) जिसे शहरी क्षेत्र में मिला दिया गया था। इसके अलावा, श्रेष्ठ स्कूल- राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक-एक (2) को राज्य की प्रस्तुतियों के आधार पर बाहर रखा गया।

इन सात राज्यों में कुल 37 संस्थानों को छोड़ा गया है। इसके परिणामस्वरूप, 19 निष्पादनकर्ता राज्यों के लिए संशोधित सामाजिक लेखा परीक्षा लक्ष्य 972 संस्थान निर्धारित किया गया था। एनआरसीएसए ने इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। विस्तृत योजना-वार और राज्य-वार पूर्णता नीचे सारणीबद्ध है:

(तालिका 3.38.1)

योजना का नाम	समायोजन के बाद लक्ष्य	पूरा हुआ लक्ष्य
एवीवाईएवाई के तहत वरिष्ठ नागरिक गृह	65	65
एनएपीडीडीआर के तहत आईआरसीए	42	42
पीएमजेएवाई के तहत छात्रावास	8	8
श्रेष्ठ के तहत आवासीय विद्यालय	40	40
पीएमजेएवाई के तहत ग्राम	391	391
पीएम-यशस्वी के तहत ओबीसी छात्रावास	4	4
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	111	111
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	68	68
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार	93	93
अंतरजातीय विवाह	85	85
एनबीसीएफडीसी	59	59
स्माइल के तहत गरिमा गृह	6	6
कुल	972	972

राज्यवार पूर्ण लक्ष्य:

(तालिका 3.38.2)

राज्य	वरिष्ठ नागरिक गृह	आईआरसीए	पीएमजेएवाई के तहत छात्रावास	आवासीय विद्यालय-श्रेष्ठ	पीएमजेएवाई के तहत ग्राम	यशस्वी के तहत छात्रावास	प्री-मैट्रिक	पोस्ट-मैट्रिक	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार	अंतर जातीय विवाह	एनबीसीएफडीसी	गरिमा गृह	कुल
आंध्र प्रदेश	29	7	0	10	28	0	8	4	8	9	4	0	106
बिहार	0	0	0	4	0	0	8	4	7	0	4	1	29
हरियाणा	1	0	0	3	28	0	0	4	8	8	4	0	56
हिमाचल प्रदेश	0	2	0	1	28	0	8	4	0	0	4	0	47
कर्नाटक	3	2	1	3	28	0	8	4	8	8	0	0	66
केरल	0	3	0	7	3	0	8	4	4	4	4	0	37
मध्य प्रदेश	0	1	1	1	28	1	8	4	8	8	4	0	64
महाराष्ट्र	7	7	0	2	35	0	0	5	10	10	5	3	84
मेघालय	1	0	0	0	2	0	4	2	0	0	0	0	9
मिजोरम	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
नागालैंड	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
पंजाब	0	0	0	0	35	0	10	5	10	10	5	0	75
राजस्थान	3	4	0	7	28	0	8	4	8	8	4	1	74
सिक्किम	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	4
तमिलनाडु	11	4	2	1	25	2	10	5	5	5	5	1	76
तेलंगाना	6	3	0	0	20	0	1	4	4	4	4	0	46
त्रिपुरा	0	1	0	0	27	0	8	4	0	0	4	0	44
उत्तर प्रदेश	3	2	0	2	41	0	12	6	13	11	6	0	95
उत्तराखंड	0	1	0	0	35	0	10	5	0	0	0	0	51
कुल	65	42	8	41	391	4	111	68	93	85	59	6	972

वित्त वर्ष 2025-2026 के दौरान सामाजिक लेखा परीक्षा योजना

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, 7 योजनाओं के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई है, अर्थात (i) एवीवाईएवाई के तहत वरिष्ठ नागरिक गृह; (ii) एनएपीडीडीआर के अंतर्गत नशा मुक्ति केन्द्र; (iii) श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत आवासीय विद्यालय; (iv) पीएम-अजय (बाबू जगजीवन राम छात्रावास के तहत होस्टल और पीएमएजीवाई ग्राम); (v) यशस्वी योजना के अंतर्गत अन्य पिछडे वर्गों के छात्रों के लिए छात्रावास; (vi) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति; और (vii) 28 राज्यों में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं 62 जिलों के 1,100 संस्थानों को कवर करते हुए - जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निष्पादनकर्ता राज्यों के तीन जिले, उत्तर-पूर्वी राज्यों के दो-दो जिले और वित्त वर्ष 2024-25 के गैर-निष्पादित राज्यों से एक-एक जिला शामिल हैं।

मूल्यांकन अध्ययन:

पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने, चलाए जा रहे कार्यक्रमों के रियल टाइम में सुधार के लिए सबक तय करने और भाग लेने वाले हितधारकों तथा लक्षित लाभार्थियों के बीच ज्ञान का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने की दिशा में मूल्यांकन प्रक्रियाएं एक आवश्यक कदम हैं। सुदृढ़ और परिपक्व एम एंड ई प्रक्रियाओं को अपनाने से प्रभावी योजनाओं के प्रदर्शन में सुधार होगा, और संस्थागत समाधान प्रदान करने के लिए स्वतंत्र संगठनों द्वारा किए गए जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया और साक्ष्य के आधार पर कार्यक्रमों की निरंतर निगरानी और विश्वसनीय मूल्यांकन के माध्यम से भविष्य के कार्यक्रमों का बेहतर डिजाइन और कार्यान्वयन होगा।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं:

- आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता योजना (स्माइल), उप-योजना - 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना';
- आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल) - भिक्षावृत्ति;
- डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान पीठ;
- चार घटक नामतः (i) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और (ii) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना; (iii) अनुसूचित जातियों के लिए टॉप क्लास शिक्षा और (iv) अनुसूचित जाति के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस) के अंतर्गत राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति।
- लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ) योजना;
- डीएनटी/एनटी/एसएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड) का मूल्यांकन;
- दो घटक नामत: (i) ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप; (ii) अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस) के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य वर्गों के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की डा अम्बेडकर योजना;
- विश्वास का मूल्यांकन: अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों (एसके) के लिए ब्याज छूट योजना
- अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वेंचर कैपिटल फंड और अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम);
- अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना (सीईजीएसएससी);

- प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना; तथा
- राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)।

इसके अलावा, नीति आयोग द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की निम्नलिखित 7 योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन किया गया:-

- अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति;
- अनुसूचित जाति और अन्य के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति;
- प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय);
- ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (यशस्वी);
- अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) (वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) से सहायता;
- पीसीआर अधिनियम, 1995 पीओए अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए मशीनरी का सुदृढ़ीकरण;
- ड्रग्स की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)।

3.39 एनजीओ अनुदानों की प्रक्रिया के लिए ई-अनुदान ऑनलाइन पोर्टल

ई-अनुदान वेब पोर्टल (grants-msje.gov.in) मंत्रालयों/विभागों के बीच आवेदन/प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने के लिए पहला कार्य प्रवाह आधारित, भूमिका आधारित, गैर-सरकारी संगठन एप्लीकेशन है। वेब-एप्लिकेशन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए एनआईसी-सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार और मेन्टेन किया गया है और यह वित्त वर्ष 2014-15 से काम कर रहा है।

विजन

अगले वर्ष का विजन उपयोगकर्ता के एक्सपेरियंस एडवांस फीचर को बेहतर बनाना होगा: इसके लिए उपयोगकर्ता का फीडवैक लिया जाएगा और ऐसे फीचर का पता लगाया जाएगा और इसे लागू किया जाएगा। जो उपयोगकर्ता के लिए अधिक फायदेमंद होगा।

- डेटा एनालिटिक्स: यूजेज पैटर्न और अवसरों की पहचान करने के लिए यूजर डाटा का लाभ उठाना ताकि आगे और सुधार किया जा सके और यूजर टारगेटिंग की जा सके।
- बहुभाषी समर्थन: पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, कई क्षेत्रीय भाषाओं में पोर्टल सामग्री की पेशकश करने पर विचार करना।
- अन्य पक्ष एपीआई एकीकरण: प्रमाणित लाभार्थी और कर्मचारियों की आधार संख्या प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण और आधार वॉल्ट।
- सुधार: नवीनतम ओपन सोर्स जावा तकनीक में ई-अनुदान पोर्टल के सुधार की प्रक्रिया शुरू करना।

अधिदेश

1. गैर-सरकारी संगठन दर्पण, यूनिक आईडी और एनजीओ पैन नंबर का उपयोग करके नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल से एनजीओ का सत्यापन।
2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की 5 योजनाएं और डीईपीडब्ल्यूडी की 2 योजनाएं।
3. जिला, राज्य निदेशालय, राज्य सचिवालय और केंद्रीय मंत्रालय स्तर पर प्रस्तावों का सत्यापन।
4. ऑनलाइन लाभार्थी और कर्मचारियों का विवरण।
5. योजना और परियोजनावार दस्तावेज अपलोड करना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कौशल विकास के लिए परियोजनाओं को अपलोड करना।
6. अवर सचिव द्वारा ऑनलाइन मंजूरी प्राप्त करना।

मुख्य विशेषताए:

- गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करना, केंद्रीय मंत्रालय में विभिन्न बीओ उपयोगकर्ताओं द्वारा ट्रैकिंग और प्रोसेसिंग, जहां इस प्रक्रिया में आवेदन सत्यापन, जांच सूची भरना, क्षेत्र निरीक्षण, जांच, स्क्रीनिंग, सिफारिश, वित्तीय अनुमोदन और जीआईए मंजूरी शामिल है।
- मंत्रालय में संयुक्त सचिव/उप सचिव/निदेशक स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
- पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एनजीओ के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है।
- 139 संगठनों को कमियों की सूचना देना और कमियों वाले दस्तावेजों को अपलोड करने के प्रावधान है।
- विभाग में विभिन्न अधिकारियों द्वारा मानदंडों के अनुसार गणना पत्रक और प्रस्तावों के अनुमोदन
- सहायता अनुदान राशि पर आईएफडी द्वारा स्वीकृति।
- नामित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति आदेश तैयार किया जाता है।
- मंत्रालय में बीओ उपयोगकर्ताओं के लिए एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से समय-सीमा बढ़ाने की चेतावनी दी जाती है।
- पीएमयू अधिकारियों द्वारा फील्ड विजिट/निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करना।
- डी-एक्टिवेटिंग 139 पीएमयू-आईआर/फीडबैक के आधार पर मंत्रालय/विभाग द्वारा गठन।
- आवेदन की स्थिति की ट्रैकिंग हो जाती है।
- आवेदन प्रस्ताव की गति का पूरा रिकार्ड दर्ज होता रहता है।
- ई-अनुदान पर वीओएस के पंजीकरण के लिए एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ एकीकरण।
- ई-अनुदान पर संबंधित योजनाओं के डीबीटी डेटा प्रस्तुत करने के लिए डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एकीकरण।
- उमंग मोबाइल एपीपी और यूडीआईडी पोर्टल के साथ अन्य एकीकरण।
- कार्य प्रवाह में प्रत्येक हितधारक को एसएमएस/ई-मेल अलर्ट।

फंड की स्थिति

(तालिका 4.1)

सभी योजनाओं और गैर-योजनाओं के अंतर्गत निधिगत वस्तुस्थिते

				(करोड़ रुपये में)
क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाएं	वास्तविक व्यय 2024-25	बजट अनुमान 2025-26	31.12.2025 तक व्यय
योजनाएं				
एससीडी प्रभाग				
1	अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	5581.52	6360.00	4381.03
2	अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक	461.66	577.96	360.82
3	**अनुसूचित जातियों के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस)**			
	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	209.50	212.00	204.00
	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	74.18	130.00	29.93
	अनुसूचित जाति के लिए टॉप क्लास शिक्षा	103.26	110.00	43.98
	अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग	17.68	20.00	5.84
	कुल श्रेयस योजना	**404.62**	**472.00**	**283.75**
4	**प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)**			
	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	736.28	2140.00	40.27
	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (छात्रावास घटक)			
	अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता			
5	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए मशीनरी का सुदृढ़ीकरण।	495.19	463.00	347.45

				(करोड़ रुपये में)
क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाएं	वास्तविक व्यय 2024-25	बजट अनुमान 2025-26	31.12.2025 तक व्यय
6	अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ)	109.78	140.00	103.47
7	राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)	35.64	130.00	93.46
8	विश्वास योजना (एससी)	11.49	24.57	19.57
9	अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड	0.00	0.01	0.00
10	प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही	36.32	70.00	0.00
	कुल एससीडी प्रभाग	**7872.50**	**10377.54**	**5629.82**
सामाजिक सुरक्षा, मीडिया और मूल्यांकन				
11	अटल वयो अभ्युदय योजना (अवीवाईएवाई) - एससीडब्ल्यूएफ से सहायता			
	एवीवाईएवाई-सीएसएस	146.13	263.73	69.25
	एवीवाईएवाई-सीएसएस (एससीडब्ल्यएफ से समर्थन)	-146.13	-263.73	-69.25
	एवीवाईएवाई-सीएस	262.01	289.69	188.38
	एवीवाईएवाई-सीएसएस (एससीडब्ल्यएफ से सहायता)	-262.01	-289.69	-188.38
12	ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना	268.32	333.00	168.24
13	आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल)			
	भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम	9.65	30.00	17.09
	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए योजना	5.14	76.87	12.76
	कुल स्माइल	**14.79**	**106.87**	**29.85**
	कुल समाज रक्षा	**283.11**	**439.87**	**198.09**
		पिछड़ा वर्ग प्रभाग		

				(करोड़ रुपये में)
क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाएं	वास्तविक व्यय 2024-25	बजट अनुमान 2025-26	31.12.2025 तक व्यय
14	**ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (यशस्वी)**			
	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	158.49	300.00	33.99
	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	895.48	1250.00	241.51
	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बालक और बालिकाओं के छात्रावास	31.84	40.00	18.92
	टॉप क्लास स्कूल	30.55	100.00	17.11
	टॉप क्लास कॉलेज	216.95	500.00	119.22
	कुल पीएम-यशस्वी	**1333.31**	**2190.00**	**430.75**
15	**ओबीसी और ईबीसी के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस) के लिए छात्रवृत्ति**			
	अन्य पिछड़े वर्गों और ईबीसी के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी	9.49	60.00	0.16
	ओबीसी और ईबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	148.19	190.13	67.54
	कुल श्रेयस ओबीसी	**157.68**	**250.13**	**67.70**
16	विश्वास योजना (ओबीसी)	11.95	25.70	23.13
17	पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड	29.51	0.01	0.00
18	पीएम दक्ष योजना ओबीसी घटक	43.08	60.00	0.00
19	डीएनटी/एनटी/एसएनटी (सीड) के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना	35.16	39.40	21.18
	कुल पिछड़ा वर्ग प्रभाग	**1610.69**	**2565.24**	**542.76**
20	सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा	8.77	6.11	3.65
	विभाग की सभी योजनाओं का कुल योग	**9775.07**	**13388.76**	**6374.32**

				(करोड़ रुपये में)
क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाएं	वास्तविक व्यय 2024-25	बजट अनुमान 2025-26	31.12.2025 तक व्यय
	गैर योजनाएं			
	स्थापना			
	अन्य विविध व्यय (पीएम केयर्स)	7.00	8.50	6.05
1	सचिवालय	80.15	70.21	53.87
2	एनसीएससी	69.09	41.00	26.51
3	एनसीएसके	11.52	14.00	5.61
4	एनसीबीसी	7.81	22.00	9.52
5	डीडब्ल्यूबीडीएनसी	0.82	5.00	1.72
6	**नया आयोग (आरएल-सेल के तहत)**	**1.44**	**4.50**	**0.40**
	कुल स्थापना	170.83	156.71	97.63
स्वायत्त निकाय				
7	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर प्रतिष्ठान	30.00	35.00	17.11
8	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर			
9	राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान	18.00	22.00	15.33
	कुल स्वायत्त निकाय	**48.00**	**57.00**	**32.44**
	निवेश			
10	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	0.00	0.01	0.00
11	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	0.00	0.01	0.00
12	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	0.00	0.01	0.00
	कुल निवेश	**0.00**	**0.03**	**0.00**
	कुल गैर योजनाएं	**225.83**	**222.24**	**136.12**
	कुलयोग	**10000.90**	**13611.00**	**6510.44**

संलग्नक

संलग्नक-1

5.1 राज्यवार निधियां जारी करना

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी)

राज्यवार विवरण (31.12.2025 तक)

(तालिका 5.1.1)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वास्तविक आंकड़े (लाभार्थियों की संख्या)	वित्तीय आंकड़े (जारी की गई केन्द्रीय सहायता) (करोड़ रुपए में)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	योजना को लागू नहीं किया जा रहा है	
2.	आंध्र प्रदेश	2,05,430	207.98
3.	अरुणाचल प्रदेश	योजना को लागू नहीं किया जा रहा है	
4.	असम	16168	13.45
5.	बिहार	11,396	5.57
6.	चंडीगढ़	1034	2.70
7.	छतीसगढ़	27573	19.20
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अभी तक जारी नहीं किया गया	
9.	दिल्ली	4596	28.47
10.	गोवा	6	0.008
11.	गुजरात	72430	211.79
12.	हरियाणा	48193	104.10
13.	हिमाचल प्रदेश	12578	17.64
14.	जम्मू-कश्मीर	6239	4.14
15.	झारखंड	33010	29.99
16.	कर्नाटक	229624	265.56
17.	केरल	47434	53.87
18.	लद्दाख	योजना को लागू नहीं किया जा रहा है	
19.	लक्षद्वीप	योजना को लागू नहीं किया जा रहा है	
20.	मध्य प्रदेश	257626	353.77

21.	महाराष्ट्र	300129	833.55
22.	मणिपुर	5134	4.30
23.	मेघालय	22	0.12
24.	मिजोरम	योजना को लागू नहीं किया जा रहा है	
25.	नागालैंड	योजना को लागू नहीं किया जा रहा है	
26.	ओडिशा	134883	212.82
27.	पुदुचेरी	1572	2.23
28.	पंजाब	163066	333.37
29.	राजस्थान	211305	117.73
30.	सिक्किम	245	0.53
31.	तमिलनाडु	880119	915.97
32.	तेलंगाना	12111	24.00
33.	त्रिपुरा	18370	50.54
34.	उत्तर प्रदेश	554032	498.04
35.	उत्तराखंड	25356	19.78
36.	पश्चिम बंगाल	162737	38.85
कुल		**3442418**	**4370.06**

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी)

राज्यवार विवरण (31.12.2025 तक)

तालिका 5.1.2

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वास्तविक आंकड़े (लाभार्थियों की संख्या)	वित्तीय आंकड़े (जारी की गई केन्द्रीय सहायता) (करोड़ रुपए में)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	योजना को लागू नहीं किया जा रहा है	
2.	आंध्र प्रदेश	225625	57.23
3.	अरुणाचल प्रदेश	योजना को लागू नहीं किया जा रहा है	
4.	असम	3383	1.07
5.	बिहार	193317	20.87
6.	चंडीगढ़	401	0.14
7.	छत्तीसगढ़	4232	0.95

8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	15	0.006
9.	दिल्ली	539	0.11
10.	गोवा	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अभी तक जारी नहीं किया गया	
11.	गुजरात	65138	14.01
12.	हरियाणा	योजना को लागू नहीं किया जा रहा है	
13.	हिमाचल प्रदेश	19555	6.19
14.	जम्मू-कश्मीर	4122	0.86
15.	झारखंड	41702	8.75
16.	कर्नाटक	152202	31.96
17.	केरल	5307	1.12
18.	लद्दाख	योजना को लागू नहीं किया जा रहा है	
19.	लक्षद्वीप	योजना को लागू नहीं किया जा रहा है	
20.	मध्य प्रदेश	134050	30.31
21.	महाराष्ट्र	1852	0.39
22.	मणिपुर	952	0.40
23.	मेघालय	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अभी तक जारी नहीं किया गया	
24.	मिजोरम	योजना को लागू नहीं किया जा रहा है	
25.	नागालैंड	योजना को लागू नहीं किया जा रहा है	
26.	ओडिशा	87492	19.83
27.	पुदुचेरी	588	0.12
28.	पंजाब	125119	26.47
29.	राजस्थान	108600	22.82
30.	सिक्किम	22	0.072
31.	तमिलनाडु	330027	69.37
32.	तेलंगाना	योजना को लागू नहीं किया जा रहा है	
33.	त्रिपुरा	6642	2.12
34.	उत्तर प्रदेश	90203	18.94
35.	उत्तराखंड	9412	2.99
36.	पश्चिम बंगाल	103806	22.32
कुल		**1714303**	**359.41**

प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)

वित्तीय वर्ष 2025-26 (31.12.2025 तक)

(तालिका 5.1.3)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आदर्श ग्राम	सहायता अनुदान	छात्रावास
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	लागू नहीं किया गया		
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	लागू नहीं किया गया		
4.	असम	0.0041	4.09	0.166
5.	बिहार	लागू नहीं किया गया	0	0
6.	चंडीगढ़	लागू नहीं किया गया	0.24	0
7.	छत्तीसगढ़	3.679	0.0049	0
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	लागू नहीं किया गया		
9.	दिल्ली	लागू नहीं किया गया	0	लागू नहीं किया गया
10.	गोवा	लागू नहीं किया गया	0	लागू नहीं किया गया
11.	गुजरात	0.2147	0	0
12.	हरियाणा	0	0	0.90
13.	हिमाचल प्रदेश	0	0.001	0
14.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0
15.	झारखंड	0	0	0
16.	कर्नाटक	0	0	0
17.	केरल	0.047	1.357	0
18.	लद्दाख	लागू नहीं किया गया		
19.	लक्षद्वीप	लागू नहीं किया गया		
20.	मध्य प्रदेश	0.0269	0.0008	0

21.	महाराष्ट्र	0	12.64	0
22.	मणिपुर	0	0	0
23.	मेघालय	0	लागू नहीं किया गया	
24.	मिजोरम	लागू नहीं किया गया		
25.	नागालैंड	लागू नहीं किया गया	लागू नहीं किया गया	0
26.	ओडिशा	19.53	0.119	0
27.	पुदुचेरी	0		0
28.	पंजाब	0	0.125	0
29.	राजस्थान	0	1.531	0
30.	सिक्किम	लागू नहीं किया गया	0.1701	0.0003
31.	तमिलनाडु	0	65.73	0
32.	तेलंगाना	0	3.79	0
33.	त्रिपुरा	1.07	3.42	0
34.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
35.	उत्तराखंड	0.00028	0.0058	0
36.	पश्चिम बंगाल	लागू नहीं किया गया	23.1058	0
	कुल योग	**24.571**	**116.33**	**1.0663**

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना - राज्यवार विवरण

(तालिका 5.1.4)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**एसएनए के माध्यम से जारी केंद्रीय सहायता वित्त वर्ष 2025-26 में (31.12.2025 तक)**
1	आंध्र प्रदेश	33.83
2	असम	-
3	बिहार	27.19
4	छत्तीसगढ़	21.15
5	चंडीगढ़	0.82
6	दिल्ली	-
7	गोवा	-

8	गुजरात	-
9	हरियाणा	19.08
10	हिमाचल प्रदेश	2.74
	झारखंड	-
11	कर्नाटक	-
12	केरल	-
13	मध्य प्रदेश	28.16
14	महाराष्ट्र	52.81
15	ओडिशा	
16	पुदुचेरी	1.17
17	राजस्थान	21.92
18	सिक्किम	-
19	तमिलनाडु	-
20	तेलंगाना	-
21	त्रिपुरा	-
22	उत्तर प्रदेश	69.17
23	उत्तराखंड	-
24	पश्चिम बंगाल	2.08
25	एयरटेल बिल और नालसार	1.07
26	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	0.3
	कुल	**281.49**

लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ)

(तालिका 5.1.5)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मोड-1		मोड-2		2025-26 में जारी कुल राशि (रु. लाख में)	छात्रों की कुल संख्या
		2025-26		2025-26			
		2025-26 में जारी राशि (रु. लाख में)	छात्रों की संख्या	2025-26 में जारी राशि (रु. लाख में)	छात्रों की संख्या		
1.	आंध्र प्रदेश	989.05	806	74.40	0	1,063.45	806
2.	बिहार	103.81	86	0	0	103.81	86
3.	छत्तीसगढ़	422.09	347	0	0	422.09	347
4.	गुजरात	44.60	36	0	0	44.6	36
5.	हरियाणा	1,232.42	986	10.80	0	1,243.22	986
6.	हिमाचल प्रदेश	100.77	81	0	0	100.77	81
7.	झारखंड	39.66	34	0	0	39.66	34
8.	कर्नाटक	113.55	90	239.39	158	352.94	248
9.	केरल	264.86	213	0	0	264.86	213
10.	मध्य प्रदेश	391.30	316	54.00	100	445.3	416
11.	महाराष्ट्र	95.80	80	566.23	895	662.03	975
12.	उड़ीसा	105.70	82	241.00	287	346.7	369
13.	पंजाब	23.77	19	0	0	23.77	19
14.	राजस्थान	1,811.69	1,473	146.40	0	1,958.09	1,473
15.	तमिलनाडु	290.17	227	0	0	290.17	227
16.	तेलंगाना	10.30	8	17.60	0	27.9	8
17.	उत्तर प्रदेश	1,654.77	1,420	506.79	499	2,161.56	1,919
18.	उत्तराखंड	55.85	45	17.60	0	73.45	45
19.	पश्चिम बंगाल	5.10	4	85.80	185	90.9	189
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.35	1	0	0	1.35	1
21.	पुदुचेरी	4.05	3	0	0	4.05	3
22.	दिल्ली	0	0	60.11	89	60.11	89
23.	असम	4.05	3	0	0	4.05	3
24.	मणिपुर	0	0	16.20	75	16.20	75
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	एनटीए और अन्य	0	0	0	0	229.00	0
	कुल योग	**7,764.71**	**6,360**	**2,036.32**	**2,288**	**10,030.03**	**8,648**

राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)

राज्यवार विवरण

चूंकि नमस्ते एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए राज्यों के बीच योजना के बजट का वितरण पूर्व निर्धारित नहीं है। योजना का राज्य-वार बजट राज्य में प्रोफाइल किए गए एसएसडब्ल्यू की संख्या, स्वास्थ्य व्यय का दावा करने वाले एबी-पीएम जेएवाई लाभार्थियों की संख्या, स्वच्छता संबंधी परियोजना/स्व-रोजगार परियोजना के लिए पूंजीगत सब्सिडी का दावा करने वाले सफाई कर्मचारियों/मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या आदि पर निर्भर करता है।

इसलिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधि आबंटन नहीं किया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का घटकवार विवरण इस प्रकार है:

तालिका 5.1.6

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**प्रोफाइल किए गए एसएसडब्ल्यू**	**प्रोफाइल किए गए कचरा बीनने वाले व्यक्ति**	**सत्यापित कचरा बीनने वाले व्यक्ति**	**एसएसडब्ल्यू को भेजी गई पीपीई किट**	**भेजे गए ईआरएसयू सुरक्षा उपकरण**	**कार्यशालाएं**	**एसयूवाई**	**एसडीटीपी (एसआरएमएस)**	**पूंजीगत सब्सिडी (सामान्य परियोजनाएं)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20	70	70	20	2	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	415	14265	9033	1,881	1	36	87	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	186	167	0	0	0	0	0	0
4	असम	14	3527	2894	154	0	0	0	0	4
5	बिहार	17	9480	2915	835	16	31	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	852	784	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	33	6029	3506	831	17	6	0	0	0
8	दादरा और नगर हवेली	0	8	6	0	3	0	0	0	0
9	दिल्ली	459	6792	4682	3,491	11	8	0	0	0
10	गोवा	14	1458	1272	157	0	5	0	0	0
11	गुजरात	1541	6360	3894	3,050	15	19	0	0	0
12	हरियाणा	80	3245	1362	474	22	12	0	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	15	1601	536	238	4	0	0	0	0
14	जम्मू-कश्मीर	8	4704	3702	19	18	4	0	0	0
15	झारखंड	9	3691	941	413	13	7	0	0	0

16	कर्नाटक	218	12416	6233	5,633	23	24	0	89	0
17	केरल	44	1121	1104	172	0	12	0	0	0
18	लद्दाख	0	187	66	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	107	8015	3100	1,515	31	9	23	0	0
21	महाराष्ट्र	835	50789	33774	838	13	10	0	113	56
22	मणिपुर	10	437	376	75	5	0	0	0	0
23	मेघालय	8	677	630	108	9	0	0	0	0
24	मिजोरम	3	106	24	0	1	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	636	441	95	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	0	5805	2942	0	0	0	0	0	0
27	पुदुचेरी	1	1382	1057	1	0	1	0	0	0
28	पंजाब	11	3119	881	0	12	18	0	0	0
29	राजस्थान	258	4238	774	722	15	36	6	256	0
30	सिक्किम	12	292	287	12	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	8	42606	26012	6,981	37	0	0	0	0
32	तेलंगाना	22	8904	2863	2,609	22	26	10	0	0
33	त्रिपुरा	153	1974	1419	242	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	482	18260	9414	1,322	20	59	21	1,041	0
35	उत्तराखंड	8	1801	598	510	0	0	0	504	0
36	पश्चिम बंगाल	4,912	32567	3048	7,474	26	6	0	0	0
	कुल	**9,717**	**257600**	**130807**	**39,872**	**336**	**328**	**147**	**2,003**	**60**

अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन और पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड सहित अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड

राज्यवार विवरण वीसीएफ-एससी

तालिका 5.1.7

31.12.2025 तक का वीसीएफ-एससी का विवरण						
राज्य	स्वीकृति (करोड़ रुपये में)	स्वीकृति का प्रतिशत	स्वीकृत कंपनियों की संख्या	संवितरण (करोड़ रुपये में)	संवितरण का %	जिन कंपनियों को संवितरण किया गया उनकी संख्या
आंध्र प्रदेश	63.44	11%	11	55.23	13%	10
असम	5.00	1%	1	5	1%	1
बिहार	8.35	1%	2	8.35	2%	2
छत्तीसगढ़	6.63	1%	2	5.33	1%	2
दिल्ली एनसीआर	2.5	0%	2	2.5	1%	2
गुजरात	22.52	4%	5	12.66	3%	4
हरियाणा	10.53	2%	3	10.42	2%	3
हिमाचल प्रदेश	22.82	4%	5	14.36	3%	4
कर्नाटक	40.68	7%	7	18.45	4%	5
मध्य प्रदेश	1.26	0%	1	1.26	0.30%	1
महाराष्ट्र	191.97	32%	51	129.86	31%	42
पुदुचेरी	4.00	1%	2	4	1%	2
पंजाब	19.4	3%	5	19.25	5%	5
राजस्थान	4.87	1%	1	4.79	1%	1
तमिलनाडु	46.3	8%	11	33.04	8%	9
तेलंगाना	96.64	16%	16	68.73	16%	14
उत्तर प्रदेश	13.96	2%	8	8.49	2%	6
उत्तराखंड	6.72	1%	2	1.72	0%	1
पश्चिम बंगाल	17.00	3%	5	16.42	4%	5
झारखंड	5.00	1%	1	0	0%	0
ओडिशा	3.63	1%	1	0	0%	0
कुल योग	**593.22**	**100%**	**142**	**419.85**	**100%**	**119**

राज्यवार विवरण एएसआईआईएम

तालिका 5.1.8

31.12.2025 तक का एएसआईआईएम का विवरण						
राज्य	**स्वीकृति (करोड़ रुपये में)**	**स्वीकृति का प्रतिशत**	**स्वीकृत कंपनियों की संख्या**	**संवितरण (करोड़ रुपये में)**	**संवितरण का %**	**जिन कंपनियों को संवितरण किया गया उनकी संख्या**
असम	1.5	4%	5	0.56	4%	4
छत्तीसगढ़	0.6	2%	2	0.55	4%	2
दिल्ली	0.9	2%	3	0.17	1%	2
गुजरात	2.4	7%	8	0.93	7%	6
हरियाणा	0.3	1%	1	0.29	2%	1
हिमाचल प्रदेश	0.3	1%	1	0.2	2%	1
कर्नाटक	2.37	7%	8	1.18	9%	5
केरल	0.3	1%	1	0.16	1%	1
महाराष्ट्र	15.04	42%	51	4.7	37%	36
ओडिशा	2.7	7%	9	1.2	9%	7
राजस्थान	1.2	3%	4	0.35	3%	2
तमिलनाडु	2.7	7%	9	0.72	6%	5
उत्तर प्रदेश	3	8%	10	1.16	9%	7
पश्चिम बंगाल	0.3	1%	1	0	0%	0
तेलंगाना	0.9	2%	3	0.19	1%	3
उत्तराखंड	0.3	1%	1	0.06	0.4%	1
मणिपुर	0.9	2%	3	0.3	2%	3
पंजाब	0.3	1%	1	0	0%	0
कुल योग	**36.01**	**100%**	**121**	**12.72**	**100%**	**86**

राज्यवार विवरण वीसीएफ-बीसी

तालिका 5.1.9

31.12.2025 तक का वीसीएफ बीसी का विवरण						
राज्य	**स्वीकृति (करोड़ रुपये में)**	**स्वीकृति का प्रतिशत**	**स्वीकृत कंपनियों की संख्या**	**संवितरण (करोड़ रुपये में)**	**संवितरण का %**	**जिन कंपनियों को संवितरण किया गया उनकी संख्या**
आंध्र प्रदेश	15.92	12%	2	2.96	5%	2
असम	1.49	1%	1	0	0%	1
बिहार	4.52	3%	1	0	0%	1
हिमाचल प्रदेश	4.76	4%	1	4.76	8%	1
केरल	4.75	4%	1	4.75	8%	1
मध्य प्रदेश	3.5	3%	1	3.5	6%	1
महाराष्ट्र	36.52	27%	8	18.62	30%	8
तमिलनाडु	16.39	12%	3	9.74	16%	2
उत्तर प्रदेश	30.42	23%	7	15	24%	5
पंजाब	2.35	2%	1	2.17	4%	1
तेलंगाना	2.7	2%	1	0	0%	0
हरियाणा	9.56	7%	2	0	0%	0
कुल योग	**132.88**	**100%**	**29**	**61.50**	**100%**	**23**

विश्वास-एससी योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या और ब्याज छूट की राशि

(तालिका 5.1.10)

क्र.स.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या	ब्याज छूट की राशि
1	आंध्र प्रदेश	99,604	11,38,84,871
2	अरुणाचल प्रदेश	2	3,408
3	असम	1,998	19,58,550
4	बिहार	1,246	21,67,074
5	चंडीगढ़	26	29,246
6	छत्तीसगढ़	595	14,19,599
7	दिल्ली	567	4,35,034
8	गोवा	2	850
9	गुजरात	1,071	10,14,928
10	हरियाणा	2,468	40,66,351
11	हिमाचल प्रदेश	1,049	35,78,808
12	जम्मू-कश्मीर	781	13,36,107
13	झारखंड	1,075	5,97,555
14	कर्नाटक	4,470	45,04,267
15	केरल	765	5,74,539
16	मध्य प्रदेश	3,610	88,16,128
17	महाराष्ट्र	2,346	15,53,307
18	मणिपुर	54	1,50,904
19	मेघालय	6	15,547
20	नागालैंड	4	8,257
21	ओडिशा	1,893	24,71,013
22	पुदुचेरी	52	40,279
23	पंजाब	4,531	90,30,823
24	राजस्थान	2,780	52,98,340
25	सिक्किम	20	17,982
26	तमिलनाडु	12,567	1,12,17,439
27	तेलंगाना	35,986	4,80,80,465
28	त्रिपुरा	551	11,29,150
29	उत्तर प्रदेश	10,115	1,32,63,166
30	उत्तराखंड	1,928	39,37,486
31	पश्चिम बंगाल	3,919	66,12,412
	कुल	**1,96,081**	**24,72,13,885**

विश्वास-बीसी योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या और ब्याज छूट की राशि

तालिका 5.1.11

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभार्थियों की संख्या	ब्याज छूट की राशि (रु. लाख में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0.004
2	आंध्र प्रदेश	59,708	411.86
3	अरुणाचल प्रदेश	6	0.02
4	असम	5,867	79.07
5	बिहार	4,006	139.88
6	चंडीगढ़	6	0.15
7	छत्तीसगढ़	2,418	58.74
8	दिल्ली	111	2.01
9	गोवा	11	0.19
10	गुजरात	3,399	40.98
11	हरियाणा	1,578	48.05
12	हिमाचल प्रदेश	329	16.25
13	जम्मू-कश्मीर	302	6.10
14	झारखंड	1,696	34.45
15	कर्नाटक	7,895	85.32
16	केरल	3,111	41.96
17	मध्य प्रदेश	3,162	77.89
18	महाराष्ट्र	3,770	48.37
19	मणिपुर	18	1.09
20	मेघालय	1	0.002
21	नागालैंड	3	0.02
22	ओडिशा	3,109	82.26
23	पुदुचेरी	507	2.13
24	पंजाब	773	21.62
25	राजस्थान	4,412	107.35
26	सिक्किम	28	0.48
27	तमिलनाडु	38,615	434.17
28	तेलंगाना	26,007	114.73
29	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2	0.01
30	त्रिपुरा	179	7.87
31	उत्तर प्रदेश	19,993	493.06
32	उत्तराखंड	840	31.65
33	पश्चिम बंगाल	787	32.52
	कुल योग	**1,92,650**	**2,420.29**

अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)
राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के अंतर्गत राज्यवार ब्यौरा
(31.12.2025 तक का डेटा)

तालिका 5.1.12

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या	सहायक जीवन उपकरणों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	14
2	आंध्र प्रदेश	2,673	8,923
3	अरुणाचल प्रदेश	953	4,519
4	असम	13,836	64,218
5	बिहार	25,660	1,38,383
6	चंडीगढ़	747	3,178
7	छत्तीसगढ़	1,536	6,563
8	दिल्ली	7,350	40,416
9	गोवा	822	4,011
10	गुजरात	3,766	19,059
11	हरियाणा	14,163	72,607
12	हिमाचल प्रदेश	915	4,624
13	जम्मू-कश्मीर	4,640	22,220
14	झारखंड	7,656	38,935
15	कर्नाटक	8,868	37,659
16	केरल	2,660	11,399
17	लद्दाख	187	849
18	लक्षद्वीप	45	135
19	मध्य प्रदेश	15,336	73,567
20	महाराष्ट्र	30,087	1,45,616
21	मणिपुर	1,844	8,222
22	मेघालय	1,532	8,001
23	मिजोरम	1,451	6,438
24	नागालैंड	4,265	18,604
25	ओडिशा	6,029	27,398
26	पुदुचेरी	1,887	9,060

27	पंजाब	9,064	44,603
28	राजस्थान	8,231	46,126
29	सिक्किम	893	4,748
30	तमिलनाडु	4,136	15,529
31	तेलंगाना	1,210	4,148
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,231	6,721
33	त्रिपुरा	2,594	12,695
34	उत्तर प्रदेश	47,035	2,42,765
35	उत्तराखंड	3,019	16,201
36	पश्चिम बंगाल	7,887	38,015
	कुल योग:	**2,44,217**	**12,06,169**

एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) के तहत राज्यवार ब्यौरा

(31.12.2025 तक का डेटा)

(तालिका 5.1.13)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी की गई कुल राशि (राशि लाखों में)**	**कुल लाभार्थी**
1	आंध्र प्रदेश	732.17	6,975
2	बिहार	190.99	600
3	छत्तीसगढ़	46.57	175
4	गोवा	3.6	50
5	गुजरात	56.67	225
6	हरियाणा	132.16	975
7	हिमाचल प्रदेश	9.26	25
8	झारखंड	80.64	350
9	कर्नाटक	477.75	1,370
10	केरल	10.55	150
11	मध्य प्रदेश	269.52	625
12	महाराष्ट्र	575.16	6,940
13	ओडिशा	814.56	16,600
14	राजस्थान	152.22	500
15	तमिलनाडु	703.37	17,170
16	तेलंगाना	161.13	5,300
17	उत्तर प्रदेश	648.07	1,970
18	उत्तराखंड	34.41	100
19	पश्चिम बंगाल	518.29	20,500

20	दिल्ली	27.02	100
21	पुदुचेरी	13.84	50
22	अरुणाचल प्रदेश	8.55	75
23	असम	324.81	10,595
24	जम्मू-कश्मीर	11.6	100
25	मणिपुर	423.45	5,925
26	मिजोरम	7.71	0
27	नागालैंड	103.84	500
28	त्रिपुरा	5.87	50
	कुल योग	**6,543.78**	**97,995**

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) के तहत राज्यवार विवरण

(31.12.2025 तक के आंकड़े)

तालिका 5.1.14

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मूल मंजूरी/जारी एलओए (करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.22
2	आंध्र प्रदेश	2.91
3	चंडीगढ़	0.11
4	छतीसगढ़	9.14
5	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	0.12
6	गोवा	2.14
7	हिमाचल प्रदेश	2.00
8	जम्मू-कश्मीर	4.74
9	केरल	9.20
10	मध्य प्रदेश	2.54
11	मिजोरम	1.89
12	ओडिशा	1.88
13	पंजाब	7.87
14	राजस्थान	1.39
15	सिक्किम	0.96
16	तमिलनाडु	1.44
17	तेलंगाना	1.66
18	त्रिपुरा	0.86
19	उत्तर प्रदेश	5.59
20	उत्तराखंड	1.55
21	पश्चिम बंगाल	4.54
	कुल	**62.73**

वर्ष 2025-26 के दौरान एनएपीडीडीआर के तहत व्यय और लाभार्थियों का राज्यवार विवरण (31-12-2025 तक)

(तालिका 5.1.15)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एसएपी घटक के तहत/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार को स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	एनजीओ को जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.5	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1	4.55	86,653
3	अरुणाचल प्रदेश	0.5	0.1	80
4	असम	1	4.34	35,720
5	बिहार	1	2.48	19,884
6	चंडीगढ़	0.5	0.15	4,066
7	छत्तीसगढ़	1	0.54	9,894
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.5	0.13	113
9	दिल्ली	1	2.66	31,089
10	गोवा	1	0	383
11	गुजरात	1	0.52	15,341
12	हरियाणा	1	0.94	4,898
13	हिमाचल प्रदेश	0.5	0.53	2,744
14	जम्मू-कश्मीर	1	3.11	20,071
15	झारखंड	1	0.66	8,818
16	कर्नाटक	1	6.14	9,818
17	केरल	1	2.66	4,075
18	लद्दाख	0.5	0.42	2,864
19	लक्षद्वीप	0.5	0	0
20	मध्य प्रदेश	1	4.41	64,908
21	महाराष्ट्र	1	7.40	22,320
22	मणिपुर	0.5	5.33	23,331
23	मेघालय	0.5	0.43	887
24	मिजोरम	0.5	4.36	7,272
25	नागालैंड	0.5	1.66	4,325
26	ओडिशा	1	7.28	34,555
27	पुदुचेरी	0.5	0.32	3,356
28	पंजाब	3	2.14	7,951
29	राजस्थान	1	7.17	49,140
30	सिक्किम	0.5	0.37	189

31	तमिलनाडु	1	5.65	31,929
32	तेलंगाना	1	1.01	16,117
33	त्रिपुरा	0.5	0.07	423
34	उत्तर प्रदेश	1	6.90	86,704
35	उत्तराखंड	1	1.21	8,104
36	पश्चिम बंगाल	1	3.05	26,336
	कुल	**31**	**88.69**	**6,44,358**

आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल): उप-योजना 'भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास'

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्यवार विवरण:

(तालिका 5.1.16)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**वित्तीय आंकड़े* (रु. लाख में)**	**वास्तविक आंकड़े* (पुनर्वास किए गए लोगों की संख्या)**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	--	--
2.	आंध्र प्रदेश	68.18	70
3.	अरुणाचल प्रदेश	24.35	72
4.	असम	136.36	584
5.	बिहार	82.79	455
6.	चंडीगढ़	24.35	125
7.	छत्तीसगढ़	73.05	--
8.	दादरा और नगर	--	--
9.	दिल्ली	102.27	156
10.	गोवा	--	--
11.	गुजरात	112.01	173
12.	हरियाणा	29.22	--
13.	हिमाचल प्रदेश	29.22	--
14.	जम्मू-कश्मीर	53.57	462
15.	झारखंड	--	--
16.	कर्नाटक	82.79	80
17.	केरल	116.88	157
18.	लद्दाख	14.61	--

19.	लक्षद्वीप	--	--
20.	मध्य प्रदेश	53.57	1,038
21.	महाराष्ट्र	14.61	816
22.	मणिपुर	29.22	--
23.	मेघालय	--	--
24.	मिजोरम	14.61	--
25.	नागालैंड	47.96	22
26.	ओडिशा	72.72	201
27.	पुदुचेरी	38.96	169
28.	पंजाब	43.83	--
29.	राजस्थान	87.66	--
30.	सिक्किम	14.61	--
31.	तमिलनाडु	189.93	1,106
32.	तेलंगाना	14.61	--
33.	त्रिपुरा	14.61	--
34.	उत्तर प्रदेश	73.05	1,058
35.	उत्तराखंड	58.44	--
36.	पश्चिम बंगाल	14.61	--

स्माइल (आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता) उप-योजना 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना'

राज्यवार विवरण

(तालिका 5.1.17)
(रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय आंकड़े
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-
2.	आंध्र प्रदेश	30,70,783
3.	अरुणाचल प्रदेश	-
4.	असम	14,98,783
5.	बिहार	27,10,585
6.	चंडीगढ़	
7.	छत्तीसगढ़	27,11,317
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-

9.	दिल्ली	31,44,000
10.	गोवा	-
11.	गुजरात	26,93,816
12.	हरियाणा	-
13.	हिमाचल प्रदेश	-
14.	जम्मू-कश्मीर	-
15.	झारखंड	5,02,500
16.	कर्नाटक	14,98,783
17.	केरल	-
18.	लद्दाख	-
19.	लक्षद्वीप	-
20.	मध्य प्रदेश	-
21.	महाराष्ट्र	1,41,48,000
22.	मणिपुर	5,02,500
23.	मेघालय	-
24.	मिजोरम	-
25.	नागालैंड	-
26.	ओडिशा	31,40,881
27.	पुदुचेरी	-
28.	पंजाब	28,98,510
29.	राजस्थान	31,42,000
30.	सिक्किम	-
31.	तमिलनाडु	22,64,600
32.	तेलंगाना	-
33.	त्रिपुरा	-
34.	उत्तर प्रदेश	10,16,416
35.	उत्तराखंड	-
36.	पश्चिम बंगाल	55,98,801

ओबीसी और अन्य के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम-यशस्वी)

राज्यवार विवरण- ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

(तालिका 5.1.18)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय आंकड़े	
		स्वीकृत राशि (करोड़ में)	सृजित मूल स्वीकृति (करोड़ में)
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	19.01
2.	बिहार	8.25	37.39
3.	छत्तीसगढ़*	0.00	0.00
4.	गोवा*	0.00	0.00
5.	गुजरात*	0.00	0.00
6.	हरियाणा*	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश*	0.00	0.00
8.	जम्मू-कश्मीर*	0.00	0.00
9.	झारखंड	0.00	3.95
10.	कर्नाटक	0.00	25.97
11.	केरल	0.00	5.60
12.	मध्य प्रदेश*	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र*	0.00	0.00
14.	ओडिशा	0.00	3.58
15.	पंजाब	0.00	3.44
16.	राजस्थान*	0.00	0.00
17.	तमिलनाडु	0.00	42.055
18.	तेलंगाना	0.00	4.55
19.	उत्तर प्रदेश	12.00	0.00
20.	उत्तराखंड*	0.00	0.00

21.	पश्चिम बंगाल*	0.00	0.00
22.	असम*	0.00	0.00
23.	मणिपुर*	0.00	0.00
24.	सिक्किम	0.00	0.14
25.	त्रिपुरा	0.00	0.88
26.	अंडमान और निकोबार	0.05	0.00
27.	चंडीगढ़*	0.00	0.00
28.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव*	0.00	0.00
29.	दिल्ली*	0.00	0.00
30.	पुदुचेरी*	0.00	0.00
कुल		**20.30**	**146.57**

**एसएनए स्पर्श, पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत न करने आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण निधियों का संवितरण नहीं किया जा सका।*

नोट - वास्तविक लाभार्थी का डेटा प्रस्ताव के साथ अगले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन एजेंसियों (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्यवार विवरण- ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

(तालिका 5.1.19)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय आंकड़े	
		स्वीकृत राशि (करोड़ में)	सृजित मूल स्वीकृति (करोड़ में)
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	68.00
2.	बिहार*	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़*	0.00	0.00
4.	गोवा*	0.00	0.00
5.	गुजरात*	0.00	0.00
6.	हरियाणा*	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	1.25
8.	जम्मू-कश्मीर*	0.00	0.00
9.	झारखंड*	0.00	0.00

10.	कर्नाटक	0.00	92.77
11.	केरल	0.00	55.06
12.	मध्य प्रदेश	0.00	79.16
13.	महाराष्ट्र*	0.00	0.00
14.	ओडिशा*	0.00	0.00
15.	पंजाब*	0.00	0.00
16.	राजस्थान*	0.00	0.00
17.	तमिलनाडु	58.00	48.74
18.	तेलंगाना*	0.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	115.45	77.28
20.	उत्तराखंड	0.97	0.00
21.	पश्चिम बंगाल*	0.00	0.00
22.	असम*	0.00	0.00
23.	मणिपुर*	0.00	0.00
24.	सिक्किम	0.44	1.18
25.	त्रिपुरा	0.00	7.09
26.	अंडमान और निकोबार	0.13	0.00
27.	चंडीगढ़*	0.00	0.00
28.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव*	0.00	0.00
29.	दिल्ली	1.72	0.00
30.	पुदुचेरी	0.00	0.00
कुल		**176.72**	**430.53**

एसएनए स्पर्श, पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाने आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण निधियों का संवितरण नहीं किया जा सका।

नोट - वास्तविक लाभार्थी का डेटा अगले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन एजेंसियों (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों) द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्यवार विवरण- ओबीसी बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण

(तालिका 5.1.20)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय आंकड़े	
		स्वीकृत राशि (करोड़ में)	जारी की गई मूल स्वीकृति (करोड़ में)
1.	आंध्र प्रदेश	0.35	0.00
2.	बिहार*	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़*	0.00	0.00
4.	गोवा*	0.00	0.00
5.	गुजरात*	0.00	0.00
6.	हरियाणा*	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश*	0.00	0.00
8.	जम्मू-कश्मीर*	0.00	0.00
9.	झारखंड*	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	1.52	0.00
11.	केरल*	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश*	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र*	0.00	0.00
14.	ओडिशा	0.00	7.47
15.	पंजाब	1.125	0.00
16.	राजस्थान*	0.00	0.00
17.	तमिलनाडु	0.00	5.26
18.	तेलंगाना*	0.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	0.00	2.25
20.	उत्तराखंड*	0.00	0.00
21.	पश्चिम बंगाल*	0.00	0.00
22.	असम*	0.00	0.00
23.	मणिपुर*	0.00	0.00
24.	सिक्किम*	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	6.46
26.	अंडमान और निकोबार*	0.00	0.00

27.	चंडीगढ़*	0.00	0.00
28.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव*	0.00	0.00
29.	दिल्ली*	0.00	0.00
30.	पुदुचेरी*	0.00	0.00
31.	केंद्रीय विश्वविद्यालय	4.86	0.00
कुल		**7.85**	**21.44**

***एसएनए स्पर्श, पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाने आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण निधियों का संवितरण नहीं किया जा सका।**

'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम' के तहत विशेष छात्रवृत्ति

वित्त वर्ष 2025-26 के लाभार्थियों के लिए जारी किए गए का राज्यवार विवरण (31.12.2025 तक)

(तालिका 5.1.21)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**वित्त वर्ष 2025-26 के लाभार्थियों की संख्या** (जिन्हें वित्त वर्ष 2025-26 में भुगतान किया गया है)	**अंतरित राशि (रुपये में)**
1	आंध्र प्रदेश	198	39,60,000
2	अरुणाचल प्रदेश	5	1,00,000
3	असम	47	9,40,000
4	बिहार	52	10,40,000
5	चंडीगढ़	10	2,00,000
6	छत्तीसगढ़	69	13,80,000
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	10	2,00,000
8	दिल्ली	88	17,60,000
9	गोवा	4	80,000
10	गुजरात	117	23,40,000
11	हरियाणा	60	12,00,000
12	हिमाचल प्रदेश	18	3,60,000

13	जम्मू-कश्मीर	10	2,00,000
14	झारखंड	37	7,40,000
15	कर्नाटक	143	28,60,000
16	केरल	59	11,80,000
17	मध्य प्रदेश	313	62,60,000
18	महाराष्ट्र	559	1,11,80,000
19	मणिपुर	10	2,00,000
20	मेघालय	14	2,80,000
21	मिजोरम	9	1,80,000
22	नागालैंड	8	1,60,000
23	ओडिशा	83	16,60,000
24	पुदुचेरी	6	1,20,000
25	पंजाब	26	5,20,000
26	राजस्थान	138	27,60,000
27	तमिलनाडु	229	45,80,000
28	तेलंगाना	168	33,60,000
29	उत्तर प्रदेश	303	60,60,000
30	उत्तराखंड	28	5,60,000
31	पश्चिम बंगाल	34	6,80,000
	कुल योग	**2,855**	**5,71,00,000**

डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन

राज्यवार विवरण

क. डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना (2025-2026)

(तालिका 5.1.22)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय आंकड़े (लाख में)	लाभार्थी
1.	चंडीगढ़	5.20	03
2.	दिल्ली	1.20	01
3.	पजाब	65.33	22
4.	मिजोरम	5.95	17
5.	मणिपुर	3.50	01
6.	उत्तर प्रदेश	12.25	07
	कुल	**146.98**	**51**

ख. डॉ. अम्बेडकर पीठ (2025-2026)

(तालिका 5.1.23)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय आंकड़े	लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	47,86,000/- 45,00,000/-	**2**
2.	पंजाब	45,00,000/-	**1**
3.	नई दिल्ली	30,00,000/-	**1**
4.	ओडिसा	25,00,000/-	**1**
5.	महाराष्ट्र	45,00,000/- 35,00,000/-	**2**
6.	असम	10,00,000/-	**1**
7.	मध्य प्रदेश	10,00,000/- 20,71,426/-	**2**
8.	बिहार	20,00,000/-	**1**
	कुल	**3,33,57,426/-**	

ग. अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना (2025-2026)

(तालिका 5.1.24)

क्र.स.	राज्य/सघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय आकड़े* (लाख रुपये में)	लाभार्थी*
1.	आंध्र प्रदेश	37,00,000	22
2.	छत्तीसगढ़	2,50,000	1
3.	दिल्ली	19,50,000	12
4.	गुजरात	1,00,000	1
5.	जम्मू	2,50,000	1
6.	मध्य प्रदेश	3,50,000	2
7.	महाराष्ट्र	25,00,000	10
8.	राजस्थान	4,50,000	3
9.	तमिलनाडु	12,50,000	8
10.	तेलंगाना	14,00,000	8
11.	उत्तर प्रदेश	27,00,000	15
12.	उत्तराखंड	2,50,000	1
13.	पश्चिम बंगाल	8,50,000	4
14.	हरियाणा	3,00,000	3
	कुल	**1,63,00,000/-**	**91**

घ. महान संतों की जयंती का आयोजन (2025-2026)

(तालिका 5.1.25)

क्र.स.	राज्य/सघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय आकड़े* (लाख रुपये में)	लाभार्थी*
1.	मध्य प्रदेश	बिल अभी प्राप्त नही हुआ है	02
2.	उत्तर प्रदेश	2.00	01
		बिल अभी प्राप्त नही हुआ है	01
		2.00	01
3.	महाराष्ट्र	बिल अभी प्राप्त नही हुआ है	01
4.	असम	बिल अभी प्राप्त नही हुआ है	01

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान

राज्यवार विवरण: वरिष्ठ नागरिक प्रभाग

(तालिका 5.1.26)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्यक्रमों की संख्या (वरिष्ठ नागरिक प्रभाग)	कुल व्यय (कुल स्वीकृत राशि) रुपए करोड़ में
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	27,110
2	आंध्र प्रदेश	2	84,000
3	अरुणाचल प्रदेश	2	1,49,200
4	असम	शून्य	शून्य
5	बिहार	1	6,00,000
6	चंडीगढ़	1	50,100
7	छत्तीसगढ़	2	6,50,700
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	1,61,300
9	दिल्ली	8	10,58,487
10	गोवा	शून्य	शून्य
11	गुजरात	12	7,02,050
12	हरियाणा	15	5,99,280
13	हिमाचल प्रदेश	14	14,41,200
14	जम्मू-कश्मीर	02	6,75,000
15	झारखंड	32	32,54,947

16	कर्नाटक	26	12,69,250
17	केरल	06	8,22,200
18	लद्दाख	शून्य	शून्य
19	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
20	मध्य प्रदेश	21	11,52,450
21	महाराष्ट्र	49	33,86,849
22	मणिपुर	21	11,99,350
23	मेघालय	1	75,000
24	मिजोरम	शून्य	शून्य
25	नागालैंड	1	4,85,500
26	ओडिशा	शून्य	शून्य
27	पुदुचेरी	2	97,200
28	पंजाब	3	5,15,700
29	राजस्थान	14	12,91,950
30	सिक्किम	1	5,00,000
31	तमिलनाडु	40	28,09,362
32	तेलंगाना	3	1,76,225
33	त्रिपुरा	1	52,000
34	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य
35	उत्तराखंड	शून्य	शून्य
36	पश्चिम बंगाल	24	25,54,749
	कुल	**308**	**2,58,41,159/-**

(तालिका 5.1.27)

राज्यवार विवरण: एनसीडीएपी प्रभाग

क्र.सं.	राज्य	एजेंसी का नाम	दिन	क्षमता	लाभार्थी	स्वीकृत राशि
	हिमाचल प्रदेश	एसएलसीए हिमाचल प्रदेश	40	14	4,610	44,70,200
2	चंडीगढ़		10	4		
3	अरुणाचल प्रदेश	एसएलसीए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड	0	0	2,850	22,41,975
4	नागालैंड		29	11		
5	पश्चिम बंगाल	एसएलसीए पश्चिम बंगाल और सिक्किम	26	7	2,525	27,36,475
6	सिक्किम		5	0		
7	मध्य प्रदेश	एसएलसीए मध्य प्रदेश	19	9	1,645	20,17,950
8	बिहार	एसएलसीए बिहार और झारखंड	21	9	4,050	31,91,450
9	झारखंड		20	6		
10	तेलंगाना	एसएलसीए तेलंगाना	30	26	3,415	42,01,425
11	ओडिशा	एसएलसीए ओडिशा	35	36	4,125	49,48,375
12	तमिलनाडु	एसएलसीए तमिलनाडु और पुदुचेरी	35	23	4,445	42,08,200
13	पुदुचेरी		8	0		
14	मिजोरम	एसएलसीए मिजोरम और त्रिपुरा	9	4	965	12,05,900
15	त्रिपुरा		0	0		
16	मणिपुर	एसएलसीए मणिपुर	41	17	2,690	48,28,875
17	कर्नाटक	एसएलसीए कर्नाटक	48	18	4,395	39,13,275
18	आंध्र प्रदेश	एसएलसीए आंध्र प्रदेश	42	20	4,045	40,02,100
19	असम	एसएलसीए असम और मेघालय	28	12	4,295	30,44,025
20	मेघालय		16	6		
21	नई दिल्ली	एसएलसीए दिल्ली	27	7	3,670	50,37,925
22	पंजाब		25	4		

23	केरल	एसएलसीए केरल और लक्षद्वीप	47	15	4,060	41,15,050
24	लक्षद्वीप		0	0		
25	छत्तीसगढ़	एसएलसीए छत्तीसगढ़	23	11	2,045	23,04,950
26	गुजरात	एसएलसीए गुजरात	1	0	125	1,00,000
27	जम्मू-कश्मीर	एसएलसीए जम्मू-कश्मीर	32	22	3,970	48,85,100
28	लद्दाख		6	3		
29	महाराष्ट्र	एसएलसीए महाराष्ट्र और गोवा	0	0	0	
30	गोवा		0	0		
31	हरियाणा	एसएलसीए हरियाणा	40	6	3,320	25,78,375
32	उत्तराखंड	एसएलसीए उत्तराखंड	20	7	690	24,85,500
		कुल योग	**683**	**297**	**61,935**	**6,65,17,125**

नोट: उपरोक्त आंकड़े 06.11.2025 तक के हैं।

योजना/गतिविधि/कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार दो कॉलमों को संशोधित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)

वर्ष 2025-26 के दौरान राज्यवार संवितरण और कवर किए गए लाभार्थी (31.12.2025 तक)

(तालिका 5.1.28)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**वितरित राशि (रुपए लाख में)**	**कवर किए गए लाभार्थी (संख्या)**
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0
2	आंध्र प्रदेश	6543.34	9,357
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0
4	असम	5.83	2
5	बिहार	1028.69	1,998
6	चंडीगढ़	45.79	105
7	छत्तीसगढ़	360.68	1,263
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0
9	दिल्ली	2.70	1
10	गोवा	8.71	1
11	गुजरात	620.25	530
12	हरियाणा	864.71	609
13	हिमाचल प्रदेश	2035.76	429

14	जम्मू-कश्मीर	0.00	0
15	झारखंड	362	746
16	कर्नाटक	226.42	49
17	केरल	7732.26	4,653
18	लद्दाख	0.00	0
19	लक्षद्वीप	0.00	0
20	मध्य प्रदेश	844.68	837
21	महाराष्ट्र	804.54	139
22	मणिपुर	0.00	0
23	मेघालय	0.00	0
24	मिजोरम	0.00	0
25	नागालैंड	0.00	0
26	ओडिशा	232.79	489
27	पुदुचेरी	1100.00	893
28	पंजाब	2430.76	1,553
29	राजस्थान	17.17	9
30	सिक्किम	0.00	0
31	तमिलनाडु	4690.06	2,728
32	तेलंगाना	3241.01	3,422
33	त्रिपुरा	3.19	1
34	उत्तर प्रदेश	3596.65	628
35	उत्तराखंड	151.39	200
36	पश्चिम बंगाल	1272.13	841
	कुल	**38,221.51**	**31,483**

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)

वर्ष 2025-26 के दौरान राज्यवार संवितरण और कवर किए गए लाभार्थी (31.12.2025 तक)

(तालिका 5.1.29)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वितरित राशि (रुपए लाख में)	कवर किए गए लाभार्थी (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0
2	असम	0.00	0
3	बिहार	0.00	0
4	चंडीगढ़	0.00	0
5	छत्तीसगढ़	0.00	0
6	दिल्ली	0.00	0
7	गोवा	2.60	1
8	गुजरात	7.20	0
9	हरियाणा	14.00	27
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	0
11	जम्मू-कश्मीर	0.00	0
12	झारखंड	0.00	0
13	कर्नाटक	0.00	0
14	केरल	9,095.80	10,948
15	मध्य प्रदेश	0.00	0
16	महाराष्ट्र	90.00	20
17	मणिपुर	0.00	0
18	मेघालय	0.00	0
19	मिजोरम	0.00	0
20	नागालैंड	0.00	0
21	ओडिशा	0.00	0
22	पुदुचेरी	0.00	0
23	पंजाब	146.70	83
24	राजस्थान	0.00	0
25	तमिलनाडु	0.00	0
26	तेलंगाना	0.00	0
27	त्रिपुरा	0.00	0
28	उत्तर प्रदेश	0.00	0
29	उत्तराखंड	0.00	0
30	पश्चिम बंगाल	4.61	2
	कुल	**9,360.91**	**11,081**

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण - ऋण योजनाएं

(वित्तीय वर्ष 2025-26)

(तालिका 5.1.30)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय आंकड़े (रु./करोड़)	लाभार्थी (संख्या)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	--	-
2.	आंध्र प्रदेश	10.69	559
3.	अरुणाचल प्रदेश	--	--
4.	असम	0.21	13
5.	बिहार	1.24	53
6.	चंडीगढ़	--	-
7.	छत्तीसगढ़	8.57	306
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	--	-
9.	दिल्ली	--	-
10.	गोवा	0.85	13
11.	गुजरात	7.91	384
12.	हरियाणा	5.19	517
13.	हिमाचल प्रदेश	3.87	78
14.	जम्मू-कश्मीर	--	-
15.	झारखंड	0.60	61
16.	कर्नाटक	6.85	313
17.	केरल	136.65	16,483
18.	लद्दाख	--	-
19.	लक्षद्वीप	--	-
20.	मध्य प्रदेश	12.75	357
21.	महाराष्ट्र	5.97	231
22.	मणिपुर	0.03	2
23.	मेघालय	--	-
24.	मिजोरम	--	-
25.	नागालैंड	--	-
26.	ओडिशा	0.85	36
27.	पुदुचेरी	14.99	2,018
28.	पंजाब	10.02	591

29.	राजस्थान	6.56	379
30.	सिक्किम	0.06	3
31.	तमिलनाडु	92.36	10,496
32.	तेलंगाना	6.77	209
33.	त्रिपुरा	0.008	1
34.	उत्तर प्रदेश	10.32	401
35.	उत्तराखंड	1.25	48
36.	पश्चिम बंगाल	7.89	177
	कुल	**352.45**	**33,729**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण - विश्वास योजना

(वित्तीय वर्ष 2025-26 - 31.12.2025 तक)

(तालिका 5.1.31)

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2025-26	
		लाभार्थियों की सं.	ब्याज छूट की राशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.003
2	आंध्र प्रदेश	8,033	271.46
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0.01
4	असम	0	35.92
5	बिहार	0	98.43
6	चंडीगढ़	0	0.11
7	छत्तीसगढ़	0	31.57
8	दिल्ली	0	1.44
9	गोवा	0	0.11
10	गुजरात	0	15.52
11	हरियाणा	0	31.99
12	हिमाचल प्रदेश	0	11.38
13	जम्मू-कश्मीर	175	3.94
14	झारखंड	0	23.34
15	कर्नाटक	0	14.55
16	केरल	0	26.88
17	लद्दाख	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0

19	मध्य प्रदेश	0	53.30
20	महाराष्ट्र	0	32.07
21	मणिपुर	0	0.77
22	मिजोरम	0	0
23	मेघालय	0	0.00
24	नागालैंड	0	0.01
25	ओडिशा	0	55.85
26	पुदुचेरी	0	0.42
27	पंजाब	0	14.80
28	राजस्थान	0	68.88
29	सिक्किम	0	0.24
30	तमिलनाडु	0	243.58
31	तेलंगाना	1,838	55.77
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0.01
33	त्रिपुरा	0	5.40
34	उत्तर प्रदेश	0	345.49
35	उत्तराखंड	0	21.07
36	पश्चिम बंगाल	0	22.34
	कुल योग	**10,046**	**1,486.68** *

*** संवितरण में 2024-25 की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही शामिल हैं**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण - सीड

(वित्तीय वर्ष 2025-26 से 31.12.2025 तक)

(तालिका 5.1.32)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटित राशि (करोड़ रुपये में)	आबंटित (एसएचजी की संख्या)
1.	गुजरात	3.20	400
2.	राजस्थान		500
3.	मध्य प्रदेश		600
4.	महाराष्ट्र		500
5.	उत्तर प्रदेश		300
	कुल	**3.20**	**2,300**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण - एनएफओबीसी योजना

(वित्तीय वर्ष 2025-26 से 31.12.2025 तक)

(तालिका 5.1.33)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वितरित राशि (करोड़ रुपये में)	स्कॉलरों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	1
2	आंध्र प्रदेश	1.41	33
3	अरुणाचल प्रदेश	0.04	1
4	असम	2.57	64
5	बिहार	4.73	119
6	चंडीगढ़	0.11	2
7	छत्तीसगढ़	0.46	14
8	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.03	1
9	दिल्ली	5.16	120
10	गोवा	0.15	4
11	गुजरात	0.87	23
12	हरियाणा	4.01	98
13	हिमाचल प्रदेश	0.41	11

14	जम्मू-कश्मीर	0.71	18
15	झारखंड	1.39	35
16	कर्नाटक	1.49	40
17	केरल	7.35	192
18	लद्दाख	0.00	0
19	लक्षद्वीप	0.00	0
20	मध्य प्रदेश	2.22	53
21	महाराष्ट्र	1.23	32
22	मणिपुर	1.79	44
23	मेघालय	0.01	1
24	मिजोरम	0.00	0
25	नागालैंड	0.00	0
26	ओडिशा	2.19	57
27	पुदुचेरी	0.49	12
28	पंजाब	1.14	28
29	राजस्थान	4.05	108
30	सिक्किम	0.06	1
31	तमिलनाडु	3.96	93
32	तेलंगाना	1.66	43
33	त्रिपुरा	0.13	3
34	उत्तराखंड	0.99	25
35	उत्तर प्रदेश	26.35	654
36	पश्चिम बंगाल	6.62	162
	कुल	**83.82**	**2,092**

संलग्नक-2

5.2 विभाग के संदर्भ में कार्य आबंटन नियम

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) *का* कार्य आबंटन

1. निम्नलिखित विषय जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III समवर्ती सूची में आते हैं: **खानाबदोश और प्रवासी जनजातियां।**
2. निम्नलिखित समूहों से संबंधित मामलों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना, अर्थात्: -
   (i) अनुसूचित जाति;
   (ii) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग;
   (iii) विमुक्त जनजातियां;
   (iv) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग; तथा
   (v) वरिष्ठ नागरिक।

   नोट: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ऊपर (i) से (iv) में उल्लिखित समूहों के विकास के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए नोडल विभाग होगा, और ऊपर (v) में समूह के कल्याण के लिए। हालांकि, इन समूहों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यक्रमों का समग्र प्रबंधन और निगरानी आदि संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय या विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित नोडल जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा।
3. उपरोक्त प्रविष्टि 2 के तहत (i) से (iv) में उल्लिखित समूहों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से विशेष योजनाएं, जैसे छात्रवृत्ति, छात्रावास, आवासीय विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण, रियायती ऋण और स्वरोजगार के लिए सब्सिडी, आदि।

3. (क) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण।

4. नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए फ्रेम वर्क और तंत्र के आधार पर अनुसूचित जाति उप योजना की निगरानी।
5. वैकल्पिक व्यवसायों में हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास।

5(क) **सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय का सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का 46)2**

6. वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सहायता के कार्यक्रम।
7. मद्य निषेध
8. शराब और नशीले पदार्थों के सेवन के पीड़ितों और उनके परिवारों का पुनर्वास।

9. भिक्षावृत्ति
10. विभाग द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौते।
11. विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में जागरूकता पैदा करना, अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रशिक्षण।
12. विभाग को आबंटित विषयों से संबंधित धर्मार्थ और धार्मिक बंदोबस्ती और स्वैच्छिक प्रयास का संवर्धन और विकास।
13. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22)।
14. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33), (जहां तक यह अनुसूचित जातियों से संबंधित है, अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर)।
15. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27)।
16. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56)।
17. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
18. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग।
19. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
20. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम।
21. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम।
22. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम।
23. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान।
24. डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन।
25. बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन।
26. राष्ट्रीय विमुक्त और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए आयोग।

संलग्नक-3

5.3 प्रमुख संक्षिप्ताक्षर और परिभाषाएँ

(तालिका 5.3)

क्र.सं.	संक्षिप्ताक्षर	विस्तारित रूप
संगठनात्मक चार्ट में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर		
1	एमएसजेई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
2	एमओएस	राज्य मंत्री
3	एसजे एंड ई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
4	जेएस	संयुक्त सचिव
5	जेएस और एफए	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार
6	ईए	आर्थिक सलाहकार
7	डीडीजी	उप महानिदेशक
8	स. निदे.	संयुक्त निदेशक
9	एसडी	समाज रक्षा
10	आरआर	नर्मदा परियोजना का बचाव और पुनर्वास
11	प्रशा.	प्रशासन
12	पार्ल./सीसी/आरएल	संसद/कॉर्पोरेट प्रकोष्ठ/सूची का संशोधन
13	सीडीएन	समन्वय
14	रा.भा.	राजभाषा
15	सीआर	केंद्रीय रजिस्ट्री
16	एफसी	सुविधा केंद्र
17	आरटीआई	सूचना का अधिकार
18	सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
19	स्टे डिवी	सांख्यिकी विभाग
20	प्ला .डिवी	योजना प्रभाग
21	निदे.	निदेशक
22	डीएस	उप-सचिव
23	डीपी/टीजी	नशीले पदार्थों के दुरुपयोग का निवारण/ट्रांसजेंडर
24	एनआईएसडी	राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
25	एससीबी	वरिष्ठ नागरिक शाखा
26	डीडी	उप-निदेशक

27	आईएफडी	एकीकृत वित्त प्रभाग
28	एससीडी	अनुसूचित जाति विकास
29	बीसीडी और ईआईओ.आईडी	पिछड़े वर्ग प्रभाग और आर्थिक समावेशन अनुभाग
30	डीएएफ, डीएआईसी, बीजेआरएनएफ तथा जेबीसीआई	डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन तथा जस्टिस बालकृष्णन जांच आयोग

संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप	विवरण
	अधिनियम	
पीसीआर अधिनियम, 1955	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955	भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसरण में, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया था और दिनांक 08.5.1955 को यह अधिसूचित हुआ। यह अधिनियम वर्ष 1976 में पीसीआर अधिनियम, 1955 के रूप में संशोधित किया गया था।
पीओए अधिनियम, 1989	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 दिनांक 30.1.1990 से प्रभावी हुआ।
एमएस-अधिनियम, 2013	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013	"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और यह 6 दिसम्बर, 2013 से प्रभावी हो गया है।
	योजनाएं	
पीएमएस-एससी	अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	इस स्कीम का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें।

बीजेआरसीवाई	बाबू जगजीवन राम छात्रावास स्कीम	इस स्कीम का उद्देश्य मिडिल स्कूल, उच्चतर माध्यमिक स्कूल, कालेज अथवा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना है।
एनएफ-एससी	अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप	इस स्कीम में एमफिल, पीएचडी और विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में समकक्ष शोध उपाधि के लिए शोध अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।
एनओएस	राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्कीम चुनिंदा अनुसूचित जातियों, विमुक्त, घुमन्तू, अर्ध-घुमन्तू जनजातियों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा परम्पराग शिल्पकार से संबंधित विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में, विदेश में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों में उच्चतर अध्ययन हेतु तथा पीएचडी कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
एससीडीसी	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों की सहायता	अनुसूचित जाति विकास निगमों में 49:51 (केन्द्रःराज्य) के अनुपात में इक्विटी शेयर में भागीदारी के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1979 में आरंभ की गई थी।
एससीएसपी के लिए एससीए	अनुसूचित जाति उप -स्कीम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुसूचित जाति उप-स्कीम (एससीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसे 1980 में आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अनुसूचित जाति उप- स्कीम के योजक के रूप में 100% अनुदान दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास की परिवार उन्मुख स्कीमों पर मुख्य ध्यान देना है।
एसआरएमएस	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार स्कीम	यह स्कीम जनवरी, 2007 में हाथ से मैला उठाने वाले शेष कर्मियों और उनके आश्रितों को पुनर्वासित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। एमएस-अधिनियम, 2013 के अनुरूप यह स्कीम नवम्बर, 2013 में पूर्ण रूप से संशोधित की गई है।
पीएमएजीवाई	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम स्कीम	यह स्कीम वर्ष 2009 के दौरान 1000 गांवों के लिए 50% से अधिक ऐसी जनसंख्या वाले 05 राज्यों में पायलट चरण के रूप में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य इन गांवों का एकीकृत

		विकास सुनिश्चित करना है।
एससी के लिए वीओ को जीआईए	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता अनुदान	स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान सहायता की स्कीम अनुसूचित जाति के विकास के लिए परियोजनाएं निष्पादित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे स्वयं अपने आय सृजक कार्यकलाप आरंभ कर सकें अथवा लाभदायक रोजगार प्राप्त कर सकें।
	आयोग	
एनसीएससी	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत् 1990 में गठित किया गया था जिसे 89वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2003 के पश्चात दो आयोगों नामतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित कर दिया गया था।
एनसीएसके	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	सितम्बर, 1993 में एक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, 29.2.2004 को समाप्त हो गया। इसके पश्चात इस आयोग का कार्यकाल मंत्रिमंडल के अनुमोदन से संकल्पों के माध्यम से अब तक 5 बार गैर-सांविधिक निकाय के रूप में बढ़ाया जा चुका है।
	निगम	
एनएसएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत फरवरी, 1989 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। एनएसएफडीसी का मुख्य उद्देश्य शहरी तथा ग्रामीण दोनो क्षेत्रों में 3.00 लाख रूपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति परिवारों को रियायती ऋणों के रूप में, तथा लक्ष्य समूह के युवाओं को कौशल-सह-उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
एनएसकेएफडीसी	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	एनएसकेएफडीसी 24 जनवरी, 1997 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक अलाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। एनएसकेएफडीसी का मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों को रियायती ऋणों के रूप में, तथा लक्ष्य समूह के युवाओं को कौशल-सह- उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

एनबीसीएफडीसी	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत "अलाभकारी" कंपनी के रूप में 13 जनवरी, 1992 को हुई थी जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लाभ हेतु आर्थिक तथा विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और ऋण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से पिछड़े वर्गों के गरीब वर्गों को सहायता प्रदान करना है जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा विहित आय एवं आर्थिक मानदंड के आधार पर होगा।
	प्रतिष्ठान	
डीएएफ	डा .अम्बेडकर प्रतिष्ठान	प्रतिष्ठान के मुख्य उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत और विदेश में लोगों के बीच बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों और कार्य-कलापों का कार्यान्वयन करना है।
बीजेआरएनएफ	बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान	बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान 14 मार्च, 2008 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में बाबू जगजीवन राम जी की स्मृति में उनकी विचारधारा और जीवन के दर्शन तथा मिशन इत्यादि का प्रचार-प्रसार करने के लिए स्थापित किया गया था।
	अन्य	
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 (24) में परिभाषित किया गया है।
अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजातियाँ	अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में परिभाषित किया गया है।
बीपीएल/डीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा से दोगुनी	योजना आयोग द्वारा समय-समय पर परिभाषित मानदंड ।
	पिछड़ा वर्ग विकास	
बीसी	पिछड़ा वर्ग	एनसीबीसी अधिनियम, 1993 की धारा 2 के अनुसार, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा नागरिकों के ऐसे वर्ग हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा सूची में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
ओबीसी	(१) अन्य पिछड़ा वर्ग	यह एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग भारत सरकार द्वारा

	(२) क्रीमी लेयर	उन जातियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से वंचित हैं। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) के साथ भारत की जनसंख्या के कई आधिकारिक वर्गीकरणों में से एक है। यह उच्च आय स्तर है जिसके नीचे अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाता है।
	(३) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 2 के अनुसार- "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" ऐसा होगा जिसे राज्य द्वारा समय-समय पर पारिवारिक आय और आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतकों के आधार पर अधिसूचित किया जा सकता है।
डीएनटी	विमुक्त घुमंतू जनजातियाँ	विमुक्त जनजातियां वे हैं जिन्हें 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाले कानूनों की एक श्रृंखला के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद, इस अधिनियम को 1952 में निरस्त कर दिया गया था, और समुदायों को "विमुक्त" कर दिया गया था। घुमंतू जनजातियाँ वे समुदाय हैं जिनके पास आमतौर पर भूमि नहीं होती है और वे आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
	ओबीसी की केंद्रीय सूची	उन समुदायों की सूची जो केंद्रीय सूची में हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसरण में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 08.09.1993 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अन्य *बातों के साथ-साथ* निर्देश दिया कि 'ओबीसी में पहले चरण में उन जातियों और समुदायों को शामिल किया जाएगा जो दोनों सूचियों के लिए समान हैं (यानी मंडल आयोग की रिपोर्ट और राज्य सरकार की सूचियों में)।
एनसीबीसी	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी)	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की स्थापना अगस्त 1993 में एनसीबीसी अधिनियम 1993 के प्रावधान के अनुसार की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक नए संवैधानिक निकाय का गठन 15.8.2018 से एक नया अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद

		338ख जोड़कर किया गया है। एनसीबीसी (निरसन) अधिनियम, 2018 के अनुसार 15.8.2018 से 1993 के पूर्ववर्ती एनसीबीसी अधिनियम, 27 को निरस्त कर दिया गया था।
एनसीडीएनटी	राष्ट्रीय विमुक्त और घुमंतू जनजाति आयोग	यह भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 12.2.2014 के तहत स्थापित एक आयोग था, जो विमुक्त और घुमंतू जनजातियों से संबंधित जातियों की राज्यवार सूची तैयार करने के लिए था।
डीडब्ल्यूबीडीएनसी	विकास और कल्याण बोर्ड विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय।	यह डीएनटी के लिए आवश्यकतानुसार कल्याण और विकास कार्यक्रम तैयार करने और लागू करने के लिए भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21.02.2019 के तहत गठित एक बोर्ड है।
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना	ये भारत सरकार की योजनाएं हैं जो राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। इन्हें पूरी तरह या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, उदाहरण के लिए, 50:50, 70:30, 75:25 या 90:10 के अनुपात में।
सीएस	केंद्रीय क्षेत्र की योजना	यह केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है और केंद्र सरकार की मशीनरी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं मुख्य रूप से संघ सूची के विषयों पर तैयार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रालय भी कुछ स्कीमों को सीधे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित करते हैं जिन्हें केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं कहा जाता है लेकिन इन स्कीमों के अंतर्गत संसाधन सामान्यत राज्यों को अंतरित नहीं किए जाते हैं।
सीएल	प्रतिबद्ध दायित्व	यह एक योजना के अंतिम वर्ष के दौरान और बाद के योजना वर्षों के लिए राज्य द्वारा खर्च की गई राशि है, और जारी किए गए केंद्रीय हिस्से + राज्य के हिस्से + अंतिम योजना की प्रतिबद्ध देयता के योग के रूप में तय की जाती है।
जीआईए	सहायता अनुदान	वह राशि जो केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की जाती है।

एनए	सैद्धांतिक आबंटन ओबीसी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	बजटीय कमी के कारण, केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सैद्धांतिक रूप से बजट आबंटित करती है। यह ओबीसी बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है जो प्री-मैट्रिक चरण में मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ रहे हैं।
पीएमएस-ओबीसी	ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	यह पोस्ट-मैट्रिक कक्षाओं यानी दसवीं कक्षा से ऊपर के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से चलाई जा रही है। /
यूएसबी	अवयतीत शेष	अव्यतीत शेष वह राशि है जो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की गई केन्द्रीय सहायता उस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा खर्च नहीं की गई हो। यह विशेष विज्ञप्ति/वित्तीय वर्ष के संदर्भ में प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र में परिलक्षित होता है। खर्च न की गई राशि को बाद में जारी की जाने वाली राशि में समायोजित किया जाता है।
यूसी	उपयोग प्रमाणपत्र	केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उन्हें जारी की गई राशि के बदले में प्रदान किया गया प्रमाण पत्र और यह जीएफआर-2017 के 12-सी प्रारूप के रूप में है।
एनसीएसआरसी	राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिकों की परिषद	यह वृद्धजनों के लिए नीति और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में सरकार को सलाह देने वाला सर्वोच्च निकाय है।
एमडब्ल्यूपीएससी	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 दिसंबर, 2007 में अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के संविधान में दी गई गारंटी के अनुसार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण के लिए अधिक प्रभावी प्रावधान प्रदान किया जा सके।
एनपीओपी	वृद्धजनों पर राष्ट्रीय नीति	भारत सरकार ने जनवरी 1999 में वृद्धजनों पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। इस नीति में वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और

		अन्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सहायता की परिकल्पना की गई है।
आईपीओपी	वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम योजना	यह योजना 1992 से कार्यान्वित की जा रही है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके और उपयोगी और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करके वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
आरआरटीसी	क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र	स्वैच्छिक क्षेत्र की क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कुछ कार्यकलाप आयोजित किए जाने की आवश्यकता है और आरआरटीसी इस पर ध्यान दे रहा है।

संक्षिप्ताक्षर	पूरा नाम
पीएमएस-एससी	अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
बीजेआरसीवाई	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना
आरजीएनएफ-एससी	अनुसूचित जातियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप
एनओएस	नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति
एससीडीसी	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को सहायता
एससीए टू एससीएसपी	अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता
एसआरएमएस	मैन्युअल स्केवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना
पीएमएजीवाई	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
जीआईए टू वीओ फॉर दि एससी	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
एनसीएससी	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
एनसीएसके	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग
एनएसएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
एनएसकेएफडीसी	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
बीजेआरएनएफ	बाबू जगजीवन राम राष्ट्रयी प्रतिष्ठान
डीएएफ	डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
डीएआईसी	डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र
डीएएम	डॉ. अम्बेडकर स्मारक
एससी	अनुसूचित जातियां

एसटी	अनुसूचित जनजातियां
बीपीएल/डीपीएल	गरीबी रेखा से/दोगुनी गरीबी रेखा से नीचे
बी.सी.	पिछड़ा वर्ग
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
डीएनटी	विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग
एनसीबीसी	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
एनसीडीएनटी	राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग
एनबीसीएफडीसी	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
सीएसएस	केंद्रीय प्रायोजित योजना
सीएल	प्रतिबद्ध दायित्व
जीआईए	सहायता अनुदान
एनए	सैद्धांतिक आबंटन
पीएमएस-ओबीसी	अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
यूसी	उपयोग प्रमाण-पत्र
एनसीएसआरसी	राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद
एमडब्ल्यूपीएससी	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007
आईपीओपी	एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम
आईपीएसआरसी	एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम
एनपीओपी	राष्ट्रीय वृद्धजन नीति
आईडीओपी	अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस
एमडब्ल्यूपीएससी एक्ट, 2007	माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007
ओएएच	वृद्धाश्रम
डीसीसी	दिवा देखभाल केंद्र (बहु-सेवा केंद्र)
एमएमयू	चल चिकित्सा देखभाल यूनिट
एमएफसीसी	बहु सुविधा देखभाल केंद्र
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनआईसीई	वृद्धजनों की देखभाल पर राष्ट्रीय पहल
आईजीएनओएपीएस	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
एनपीएचसीई	वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

एनएसएपी	राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम
आरआरटीसी	क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र
एसीडीसी	जागरूकता-सह-नशामुक्ति शिविर
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
सीबीओ	समुदाय आधारित पुनर्वास
डीएएमएस	नशीले पदार्थों के दुरुपयोग निगरानी प्रणाली
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
आईडीयू	इंजेक्टिंग ड्रग यूजर
आईईसी मटेरियल	सूचना, शिक्षा तथा आदान-प्रदान सामग्री
आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आईआरसीए	नशे के आदी व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र
नाको	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
एनसीबी	नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
एनडीडीटीसी, एम्स	नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, एआईआईएमएस
एनडीपीएस एक्ट	नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट
एनआईएसडी	राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
एनसीडीएपी, एनआईएसडी	नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय केंद्र, एनआईएसडी
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
पीआरआई	पंचायती राज संस्था
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय
यूएनओडीसी	नशीले पदार्थों और अपराध के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय
वीओ	स्वैच्छिक संगठन
डब्ल्यूपीपी	वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोग्राम
डब्ल्यूपीआर	व्यक्ति की संपूर्ण रिकवरी

संलग्नक-4

5.4 निजी और स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान किए गए सहायता अनुदान की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

1. वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा (**श्रेष्ठ**) के तहत चल रहे संगठनों को **जारी सहायता अनुदान**

(तालिका 5.4.1)
(रुपये लाख में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	राशि 2024-25	राशि 2025-26
1.	आई तुलजाभवानी महिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था	31.50	12.00
2.	आदर्श सरस्वती शिक्षा समिति	42.39	10.80
3.	आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल	107.87	38.01
4.	अशोक शिक्षा प्रसार समिति	11.61	32.40
5.	अध्ययन विद्या ट्रस्ट	0	12.75
6.	आदर्श बाल वाटिका विद्यालय समिति	24.54	0
7.	अहिल्यादेवी होल्कर शिक्षण प्रसारक मंडल-	7.05	36.00
8.	अमेठी महिला एवं बाल कल्याण समिति	35.88	14.00
9.	अंकिता बाल विद्या मंदिर शिक्षा समिति-	17.55	10.80
10.	अपांग महिला मंडल	5.50	17.60
11.	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स	45.85	22.00
12.	अटल ग्रामोद्योग सेवा समिति	23.21	10.80
13.	अतिहासिक महिला शिक्षा समिति	34.22	10.80
14.	बाबा राम नाथ शिक्षण समिति	28.55	0
15.	बाल बानी अवोम निर्बल सेवानारी कला केंद्र समिति	4.99	22.90
16.	बाल कल्याण केंद्र	22.95	10.80
17.	बलराम आदर्श विद्यालय समिति	28.55	10.80
18.	बेसिक उत्थान एवं ग्रामीण सेवा संस्थान, बाराबंकी	28.67	10.80
19.	भाग्योदय विद्या वर्धक संघ	82.95	17.60
20.	भारत बहुउद्देशीय शिक्षा सोसायटी	11.00	35.20
21.	भारत सेवाश्रम संघ, कोलकाता	19.10	9.00
22.	भारतीय समाज सेवा संस्थान, लखनऊ	41.69	17.60
23.	ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट संस्था	24.98	10.80
24.	सेंटर फॉर रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसायटी	34.65	17.60
25.	चेतना शिक्षण संस्था औरंगाबाद	5.06	16.20
26.	चिरानाबिन	29.62	12.00

27.	चंद्रगिरि शिक्षण प्रसारक मंडल	37.93	12.00
28.	बाल पवित्र सार्वजनिक शिक्षा समिति	36.45	10.80
29.	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान	46.11	17.60
30.	डॉ. भीम राव अम्बेडकर प्रसार सेवा समिति	22.95	10.80
31.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर विद्या वर्धक संघ	46.20	17.60
32.	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर शिक्षण प्रसार मंडल	31.50	12.00
33.	गजोल गुड न्यूज वेलफेयर सोसायटी	3.60	17.52
34.	गौथम एजुकेशन सोसायटी	43.45	17.60
35.	ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल समिति	28.35	10.80
36.	हरिजन सेवक संघ	245.69	82.71
37.	हरिसुंदर महिला बहुदेशीय शिक्षण प्रसार मंडल	52.56	53.60
38.	पवित्र घर	16.16	65.00
39.	इंदिरा राष्ट्रीय चेतना एवं समजोथन संस्था	46.86	17.60
40.	अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सोसायटी	46.20	17.60
41.	जैक एंड जिल सोसायटी	28.48	10.80
42.	जन कल्याण ट्रस्ट	46.20	17.60
43.	समाज कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए जीवन ज्योति क्लब	5.47	33.84
44.	जीजामाता शिक्षण प्रसारक मंडल सालगारा	49.42	22.00
45.	ज्ञान ज्योति जयभीम एजुकेशन सोसायटी	44.79	0
46.	जंगली उनायन परिषद	46.09	17.60
47.	ज्योतिबा फुले सेवा ट्रस्ट नांदेड़, महाराष्ट्र	20.02	12.00
48.	जगत ज्योति ग्रामीण बहुदेशीय संस्था	3.76	30.00
49.	काई मांजी नाइक एजुकेशन सोसायटी	15.00	10.32
50.	स्वर्गीय तहलाराम खुराना प्रतिष्ठान	24.82	12.00
51.	लोक सेवा केंद्र	0	0
52.	मदीराला सिवैया मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी	31.39	10.80
53.	महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, परभणी	31.50	12.00
54.	महावीर बाल शिक्षा अवम विकास समिति	28.35	10.80
55.	महिला बहुदेशीय शिक्षण प्रसार मंडल	5.70	12.00
56.	मानव उत्थान जन जागृति एवं विकास संस्था	36.75	14.00
57.	महिला उन्नयन पथगर	31.43	12.00
58.	मीराबाई शिक्षण प्रसारक मंडल	21.27	12.00
59.	मनोहर बाल समिति, राजस्थान	28.35	0
60.	नेतू सिंह एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी	22.95	10.80
61.	नेहरू बाल कल्याण समिति	36.58	14.00

62.	नवोदय बाल विद्या समिति	28.35	10.80
63.	नेहरू सेवा संघ	0	0
64.	निखिला उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ	46.20	22.00
65.	निराश्रित महिला बाल विकास ग्रामोद्योग शिक्षा समिति	29.43	10.80
66.	प्रयास एजुकेशन सोसायटी	58.44	22.00
67.	पवन सेवा संस्थान	40.72	17.60
68.	यशस्वी संस्थान	33.21	0
69.	प्रियदर्शनी शिक्षण संथा	0.14	56.10
70.	रेचक मॉर्निंग स्टार क्लब	0	14.88
71.	श्री सद्गुरुमौली सेवाभावी संस्था	25.50	12.00
72.	समाज सेवा संघ	42.53	0
73.	श्री तांबावेश्वर सेवाभावी संस्थान	0	0
74.	संत गजानन महाराज शिक्षण प्रसारक मंडल	3.37	0
75.	श्री शांति रेड्डी एजुकेशनल सोसायटी	29.66	10.80
76.	सर्वोदय आश्रम	143.96	55.00
77.	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी	68.77	29.60
78.	श्रद्यालय आश्रम समिति	46.20	17.60
79.	शांति सर्वोदय संस्थान	68.48	28.40
80.	श्री वेंकटेश्वर महिला मंडली	46.20	17.60
81.	श्री सिद्धार्थ विद्यावर्धक संघ कलकेरी	39.57	17.60
82.	श्री दुर्गादेवी बंजारा सेवा संघ	92.40	35.20
83.	श्री कृष्ण विधायल्या प्रबंधन समिति, पदमपुर	26.67	10.80
84.	श्री मुख्तियार सिंह सामग्री शिक्षा समिति	77.85	30.20
85.	श्री संत गाडगे महाराज मिशन	3.38	24.19
86.	सोशल इंटीग्रीटी रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	24.15	11.40
87.	श्री संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी शिक्षण प्रसारक मंडल	35.29	0
88.	श्री स्वामी समर्थ शिक्षण संस्था	22.99	8.80
89.	शुभम शिक्षण प्रसार मंडल	0.43	8.80
90.	श्री अंबिका एजुकेशन ट्रस्ट	33.00	17.60
91.	संत रामदास शिक्षा समिति	4.37	41.16
92.	श्री श्री हरिचंद मतुआ सेवाश्रम (ट्रस्ट)	6.35	32.40
93.	सुधा देवी शिक्षा समिति	6.68	31.54
94.	सुहित जन कल्याण समिति	46.20	17.60
95.	शक्ति सामाजिक संस्कृति और खेल संगठन	30.30	12.00
96.	स्व. तपेश्वर राम कल्याण समिति	44.95	17.60

97.	स्वाभिमान एजुकेशन सोसायटी	98.45	39.60
98.	स्वामी चक्रधर शिक्षण प्रसार मंडल	4.18	0
99.	स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक मंडल	13.99	32.40
100.	श्री सत्य साईं बाबा एजुकेशन सोसायटी	11.00	52.45
101.	श्री खंडोबराय सेवाभावी संस्था	40.40	14.00
102.	तिरुपति बालाजी सेवाभावी और शैक्षणिक संस्था	88.56	33.00
103.	विश्व जीवन सेवा संघ	0	32.56
104.	पश्चिमी ग्रामीण सामाजिक आर्थिक देव।	26.46	24.30
105.	यशोदानंदन ग्रामोद्योग सेवा एवं शिक्षण संस्थान]	23.71	105.00
106.	मोड-1 के तहत रिलीज	7,136.58	8,087.19

2. वर्ष 2024-25 के दौरान लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा (श्रेष्ठ) के तहत 50 लाख से अधिक के संगठनों को जीआईए जारी किया गया

मोड-2

(तालिका 5.4.2)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	राशि 2024-25
1.	आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल	107.87
2.	हरिजन सेवक संघ	245.69
3.	हरिसुंदर महिला बहुदेशीय शिक्षण प्रसार मंडल	52.56
4.	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी	68.77
5.	शांति सर्वोदय संस्थान	68.48
6.	श्री दुर्गादेवी बंजारा सेवा संघ	92.40
7.	श्री मुख्तियार सिंह सामग्री शिक्षा समिति	77.85
8.	स्वाभिमान एजुकेशन सोसायटी	98.45
9.	तिरुपति बालाजी सेवाभावी और शैक्षणिक संस्था	88.56

*****

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
https://socialjustice.gov.in